राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: **2** सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बीसवां दिवस संख्या: **11**

सोमवार,

22 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम राम, राम राम। प्रश्न काल। श्री रमेश खींची।

कठूमर में घोषित औद्योगिक क्षेत्र

149. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम सौंखरी रूंध में रीको द्वारा भूमि अधिगृहित की गयी है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो चुका है? यदि हां, तो सरकार यहां पर कब तक उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि खेडली में हिण्डौन रोड पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया था? यदि हां, तो कब व उक्त क्षेत्र में उद्योग के लिये भूखण्ड किस-किस को व किन-किन नियमों व शर्तों के अधीन आवंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आवंटित भूखण्डों में जहां उद्योग संचालित नहीं हैं उन भूखण्डों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021-22 (सामान्य वाद विवाद) के बिन्दु संख्या 30 में अलवर जिले के खेडली (कठूमर) में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस हेतु ग्राम रूंध सौंखरी में 25.30 हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है।

(3) जी हां। खेडली में हिण्डौन रोड पर औद्यौगिक क्षेत्र वर्ष 1979 में स्थापित किया गया था। औद्यौगिक क्षेत्र खेडली में उद्योगों की स्थापना हेतु 25 औद्योगिक भूखण्ड 17 इकाईयों को आवंटित किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आवंटन के नियम व शर्तों के

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

संबंध में आवंटन पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) आवंटित भूखण्डों पर नियत/विस्तारित अवधि में उद्योग प्रारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति में ऐसे भूखण्डों को निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित 25 औद्योगिक भूखण्डों में स्थापित 17 इकाइयों का नियमानुसार उत्पादन सत्यापन किया जा चुका था। वर्तमान में इनमें से 08 औद्योगिक इकाइयां बन्द है।

ऐसे भूखण्ड जिन पर पूर्व में उद्योग स्थापित हो गया था परन्तु वर्तमान में बन्द है ऐसे आवंटित भूखण्डों के विरूद्व कार्यवाही किये जाने का रीको के वर्तमान नियमों में प्रावधान नहीं है।

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जवाब आ चुका है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 2021-22 में खेड़ली, कठूमर, सौंखरी, रूंध में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा यह औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। अब हमारी सरकार ने भी अभी वर्तमान बजट में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि वहां औद्योगिक क्षेत्र होगा।

पूर्ववर्ती सरकार की तो यह मंशा नहीं थी, वह केवल कोरी घोषणा करना चाहते थे। काम नहीं करना चाहते थे। युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री रमेश खींची (कठूमर): उद्योंगों को लाना नहीं चाहते थे। अब हमारी सरकार आ चुकी है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस औद्योगिक क्षेत्र को कब लागू करना चाहोगे? जमीन कब अधिग्रहण करना चाहोगे? एससी, एसटी के उद्यमियों को क्या उसमें आरक्षण की व्यवस्था करना चाहोगे? नंबर एक।

दूसरा, मेरा जो ओल्ड औद्योगिक क्षेत्र है, वह बहुत लंबे समय से, 1979 में औद्योगिक क्षेत्र हुआ था। उस औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी इकाई सही ढंग से, तब से लेकर के नहीं चल पा रही है। आज भी मैं समझता हूं कि विभाग ने गलत जवाब दिया है। वहां 25 इकाइयां थी, उन 25 इकाइयों में से 8 आप बता रहे हो। जबकि उसमें तो उलटा है कि 8 इकाइयां कभी चलती हैं, कभी बंद होती हैं। टोटल 17 बंद हैं। उनमें गलत गतिविधियां होती हैं। लोग वहां निवास करते हैं। उसमें कोई उद्योग का काम नहीं होता। अपने-अपने गोदामों के रूप में या गृहस्थी निवास करती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। मैंने बार-बार कहा प्रश्न पूछें।

श्री रमेश खींची (कठूमर): मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो ओल्ड औद्योगिक क्षेत्र है, क्या उसमें पुन: आवंटन कर उसको चालू कराते चाहते हो? नये में कब अधिग्रहण कर लेंगे और कब चालू करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजें। माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना समझता हूं। वे उद्योगों को अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं। यह बात सही है कि पिछली सरकार

ने वहां पर बजट घोषणा की थी। उसमें कुछ आपत्ति आई थी। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर को रीजनल प्लान 2021 के अन्दर उनको वापस से लिखा था कि एक बार डिटेल्ड सर्वे कराइये और इस क्षेत्र की जमीन किस धारा में आती है, वह हमें बताइये।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, सदन को भी बताना चाहूंगा कि यह जो चिह्नित भूमि है, वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के रीजनल प्लान 2021 में एग्रीक्लचर, रुरल, जोन आउट साइड कंट्रोल्ड डवलपमेंट एरिया में आती है। अभी हमने 15.07.2024 को अधिकारियों को लिखा था कि यह भूमि का आरक्षण कर रीको को आवंटित कर दीजिये। अभी तक आवंटन हुआ नहीं है। जैसे-जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसके ऊपर डिमांड बेस यहां पर कार्यवाही करेंगे।

दूसरा, माननीय सदस्य का जो आग्रह है, वह पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो खेड़ली में है, यह 1979 में आद्योगिक क्षेत्र बना था। 1985 के अन्दर इसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसके अन्दर टोटल 27 भूखण्ड हैं, जिसमें से 25 भूखण्ड 17 औद्योगिक इकाइयों को आवंटित हैं। इसमें से 2 भूखण्ड बीएसएनएल को दिये जा चुके हैं।

यह बात सही है कि इसमें से कई इकाइयां अब बंद हो गयी हैं। अभी जो रीको के नियम हैं, उनमें एक बार जहां प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, वहां पर रीको कार्यवाही नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है, सदन के समझने की बात है कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर जहां एक बार प्रोडक्शन शुरू हो जाये और शुरू होने के बाद बंद हो जाये, वहां रीको के पास कोई अभी कानून नहीं है। इसके ऊपर भी चिंतन-विचार चल रहा है क्योंकि मैं जानता हूं, सदन यह चाहेगा, पूरा राजस्थान चाहेगा कि हमारे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं वहां हमेशा प्रोडक्शन होता रहे। इसके ऊपर भी विचार चल रहा है।

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वहां उद्योग चालू हुए ही नहीं। आपको गलत दर्शाया गया है। आपको गलत बात बतायी गई है। मैं समझता हूं कि जब से चालू हुआ है, उसको गलत तरीके से बताया गया है। उसको कागजों में रिकार्ड में बताया गया है। आज तक उसमें कोई भी उत्पादन हुआ है तो मुझे रिकार्ड बता देना। आप सदन में रखवा दें या विभाग बता दे।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): जी, जरूर। मैं इस कागज को सदन में भी रख दूंगा। अगर चाहें तो मैं यह पढ़ सकता हूं कि 17 इकाइयां किसको, मैं संक्षिप्त में बताता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जनरल बता दीजिये।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): बेसिकली बीज से यहां पर तेल निकालने की ज्यादातर इकाइयां थी। कुछ स्टोन की भी थी। सीड प्रोसेसिंग की भी थी। लेकिन यह बात बिलकुल सही है कि जो मेरे साथी कह रहे हैं कि बंद हो गई हैं। हमें अब आगे की बात करनी है और आगे के लिए हमें नियमों के अन्दर बदलाव करना पड़ेगा। जिसके ऊपर सरकार चिंता कर रही है।

श्री रमेश खींची (कठूमर): आप तो यही बता दो कि उनको कब चालू करा दोगे? जो लंबित हैं उनको कब चालू करा दोगे?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मेरी इंडस्ट्री होती तो मैं कल ही शुरू कर देता।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, नियमों में जल्दी से जल्दी करें।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): लेकिन यह इंडस्ट्री कुछ अलग-अलग कारणों से बंद हुई होंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो आप कह रहे हैं कि नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): जी, बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: उसके लिए जल्दी से जल्दी नियमों में परिवर्तन करिये।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): उसके लिए हमारे बजट में घोषणा हो चुकी है कि रीको अब एक नई पॉलिसी लेकर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह।

प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम

150. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध हेतु कानून बना हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पर नियंत्रण एवं निगरानी हेतु पुलिस का कोई उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के मुख्य शहरों व जयपुर शहर के चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी में छोटे बच्चों एवं नकली किन्नरों के द्वारा भिक्षावृत्ति की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण एवं निगरानी हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यो? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राज्य मे राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियो का पुनर्वास अधिनियम, 2012 अधिनियमित है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राज्य में बालकों से भिक्षावृति करवाने पर नियंत्रण एव निगरानी हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू है तथा अन्य पर भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 139) के तहत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। (इस संबंध में बाल भिक्षावृति की प्रभावी रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एवं पुलिस के कर्तव्य एवं दायित्व परिशिष्ट-स)

समय-समय पर पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल

अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति एवं एन. जी. ओं. के माध्यम से समन्वय स्थापित कर भिक्षावृति पर नियन्त्रण व निगरानी हेतु अभियान चलाये जाते है।

(2) राज्य में विभिन्न स्थानों पर भिक्षावृत्ति के प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस द्वारा प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल 20 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें से 03 प्रकरण जयपुर शहर मे दर्ज किये गये एवं इनमें से 19 में चालान पेश किया गया। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) हां, प्रदेश में भिक्षावृति पर नियंत्रण एवं निगरानी हेतु पुलिस विभाग द्वारा विशेष अभियान उमंग चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा प्रदेश मे भिक्षावृति पर नियमित निगरानी एवं गश्त जारी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, भिक्षावृति बहुत बड़ी समस्या है। पिछली सरकार में 2022-23 में इसके लिए कानून भी लाये। लेकिन आज कहीं मन्दिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, किसी होटल में जाओ, जहां पर भी जाओ, आपको कोई न कोई जेब खींचने वाला, हाथ पकड़ने वाला इस प्रकार की भिक्षावृति मिल जायेगा। यह राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्वयं के बंगले से विधान सभा आते हैं तो रास्ते में आने वाले चौराहों पर भिक्षावृति हो रही है। वहां नाबालिग बच्चों से सामान बिकवाया जा रहा है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि नियमित निगरानी व गश्त जारी हैं। बिना पुलिस की मिलीभगत बड़ी-बड़ी जगह, चौराहों पर भिक्षावृति हो रही है। नाबालिग बच्चों से सामान बिकवा रहे हैं। इस प्रकार की समस्याएं हैं। सरकार इस पर नियम, कानून बनाने के बाद भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। राज्य में भिक्षावृति का आंकड़ा कम नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार की योजनाएं इन भिखारियों व निर्धन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? सरकारी विभाग सरकार द्वारा जारी की जाने वाली योजनाओं का लाभ भिखारियों व निर्धन व्यक्तियों तक दिलाने में असफल रहे हैं। सरकार इसके बारे में क्या सोचती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले तो हमारे साथी माननीय सदस्य चन्द्रभान सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ जो विषय है, वह सदन के पटल पर आपने रखा है।

अध्यक्ष महोदय, यह बेहद गंभीर विषय है। जो भी सार्वजनिक चौराहे होते हैं, मन्दिर होते हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, वहां पर अनेक संख्या में, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, इस प्रकार के जो भिखारी हैं, वे भिक्षावृत्ति करते हुए पाये जाते हैं। 2012 के मूल अधिनियम को तो बनाया गया, लेकिन उसमें तो दंडात्मक प्रावधान नहीं

था। पिछली सरकार ने उसको लागू करने के लिए नया अधिनियम लाया गया। उसमें मैंने पहले बताया कि पुलिस के द्वारा 20 प्रकरण दर्ज हुए। उसमें से 19 में चालान हुआ और एक में एफआर लगी है।

अध्यक्ष महोदय, अभी केन्द्र सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन स्माइल प्रोजेक्ट का इसी महीने हमारे पास लैटर मिला है। जिसमें भिक्षावृत्ति और थर्ड जेनडर जो हैं, वह जो आपने प्रश्न के खंड 2 में पूछा है कि नकली किन्नरों के द्वारा भी भिक्षावृति करायी जाती है या उनसे वसूली की जाती है। इसके बारे में केन्द्र सरकार का स्माइल प्रोजेक्ट है, उसमें हमसे मार्गदर्शन मांगा गया है। उसमें राजस्थान की 3 जगहों को चिह्नित किया गया है।

Spp/Rtm/22.07.2024/11:10/1b

सिटी पैलेस, जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर। यह प्रकरण हम यहां से बनवाकर भिजवाते हैं। केन्द्र सरकार की मोनिटरिंग होगी और विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में गंभीर है और हमने पिछले दो वर्षों में भिक्षावृत्ति में लिप्त बालकों की प्रभावी रोकथाम एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास हेतु प्रत्येक जिला स्तर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में त्रैमासिक स्तर पर 217 बैठकों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा, हमने चार पुनर्वास केन्द्र खोले थे, उसमें 100-100 की क्षमता वाले 3 केन्द्र जयपुर में अभी चल रहे हैं और उनको ग्रांट भी हम लोग देते हैं। जहां कभी भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको रेस्क्यू करने का काम हम लोग करते हैं। इसमें जो 18 साल से कम हैं वह जे.जे.एक्ट के खिलाफ उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है। उसके बाद एडल्ट होने पर पुनर्वास केन्द्रों पर भेजते हैं। यह कार्य तीन-चार डिपार्टमेंट मिलकर करते हैं, उसमें गृह विभाग भी है, हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग भी है और महिला एवं बाल कल्याण विभाग भी है। यह सारे विभाग मिलकर करते हैं लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार निश्चित ही इसके बारे में गंभीर है, क्योंकि राजस्थान की कला और संस्कृति इससे कहीं न कहीं कलंकित होती है कि हमारे यहां भिक्षावृत्ति ज्यादा है। निश्चित ही आने वाले समय में ये सारे विभाग मिलकर अच्छा काम करेंगे और भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का काम करेंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के अपने छात्रावास भी हैं। जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनको समाज कल्याण विभाग के जो छात्रावास हैं, वहां पर उनको भर्ती करवाकर उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार अपने लेवल पर उठा ले। इस प्रकार से पूरे राजस्थान में सब जिलों में अगर मोनिटरिंग होगी तो क्योंकि राजस्थान में यह बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह भिक्षावृत्ति हो रही है। इसके बारे में पहले सरकार ने कानून भी बनाया था, उस कानून का भी कुछ नहीं हुआ और उस कानून की पूरी धज्जियां उड़ गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, और भी कोई न कोई ऐसा कानून लाये और सरकार अपने लेवल पर जहां-जहां पर भी भिक्षावृत्ति है, वहां इस प्रकार से समाज

कल्याण विभाग के छात्रावास में उन बच्चों को भर्ती करवाकर उनको शिक्षा दी जाये तो यह समस्या मिट सकती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में सभी सदस्यों से, अध्यक्षेजी आपके माध्यम से निवेदन है कि इसे गंभीरता से सोचते हुए कठोर नियम बनाने की आवश्यता है जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश मिले और देश-विदेशों से जो पर्यटक आ रहे हैं .....(व्यवधान)..कुछ करें। इस प्रकार का कुछ आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष: यह बहस नहीं है, प्रश्न है। श्री पब्बाराम विश्नोई ..(व्यवधान).. आपको कुछ बोलना है? हो गया आपका।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक बात कहकर मैं खत्म करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दण्डात्मक प्रावधान है। पांच साल की मिनिमम सज़ा है और 10 साल तक अधिकतम सज़ा का प्रावधान है। जो सिंडिकेट चलाते हैं भिक्षावृत्ति का, एक वह है जो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनके बारे में समय समय पर हम लोग उनका रेस्क्यू भी करते हैं। इसमें मुख्य रूप से समाज को, जो एन.जी.ओ. हैं, हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग, जो यहां बिराजे हुए हैं, उनके भी सहयोग की आवश्यकता है कि वे लोग भी इसके बारे में जन-जागरण अभियान जो चलाया जायेगा, इसमें मैंने पूरा प्रेस नोट बनाया है, हमने इसमें फण्ड का प्रावधान भी किया है। 2022-23 में 1 करोड़ 95 लाख का प्रोविजन किया गया था, उसमें 38 लाख रुपये हमने खर्च किये हैं। 2023-24 में 77 लाख में से 46 लाख खर्च किये। 2024-25 में 36 लाख में से 27 लाख 80 हजार रुपये हम खर्च कर चुके हैं। समय-समय पर फिर भी जो-जो सुझाव माननीय सदस्यों के आयेंगे उन पर प्राथमिकता से विचार करते हुए भिक्षावृत्ति को कम करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इसमें ऐसा है कि कई बार कुछ लोग भिक्षावृत्ति करवाते हैं और एक प्रकार का ठेकेदार बनकर बच्चों से भी भिक्षा भी मंगवाते हैं। उस पर रोक लगे, इस तरह का नियमों में संशोधन भी करना चाहिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वह इसीलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सिंडीकेट है जो इस प्रकार का कारोबार करते हैं और छोटे बच्चों से करवाते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से करा रहे हैं, उसके खिलाफ मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल की सज़ा का प्रावधान ऑलरेडी हमारे पास में है।

श्री अध्यक्ष: कुछ कठोर कार्यवाही करो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जैसा आपका निर्देश है उसको अवश्य ही अमल में लाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री पब्बाराम विश्नोई।

फलौदी में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वित परिवार

151. श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितने परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विगत पांच वर्षो में उक्त योजना से वंचित परिवारों को भी जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 55,950 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 10,657 पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने हेतु विधान सभा क्षेत्र फलौदा में 5030 आवेदन लम्बित हैं।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा ही प्रश्न पूछ लेता। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया की एक ऐसी गरीब कल्याण योजना जिसमें 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत फ्री में अन्न मिलता है। इससे बड़ी दुनिया में शायद कोई और योजना नहीं है। कई देशों की जनसंख्या से अधिक लोगों को तो सरकार फ्री में राशन प्रदान कर रही है। परन्तु पिछले बार में जो आवेदन लम्बित है और उनका खाद्य सुरक्षा में आप बतायें कि उनका कब तक नाम जोड़ दिया जायेगा। इसके साथ में योजना में आवेदन करने हेतु पुनः पोर्टल खुलने की बात है, वह पोर्टल अभी बन्द है। एक बार खुला था। उस समय में नाम जुड़े थे। अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से जैसे 70 प्रतिशत के लिये अलाऊ किया था कि 70 प्रतिशत लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा सकता है। परन्तु जहां पर विपक्ष के एम एल ए थे, वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों को कह दिया गया कि आवेदन स्वीकार ही न करें और हमारे 70 प्रतिशत से कम हैं। बाकी जगह और विधान सभा क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक लोगों के ले लिये गये। यह विषम भाव क्यों आ गया? क्या यह पोर्टल खुलवाकर नये आवेदन लेकर, आवेदनों को पहले ले लिया जाये और ज्यों ही पोर्टल खुलेगा, उनके आवेदनों को स्वीकार कर लिया जाये। क्या ऐसा सरकार प्रयास करेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनका पहला प्रश्न है कि पोर्टल कब खोला गया? पोर्टल वर्ष 2022 में 2 महीने के लिये खोला गया था, जिसमें 19 लाख 75 हजार 991 नवीन आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें 5 लाख 43 हजार 441 आवेदन स्वीकृत किये गये और 40 हजार 505 निरस्त किये गये, 4 लाख 1 हजार 41 आवेदन कमी पूर्ति हेतु सेंड बैक किये गये। वर्तमान में 13.09 लाख आवेदन लम्बित हैं। आपका प्रश्न है इसमें जोड़ने की

प्रक्रिया का, तो इसमें केन्द्र सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 9 के तहत हर प्रदेश के आंकड़े उसकी आबादी के हिसाब से सुसंगत आंकड़ों के हिसाब से उसकी संख्या निर्धारित है। राजस्थान में यह संख्या 4 करोड़ 46 लाख है। शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत है। इसमें अभी वर्तमान में 4 करोड़ 46 लाख में से 4 करोड़ 35 लाख लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और जो बाकी साढ़े 10 लाख लोग, जो लम्बित व वंचित हैं, जिसमें संख्या रिक्त है, उसमें हम जोड़ने के लिये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जैसे पूर्व में प्रश्न आया था, तब हमने कहा था कि इसमें 01 लाख 66 हजार सामाजिक सुरक्षा के विशेष योग्यजन हैं, उनको जोड़ने का और मुझे सदन में बताते हुए बड़ा हर्ष है कि ऐसे विशेष योग्यजनों को हमने जोड़ दिया। हमने 01 लाख 66 हजार को जोड़ दिया गया है और 23 हजार 172 सहरिया जाति बारां के हैं जो पर्टीकूलर ट्राइबल ग्रुप से आते हैं, उनकी भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो यह लोग जुड़ रहे हैं। इसके अलावा 01 लाख 50 हजार के लगभग विशेष योग्यजन हैं जिनके जनाधार कार्ड राशनकार्ड से जुड़े हुए नहीं है, उनका भी हमने स्लॉट रखा है और बाकी जो 6 लाख 90 हजार जो स्थान रिक्त हैं, उसमें यह प्रक्रिया चल रही है और आगामी दो महीनों में वह 6 लाख 90 हजार लोग इससे जोड़ दिये जायेंगे। बाकी आपने कहा तो जब तक अपने नया सेंसस नहीं हो जाता, तब तक अपनी सीलिंग 4 करोड़ 46 लाख की है, उसको हम पार नहीं कर सकते।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय मंत्रीजी, आप यह तो बता देते कि मेरे क्षेत्र में बाकी 69.09 प्रतिशत हैं, इसमें फलौदी क्षेत्र में कितना प्रतिशत तक खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ गये और यह जो कम है तो क्या उनके आवेदन लेकर उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो 5030 है, यह आपने बताया कि इसकी प्रक्रिया चल रही है और इसमें जोड़ देंगे तो 70 प्रतिशत में हमारे फलौदी के कितने प्रतिशत हैं? यह कम रहे तो क्यों कम रहे? कम रहे हैं तो इनके लिये जिम्मेवार कौन है? क्या अधिकारियों द्वारा उनके आवेदन प्राप्त नहीं किये गये या अधिकारी लेवल पर उनको रोक दिया गया या निरस्त कर दिया गया। इसके बारे में आप बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपकी अपीलों का भी आंकड़ा दे देता हूं कि हमारे पास जो अपीलें आयी थीं, आवेदन, वह थे 20,605 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 10,657 2022 में स्वीकृत किये। अभी 5030 आवेदन लम्बित हैं। आपने आंकड़ा बताया कुल राशन कार्डों की यूनिट, जिसमें नगर परिषद फलौदी एवं नगरपालिका बाप में 82,187 यूनिट है, जिनको इस योजना में लाभ मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र फलौदी एवं बाप में 3 लाख 76 हजार 897 यानी आपके कुल विधान सभा क्षेत्र में 4 लाख 51 हजार 84 लोगों को मिल रहे हैं।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): आप प्रतिशत बता दीजिये। प्रतिशत में बता दीजिये कि कितना प्रतिशत लोगों को मिला?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने संख्या बता दी, प्रतिशत मैं आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीणा।

किशनगंज के आदिवासी क्षेत्र को टी.एस.पी. क्षेत्र घोषित करने हेतु सर्वे

152. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज को अनुसूचित क्षेत्र के मापदण्ड में परिवर्तन कर जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार से पुन: सर्वे करवाकर सहरिया आदिम जाति बाहुल्य क्षेत्र को टी.एस.पी. क्षेत्र घोषित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के सहरिया आदिम जाति बाहुल्य क्षेत्र को टी.एस.पी. क्षेत्र घोषित नहीं किया है? यदि हां, तो क्या सरकार पुन: जनगणना करवाकर टी.एस.पी. क्षेत्र का दर्जा दिलवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किशनगंज व शाहाबाद तहसील के सहरिया आदिम जाति क्षेत्र को अलग से बजट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) अनुसूचित क्षेत्र के मापदण्ड निर्धारण करना एवं किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है। बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील सहरिया आदिम जाति क्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित है।

(2) जी हां, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किशनंगज विधान सभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नही किया गया है। जनगणना करवाये जाने का निर्णय भारत सरकार के स्तर पर किया जाता है।

(3) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में निवासरत सहरिया जनजाति हेतु राज्य की जनजाति कल्याण निधि में विभिन्न योजनाओं में राशि स्वीकृत की जाती है। योजनावार वर्ष 2024-25 में आवंटन एवं भौतिक लक्ष्यों की सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में विभाग अन्तर्गत पीएम जनमन योजना में स्वीकृत विकास कार्य में बजट आवंटन की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

MLS/RTM/22.07.2024/11:20/1c

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सत्र में जब यह प्रश्न आया था तो आपने कहा था कि आप

इसका सर्वे करवाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज-शाहबाद की एसटी की जनसंख्या 38 परसेंट थी, आज 2024 चल रहा है, मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इसका सर्वे कराने का आपने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था, 4 माह गुजर चुके हैं, क्या आप सर्वे करने का विचार रखते हैं? यदि हां तो कब तक सर्वे कराकर राज्य सरकार भारत सरकार को प्रस्ताव भेज देगी ताकि इस क्षेत्र की सहरिया जनजाति के अलावा जो एससी, ओबीसी और जनरल के गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें टीएसपी का लाभ मिले। आपका आश्वासन था, मैं आपसे सर्वे कराने का निवेदन कर रहा हूं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई, क्योंकि कोरोना काल भी आ गया, उसके कारण से भी बाधित हुआ। किशनगंज-शाहबाद का जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें जनजाति की आबादी जो 50 परसेंट से ऊपर होनी चाहिये, वह उतनी नहीं है। जब जनगणना हो जायेगी तो हम निश्चित रूप से जनसंख्या के आधार पर केन्द्र सरकार सरकार यदि प्रस्ताव भेजेगी तो हम इनका प्रस्ताव भेज देंगे।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017 में राज्य सरकार ने बड़ी सादड़ी और डूंगरपुर-बांसवाड़ा की तहसील को आपके यहां से सर्वे कराकर अनुमोदन हेतु टीएसपी के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। आज मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार किशनगंज-शाहबाद का अपने स्तर पर सर्वे कराकर सिफारिश करके भेजे।

दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पीएम जनमन के अन्तर्गत सहरिया जनजाति के हमारे जो आवास आये हैं, बिजली के कनेक्शंस और घर आये हैं, उनमें भील समाज और मीना समाज जो उसी क्षेत्र में जनजाति हैं, क्या राज्य सरकार उनको भी इसमें सम्मिलित करने का विचार रखती है? चूंकि उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, आपसे मेरा निवेदन है कि उनको सम्मिलित कराने पर सरकार विचार करे। साथ ही, टीएसपी का सर्वे कराकर आप केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजें। आप कब तक भेज देंगे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। चूंकि आपने कहा, डूंगरपुर-बांसवाड़ा में चित्तौड़, राजसमन्द, पाली, इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, उनकी आबादी 50 परसेंट से ऊपर थी, इसके आधार पर उनको जोड़ा गया था। आपके क्षेत्र की आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से नहीं है, हो सकता है अब संख्या बढ़ी हो, लेकिन निश्चित रूप से जनगणना होने के पश्चात् हम इसका सर्वे कराकर भेजने का काम करेंगे।

दूसरा, आपने पीएम जनमन की बात की। अध्यक्ष महोदय जी, पीएम जनमन योजना का शुभारम्भ भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गत वर्ष झारखण्ड के खूंटी जिले में 15 नवम्बर, 2023 (जनजातीय गौरव दिवस) को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा

की जयंती के दिन किया गया।

श्री अध्यक्ष: आप तो इन्हें यह बताइये कि कब करेंगे।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): पीएम जनजातीय न्याय महाभियान के तहत हमारे प्रदेश के 12 जिलों में निवासरत् आदि जनजाति सहरिया को शामिल किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 9 विभाग हैं। केवल आदि जनजाति सहरिया के लिए यह योजना शुरू की गयी थी। इसमें उनकी आंगनबाड़ी, सब-सेन्टर, इस प्रकार के तीन काम सम्मिलित करके उनका विकास करने का काम किया गया।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, भील और मीना भी आदिवासी जनजाति क्षेत्र में आते हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाह रहा था कि क्या इन्हें भी सम्मिलित करने का विचार रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ की बड़लियास उप-तहसील का क्रमोन्नयन

153. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की बड़लियास उप-तहसील को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की कोटड़ी तहसील की 13 ग्राम पंचायतों को जिला भीलवाड़ा से जिला शाहपुरा में सम्मिलित कर दिया गया है? यदि हां तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों को पुन: भीलवाड़ा जिले में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) जी नहीं। उप-तहसील बड़लियावास के क्षेत्राधिकार में एक पूर्ण व एक आंशिक भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्, 7 पटवार मण्डल एवं 31 राजस्व ग्राम शामिल हैं, जो कि तहसील के नवसृजन हेतु निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण नहीं करते हैं। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की कोटड़ी तहसील की 13 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायतें और तहसील माण्डलगढ़ की 7 ग्राम पंचायतें व तहसील बिजौलिया की एक ग्राम पंचायत को नवसृजित शाहपुरा जिले में शामिल किया गया है। माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि क्या इसे वापस भीलवाड़ा जिले में सम्मिलित कर सकते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रदेश में नवगठित जिलों एवं सम्भागों की प्रशासनिक दृष्टिगत क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि के सम्बन्ध में एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन दिनांक दिनांक 12.06.2024 को किया गया। इसके सहयोग के लिए दिनांक 01.07.2024 को उप-समिति में डॉ. ललित के. पंवार, सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

नवसृजित शाहपुरा जिले में शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कलां, बनेड़ा और कोटड़ी, ये पांच उप-खण्ड आते हैं। जिला शाहपुरा में 6 तहसीले हैं- शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फूलिया कलां, बनेड़ा और कोटड़ी। बाकी इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा है कि इसे भीलवाड़ा जिले में शामिल करने का विचार है या नहीं, इस सम्बन्ध में विभाग की तरफ से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने बड़लियास तहसील बनाने के लिए मापदण्ड तय किये। मेरा प्रश्न है, बड़लियास मापदण्डों में नहीं आती तो सवाईपुर तहसील की घोषणा कौन से नियमों, कौन से मापदण्डों के तहत की गयी?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय जो निवेदन कर रहे हैं, उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से तहसील और उप-तहसील बनाने के स्पष्ट मापदण्ड हैं, परन्तु पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह काम किया है। कमेटी के माध्यम से वापस इनका परीक्षण किया जायेगा और मापदण्डों के आधार पर तहसील और उप-तहसील बनाने का कार्य किया जायेगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: आ गया आपका। श्री देवेन्द्र जोशी।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): जिले का रह गया मेरा।

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। श्री देवेन्द्र जोशी।

कन्या महाविद्यालय, लालसागर (जोधपुर) की भूमि का स्वामित्व

154. श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि कन्या महाविद्यालय, लालसागर के भवन निर्माण कार्य पर वन विभाग द्वारा आपत्ति की गयी है? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को आवण्टन के समय जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व का होना बताया गया था? यदि हां तो अब उक्त भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व होने का क्या आधार है? उक्त भूमि के चारों दिशाओं की भूमि का नक्शा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विवाद से निर्माण पर हुए करोड़ों रुपये के नुकसान के लिए कौन उत्तरदायी है तथा उक्त पर सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। प्रकरण में उप-वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय को जारी नोटिस की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वन/89, दिनांक 05.11.1992 के अनुसार यह भूमि रक्षित वन घोषित है, जबकि जोधपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्व

रिकॉर्ड (जमाबन्दी एवं खसरा नक्शा) के अनुसार उक्त भूमि को अपने स्वामित्व की बताया है।

इस वनखण्ड नक्शे में वनखण्ड के चारों ओर की सीमा का विवरण निम्नानुसार दिया गया है-

(i) उत्तर- सड़क जोधपुर से चेनपुरा को

(ii) पूर्व- सीमा ग्राम पुंजला

(iii) दक्षिण- सीमा ग्राम भदासीया

(iv) पश्चिम- खसरा संख्या 1893 की ही भूमि वन विज्ञप्ति एवं नक्शे की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जिला कलक्टर, जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा संख्या 1893 रकबा 143.19 बीघा नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम, खसरा संख्या 1893/1 रकबा 40 बीघा निजी खातेदारी, खसरा संख्या 1893/1/1 रकबा 390.16 बीघा वन विभाग तथा खसरा संख्या 1893/1/2 रकबा 31.01 बीघा कृषि उपज मण्डी के नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्व नक्शे में केवल खसरा संख्या 1893 का अंकन होने एवं पृथक-पृथक तरमीम नहीं होने के कारण तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक भूअ/2023/1074-79 दिनांक 13.03.2023 की पालना में DILRMP कार्य हेतु उक्त खसरों की पृथक-पृथक तरमीम कर ऑनलाईन नक्शा तैयार किया गया परिशिष्ट-3। उक्त तरमीम के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के स्वामित्व में विरोधाभास उत्पन्न हो गया है, जिसकी जांच जिला कलक्टर, जोधपुर से कराया जाना प्रस्तावित है।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुझे मिल गया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): मेरा निवेदन है कि विद्या का पवित्र मन्दिर सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र में बने, इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में तीन विभागों की संलिप्तता है और इस विद्या के पवित्र मन्दिर के माध्यम से जो वन विभाग की भूमि पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं उसकी ओर इशारा करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विचार नहीं, प्रश्न पूछें। यहां विचार प्रकट नहीं करने हैं।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब इस महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, उस समय क्या विभाग सोया हुआ था? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि यह वन विभाग की जमीन है? आज तक वह वन विभाग की है या जोधपुर विकास प्राधिकरण की, यह निश्चित नहीं हुआ है। इस डिस्प्यूटेड लैंड पर जब शिलान्यास हुआ, उस समय विभाग की क्या जिम्मेदारी थी और किन विभाग के अधिकारियों ने इस पर मौन साधा और कौन-कौन से इसमें संलिप्त थे? चाहे वह जोधपुर विकास प्राधिकारण के हों, चाहे वन विभाग के हों, चाहे हायर एजुकेशन के हों, कौन-कौन से अधिकारी इसमें लिप्त थे और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है?

mkd/rtm/22.07.2024/11:30/1d

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर से आने वाले माननीय सदस्य राजकीय कन्या महाविद्यालय के बारे में जो वन विभाग को लेकर चिन्ता व्यक्त की है, निश्चित रूप से यह चिन्ता जायज भी है, क्योंकि जिला कलेक्टर, जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मंडोर द्वितीय के खसरा संख्या 1893 रकबा 143.19 बीघा नगर सुधार न्यास, जोधपुर के नाम, खसरा संख्या 1893/1 रकबा 40 बीघा निजी खातेदारी, खसरा संख्या 1893/1/1 रकबा 390.16 बीघा वन विभाग तथा खसरा संख्या 1893/1/2 रकबा 31.01 बीघा कृषि उपज मण्डी के नाम खातेदारी दर्ज है।

राजस्व नक्शे में केवल खसरा संख्या 1893 का अंकन होने एवं पृथक-पृथक तरमीम नहीं होने के कारण तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक भूअ/2023/1074.79 दिनांक 13.03.2023 की पालना में DILRMP कार्य हेतु उक्त खसरों की पृथक-पृथक तरमीम कर ऑनलाइन नक्शा तैयार किया गया (परिशिष्ट -3)। उक्त तरमीम के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के स्वामित्व में विरोधाभास उत्पन्न हो गया है, जिसकी जांच जिला कलेक्टर, जोधपुर से कराये जाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। साथ ही साथ, माननीय सदस्य..।

श्री अध्यक्ष: इनका उत्तर आने दीजिये। फिर आप पूरक प्रश्न पूछिये। आ गया, पूछिये।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में दो तीन विभाग सम्मिलित हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम बनाकर उसकी जांच की जाये, क्योंकि इस प्रकरण के पीछे विद्या मन्दिर की आड़ में भूमि पर कब्जा करने का षड्यंत्र है। मेरा निवेदन है कि क्या सरकार स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम गठित कर इस पूरे प्रकरण की जांच कराना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया जिला कलेक्टर महोदय को इस प्रकरण की जांच करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। जिन वन अधिकारी और कर्मचारी ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है, उसको नोटिस जारी कर दिये गये हैं। डीएफओ द्वारा मौके पर जाकर काम को रूकवा दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

यह मैं माननीय सदस्य को सुनिश्चित करता हूं।

प्रश्न संख्या 155

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अशोक।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्रीमती इन्द्रा।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति

156. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- (1) प्रदेश में सरकार द्वारा बिजली संकट के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में किसानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) प्रदेश में बिजली संकट के समाधान के लिए उठाये गये कदमों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम एण्ड आईटी के आदेश दिनांक 14.12.2023 के निर्देशानुसार किसानों को कृषि कार्य हेतु दिन के ब्लॉक में 6 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में तकनीकी साध्यता नहीं होने के कारण डिस्कॉम स्वयं के स्तर पर 2 ब्लॉक के अतिरिक्त ब्लॉक व्यवस्था के माध्यम से 6 घंटे विद्युत आपूर्ति कर रहा है। किसानों को कृषि कार्य हेतु 24 घंटे थ्री फेज विद्युत आपूर्ति दिया जाना वर्तमान में तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू विद्युत आपूर्ति 20-22 घंटे देना सुनिश्चित किया जा रहा है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है। आपकी अनुमति हो तो पूरक प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मेरे पास जो जवाब आया वह संतोषजनक नहीं है। उसके अन्दर मैंने पूछा क्या है, ये बता क्या रहे हैं। मेरा सीधा-सा सवाल है, जो बिजली कटौती हो रही है, उसका क्या समाधान है? जिस तरह से रात में बिजली कटौती होती है। हम सभी लोग जो सदन में बैठे हैं, वे जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है, रात को सोने के समय। अगर बिजली कटौती करनी ही है तो सुबह शाम और रात में नहीं करें, दिन में करें। ऐसा अगर विचार रखते हैं, तो मंत्री महोदय बतायें।

उसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास ब्लॉक में, जो जेईएन और एईएन हैं, तीन जेईएन की जगह एक ही जेईएन है, उनकी जगह लाइन मैन काम करते हैं। मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि जेईएन जल्दी से कब तक लगा देंगे? वहां पर जो एईन है, मैं उसकी कॉल डिटेल निकलवाने की मांग करती हूं। उसकी कॉल डिटेल निकलवाकर यह देखा जाये कि उसने कितने फोन अटेंड किये? क्योंकि वह किसी का फोन अटेंड नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मैं यही मांग कर रही हूं कि उसकी कॉल डिटेल निकलवाकर उसकी जांच करने का आप निर्णय लेंगे। मुझे इस सदन के माध्यम से बतायें कि दो जेईएन लगायेंगे और लाइट का समय सुनिश्चित करेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से पूछा है कि जो कटौती हो रही है, उसको क्या रात्रि की जगह दिन में किया जा सकता है।

माननीय सदस्या को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो डिमांड है और जो उपलब्धता है, वह दिन में और रात में, जब दिन में हमारे पास डिमांड होती है, उस समय हम 5 हजार मेगावाट की सोलर से आपूर्ति करते हैं और दिन में हमारी विंड में ढाई हजार मेगावाट की क्षमता है। उससे भी हमें अधिकतम समय विंड उपलब्ध हो जाती है। परन्तु रात्रि के समय, अभी जो मौसम चल रहा है, जिस तरह से इस बार हीट वेव चली और अमूमन रात के समय भी रही तो अब सभी जगह उपभोग बढ़ गया है, लगभग 25 से 28 परसेंट इस बार डिमांड बढ़ी है, जो पिछले वर्षों में 10 से 11 परसेंट हुआ करती थी। इस वजह से हमें दो घंटे, ढाई घंटे, तीन घंटे तक भी बिजली कटौती करनी पड़ी है।

हमारे पास रात्रि के समय जब 6 से 7 हजार मेगावाट, जो दिन की क्षमता है, वह उपलब्ध नहीं होने के कारण रात्रि में हमारे पास उपलब्धता कम हो जाती है, जिस वजह से दिन की डिमांड की हमारे पास कोई शार्टेज नहीं है, दिन में हम किसी प्रकार का लोड शेडिंग नहीं कर रहे हैं। अगर दिन में कहीं बिजली का व्यवधान आ रहा है तो वह लोकल डिस्टर्बेंस है, कई ट्रांसफार्मर में क्षमता कम है या फिर वहां कोई ओवरलोड हो रहा है तो उसकी वजह से ट्रिपिंग आ सकती है या मैन्टिनेंस की वजह से आ सकता है। बाकी रात में जो आ रहा है, निश्चित रूप से उसमें लोड शेडिंग के माध्यम से हमारा एलडी का मैसेज आता है, उसी से कटौती हो रही है। 7 हजार मेगावाट की कटौती हो रही, हम उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। रात्रि के समय के लिए हम एक्सचेंज से खरीद रहे हैं। जितनी एक्सचेंज में उपलब्ध है, उसकी हम बिड करके खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हमने केन्द्रीय उपक्रमों के जो संयंत्र हैं, वहां से डेढ़ सौ मेगावाट..।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिजली आ ही नहीं रही है। ये कोई जवाब है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर तो आने दो। जिसका उत्तर है, वही बोलेगा। जिसका प्रश्न है, उसको पूछने दो। यह प्रश्न काल है। माननीय सदस्य, बैठिये। आप नियमों में आइये, मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप सुनो तो सही। बिजली आ नहीं रही है तो फिर यह विधान सभा कैसे चल रही है, पूरा देश कैसे चल रहा है। हमारे पास में रात में जो कमी है, उसकी पूर्ति हमने केन्द्रीय उपक्रमों से लेकर पूरी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी डबल इंजन की सरकार है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का उत्तर मंत्री के अलावा किसी का अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हम 500 मेगावाट, केन्द्रीय उपक्रमों से अतिरिक्त

बिजली है, हम 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली लेकर पूर्ति कर रहे हैं। उसके अलावा हम एक्सचेंज से खरीद कर भी दे रहे हैं, लेकिन जब हमारी विंड नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष: मुझे आपका नाम पुकारना पड़ेगा। आपको दो-चार दिन से नोट कर रहा हूं। आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मंत्री महोदय, मैंने काफी सुन लिया, मतलब मुझे इतनी रामायण की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना था कि मेरे जेईएन, एईएन लगा रखे हैं। उनकी आप कॉल डिटेल निकलवाकर जांच करवायेंगे या नहीं करवायेंगे? आप दिन के बजाय रात में देंगे या नहीं देंगे? मुझे यह भी बता दें कि बिजली का प्रोडेक्शन कितना है और खपत कितनी है? ये दोनों चीजें आप बता दें।

उसके अलावा, आप मैं जो क्वेश्चन पूछ रहीं हूं, उनको याद रखें। मैं बार-बार नहीं पूछ सकती, क्योंकि समय सीमा है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिपलाई, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आता है, दो महिलाएं परसों खत्म हो गई हैं। वे इसलिए खत्म हो गईं, क्योंकि जीएसएस पर जो लोग रहते हैं। वे ठेकेदार के तीन लोग हैं और पांच सरकार के कर्मचारी हैं। सारे लोग दिन भर दारू पीकर रहते हैं, आप उनकी जांच करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी जिन लोगों की वजह से महिलाएं खत्म हुईं क्योंकि एक बार शोर्ट होते ही लाइट चली गई। उन्होंने दारू पीकर वापस उसको चालू कर दिया, दो महिलाएं झुलस गईं।

वहां पर 11 केवी का एक तार टूट गया। इस प्रकरण की पूरी जांच करवाकर, इन लोगों को सस्पेंड करने की आपकी मंशा है तो आप एक बार बता दीजिये। मेरा आगे एक और क्वेश्चन है, मुकेश मीणा नाम से लाइन मैन हैं। एक और सुन लें।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दें। माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सदस्या ने पूछा है कि इनके जेईएन और एईएन का कॉल डिटेल और जो भी आपके टेक्निकल हैल्पर हैं, उनकी भी हम जांच करा देंगे। वे पुराने समय से लगे हैं, उनकी आदत ठीक करने का हम प्रयास करेंगे। उनकी हम जांच भी करायेंगे, उनकी कॉल डिटेल निकलवायेंगे। यदि अनियमितताएं भी हुई हैं। उनके जांच के बाद में दोषी पाये जाने पर सस्पेंड करने का भी काम करेंगे।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अध्यक्ष: आपके दो प्रश्न हो गये हैं।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि एक मौत हुई 2012 के अन्दर कोहली प्रेमपुरा में एक व्यक्ति की मौत हुई।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न में नहीं है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): वह इसलिए हुई, क्योंकि जो लाइनमैन है। अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर ही आ रही है, क्योंकि दो लोगों की मौत हो गई है।

Bhs/Rtm/22.7.24/11.40/1e

श्री अध्यक्षः नहीं-नहीं, आपके दो प्रश्न हो गए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): चूंकि दो लोगों की मौत हो गई है इसलिए हो गई है माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः यह रिलेवेंट नहीं है। आपका रिलेवेंट नहीं है। माननीय विपक्ष के नेता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सदन को जो जवाब दिया गया है न उसमें सदन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। खंड ब) में आप ही देख लो आपने कहा है कि हम 20 से 22 घंटे बिजली दे रहे हैं और किसान को 6 घंटे दे रहे हैं आप लिख कर दे रहे हो इसमें और पीछे जो आपने एनेक्सर लगाया है इस परिशिष्ट अ में आप यह कह रहे हो कि मई में तो हमारे पास 25 प्रतिशत कमी आ रही है और जून में 28 प्रतिशत कम आ रही है तो ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 24 घंटे में 20-22 घंटे बैठती नहीं है बिजली। यह तो सबसे पहले मैं सदन को बताना चाहूंगा।

दूसरा, हकीकत आपको भी पता है राते के 2-2 बजे तक बिजली नहीं आ पा रही है। मेरा सीधा सा प्रश्न है ...(व्यवधान)... आ रही है तो बहुत अच्छी बात है जनता को जवाब देना, कि मुख्य मंत्री जी ने यह निर्देश दिया था कि प्रदेश के अन्दर बिजली कटौती नहीं होगी और बिजली कटौती होगी तो हम जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, तो एक तो आप यह बता दीजिये कि कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की?

दूसरा, आपने टोंक में एक कार्यक्रम में यह कहा कि कांग्रेस का जो एम.ओ.यू. गलत हो गया उसके कारण 900 लाख यूनिट हम बैंकिंग के जरिये वापस दे रहे हैं और उससे अगले दिन आपने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हम 147 लाख यूनिट वापस कर रहे हैं, तो आपके दोनों बयान के अन्दर लाखों यूनिट का अन्तर है यह आप क्लियर करा दें और दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आप कांग्रेस के समय के सारे एम.ओ.यू. कैन्सिल कर रहे हैं तो यह एम.ओ.यू. कैन्सिल करके किसान को और आम जनता को बिजली नहीं दे सकते आप? इसके बारे में बता दीजिये।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने एनेक्सर पर सवाल उठाया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने इसमें जवाब दिया है कि 25 प्रतिशत लाइट की कमी नहीं है, 25 प्रतिशत पिछले वर्षों से डिमांड बढ़ी है न कि लाइट कम है। ...(व्यवधान)... आप सुनिये, यह 25 प्रतिशत डिमांड बढ़ी है तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमने लगभग पांच सौ मेगावाट बिजली हमारे केन्द्रीय उपक्रमों से ली है डबल इंजन की सरकार है यह।

आप सुनिये तो सही, फिर हम बाकी का जो गैप है उसको पॉवर परचेज करके कर रहे हैं, दूसरी चीज, आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने पूछ लिया।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): और हमने आपके समय 52 प्रतिशत पी.एल.एफ पर चलाते थे आप उत्पादन के संयंत्रों को उसको 74 प्रतिशत पर चलाया है हमने कोयला उपलब्ध करा करके इससे यह गैप कम हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, 74 प्रतिशत पर चला रहे हैं तो बिजली क्यों नहीं आ रही? हमारा तो एक ही प्रश्न है कि बिजली देने की मंशा है या नहीं है? ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इतने सब प्रयासों के बाद भी दो से ढाई हजार मेगवाट की अभी कमी है उसको दूर करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने उत्पादन बढ़ाया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा। अगला प्रश्न हो गया। माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दें।

डूंगरपुर में खेल मैदानों का निर्माण

157. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि किस-किस मद पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर कितनी राशि से खेल मैदान तैयार करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल आयोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): अध्यक्ष महोदय, (1) सरकार द्वारा प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-''क'' पर उपलब्ध है।

(2) 1. इम्प्रेस्ट मद में राशि रुपये 80,000/- की राशि जिला खेल अधिकारी डूंगरपुर को प्रदान की गई।

2. स्टेडियम विकास मद- विधानसभा क्षेत्र डूंगरपूर में वर्ष 2019 जनवरी से दिसम्बर, 2023 तक खेल स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य विभाग द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ष	स्थान	परियोजना का नाम	AS	FS	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1.	2020/21	डूंगरपुर	पुरानी आर्चरी भवन का कार्य	50	50	47.70	कार्य पूर्ण
2.	2021-22	बिछीवाड़ा, डूंगरपुर	मिनी स्टेडियम	200	100	190.95	कार्य पूर्ण

3. अकादमी मदः-

I. जिला स्तरीय जनजाति प्रतियोगिता आयोजन हेतु वर्ष 2021 में राशि रु. 1.50 लाख एवं वर्ष 2022 में राशि रु. 1.75 लाख।

II. बालक तीरन्दाजी अकादमी, डूंगरपुर के संचालन हेतु वर्ष 2021-22 में राशि रु. 2.00 लाख, वर्ष 2022-23 में राशि रु. 13.00 लाख, वर्ष 2023-24 में राशि रु. 10.00 लाख दिये गये।

III. ग्रामीण ओलम्पिक खेल वर्ष 2022 हेतु राशि रु. 2,27,656/- खिलाडियों के यात्रा हेतु स्वीकृत की गई।

(3) विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में खेल स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य हेतु विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(राशि लाखों में)

क्रम संख्या	स्थान	परियोजना का नाम	AS	FS	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1.	डूंगरपुर	स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य	100.00	100.00	88.00	कार्य पूर्ण
2.	डूंरगपुर	क्रिकेट मैदान	50.00	50.00	00.00	कार्य अप्रारम्भ (उपयुक्त भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण)
3.	डूंगरपुर	पुरानी आर्चरी भवन का कार्य	50.00	50.00	47.70	कार्य पूर्ण
4.	बिछीवाड़ा, डूंगरपुर	मिनी स्टेडियम	200.00	100.00	190.95	कार्य पूर्ण

(4) परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 66 में की गई घोषणा की अनुपालना में खेलो इण्डिया Youth Games की तर्ज पर प्रदेश में पारम्परिक खेलों

(Traditional and Indigenous Games) को शामिल करते हुए ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष "खेलो राजस्थान यूथ गेम्स" का आयोजन किया जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः एक दिन बहस होगी, उस दिन आ जाना।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया, पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हां, पूछिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन पंचायतों में खेल मैदान बने हुए है और किन-किन पंचायतों में खेल मैदान नहीं बने हुए हैं, उनकी संख्या बतायें?

दूसरा, जिन पंचायतों में खेल मैदान नहीं बने हुए हैं वहां खेल मैदान बनाने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी माननीय सदस्य गणेश जी की अच्छी भावना है, अच्छी सोच है कि हर ग्राम पंचायत में खेल होने चाहिये। खेल की जो नीति है उसके अन्दर ब्लॉक स्तर तक जो खेल के स्टेडियम हैं, खेल के जो एरिनाज हैं वो बनाने की जिम्मेदारी खेल मंत्रालय की है और विभाग की है उसके अन्दर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के अन्तर्गत वे बनते हैं। ग्राम पंचायत के अन्दर जो खेल के स्टेडियम या ग्राउंड बनते हैं वे पंचायती राज विभाग और मनरेगा के माध्यम से बनते हैं। फिर भी, मैं आपको बतलाता हूं कि आपके डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र और डूंगरपुर जिले में कितने हमने स्टेडियम बनवाये हुए हैं। आपके विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जैसे मैंने उत्तर में भी दिया हुआ है, आपके वहां पर 4 खेल स्टेडियम हैं जिसके अन्दर एकेडमी भी शामिल है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में सात एकेडमीज हैं, खेल के मैदान हैं। इसके अन्दर तकरीबन ढाई सौ बच्चे केवल आपके डूंगरपुर जिले में खेल के लिए एकेडमी में रह रहे हैं और खेल की तैयारी कर रहे हैं।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि किन-किन पंचायतों में खेल मैदान बने हुए हैं और किन-किन पंचायतों में खेल मैदान नहीं बने हुए हैं संख्या बतायें?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने उत्तर में बोला था कि जो पंचायतों में खेल के मैदान हैं वो पंचायती राज बनाता है खेल विभाग नहीं बनाता लेकिन अगर उसकी भी सूची निकालनी है तो हम अलग से बनवा सकते हैं। हमारे पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के तहत डूंगरपुर जिले में जितने खेल मैदान हैं वो आपको बतलाये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूछेंगे तो फिर हम पूछेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैंने अनुमति दी है। आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस सवाल को डेफर करना चाहिये जिससे सही जवाब आ सके कि किन-किन विद्यालयों में खेल मैदान हैं, वहां पर क्या सुविधायें हैं और पंचायती राज विभाग ने कहां-कहां खेल मैदान बना रखे हैं, यह पूरे सदन के सामने आयेगा तो चर्चा अच्छी होगी। इसको डेफर करने के लिए निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: करेंगे इसका। श्री मनीष यादव।

जयपुर ग्रामीण में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान

158. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर ग्रामीण में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के कितने आवेदनों में कितनी राशि का भुगतान लम्बित है? श्रेणीवार लंबित भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित छात्रवृत्ति का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रेषित कर प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जयपुर ग्रामीण में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अति-पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या एवं भुगतान से लम्बित राशि का योजनावार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा संचालित उक्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लम्बित आवेदन पत्रो को स्वीकृत कर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को बजट उपलब्धता के अनुसार छात्रवृति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): पूरक प्रश्न, सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जयपुर ग्रामीण के एससी,एसटी,ओबीसी,एमबीसी व ईडब्ल्यूएस के कुल 28,976 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का भुगतान क्या इसलिये नहीं हुआ क्योंकि केन्द्र सरकार ने आपको पैसा नहीं दिया? यह अनुमानित राशि जो 35 करोड़ 55 लाख 58 हजार है वह किस तारीख तक विद्यार्थियों के खातों में पहुंच जायेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति का जो भुगतान किया गया वह समय-समय पर किया जाता है। आपने जो पूछा माननीय सदस्य, एससी की छात्रवृत्ति लगातार नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान हो रही है। एससी की जो कैटेगरी है उसका लगातार भुगतान हो रहा है। एसटी और ओबीसी के आपके जयपुर ग्रामीण में जितने भी मेरे पास में यह पूरा आंकड़ा है आप कहेंगे तो मैं आपके जयपुर ग्रामीण का भी दे दूंगा, आपके विधान सभा क्षेत्र का भी दे दूंगा और पूरे स्टेट का दे दूंगा। पहले भी ऐसा प्रश्न आया है, इसमें एसटी के और ओबीसी के भारत सरकार को पत्र लिखा हुआ है वहां से पेमेन्ट आते ही बहुत जल्दी इन दोनों का हम भुगतान कर देंगे।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में 52 लाख रुपये एससी के बकाया हैं। 2023-24 में 3 करोड़ 63 लाख बाकी हैं। आप कह रहे हैं कि एससी को हम समय से दे रहे हैं जबकि इसमें बकाया है इनके उत्तर में जो आया है उसमें बकाया है। एसटी में भी बकाया है सब वर्गों में बकाया है तो यह किस तारीख तक देंगे? मेरा एक प्रश्न तो यह था।

दूसरा, साथ में यह भी है कि विभाग द्वारा पूर्ण बजट के अभाव में उपलब्ध बजट का उपयोग बिना प्राथमिकता के आधार पर आवेदनों का निस्तारण कर दिया जाता है, क्या सरकार इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है? क्या इसमें फीफो मैथड एप्लाई करेंगे? दोनों प्रश्न, कि कब तक आ जायेंगे क्योंकि ये एससी का जो आप बता रहे हैं यह इसमें बकाया है 2022-23 में 2023-24 में और इसमें क्या मैथड एप्लाई करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को उत्तर में यह सारी जानकारी उपलब्ध करवा चुका हूं। 2022-23 और 2023-24 में अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में प्राप्त आवेदन स्वीकृत भुगतान, भुगतान से लम्बित, लम्बित और आक्षेपित निरस्त। ये जो सात कॉलम मैंने बनाये हैं उसमें सारी जानकारी इन सभी योजनाओं की हैं जिसमें एससी का भी है, एसटी का भी है, ओबीसी का भी है, एमबीसी का भी है और अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा और उत्तर मैट्रिक ये सारी पांच कैटेगरी जितनी भी योजनाएं हैं इन सबका है।

Kas/rtm/22.07.2024/11.50/1f

यदि आप एस.सी. की बात करेंगे, तो कुछ ऐसे भुगतान हैं जो कि लंबित हैं। लेकिन एस.सी. का भुगतान रेगुलर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बजट का अभाव है। इसकी जांच चल रही है। लंबित रहने का कारण अगर आप सुनेंगे तो मैं आपको बताता हूं। इनके लंबित रहने का क्या कारण है, आप सुनिए। वर्ष 2022-23 में उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत

ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 निर्धारित थी। अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों द्वारा ऑन लाइन किये गये आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थाओं द्वारा विलंब से विभाग को अग्रेषित किया गया। विद्यार्थियों द्वारा ऑन लाइन करते समय सही पूर्ण जानकारी नहीं दिया जाना, विद्यार्थियों द्वारा समय पर आक्षेप पूर्ति नहीं किया जाना, वर्ष 2022-23 के उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अक्टूबर से दिसम्बर, 2023 के दौरान विधान सभा आम चुनाव के कारण जिला अधिकारी की व्यस्तता के कारण आवेदन पत्रों का निस्तारण धीमी गति से हुआ।

श्री अध्यक्ष: हो गया। आप कारण इनको भेज देना।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आया है, लेकिन मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि एस.सी., एस.टी. को क्या डबल इंजन की सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय दीप्ति किरण माहेश्वरी। माननीय सदस्य, आपके दो पूरक हो गये हैं। ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी, हो गया है। दोनों बैठिए, अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: ऐसे अंकित नहीं होगा। प्रश्नकाल में प्रश्नकर्ता और मंत्री जी के अलावा किसी का भी अंकित नहीं होगा, जब तक अनुमति न हो।

जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता आयोग के भवन

159. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता आयोग के भवन निर्मित हैं व कितने जिलों में भवन निर्माण शेष हैं? मुख्यालयों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में कितने जिला मुख्यालयों पर आयोग के नवीन भवन बनाए गए अथवा विद्यमान भवनों का विस्तार किया गया? जिला मुख्यालयों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भवनों में उपभोक्ताओं व अभिभाषकों एवं सलाहकारों के लिए क्या-क्या सुविधाऐं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपभोक्ता मामले मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) वर्तमान में 37 जिला उपभोक्ता आयोग स्थापित किये हुए है। 36 जिला उपभोक्ता आयोग राजकीय भवन में एवं 01 जिला उपभोक्ता आयोग किराये के भवन में संचालित है जिनका विवरण पृथक से परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) विगत 05 वित्तीय वर्षो में मुख्यालय स्तर पर किसी भी नवीन जिला आयोग का

निर्माण कार्य/विस्तार नहीं हुआ है।

(3) सामान्यतः कार्यालीय व्यवस्था अनुसार समस्त 37 जिला आयोगों में उपभोक्ताओं, अभिभाषकों एवं सलाहकारों के लिए पेयजल, बैठक एवं शौचालय की सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पढ़ा हुआ माना जाये। मैं पूरक प्रश्न पूछ लेती हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि राजमन्द के उपभोक्ता आयोग भवन की चार दीवारी नहीं होने के कारण से वहां पर चारों तरफ गंदगी और आवारा पशु परिसर में आ जाते हैं। क्या चार दीवारी निर्माण कराने की हम मंशा रखते हैं और रखते हैं, तो कब तक चालू हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहूंगा कि चार दीवारी का निर्माण हमारे विभाग द्वारा जल्दी ही करा दिया जायेगा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता विवादों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान भवन का परिसर भी बहुत छोटा पड़ता है। भारत सरकार द्वारा भवन विस्तार के लिये सहायता दी जा रही है। विगत पांच वर्षों में किये गये भवन विस्तार कार्यों की स्वीकृति एवं प्रगति की क्या स्थिति है? राजसमन्द आयोग के भवन में उपभोक्ताओं, अभिभाषकों एवं सलाहकारों के बैठने की व्यवस्था के विस्तार की भी आवश्यकता है, इसकी स्वीकृति भी शीघ्र प्रदान करें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्ष में भवन विस्तार हेतु भारत सरकार से राशि 64 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसमें 10 जिला आयोगों, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चूरू, धोलपुर, झालावाड़, नागौर, सिरोही एवं टोंक के भवन विस्तार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। भारत सरकार से प्राप्त राशि 64 लाख उक्त जिलों को आवंटित कर दी गई थी। जिला आयोग राजसमन्द से भवन विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। माननीय सदस्या ने कहा है तो जरूर उस पर विचार करके कार्य किया जायेगा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मंत्री महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में जनजाति परिवारों के उत्थान हेतु योजनाएं

160. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराडा, सेमारी व

झल्लारा व जयसमंद पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्रामों में किस-किस योजनान्तर्गत कितनों को व्यक्तिगत लाभ व कहां-कहां, कितने-कितने सार्वजनिक कार्य करवाये गये तथा उक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु उन्हें पशुपालन, कृषि एवं लघु उद्योग आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में उल्लिखित पंचायत समितियों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं एवं लाभांवितों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ एवं सार्वजनिक कार्यों का योजनावार एवं संख्यावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। कार्यों का विस्तृत विवरण विभागवार परिशिष्ट-1 से 7 पर संलग्न है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कृषि, पशुपालन के लिए संबंधित विभाग को प्रस्तावित गतिविधियों के लिए यथा संकर मक्का बीज मिनिकिट वितरण, सब्जी बीज मिनिकिट वितरण (उद्यानिकी), पशु आहार अनुदान, पशुपालकों को प्रशिक्षण शिविर, कृत्रिम गर्भाधान आदि के लिए वित्तीय प्रावधान उपरांत राशि हस्तांतरित कर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार की इन योजनाओं में जनजाति क्षेत्र के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी और नहीं हुई है, तो क्यों? इसे बढ़ाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

दूसरा, विगत तीन वर्षों में पशु पालक, कृषि, लघु उद्योग आदि हेतु जनजाति क्षेत्र में कितनी राशि जारी की गई और स्वीकृत की गई?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र के व्यक्तियों की आय के बारे में माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग विभिन्न योजनाओं का पैसा उन विभागों को ट्रांसफर करता है, योजना वह विभाग चलाता है। वह योजनाएं मैंने उत्तर में दर्ज करा दी हैं, आपने शायद देखा होगा। जहां तक पशु पालन का सवाल है, इसमें किसानों को बकरी के लिये पैसा देते है। अगर कोई गाय-भैंस खरीदता है, तो उसके लिये पैसा देते हैं। इस प्रकार से किसान की आय में वृद्धि करने का काम विभाग करता है। दूसरा प्रश्न कृपया एक बार वापस बोलें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मेरा यह पूछना है कि विगत तीन वर्षों में पशु पालक,

कृषि, लघु उद्योग हेतु जनजाति क्षेत्रों में कितनी राशि जारी की गई, स्वीकृत की गई?

मैं दूसरा पूछ रहा हूं, सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग कर पशु पालन, कृषि, लघु उद्योग आदि में कितना विकास हो रहा है, अथवा नहीं हो रहा है, इसका परीक्षण कराया जाये। यदि नहीं हो रहा है, तो क्यों और क्या अब सरकार सर्वे कराने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा है कि विभाग ने कितना पैसा दिया, कितना विकास हो गया। मैं आपको वर्षवार बताऊंगा, पिछली सरकार के 2022-23 में हमारा लक्ष्य था 150, उपलब्धि 51 हैं, जब सरकार आपकी थी। अध्यक्ष महोदय, 2023-24 में लक्ष्य के अगेंस्ट में उपलब्धि 3 हैं और 2024-25 में हमें आपको बताते हुए खुशी है कि कुसुम योजना में पार्ट-बी के अंतर्गत सौर पम्प की स्थापना की जाती है। इस योजना में क्रियान्विति विभाग द्वारा की जाती है। कुल 30 परसेंट केन्द्र सरकार, 30 परसेंट राज्य सरकार और 30 परसेंट विद्युत विभाग वहन करता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कुसुम-सी में 30 परसेंट केन्द्र सरकार, 30 परसेंट राज्य सरकार और 30 परसेंट विद्युत विभाग वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। सौर ऊर्जा से उत्पादन अतिरिक्त विद्युत निगम को आपूर्ति कर अर्जित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो पम्प सैट वगैरह देते हैं, किसान का कुछ भी नहीं लगता है। इसमें 17 हजार केन्द्र सरकार, 22474 रुपये विभाग और शेष 5474 राशि विभाग द्वारा वहन की जाती है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य, केसाराम जी, केसाराम जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इस प्रकार किसान की आय बढ़ाने के लिये सरकार प्रयास कर रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजीव कुमार।

भादरा व नोहर तहसील के राजस्व गांवों की लंबित चकबन्दी

161. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील भादरा एवं नोहर के अनेक राजस्व ग्रामों का मुरब्बाबंदी, किलाबंदी एवं चकबंदी का कार्य अभी शेष हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे राजस्व ग्रामों का किन कारणों से? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बकाया कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उपनिवेशन मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) जी हां, तहसील भादरा में 52 राजस्व ग्रामों का एवं तहसील नोहर में 48 राजस्व ग्रामो का मुरब्बाबन्दी, किलाबन्दी एंव चकबन्दी का कार्य अभी भी बकाया है। चकबन्दी/मुरब्बाबंदी से शेष ग्रामों की सूची ''परिशिष्ट-अ'' पर संलग्न है।

तहसील भादरा एवं नोहर में चकबन्दी/मुरब्बाबंदी, किलाबन्दी के कार्यो के बकाया होने के कारण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। तहसील भादरा एवं नोहर में उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाले उक्त राजस्व ग्रामों में चकबन्दी, मुरब्बाबंदी एवं किलाबन्दी का बकाया कार्य शीघ्र पूर्ण करवाया जाना है। उपनिवेशन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम लगाकर कम्पनी द्वारा किये गये कार्य की जांच कराई गयी है, वाप्कोस कम्पनी द्वारा अब तक किये गये कार्यों में पाई गयी त्रुटियों की दूर करवाया जा रहा है। उक्त त्रुटियों को दूर कर चकबन्दी/मुरब्बाबंदी, किलाबंदी का बकाया कार्य शीघ्र पूर्ण करवाया जायेगा।

श्री संजीव कुमार (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्षः ठीक है, पूछिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा और नोहर विधान सभा क्षेत्र में कुल 100 गांव में मुरब्बाबंदी, किलाबंदी, चकबंदी का कार्य अभी बकाया है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं कि यह काम कब चालू किया गया और इसको कब तक पूर्ण कर दोगे?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो पूरक प्रश्न किया गया है, यह एग्रीमेंट हनुमानगढ़ कलेक्टर और वाप्कोस कंपनी के मध्य 15.05.2017 में हुआ था। भादरा में 52 राजस्व गांव, नोहर में 48 राजस्व गांव और टिब्बी में 2 राजस्व गांवों में किलाबंदी, मुरब्बाबंदी का काम इस एग्रीमेंट के माध्यम से हुआ था। इस कंपनी ने इस कार्य को पूर्ण करने की अवधि 15.5.2018 रखी थी, परंतु इस अवधि में कार्य नहीं हुआ और निरंतर कलेक्टर हनुमानगढ़ ने तीन बार इस कार्य अवधि को बढ़ाया। जब काम पूरा नहीं हुआ तो इनके ऊपर शास्ति भी आरोपित की गई है। कुल मिलाकर इस कार्य के एग्रीमेंट में 5 करोड़ 90 लाख रुपये भुगतान करने का प्रावधान था।

msk/rtm/22.07.2024/1200/1g

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा नाजायज तरीके से चालान काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाये जाने की योजना के संबंध में।

(3) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से ग्राम दुमोली खुर्द में कुओं की खुदाई एवं विद्युत कनेक्शन जारी करने में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से कार्यालय नगरपालिका तारानगर द्वारा निदेशालय भेजी गई ई-निविदा की पत्रावलियों को वापस नहीं लौटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध

में।

(5) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की नगर पालिका राजगढ़ के पानी की निकासी एवं सफाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से प्रदेश में आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सर्जरी करवाने वाली महिला मरीजों की निजता का हनन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बिजली के खम्भों से केबल चोरी होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ तथा फतेहपुर कस्बों में रोडवेज बस स्टेण्ड का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(9) डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधायक आवास परिसर ज्योति नगर जयपुर में मंदिर न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में 1995 के बाद से तीन संतान होने पर अयोग्य घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्यालयी स्तर पर आयोजित की जाने वाले खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को पर्याप्त भोजन भत्ता न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में वर्ष 2023 की रबी की फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिजली के बिलों पर लगाये जा रहे फ्यूल सरचार्ज से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्रीमती गीता बरवड़, सदस्य की ओर से जोधपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 112 पर जोधपुर शहर में स्थित बीजेएस बस स्टेण्ड से बनाड़ तक बारिश के पानी की निकासी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्टेट हाई-वे मुण्डावर से सोडावास एवं सोडावास से अजरका की नव निर्मित सड़क के भानौत बाइपास पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री रूपिन्दर सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करणपुर में बुखार एवं टाइफाइड के बढ़ते प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमित

चाचाण, श्रीमती गीता बरवड़, श्री ललित यादव एवं श्री रूपिन्दर सिंह कुन्नर को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले में लम्बे समय से काबिज भूमिहीन किसानों की भूमि का नियमन किये जाने के संबंध में।

(2) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(3) श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से क्षेत्र महवा में जल-जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पाइपलाइन डालने से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने एवं पाइपलाइन डालने में की गई अनियमितताओं की जांच करवाने के संबंध में।

(4) श्री मोतीराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की तहसील रेवदर में कृषि उपज मण्डी स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

(5) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना के कतिपय ग्रामों को ग्रामदान से हटाने के संबंध में।

(6) श्री सुभाष मील, सदस्य की ओर से वन विभाग से एन.ओ.सी. जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण हेतु नीति बनाये जाने के संबंध में।

(7) श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य की ओर से निम्बाहेड़ा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(9) श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में पुराने ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण पर लगाई जा रही पैनल्टी माफ किये जाने के संबंध में।

(10) श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना की उप तहसील गच्छीपुरा को तहसील में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में।

(11) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में चम्बल नदी की अपस्ट्रीम के दर्शनीय स्थलों का सौन्दर्यीकरण कर पर्यटन सर्किट बनाये जाने के संबंध में।

(12) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की भूमिगत खानों में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करवाये जाने के संबंध में।

(13) श्री लक्ष्मण राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की जर्जर विद्युत लाइनों का नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(14) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में स्टेट हाईवे के ग्राम गोपालपुरा का बाइपास बनाये जाने के संबंध में।

(15) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत गुड़लिया की चरागाह भूमि को

अतिक्रमण से मुक्त करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 22/07/2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 50 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	पर्ची सं.	मा. सदस्य का नाम	विषय
1.	28	श्री हरिसिंह रावत	विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीम को राजकीय महाविद्यालय भीम के परिसर में स्थानांतरित करने के संबंध में।
2.	50	श्री मनीष यादव	विधान सभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती के संबंध में ।
3.	48	श्री अंशुमान सिंह भाटी	पश्चिमी राजस्थान एवं बीकानेर में नहरी सिंचाई पानी की चोरी एवं अवैध कनेक्शनों से उत्पन्न समस्या के विषय पर चर्चा
4.	42	श्री हरिमोहन शर्मा	जिला परिषद सहित संस्थाओं की विधि अनुसार मिटिंग नहीं बुलाने एवं संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति

श्री अमित चाचाण।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बिजली के बिलों में लगाये जा रहे फ्यूल सरचार्ज

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वर्तमान की यह कई इंजनों की सरकार लोक सभा के चुनाव की 11 सीटें क्या हार गयी, उसके बाद लगातार देश-प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। शायद यह आदेश भी दिल्ली से द्वारा पर्ची के माध्यम से इनको मिला हो। आज हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही है, किसी को भी बिजली नहीं मिल रही है। आज ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे कस्बों में 10 से 15 घंटों की कटौती की जा रही है। शायद ये भूल गये कि बिजली कटौती से मात्र कांग्रेस के परिवार ही प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दिये गये वोट के परिवार भी इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठकर बात न करें, मैं दस बार बोल चुका हूं, मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री अमित चाचाण (नोहर): आज बड़े शहरों में बिजली कटौती नहीं हो रही है, लेकिन गांव के अन्तिम छोर पर जो दलित, किसान, मजदूर बैठा है, उसको बिजली कटौती का

सामना करना पड़ रहा है। आज उनको दस घंटे से अधिक बिजली नहीं मिल पा रही है। आज बिजली विभाग के पास न तो मीटर हैं, न ट्रांसफॉर्मर हैं, न पोल है, न तार है और एक ही रटा-रटाया शब्द मिलता है कि कट के माध्यम बिजली कटौती की गयी है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, खड़े-खड़े कोई भी सदस्य किसी से बात नहीं करेगा।

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसके साथ-साथ बिजली तो उन परिवारों को नहीं मिल रही है, बल्किदूसरी तरफ पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को जो राहत दी गयी थी, फ्यूल चॉर्ज लगाकर उन परिवारों को करंट लगाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसकी हम निन्दा करते हैं। इससे आज 15 लाख से अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है, अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। ये आरोप लगाते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह कर दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने वह कर दिया। पूर्ववर्ती सरकार ने तो प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया था। फिर आपने उस राहत देने वाली उस योजना को बन्द करने काम कैसे किया? हम आज पूरे सदन के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निन्दा करते हैं और यह कहना चाहते हैं कि प्रदेश के अन्तिम छोर पर बैठे आम जन, किसान, मजदूर को उचित बिजली दी जाये, जिससे कि वह अपना जीवनयापन कर सके।

mdp/rtm/22.07.2024/12:10/1h

पूरे प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने ...(व्यवधान)... का काम भारतीय जनता पार्टी की कई इंजनों की सरकार कर रही है। ...(व्यवधान)... अब प्रदेश की जनता ने यह कह दिया कि कई इंजनों की सरकार...

श्री अध्यक्षः बैठिए, आपका टाइम हो गया। दो मिनट से ज्यादा हो गये, चार मिनट हो गये। श्रीमती गीता बरवड़। ...(व्यवधान)... श्रीमती गीता बरवड़ ...(व्यवधान)... श्रीमती गीता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): फ्यूल सरचार्ज वापस करवाइए, अध्यक्ष जी। ...(व्यवधान)... सरकार को निर्देश दीजिए। ...(व्यवधान)... सरकार को निर्देश दीजिए।

श्री अध्यक्षः बैठिए। आप सब बैठिए। ...(व्यवधान)... श्रीमती गीता बरवड़। श्री ललित यादव। बोलना शुरू कीजिए। ...(व्यवधान)... श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर। ...(व्यवधान)... श्री छोटू सिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जैसलमेर में काबिज भूमिहीन किसानों की भूमि का नियमन

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, नियम 206 के अंतर्गत प्रस्ताव। ...(व्यवधान)... धारा 91 के आधार पर लम्बे समय से काबिज काश्तकारों का भूमि नियमन

के सम्बंध में सरलीकरण बाबत।

मान्यवर, जैसलमेर जिला मरुस्थलीय क्षेत्र है और दुर दराज ग्राम ढाणियों में बसावट होने तथा पूर्व में पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय होने के कारण वहां के स्थानीय निवासियों को बतौर भूमिहीन आवंटन नहीं किए गए थे। ...(व्यवधान)... इस कारण भूमि उपलब्ध होने के बावजूद आज तक वर्षों से काबिज काश्तकारों/भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटित नहीं की जा सकी है। वर्ष 2004 में बारानी भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने के बावजूद राज्य सरकार की पॉलिसी में आवंटन प्रक्रिया शामिल नहीं होने के कारण आज तक स्थानीय भूमिहीन लोगों को बारानी आवंटन नहीं किए, ना ही नियमन किया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पीछे जाइए। ...(व्यवधान)... बैठिए। ऐसे मत कीजिए। ऐसे नहीं। ...(व्यवधान)... मैं कार्यवाही कर दूंगा।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आवंटन नियम 1970 में लम्बे समय से काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को नियमन का प्रावधान है ...(व्यवधान)... परंतु उसमें कई ऐसी कठिन शर्तें हैं, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को उक्त प्रक्रिया का लाभ नहीं मिल सका है।

मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से अनुरोध है की जिले के भूमिहीन निवासियों को नियमन का अधिकतम लाभ मिल सके इसके लिए वर्ष 2009 से लगातार काबिज व्यक्तियों को इस प्रक्रिया में शामिल करते हुए जिले के मौसम प्रतिकूल होने के कारण लगातार के वर्षों की जगह कुछ वर्षों की उसमें छूट दी जावे ताकि पात्र किसानों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)... राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष: सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी सीट पर जाइए। ...(व्यवधान)... आप सब बैठिए। मैं निवेदन कर रहा हूं पहले अपनी सीट पर जाइए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र असीन्द हुरडा में चिकित्सा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ...(व्यवधान)... मैंने पहले भी कई बार इस मांग को सदन में पुरज़ोर तरीके से रखा, मगर पिछली सरकार ने इस और ध्यान ही नहीं दिया गया। अब हमारी सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से व प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी से मेरा व मेरे क्षेत्र की जनता की और से आग्रह है कि चिकित्सा की सुद्दढ बनाने के लिए व आम जनता को राहत देने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी मांगे है, वह मैं सदन में रख रहा हूं। ...(व्यवधान)... इन्हें इसी बजट में घोषित करने की कृपा कराएं।

1. आसीन्द अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने।
2. हुरडा ब्लॉक के कंवलियास पीएचसी को सीएचसी व आसीन्द ब्लॉक के ब्राह्मणों की

सरेरी पीएचसी को सीएचसी, दोलतगढ़ पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने, भादसी गांव जो कि बदनोर ब्लॉक में अरावली की पहाडियों में बसी हुई ग्राम पंचायत है, उस इलाके में दो ग्राम पंचायत हैं, उस इलाके में दो ग्राम पंचायंतों के लगभग 40 गांव पहाड़ों पर बसे हुए हैं। वहां के लोगों को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पता है। ...(व्यवधान)... अतः भादसी सब-सेंटर को पीएचसी तथा बरसनी सब-सेंटर को पीएचसी व कटार सब-सेंटर को पीएचसी तथा मरेवडा जो कि जालरिया पंचायत के बॉर्डर का गांव है, वहां सब-सेंटर खोलने की कृपा करें।

अतः मैं प्रदेश के विकास पुरुष व जनता के दिलों में राज करने वाले तथा 6 माह में ही विकास की गंगा बहाने वाले यशस्वी मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आसीन्द में उप जिला अस्पताल तथा ब्राह्मणों की सरेरी, दोलतगढ़, कंवलियास तीनों पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत व भादसी, बरसनी, कटार में पीएचसी में क्रमोन्नत कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्षः श्री राजेन्द्र मीना। श्री मोतीराम। श्री मोतीराम। दौड़ कर आ जाइए, बोलिए।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्षः हो गया आपका। आपका नंबर गया।

रेवदर तहसील में कृषि उपज मंडी की स्वीकृति

श्री मोतीराम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सबसे अच्छी खेती।

श्री अध्यक्षः जो लिखा है, वह पढ़ना है। बोलना नहीं है। जो 295 में लिख कर देते हैं, अक्षरशः वही पढ़ना है। मैं अगला पुकार रहा हूं, माननीय सदस्य। बोलिए।

श्री मोतीराम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि मेरी विधान सभा रेवदर आबूरोड के तहसील रेवदर में कृषि मंडी नहीं होने से किसानों को अपनी फसलों के बेचान संबंधी काफी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। रेवदर तहसील में समस्त वर्गों के कृषक निवासरत हैं। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कृषक अपनी फसलों को बेचने हेतु पड़ोसी राज्य गुजरात में जाते हैं, जिससे उनको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तथा फसलों को कई बार बाहर जाने में उक्त फसलें खराब भी हो जाती हैं। अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए रेवदर तहसील में कृषि मंडी खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री सुरेश मोदी। श्री सुभाष मील। श्री डूंगरराम गेदर। मैंने नाम पुकारा है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए।

सूरतगढ़ में एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 295 पर बोलने का अवसर दिया। विधान सभा सूरतगढ़ में एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण कराए जाने के

सम्बन्ध में 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर रहा हूं।

महोदय, निवेदन है कि मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण कराये जाने की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही है। वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकतम जमीन बारानी हैं और पानी के अभाव में कोई खेती नहीं हो रही है, जिससे आमजन परेशान है। यदि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से एक नई माइनर एटा सिंगरासर बनाकर इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, तो हमारे सूरतगढ़ क्षेत्र में काश्तकार अपनी भूमि जोतकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पानी के अभाव में अभी लोग बेरोजगार हैं और आय का जरिया नहीं होने से लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद ही कमजोर है। इस एटा सिंगरासर माइनर के लिए जनता कई सालों से लगातार विभिन्न माध्यम से प्रयास कर रही है। धरने-प्रदर्शन तक किये गये हैं, परन्तु सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण कराकर काश्तकारों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचंद कृपलानी। श्री अर्जुन लाल।

Ans/rtm 12.20 1j 22.07.2024

दोनों दल अपने-अपने सदस्यों को सुनिश्चित करे। श्री अर्जुन लाल।

पुराने ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण पर पैनल्टी माफी

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से किसानों द्वारा कृषि कार्य हेतु मुख्य रूप में कृषि यंत्र के रूप से ट्रैक्टरों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नये ट्रैक्टर की खरीद पर कई प्रकार की कर रियायत दी जाती है, हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि पुराने ट्रेक्टर (कृषि यंत्र) का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा इन पुराने ट्रेक्टरों का प्रतिमाह रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नही होने पर 500 रुपये प्रतिमाह पेलन्टी (चार्ज) के रूप में लिया जा रहा है, जबकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों के हित में 5 वर्ष तक ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण जरूरी हुए लेकिन शुल्क भार राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये पेनल्टी (चार्ज) तय किया है। जो यदि 5 वर्ष से अधिक पुराने ट्रेक्टर पर लगभग 30 हजार रुपये का कर भार आता है, जबकि उसकी कीमत भी ज्यादा नही होती है। अतः किसानो के हित को देखते हुए कृषि यंत्र ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण पर उक्त पेनल्टी माफ कर इसे निःशुल्क करने प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जाकिर हुसैन।

गच्छीपुरा (मकराना) उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र, मकराना की उप तहसील कार्यालय गच्छीपुरा का है। उक्त विधान सभा का क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसकी आबादी लगभग 07 लाख से ज्यादा है तथा गच्छीपुरा से मकराना तहसील की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल भी काफी बड़ा और लम्बा है। उल्लेखनीय यह है कि आमजन को राजस्व, कृषि, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा आदि कार्यालयों के लिये मकराना आना-जाना पडता है, जिसके लिये आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा समय एवं आर्थिक नुकसान भी उठाना पडता है। प्रशासनिक कार्यों का केन्द्रीकरण करने हेतु उप तहसील को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत करना जनहित में आवश्यक है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गच्छीपुरा उपतहसील को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत कर यहां के निवासियों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री संदीप शर्मा।

कोटा शहर में चम्बल नदी के अपस्ट्रीम के दर्शनीय स्थलों का सौन्दर्यीकरण व पर्यटन सर्किट के रूप में विकास

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि कोटा नगर की स्थापना मां चर्मण्यवती की गोद में हुई और चम्बल के आशीर्वाद से ही कोटा इतना फला फूला है। चम्बल का पानी कोटा के लिए वरदान स्वरूप है, इसके पानी से ही कोटावासियों का भरण पोषण होता है. इस सदानीरा नदी की बदौलत ही कोटा एक समय में औद्योगिक नगरी बना और आज भी सम्भाग के बड़े हिस्से में फसले लहलहा रही हैं। आज देश और दुनिया में कोचिंग के लिए विख्यात कोटा की आबोहवा भी चम्बल की ही देन है।

लेकिन इनके अलावा भी चम्बल की कई ऐसी सौग़ातें हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया। आज भी चम्बल नदी की अपस्ट्रीम उपेक्षा की शिकार है, विकास की अपार सम्भावनाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका है। इसकी अपस्ट्रीम में धार्मिक, पुरातत्व एवं पर्यावरणीय महत्व के अनेक स्थान हैं। चम्बल गार्डन, गांधी उद्यान, ट्राफिक गार्डन, मौजी बाबा की गुफा, भीतरिया कुण्ड, गोदावरी धाम, डियर पार्क एवं चम्बल के मध्य स्थित द्वीप पर वन्य पशु पक्षियों के साथ चम्बल नदी का विहंगम दृश्य लोगों को प्रभावित करता है, ऐसे में यहां पर पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं। यदि नदी के उपरोक्त दर्शनीय स्थानों को सम्मिलित करते हुए पर्यटन सर्किट बनाया जाये तो न केवल श्रद्धालु बल्कि वन्य जीव प्रेमी, फोटोग्राफर, पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह आकर्षण का नया केन्द्र बन जायेगा। इससे कोचिंग आधारित कोटा की अर्थव्यवस्था को, पर्यटन को मजबूत सहारा मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नये आयाम मिलेंगे।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि चम्बल नदी की अपस्ट्रीम के दर्शनीय स्थलों पर सौंदर्यीकरण करवाते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार

करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृत लाल मीणा

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की सलूम्बर स्थित भूमिगत खानों में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं का समाधान

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में स्थित हिन्दुस्थान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत भूमिगत खानों में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर जिला उदयपुर में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की संचालित खानों जैसे-जावर माला खान, वरोई माइन्स, सेन्टर वरोई, बलारिया माइन्स, पोर्ट 8. नं. माइन्स, मोचिया माइन्स में निम्न समस्याए हैं।

1. -59 या उससे नीचे मकिंग व गाडियों के चलने से धुआं भर जाना।

2. -5 में वेन्टीलेशन खराब है, जिससे सिर दर्द, उल्टी, जी घबराना आदि।

3. कार्बन डाई आक्साईड गैस निकलती है जिससे भारी अव्यवस्था व्याप्त है।

4. बड़े अधिकारी जैसे-(D.G.M.S.), डायरेक्टर जनरल माइन्स सेफ्टी के आने पर उन स्थानों पर नहीं लाना या उनके आने की खबर से उन स्थानों को ब्लॉक कर देना।

5. टी.बी.टी. (कार्य से पहले सेफ्टी वार्तालाप) न होना या नियमित नहीं होना।

6. अधिकारियों का माइन्स के अन्दर (माइनिंग के अन्दर) नहीं के बराबर आना।

7. माइनिंग मेट पूर्ण रूप से लापरवाह (प्रोडक्शन के चक्कर में) S.O.P (स्टेन्डर्ड ऑपरेटिव प्रोसेस का पालन नहीं करना।

8. वेंटीलेशन फेन की क्षमता को बढ़ाना।

9. अन्दर का खराब वातावरण जो नियर मीस (बाल बाल बच जाने) का कारण है।

10. 1.8 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर कभी सेफ्टी बेल्ट व भाड़े का प्रयोग नहीं होता।

11. शिकायत करने पर उस व्यक्ति पर प्रेशर डालना या उसे असत्य साबित कर देना।

12. कामगारों को सुरक्षा अधिकार (A.E.C.T.) का ह्रास।

13. सेफ्टी केवल दिखावा जैसे (हाथी के दांत खाने के अलग व दिखाने के अलग)

14. वेन्चुरी का गर्म हवा देना, मशीन का गर्म होना, पानी का कनेक्शन गर्म पानी का होना, डक्टिंग फेन का बन्द लास्ट फेस तक खराब हवा (कार्बन गैस) जो कि वहां के वातावरण को जल्दी हीट कर देता है। ऐसी परिस्थिति में प्रोग्रेस का दबाव व 1.8 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर बिना सेफ्टी बेल्ट, बिना भाडे के काम करवाना, बिना रोड स्टैण्ड का काम करना (ड्रिलिंग) बिना वायर मेस के मशीन चलाना (418 में बिना वायर मेस के 01 माह तक मशीन चलाई) माइनिंग मेट दवारा असभ्य भाषा का प्रयोग।

15. माइनिंग के अन्दर ठण्डे पानी का नहीं होना (पीने का पानी) कभी-कभी गंदा पानी आना।

16. L.P.D., L.S.D व सीजर लिफ्ट में मेन पावर का आना-जाना आदि।

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त प्रकरण की वास्तविक स्थिति यथा खदान के अन्तिम छोर तक निरीक्षण कर श्रमिकों को यथा संभव जीवन रक्षक साधन उपलब्ध व उनके स्वास्थ्य की जांच की सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाए ,जिससे उनके साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मण राव।

मेड़ता की जर्जर विद्युत लाइनों का नवीनीकरण

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में जो पुराने समय के दौरान बिजली की लाइन खिंची गई थी जिसमें बहुत सारी लाइनें आज जर्जर अवस्था में है आये दिन विभिन्न गांव ढाणियों में आंधी, तूफान, बरसात के दौरान तार व पोल टूट जाते है, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं का शिकार आम आदमी होता है। कई बार आग लगने की घटनायें भी जाती है, जिससे किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तथा आमजन प्रभावित होता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि समय रहते हुए मेड़ता विधानस भा की तमाम क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में झूल रही बिजली लाइनों को दुरुस्त व सुदृढ़ीकरण करवाने का कार्य करें।

VPS-RTM-22.07.2024-12.30-1k

विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के 132 केवी जीएसएस लाम्बाजाटान, गोटन लाइन पुरानी लाइन होने के कारण ओवर लोड चल रही है जिससे 132 केवी जीएसएस लाम्बा से जुडे 33 केवी फीडरों की सप्लाई काटकर चलाई जाती है। इसी प्रकार 132 केवी जीएसएस गोटन से जुडे फीडरों को भी काटा जाता है। अतः तमाम परिस्थितियों को देखते हुए 132 केवी जीएसएस लाम्बाजाटान को 220 केवी जीएसएस बनाया जाना आमजन व किसानों के हित में रहेगा जिससे दो ब्लॉक सप्लाई व बिना ट्रिपिंग की बिजली आमजन को मिलेगी।

अतः महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में उक्तानुसार बिजली व्यवस्था सुदृढ़ीकरण करवाकर आमजन को राहत प्रदान कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़)। (अनुपस्थित)

श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप माइक तो खुलवाओ।

श्री अध्यक्ष: माइक तो खुला हुआ ही पडा है, आप पढ़ो, बोलो तो सही। अपने आप आपके करंट से माइक ओपन हो जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं, अब खुलवाया है। स्थगन में मेरे को बोलने का मौका आप कभी भी नहीं दे रहे हो तो मैं अब देना ही बंद करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपको बोलने का मौका दे रहा हूं न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप मौका ही नहीं देते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अब आप बोलिये। आप समय खराब कर रहे हैं। आप बोलिये।

गुडलिया ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि की अतिक्रमण से मुक्ति

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पंचायत गुडलिया की चरागाह भूमि पंचायत समिति गोविंदगढ़, जयपुर में स्थित नदी से आगे किशनपुरा की तरफ गुडलिया किशनपुरा रोड पर स्थित जोहड़ की गोचर भूमि में कुछ व्यक्तियों द्वारा अनैतिक तरीके से तारबंदी कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथा उपरोक्त भूमि पर वे कृषि से सम्बन्धित कार्य भी कर रहे हैं। इन व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि को पूरी तरह से अपने निजी उपयोग में लिया जा रहा है जबकि इनका इस सरकारी गोचर भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सिर्फ अनैतिक एवं गुंडागर्दी तरीके से उक्त गोचर भूमि पर कब्जा कर इसका उपयोग कर रहे हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत गुडलिया की चरागाह भूमि खसरा नम्बर 70, रकबा 4.90 हैक्टेयर पर अनधिकृत हुए अतिक्रमण को हटवाये जाने का श्रम करायें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः धन्यवाद।

पर्चियां। श्री हरिसिंह रावत। नो, 295 पढ़ा हुआ हो गया आपका।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भीम के राजकीय कन्या महाविद्यालय का राजकीय महाविद्यालय, भीम के परिसर में स्थानांतरण

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा महिला महाविद्यालय खोला गया था, जिसका भवन निर्माण वर्तमान पृथ्वीराज महाविद्यालय से पांच किलोमीटर दूर है और वह सुनसान जगह है जिसकी वजह से किसी भी दृष्टि से वह न्यायोचित नहीं है। जो पांच किलोमीटर दूर जंगल में इस महाविद्यालय का परिसर बना है, वह मैं समझता हूं कि बच्चियों के लिए और अभिभावकों के लिए उचित नहीं है, इन्होंने भी उसका विरोध किया है कि वहां पर यह बनाना उचित नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय में करीबन साढ़े छह हैक्टेयर जमीन है और उस पर राजकीय महाविद्यालय चल रहा है और उसी के साथ में मैंने मेरे सवा तीन करोड़ रुपये से छात्राओं के लिए एक छात्रावास का निर्माण करवाया था तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन है कि उस छात्रावास के पास में ही उस राजकीय बालिका महाविद्यालय को वहां पर स्थानांतरित करके वहां पर ही भवन निर्माण किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण में अगर मान लीजिए कोई राशि की जरूरत है तो मैं मेरे डी.एम.एफ.टी. फंड से भी दे दूंगा ताकि इससे बच्चियों को एक सहूलियत हो जायेगी। पांच किलोमीटर दूर होने से बड़ी समस्या होती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे तत्काल इस पर कार्यवाही करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यदि थोड़ा जवाब दे दें तो मैं समझता हूं कि उचित रहेगा। प्लीज।

श्री अध्यक्षः बोल रहे हैं? जवाब देना चाहेंगे?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीम जो राजसेस सोसाइटी के अंतर्गत 2022 में स्थापित हुआ था, कन्या महाविद्यालय में केवल कला संकाय ही चालू है और जिसमें 162 छात्राएं हैं। यह कन्या महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय, भीम से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है और एक अस्थायी भवन में संचालित है। कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य जिला प्रशासन द्वारा आवंटित आसपुरा मन्दिर के पीछे पाटियाभीम में चल रहा है। राजकीय महाविद्यालय, भीम में कुल 778 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से 463 छात्राएं हैं जबकि छात्रों की संख्या 312 ही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आपके मार्फत यह अवगत करवाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपकी मंशा के अनुरूप आपका समाधान कर दिया जायेगा। मैं पहले भी माननीय सदस्य से बात कर चुका हूं कि आपकी इस समस्या का समाधान कर लेंगे।

श्री अध्यक्षः श्री मनीष यादव। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, चन्द्रभानजी, आप अपनी सीट पर जाइये। ...(व्यवधान)...

शाहपुरा में अघोषित बिजली कटौती

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र में बिजली कटौती के विषय में बात रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में बिजली की कटौती के ऐसे हालात बन गये हैं कि आज हर व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज प्रदेश में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, हर व्यक्ति भाजपा सरकार की बिजली कटौती की वजह से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी जब से इस सरकार में आयी है, राजस्थान की जनता को परेशान करके रख दिया है। हम सब लोग यह कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो आज ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कटौती एक नासूर बन गयी है। आज ऐसे हालत बन गये हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आयी है, तरह-तरह डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बातें करने वाली सरकार आज राजस्थान की जनता को परेशान करने में लगी हुई है।

आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो आज डबल इंजन, ट्रिपल इंजन

की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आपको जो 26 रैक कोयला मिलता था, वह आज आपको केवल 13 रैक ही कोयला मिल रहा है, जिसकी वजह से रात्रि में भी बिजली कटौती हो रही है। हमारी सरकार ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में काम किया है, इसकी वजह से आप आज दिन में बिजली दे पा रहे हो। आज आपने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया, आपकी सरकार की यह जो करतूतें हैं, यह जनता देख रही है। जनता आपको माफ नहीं करेगी। राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। राजस्थान के गांव, शहर की जनता आपको जवाब देने को तैयार खड़ी है। आने वाले समय में पंचायती राज का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, मैं कहना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से कि आपने जो जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपकी कितनी सप्लाई है? आपकी डिमांड अभी कितनी है? आपका प्रोडक्शन कितना है? कितनी आप सप्लाई कर पा रहे हैं और डिमांड कितनी है? फ्यूल सरचार्ज का पैसा आपने बढ़ा दिया। मंत्री महोदय, आप इसका जवाब दें। राजस्थान की ग्रामीण जनता आपसे जवाब मांग रही है। आप लोग जवाब दें। राजस्थान की जनता बिजली कटौती पर जवाब मांग रही है। ...(व्यवधान)...

सदन कूप में

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्षः श्री अंशुमान सिंह भाटी। केवल अंशुमान सिंह भाटी का ही अंकित करें।

पश्चिमी राजस्थान एवं बीकानेर में नहरी सिंचाई पानी की चोरी एवं अवैध कनेक्शन

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पश्चिमी राजस्थान में हो रही नहरी सिंचाई पानी चोरी व क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में अवैध कनेक्शनों से हो रही पेयजल चोरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः हो गया? बिजली पर बात हो गयी। I say, no. आप पीछे जाइये। आप पीछे जाइये। मैं आगे से पर्ची नहीं लूंगा। आगे से पर्ची पर अनुमति नहीं दूंगा। सदन में ऐसे नहीं करें। ...(व्यवधान)...

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण गांव और ढांणी की दूरी भी अत्यधिक है साथ ही पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना और स्थानीय जल स्रोतों से सुदूर गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछाई गयी है। कहीं-कहीं पर तो पाइप लाइन की लम्बाई बीस से पच्चीस किलोमीटर है। पानी चोरी के लचीले कानून होने के कारण और विभाग की कार्यवाही का कोई भय नहीं होने के कारण पशुओं को पानी पिलाने, टांका भरने के लिए और यहां तक कि सब्जी उगाने के लिए भी पानी की चोरी करते हैं ...(व्यवधान)...

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः माननीय विपक्ष के नेता। माननीय विपक्ष के नेता, आप सबको अपनी-अपनी सीटों पर भेजिये। आपका विषय पर्ची पर आ गया था। मैंने आपको स्थगन भी दिया। स्थगन दिया और पर्ची भी दी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। आप पधारो।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): यहां तक उन्होंने गांवों के बीच की मुख्य वितरण पाइप लाइन भी काट दी है। इसका परिणाम यह है कि अंतिम छोर पर स्थित गांव आज भी पेयजल से वंचित हैं। कई बार ग्रामीण पेयजल के लिए त्राहिमाम करते हुए रह जाते हैं परंतु वे आज भी आठ-आठ सौ, हजार-हजार रुपये में टेंकर मंगवाने के लिए मजबूर है। वर्ष 2024 में भयंकर गर्मी व विद्युत आपूर्ति की कमी से यह संकट और भी ज्यादा गहरा गया है। प्रदेश की विभिन्न नहरी सिंचाई प्रणाली जैसे- नर्मदा नहर प्रणाली, खास कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में इस विशाल सिंचाई क्षेत्र में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हो गया। श्री हरिमोहन शर्मा। श्री हरिमोहन शर्मा। ...(व्यवधान)...

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

बिजली पर एक दिन यहां पर चर्चा होगी। एक दिन बिजली पर चर्चा होने वाली है तो आप सबसे आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। बिजली पर एक दिन चर्चा होगी, आप यहां से जाइये, अपनी-अपनी सीटों पर बैठिये। आप पधारो। अपनी सीटों पर जाइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। ...(व्यवधान)...

SSY/RTM/22.07.2024/12:40/1I

सभी माननीय सदस्य, अपनी सीटों पर जायें। श्रीमान, यह छात्र संघ नहीं है ...(व्यवधान)... यह छात्र संघ का कार्यालय और वीसी का कार्यालय नहीं है जो यहां तक आ रहे हो ...(व्यवधान)... बैठिये, एक दिन चर्चा होगी। एक दिन इस पर चर्चा करायेंगे। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

छीपाबड़ौद तसहील में परवन वृहद् सिंचाई परियोजना अकावद के डूब क्षेत्र से प्रभावित गांवों का पूर्ण डूब क्षेत्र में सम्मिलन व उचित मुआवजा

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परवन वृहद सिंचाई परियोजना अकावद के डूब क्षेत्र से प्रभावित गांवों को पूर्ण डूब क्षेत्र में शामिल करने एवं उचित मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: बीएसी की मीटिंग में चर्चा होगी। केवल आप ध्यानाकर्षित करिये। माननीय मंत्री जी।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत परवन बांध के पूर्ण भराव लेवल तक के सर्वे अनुसार ग्राम बिलेड़ी के ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हो गया आपका, नो, नो ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): डूब प्रभावित तथा डूब में आ रही कृषि भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नो, नो, आई से नो ...(व्यवधान)... एक दिन करायेंगे बिजली पर। बीएसी की मीटिंग में तय करेंगे। आपको मैं वापस चेतावनी दे रहा हूं ...(व्यवधान)... मैं बर्दाश्त नहीं करुंगा। मैं संसदीय मंत्री से प्रस्ताव रखवा ...(व्यवधान)... अभी प्रस्ताव आ जायेगा फिर आप मुझे कहेंगे वापस ले लो ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): बिलेड़ी गांव में तीन ओर जल भराव से तथा एक ओर वन भूमि से घिरी हुई है ...(व्यवधान)... सड़कें भी डूब में आ रही हैं ...(व्यवधान)... 365 परिवार निवास करते हैं।

श्री अध्यक्षः आप जाइये ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): आने के कारण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना किया जाना ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कह दिया एक दिन की चर्चा होगी ...(व्यवधान)... इससे ज्यादा क्या चाहिए ...(व्यवधान)... एक दिन चर्चा करायेंगे आपसे कह दिया ...(व्यवधान)... बीएसी की मीटिंग में तय होगा और क्या चाहिए ...(व्यवधान)... अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): भूमि अवाप्ति हेतु ...(व्यवधान)... की धारा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः विपक्ष अपनी सीमाओं को क्रॉस कर रहा है ...(व्यवधान)... मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी सीटों पर जाइये ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): के अनुसार ही दिया गया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अपनी सीटों पर बैठिये। एक दिन चर्चा करायेंगे ...(व्यवधान)... एक दिन दे दिया और क्या चाहिए ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): अधिनियम 2013 की धारा 30 ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हां, बोलिये। आज कोई डिमांड पर, आज मैं स्थगित कर दूंगा दिन भर के लिए ...(व्यवधान)... किसी का भाषण नहीं होगा। स्थगित कर दूंगा दिन भर के लिए। इस तरह करोगे तो दिन भर के लिए स्थगित करुंगा। किसी का भाषण नहीं होगा ...(व्यवधान)...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मंत्री जी, जवाब आ गया।

श्री अध्यक्षः अपनी सीटों पर जाइये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो बिलंडी गांव है जिसके चारों तरफ 10-10, 15-15 फीट पानी रहेगा।

श्री अध्यक्षः आपके कंट्रोल में नहीं हैं ...(व्यवधान)... आपके कंट्रोल में नहीं हैं सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): इसलिए इसको पूर्ण डूब में मानकर इसका मुआवजा दिलवाया जाये और दूसरा गांव ककोड़ी खेड़ा है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कह दिया कि इस पर एक दिन चर्चा होगी ...(व्यवधान)... और क्या चाहिए बताओ ...(व्यवधान)... बात खत्म और क्या चाहिए, बताओ ...(व्यवधान)... अब चर्चा शुरू होगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। जबकि इस गांव में भी एक से लेकर 2 फीट तक पानी घरों में रहेगा।

श्री अध्यक्षः बार-बार नहीं। बात हो गयी, व्यवस्था दे दी। एक दिन चर्चा करायेंगे ...(व्यवधान)...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): दूसरा, मेरा, मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आपके जवाब में बताया है कि बिलेंडी की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहां विशेष अनुग्रह राशि 79 करोड़ 89 लाख 72 हजार रुपये का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्षः बैठिये ...(व्यवधान)... माननीय विपक्ष के नेता ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): यह प्रक्रियाधीन प्रस्ताव कब से लंबित है और यह अनुग्रह राशि किसानों को किस दिनांक तक दे दी जायेगी?

श्री अध्यक्षः हल्ला भी मचाओ और पर्ची पर बोलने भी दें, दोनों बातें नहीं होंगी ...(व्यवधान)... दोनों बातें नहीं होंगी ...(व्यवधान)... या तो अनुशासन में रहेंगे तो परमिशन मिलेगी नहीं तो बैठिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मेरा निवेदन है कि डूब क्षेत्र में आये हुए मकानों का सर्वे ढंग से नहीं हुआ है। जो गांव डूब क्षेत्र में आये हैं, उनमें काफी घर सर्वे से छूट गये हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि पुनः सर्वे कराकर जिन किसानों के घर डूब में नहीं आये हैं, उनका वापस सर्वे कराकर, उनको डूब क्षेत्र में मानकर मुआवजा दिया जाये।

तीसरा, मेरा निवेदन है कि जो प्रभावित गांव हैं, उसमें मुआवजा कहीं सिंचित क्षेत्र का दिया गया है, कहीं असिंचित क्षेत्र का दिया गया है, जबकि वह जमीन सिंचित है। अभी डैम का निर्माण चल रहा है। वस्तु स्थिति का आज भी पता लग सकता है। इसलिए आप पूरे के पूरे घरों के मामले लेकर कृषि के मामले को लेकर, कौन सिंचित है, कौन असिंचित है, इसका पूरा दुबारा सर्वे करा लें। साथ ही फलदार पेड़, खेतों की पत्थर गढ़ी जो चारों तरफ बाउंड्री होती है, उनका मुआवजा भी कई किसानों को नहीं मिला है।

जैसा मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया कि आप उन्हें विशेष अनुग्रह राशि जो बिलेंडी गांव के लिए है, 79 करोड़ 89 लाख 72 हजार रुपये का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इस प्रस्ताव को आप कब तक मंजूर कर लेंगे और किस दिनांक तक किसानों को यह मुआवजा राशि मिल जायेगी?

दूसरा, ककोड़ी खेड़ा गांव है, उस गांव में भी घरों में 01 से लेकर 2-2 फीट तक पानी रहेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बिलेंडी की भांति, आप बिलेंडी को भी नहीं मान रहे हो, ककोड़ी खेड़ा को भी आप डूब क्षेत्र में नहीं मान रहे हो, इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि दोनों गांवों को डूब क्षेत्र में मानकर इनका मुआवजा दिलवाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं और आपसे करना चाहूंगा कि परियोजना के डूब क्षेत्र में जो गांव आये हैं, उनको दूसरी जगह बसाये जाने की प्रक्रिया चल रही है। वह एक तो उस तहसील में नहीं होकर के दूसरी तहसील में, वहां से करीब 45-50 किलो मीटर दूर है। दूसरा उनको जहां पर बसाया है, वहां मकानों का काम चल रहा है। वहां ग्राउंड वाटर बिलकुल भी नहीं है।

मेरा निवेदन है कि अगर वहां पर ही कॉलोनी बनाना आवश्यक है तो आप जो अडाणी पावर की जो पानी के लिए पाइप लाइन आ रही है, उससे उस गांव के लोगों को पानी दिया जाये। आप जो अभी व्यवस्था कर रहे हो, इसमें एक ओपन वैल वहां पर और खुदा दिया जाये ताकि कभी ट्यूबवैल खराब हो, कभी हैंडपम्प खराब हो तो जो भी वहां पर बस्ती बसेगी, वह पानी ले सकें।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): साथ ही जो बिजली के कनेक्शन हैं, बिजली की व्यवस्था करने का आपने मुझे जवाब में बताया है। आप घरों में कराकर उन किसानों को करें, यहां पर भी उन किसानों ने घरो पर कनेक्शन लिए हुए हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय, ध्यानाकर्षण है। माननीय मंत्री जी। वही बात रिपीट हो रही है। माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ग्राम बिलेड़ी की आबादी 3 ओर से जल भराव क्षेत्र से तथा एक ओर से वन भूमि से घिरी हुई है तथा ग्राम की संपर्क सड़क भी डूब में आ रही है। उक्त भौगोलिक स्थिति के अनुसार ग्राम बिलेड़ी की शेष आबादी के लिए विशेष अनुग्रह राशि लगभग 80 करोड़ के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

दूसरा, काकोड़ी खेड़ा और बिलेड़ी के बारे में माननीय सदस्य ने अभी बताया है, तो मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि यद्यपि मुआवजा नियामानुसार दिया गया है, फिर भी आपके सुझावों पर परीक्षण कर, आवश्यकता होने पर विशेष अनुग्रह सहायता राशि के बारे में उचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः हो गया?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो राशि के बारे में बताया कि उसके मामले में उचित निर्णय लिया जायेगा, तो वह कब तक कर देंगे? महीने में, 2 महीने में, कब तक कर देंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी डैम बनने में एक साल और लगेगा। लोगों को वहां रहना

है। लोगों के साथ अन्याय हुआ है। गांवों का पूरा सर्वे नहीं हुआ है। उनकी जो सिंचित जमीन है उसको असिंचित मानकर मुआवजा दिया गया है।

श्री अध्यक्षः हो गया, विराजें। धन्यवाद।

श्री फूल सिंह। हो गया माननीय मंत्री। श्री फूल सिंह।

उदयपुर ग्रामीण में जेबीएच चिकित्सालय एवं महाविद्यालय के भवन निर्माण में अनियमितता

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कौन मंत्री जी?

श्री अध्यक्षः विषय तो बताना चाहिए। किस पर ध्यानाकर्षित कर रहे हो। नहीं?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): जीबीएच हॉस्पिटल।

श्री अध्यक्षः हो गया। बैठिये। उनका ध्यान आ गया। सदन के भी ध्यान में आ गया।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक को और सदन को आपके मार्फत अवगत कराना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 24 जुलाई,1998 को तहसील गिरवा के ग्राम बेड़वास में 69,650 वर्ग मीटर भूमि का 99 वर्ष की अवधि के लिए भवन निर्माण जिसके लिए आवंटित किया गया है, का 2 वर्ष के भीतर निर्माण पूर्ण कर उसका उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने की शर्त के साथ आवंटित किया था।

जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 को तहसील गिरवा के ग्राम बेड़वास में 7500 वर्ग मीटर भूमि इसी में अमेरिकन इंटरनेशनल हैल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड उदयपुर को दूसरी बार आवंटन किया गया। इस प्रकार कुल 77150 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया गया।

Spp/Rtm/22.07.2024/12:50/1m

जिला कलेक्टर उदयपुर, द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 22 जुलाई, 2011 को शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग द्वारा दिनांक 04 मई, 2011 एवं 16 जून, 2011 द्वारा दिनांक 02 जून, 2007 से 02 जून, 2009 तक की बढ़ायी गयी अवधि से आज तक की अवधि को नियमित करते हुए आदेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक निम्न शर्तों पर समयावधि में वृद्धि की गयी थी। इसमें पांच-छह शर्तें थीं। उसके बाद इस अस्पताल ने जो निर्माण स्वीकृति मांगी और जो निर्माण स्वीकृति उसको जारी हुई, उसके खिलाफ जाकर उसने निर्माण किया।

अमेरिकन इंटरनेशनल हैल्थ मैनेजमेंट उदयपुर के पक्ष में 69 हजार 650 वर्ग मीटर का पट्टा विलेख दिनांक 18 नवम्बर, 1998 को दिनांक 24 जुलाई, 1998 से 99 वर्ष के लिये जारी किया गया। दूसरा पट्टा विलेख 7500 वर्ग मीटर का दिनांक 31 मई, 2000 में जारी किया गया।

अमेरिकन इंटरनेशनल हैल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा मांगी गयी भवन निर्माण स्वीकृति पर कुल 10 स्थानों पर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी, जिसमें एक भवन भूतल प्लस चार तल, एक भवन भूतल प्लस तीन तल तथा पांच भवनों का भूतल प्लस दो तल और दो भवनों के भूतल निर्माण की स्वीकृति केवल मात्र भूतल निर्माण की स्वीकृति जारी की। इस पर भूतल निर्माण की स्वीकृति वाले भवन का निर्माण नहीं किया गया तथा शेष में अतिरिक्त तलों का निर्माण नियम एवं स्वीकृति के विरुद्ध किया गया है, जिस पर 12 जुलाई, 2024 को अवैध निर्माण के लिये नोटिस जारी किया गया है। इस स्वीकृति के अलावा उन्होंने बिना निर्माण स्वीकृति नर्सिंग हॉस्टल भूतल प्लस आठ तल और प्रोफेसर भवन भूतल प्लस नौ तल का निर्माण अवैध रूप से किया हुआ है।

अमेरिकन इंटरनेशनल हैल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा उक्त अनियमितताओं के अलावा राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड और महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के साथ भी धोखाधड़ी व जालसाजी की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी प्रारम्भिक जानकारी करने पर उन शिकायतों में सत्यता प्रतीत होती है।

अब मैं घोषणा करता हूं कि राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, क्योंकि इसमें विभिन्न विभाग आ गये, नगरीय विकास आ गया, स्वास्थ्य विभाग आ गया, राजस्थान माइंस एण्ड मिनरल्स आ गया, राज्य के मुख्य सचिव अपनी निगरानी में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर आने वाले चार या पांच सप्ताह में इसकी विस्तृत जांच करवाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ..(व्यवधान)..

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): सुनिये साहब अभी तो। दूसरा, बिना निर्माण स्वीकृति के जितने भी निर्माण हुए हैं, सम्बन्धित नगर निकाय उन्हें 72 घंटे में सीज करे।

श्री अध्यक्ष: बिराजें, हो गया। माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी किस्मत देखो। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह ध्यानाकर्षण है, उत्तर है। ..(व्यवधान)...

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): नेताजी, माननीय सदस्य महोदय, आप सुनो।

श्री अध्यक्ष: आपका विषय नहीं है। जिसका विषय है वह बोलेंगे। ..(व्यवधान)..

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): किसी आश्वासन के लिये पूर्ति लम्बे समय नहीं होती है तो सदन की आश्वासन समिति की जिम्मेवारी है कि वह सम्बन्धित विभाग का परीक्षण करे और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित करें। +++

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपका उत्तर देने के लिये नहीं कहा है। इनका उत्तर नहीं देना है आपको। आप बैठिये। उत्तर उनका देना है। हां, बोलिये माननीय सदस्य। ऐसे उत्तर देने लग जाओगे तो ठीक नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 11 साल के अन्दर मेरा ध्यानाकर्षण का एक प्रश्न लगा है, वह भी पहला प्रश्न। मुझे वास्तव में माननीय अध्यक्ष महोदय के संरक्षण की जरूरत है और मंत्रीजी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो वास्तव में आर्डर आया, उसके ऊपर अमल करने की आपने वास्तव में जो इच्छा जाहिर की है, मेरी पूरा ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, पूरा राजस्थान देख रहा है कि आपका वास्तव में निर्णय क्या है? ..(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, रुको। यही नहीं, अभी तो मंत्री महोदय ने बता दिया है मगर सामने वाले सदस्य को और पूर्व सरकार को क्या पता लगेगा कि 1998 और 2003 के बीच में यह सारा खेल पूर्व सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्ष: यह ध्यानाकर्षण है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा आपका। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: मेरी अनुमति है। यह मेरा काम है। आप बैठिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पूर्व पांच साल में क्वेश्चन लगाये, मगर इस संस्था का एक जवाब नहीं देने दिया गया अधिकारियों से। उनको रोक दिया गया। यही नहीं, मैंने एक प्रश्न लगाया कि यह गंदा नाला निकल रहा है, उसके खुद की जेब के पैसे नहीं लगा रहा था। वास्तव में जो हमारा सी. एस. आर. फण्ड का पैसा है, वह लगाने के लिये मना कर दिया। वह यह कह रहा है कि नियमों में नहीं आता है, तो अब उनको नियम बताना। वास्तव में सरकार ने बता दिया नियम क्या होता है?

आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जो संस्था वहां से रोटी-रोजी कमा रही है, तो उस पंचायत में विकास के लिये सी.एस.आर् फण्ड का पैसा लगाया। बच्चों के लिये आर.ओ. लगवाये। सरपंच कहता है कि मेरे बच्चे जो यह पानी स्वच्छ पीना चाहते हैं, आर.ओ. लगा दो। उन्होंने एक भी आर.ओ. का पैसा नहीं दिया। दानदाता भवन बना देते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह ध्यानाकर्षण है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मगर ऐसी संस्था के ऊपर आपने जो कार्यवाही की है। ..(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है 72 घंटे में अवैध निर्माण को सीज करके विधान सभा सचिवालय को सूचित करेंगे, विभाग को सूचित करेंगे वरना अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये तैयार रहें।

श्री अध्यक्ष: हो गया बैठिये।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि एवं वार्षिक प्रतिवेदन। डॉ. प्रेमचन्द बैरवा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है मंत्रीजी

विधान सभा का पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं कि हमने तो कह दिया। नहीं होगा तो आश्वासन समिति देखेगी। धन्यवाद। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः मैंने नाम पुकारा है। आप बोले ही नहीं। ..(व्यवधान).. आपके विपक्ष के नेता खड़े हैं, आप बोल रहे हो। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको वापस चेतावनी दे रहा हूं। ...(व्यवधान).. श्री प्रेमचन्द बैरवा।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

(1) डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा-42 के अंतर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24),

एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

(2) एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2021 की धारा-43 के अन्तर्गत एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24,

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

(3) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24,

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022 व 2023)

(4) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 व 2023,

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (2023-24)

(5) महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 की धारा-41 के अन्तर्गत महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24, एवं

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बासंवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023)

(6) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बासंवाड़ा अधिनियम, 2012 की धारा-42 के अन्तर्गत गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बासंवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023.

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन संचालन में माननीय सदस्यों से गरिमामय आचरण की अपेक्षा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यों से मुझे निवेदन करना है कि अपने को नियमों का पालन करना चाहिये। आपके इधर के दो-चार माननीय सदस्य हर मुद्दे पर, आप भी बोल रहे हैं तो ही खड़े हो जाते हैं। यह मैं उनको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इधर भी सबको यह कह रहा हूं कि अपनी सीट से बातें धीरे से करें कि यहां तक आवाज नहीं आये। सभा को डिस्टर्ब न करें। यह सदन है, सदन के रूप में लीजिये। अपने में से कुछ सदस्य जवान होंगे और छात्र संघ से सीधे आये हैं। उनको भी आप बिठाकर समझाइये कि इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। यह सदन है, सदन में बहस करिये। यह सदन पवित्र सदन है। बहस करिये और अपनी बात रखिये, उत्तर मांगिये लेकिन हर मुद्दे पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, यहां तक आ जाऊंगा यह मैं आपको दो-तीन नाम दे दूंगा अकेले में, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उनके नाम यहां पुकारूं। यह अच्छा है कि आप उनको समझा दीजिये। ..(व्यवधान).. आप बैठे-बैठे फिर बोल रहे हैं। अब मुझे नाम पुकारना पड़ेगा। नो।

बधाई एवं आभार

विधान सभा प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति में गुणात्मक सुधार के लिए

माननीय अध्यक्ष के प्रयासों का आभार

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अभी 30 सैकण्ड है मेरी एक बात कह दूं। इस सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सदन में पहली बार हुआ कि सवाल लगने के बाद में 95 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर आपके माध्यम से सरकार ने दिये हैं। वरना पिछली सरकार में हमारे लगे हुये प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं आया है, इसलिये यह सदन इस बात के लिये आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उत्तर मंत्रीजी तो दे ही नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः दे रहे हैं।

सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

MLS/RTM/22.07.2024/14:00/2c

(समयः 14.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, पूरे मंत्रिमण्डल में से दो-तीन लोग हैं। दो बैठे हैं, एक खड़ा है। यह हालत है इनकी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या है कि मेरे

प्रतिपक्ष के साथी को बार-बार याद आती है। याद आती है तो फिर क्या करें, ये हमें छेड़ते हैं तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्षः श्री सुरेश सिंह रावत। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रस्तुति

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,56,98,73,000/- (पैंसठ अरब छप्पन करोड़ अठानवे लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 42 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्षः श्री संजय शर्मा।

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण की प्रस्तुति

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,57,60,25,000/- (अठारह अरब सतावन करोड़ साठ लाख पच्चीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 45 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्षः आज जो सूचियां मिली हैं, बहुत लम्बी सूचियां आती हैं और आज मुझे लगता है कि उत्तर लगभग 11 बजे तक होंगे। उसके बाद जब मंत्री लोग जवाब देते हैं, उसका उपयोग कहीं भी मीडिया में नहीं होता। हम ऐसा कोई इसका हल निकालें कि सबका नाम भी आये और जो कुछ भी घोषणाएं होती हैं या आप जो कुछ कहते हैं, वह कहीं न कहीं मीडिया में भी आ जाये। समय आप लोगों को तय करना है। चार घण्टों की इन्होंने सूची दी है, तीन घण्टे का आपका है और आधा-पौन घण्टा निर्दलियों का है। लगभग एक घण्टे का जवाब है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह विधान सभा पहले भी खूब लम्बी चली है, देर रात तक भी चली है। सरकार की बात मीडिया में आने की जहां तक बात है, आज-कल तो सोशल मीडिया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपके भी सदस्य हैं, हमारे भी सदस्य हैं, काफी नये सदस्य भी आये हैं। जल संसाधन तो बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है, सब लोग इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं। मेरा तो आपसे यही अनुरोध है।

श्री अध्यक्षः मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलाएं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब नौ-साढ़े नौ बजे तक सदन चलता है, तब तक तो सब इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके बाद

फिर धीरे-धीरे सब खत्म हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: संख्या भी पूरी रहे। जितने बैठे हैं, वे सब बोलने वाले ही तो हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन है कि आप सबको मौका दें, लेकिन नौ-साढ़े नौ के बाद फिर मंत्री का जवाब हो जाये तो 11 वैसे ही बज जाएंगे। अत: मेरा प्रतिपक्ष के साथी से निवेदन है कि माननीय सदस्य जितने भी बोलने वाले हैं, समय का एडजस्टमेंट ऐसा करें, नौ-साढ़े नौ तक सारे सदस्य बोल जाएं और उसके बाद मंत्री महोदय का जवाब हो जाये।

श्री अध्यक्ष: तो क्या ऐसा तय करें, 9 बजे तक तो चर्चा हो और 9 बजे बाद एक मंत्री, दो मंत्री, तीन मंत्री, जितनी भी आपकी मांगें हैं, वे जवाब दे दें। लगभग 10 बजे तक अपन...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मंत्रियों का भी समय तय करें। एक-एक मंत्री एक-एक घण्टा भी ले लेता है।

श्री अध्यक्ष: कम से कम आधा-आधा घण्टा। 9 बजे तक चर्चा होगी, उसके प्रपोर्शनेट।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, एक अनुरोध और है। जो घोषणाएं मुख्य मंत्री जी ने बजट में कर दीं, कोई भी मंत्री उनको दुबारा रिपीट नहीं करता है। नयी घोषणाएं अगर मंत्री करे तो वह रिकॉर्ड करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं, नहीं वह परम्परा तो हमारे यहां है ही नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, दो दिन से वही चल रही हैं। परिवहन में भी और चिकित्सा में भी। जो घोषणाएं बजट में हो गईं, उन्हें ही मंत्री वापस पढ़ रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): उन्होंने पॉइंट आउट किया था, घोषणाएं नहीं की थीं।

श्री अध्यक्ष: चलिये शुरू करें। श्री गुरवीर सिंह।

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना
व मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज यह जो विषय है, जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह राजस्थान के लिए सबसे गम्भीर विषय है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखा जाये तो देशभर में जल संसाधन सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए हैं। पूरे देश की बात करूं तो भारत दुनिया की जनसंख्या का 18 प्रतिशत शेयर रखता है। वहीं, लैंड 2 परसेंट और जो जल स्रोत हैं, वॉटर रिसोर्सेज हमारे देश के पास मात्र 4 परसेंट हैं। राजस्थान और देशभर के लोगों के सामने पानी के आगे क्या स्रोत हैं, क्या हमारी चुनौतियां हैं, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

केन्द्र सरकार ने, सीडब्ल्यूसी ने समय-समय पर योजनाएं बनायी हैं। पूरे देश में ग्लेशियर्स का सर्वे हुआ है, जल स्रोतों का हुआ है। सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की

आये, यह पानी का संकट डे-बाय-डे बढ़ना है। इसकी योजना कैसे बने, राजस्थान में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा एक-एक बून्द का फायदा लें, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। अभी सीडब्ल्यूसी का जल शक्ति मंत्रालय ने per capita water availability पर सर्वे कराया है। वर्ष 1951 में 5247 per capita water availability थी, जो आज 2021 में मात्र 1486 ही रह गयी है। जो आकलन वर्ष 2031 के लिए है, वह 1366 cubic metre per capita है, जिस पर हमें चिन्ता करनी चाहिये।

सैंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड की बात करें, मैं सभी 200 के 200 विधायकों से निवेदन करता हूं, केन्द्र सरकार ने पैसा खर्च किया है, रिपोर्ट डिस्ट्रिक्टवाइज हमारी वैबसाइट पर चढ़ी है, आप एक-एक विधान सभा में बैठकर यह देख सकते हैं कि वॉटर लेवल में पिछले दस सालों में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। आज खुशी की बात यह है कि इन प्रयासों के साथ हमारे जो 61 परसेंट कुएं खोदे गये हैं, उनमें जल स्तर बढ़ा है। हम अगर और गम्भीरता से उस पर काम करेंगे तो हमारे भू-जल के स्तर में सुधार हो सकता है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने काम किया, इसमें 99 कामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें राजस्थान के भी कई काम शामिल हुए।

50 प्रोजेक्ट्स देशभर में हमारे पूरे हो चुके हैं, जिसका फायदा यह हुआ, 24.35 लाख हैक्टेयर जमीन आज सिंचाई की बढ़ी है। इसी के साथ-साथ, प्रधान मंत्री जी ने 93 हजार 68 करोड़ रुपये इसे एक्स्टैंड करते हुए दिये हैं। ''मोर क्रॉप, पर ड्रॉप'' का नारा जो केन्द्र सरकार ने दिया, एक-एक बून्द के साथ कैसे फसल को बढ़ाया जा सके, कैसे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि पूअर इर्रिगेशन एफिशिएंसी के जो आंकड़े हैं, ओवर-ऑल जो भारत का शेयर है, 38 परसेंट एफिशिएंसी पर हम स्टैंड कर रहे हैं। हमारा ज्यादातर पानी व्यर्थ जा रहा है। जो लाइनिंग, नहरें, पक्के खाळे, पक्की नहरों की बात करें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का अगर आप अध्ययन करें और उसके बाद की रिपोर्ट्स का अध्ययन करें तो लाइनिंग के कार्य से साढ़े 22 परसेंट हम पानी की छीजत को रोक सकते हैं, वॉटर लॉस को रोक सकते हैं।

जब-जब भी हमारी सरकार आयी है, इसके लिए भरपूर सहयोग किया गया है, बजट आवण्टित किया गया है। ऑप्टिमम क्रॉप प्लांट के लिए जो डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का आइडिया हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में दिया गया, हमारा यह फोकस होना चाहिये कि कम पानी से ज्यादा फसलें लेने वाले राजस्थान को सरसों की 100 परसेंट अगर एमएसपी पर खरीद करें तो हम गेहूं जो सात पानी से पलता है और सरसों तीन पानी से पाली जा सकती है, ऐसी फसलों पर हम फोकस करें ताकि हम कम से कम पानी से ज्यादा से ज्यादा काम ले सकें। माइक्रो इर्रिगेशन का जो स्टेटस पूरे भारत का है, केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पानी के लिए पैसे दिये, पर जहां हमारे देश में पोटेंशियल और कैपेसिटी है, जो टारगेट हमारा है, वह 70 लाख मिलियन हैक्टेयर का है, पर अभी तक हम मात्र 10 लाख मिलियन हैक्टैयर पर पहुंच पाये हैं, जिस पर हमें बहुत काम करने की

आवश्यकता है।

इसके लिए जो शेयर अभी राजस्थान का, पूरे देश में देखा जाये तो राजस्थान इसमें अव्वल नम्बर पर है, माइक्रो इर्रिगेशन में राजस्थान 17.9 परसेंट, आन्ध्र प्रदेश 15.5 परसेंट, महाराष्ट्र 15.1 परसेंट और जहां ड्रिप इर्रिगेशन की बात करें तो आन्ध्र प्रदेश पूरे देश में लीडिंग नम्बर पर है 24.1 परसेंट। वहीं स्प्रिंकलर में राजस्थान पूरे देश में नम्बर वन पर है 29.4 परसेंट पर। मैं हमारी सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उसने स्प्रिंकलर्स के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया है। वहीं माइक्रो इर्रिगेशन का जो सर्वे हुआ है, इसका फायदा कैसे होगा? केन्द्र सरकार ने 5892 किसानों पर यह सर्वे करके, ये जो नतीजे आये हैं, इसमें 40 से 50 परसेंट हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है और 42 परसेंट किसानों की आय बढ़ी है। माइक्रो इर्रिगेशन राजस्थान की जरूरत है। आगामी सालों में हमें इस पर काम करना चाहिये।

जो बजट हमारा 2024-25 का माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में मिला है, उसके आंकड़े हम सबको खुश कर देने वाले हैं कि 50 हजार करोड़ रुपया इरीगेशन के लिए निकालना, यह राजस्थान की हिस्ट्री में पहला बजट है, जिसमें 50 हजार करोड़ रुपया सिंचाई के पानी के लिए आया है।

mkd/rtm/22.07.2024/14:10/2d

आज ईआरसीपी की बात करें, लम्बे अर्से से बहुत से जिलों की, पूरे राजस्थान की मांग थी। बहुत सी सरकारें आईं और बहुत सी सरकारें गईं। कभी वह पक्ष इधर था, हम भी उधर थे, पर इसके ऊपर जो काम आज की सरकार ने चन्द दिनों में किया है, यह भी अपने आप में काबिले तारीफ है।

आज भजन लाल जी के नेतृत्व में जहां 90 परसेंट शेयर सरकार देगी, राजस्थान को इसका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इसका काम हम इसी कार्यकाल में पूरा करेंगे। एक तरफ भजन लाल जी की सरकार है, जिन्होंने पहले क्वार्टर में इसका काम शुरू करके, पूरे राजस्थान को सौगात दी है।

एक तरफ जादूगर जी के बजट के आकड़े हैं, 2019-20 में जादूगर जी ने, आज जहां हमें 50 हजार करोड़ रुपया दिया है, जादूगर जी ने 4675 करोड़ रुपये का मात्र प्रावधान किया था। उसमें भी थोथी घोषणाएं थीं। पाइंट नम्बर 68 में, जहां 2019-20 के बजट में उन्होंने इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की बात कही। उसके बाद 2020-21 के बजट में नेशनल प्रोजेक्ट के बाद इसकी इग्लिंश चेंज होकर टॉप प्रायोरिटी हो गई और 2021-22 के बाद ईआरसीपी में प्रतिबद्धता दिखा दी। पिछले तीन बजट में एक पैसे की बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ कागजों का जाल दिखाया।

आईजीएनपी में 1200 करोड़ रुपये के 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' जादूगर जी ने राजस्थान को दिखाये। एक नया पैसा आईजीएनपी की नहर पर नहीं लगा। इसी तरह से जादूगर जी के बजट 2022-23 के पॉइंट नम्बर 140 में, 9,600 करोड़ की घोषणा की, 96

पैसे भी ईआरसीपी पर नहीं लगाये, करोड़ों की घोषणा करने का काम किया है। बजट 2022-23 में गंगनगर, जो गंगानगर की जीवनदायिनी नहर है, के ऑटोमेशन के लिए 1,153 करोड़ की थोथी घोषणा की। आज तक उसमें एक पैसा नहीं दिया।

आज हमारी सरकार ने ऑटोमेशन को सीडब्ल्यूसी से अप्रूव कराकर 795 करोड़ रुपये का बजट सैंक्शन किया है। मैं जल संसाधन मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऑटोमेशन से पहले हमारी गंगनहर के लिए अगर आप बालेवाला हैड से खखा हैड, जहां पंजाब से पानी गंगानगर एंटर होता है, दुबारा रिलाइनिंग हो जाये तो मात्र 400 करोड़ का खर्चा आयेगा। ऑटोमेशन चाहे बाद में हो जाये, हमारी मांग है कि पहले नहर की रिलाइनिंग हो, हम चोरी से बच सकें, हम छीजत से बच सकें।

इसके अलावा फिरोजपुर फीडर की बात करूं। माननीय जादूगर जी के बजट में 2022-23 में पॉइंट नम्बर 144 में 200 करोड़ की घोषणा की और आज तक एक पैसा नहीं लगा। आज हमारी सरकार में पीएफआर जारी हो गई और डीपीआर चंढीगढ़ में सरकार के पास पड़ी है। जिस दिन डीपीआर तैयार होकर केन्द्र में जायेगी, 15 दिन में वहां से प्रोजेक्ट अप्रूव होकर फिरोजपुर फीडर का निर्माण होगा।

इसके अलावा बजट 2023-24 में ईआरसीपी को 13 हजार करोड़ रुपये के काम हाथ में लिये जाने प्रस्तावित है। यह बजट में इनवर्टेड कोमाज में लिखा है। वे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, एक पैसा नहीं लगा। इनकी सरकार ने 174 नम्बर पॉइंट पर आईजीएनपी पर फिर से 1450 करोड़ के जीर्णोद्धार की थोथी घोषणा भी की।

मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के शायर ने कहा कि रावी बिच वघिया तीन नहरा, रावी बिच वघिया तीन नहरा, दो सुतिया तो एक वघे ही ना, जेड़ी वघती ओदे नावण तेने बंधे, एक डूबग्या ते दो लबये ही ना। रावी में तीन नहरें निकलीं, दो में पानी नहीं और एक वघे ही ना और उसमें नहाने वाले दो डूब गये और एक मिले ही ना। यह आपके बजट की असलियत है।

यह आपकी सच्चाई है। मैं सरकार से, कोई भी सरकार बने स्पीकर महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसके बजट का रिपोर्ट कार्ड बने, कम से कम उसने घोषणा कितनी की और कितनी परसेंट उसकी अचीवमेंट है। क्या जनता को आयना दिखाया और सच्चाई क्या है। ऐसा रिपोर्ट कार्ड हर सरकार का बनना चाहिए। वह चाहे हम हो, चाहे ये हो।

मेरा आपसे निवेदन है, यमुना जल सम्बन्धी, हरियाणा से तीन जिले चूरू, सीकर, झुंझुनूं के लिए जो एमओयू हुए, इसके नतीजे भी हमारे लिए बहुत अच्छे आयेंगे और हमको पानी मिलेगा।

आईजीएनपी जो दुनिया की सबसे लम्बी नहर है। पिछली वसुन्धरा जी की सरकार ने 2400 करोड़ रुपये का बजट आवंटन कर, उसका काम पूरा किया गया। उसके अलावा आज की हमारी सरकार ने फेज टू के लिए 1430 करोड़ का बजट देकर पूरे राजस्थान के हमारे मरू क्षेत्र को इसमें निहाल किया है। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

पिछली सरकार में, मुझे याद है मैं मुख्य मंत्री जी को हमारे लोहगढ़ हैड पर लेकर गया। सरहिन्द फीडर के हालात दिखाये और पूरे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के सामने हमारी मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया, जो सरहिन्द फीडर का 10 परसेंट हिस्सा मात्र राजस्थान के हिस्से में आता था, वह जादूगर जी उस फाइल पर पांच साल बैठे रहे और साइन नहीं किये, मात्र 10 परसेंट शेयर नहीं दिया। हमारी सरकार में जहां सरहिन्द फीडर के लिए पैसा आवंटित हुआ, उसके साथ-साथ सादुलशहर और संगरिया विधान क्षेत्र को सिंचित करने वाली केएसडी नहर को 100 करोड़ रुपये देकर निर्माण कराया गया।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

आज राजस्थान फीडर की बात करूं तो मेरा जल संसाधन मंत्री जी से आग्रह है कि आज हमने आरडी नम्बर 179 से लेकर 496 तक, जो पंजाब का हिस्सा है, टोटल 97 किलोमीटर की डीपीआर बनकर तैयार है, उसमें 15 किलोमीटर का काम आज शेष है पर शुरूआत के जो 36 किलोमीटर हैं, जहां सतलुज हरिके डैम से पानी निकलकर आता है, जब तक हम शुरूआत की नहर की लाइनिंग को सही नहीं करेंगे, हम कभी उसका फायदा नहीं ले पायेंगे। शुरूआत में जहां से पानी निकलना है, वहां उसको दुरुस्त करने की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पर भी हमें आगे काम करने की जरूरत है।

जहां फिरोजपुर फीडर की मैंने बात कही। 200 करोड़ रुपये की घोषणा करके पूरा गंगानगर जिला लाभान्वित हुआ है। लिंक नहर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आईजीएनपी और गंग कैनाल के बीच में 61 किलोमीटर की लम्बी नहर सालों से बन्द पड़ी है। वह एडिशनल सोर्स है, जब किसी नहर में, गंग कैनाल में रिलाइनिंग हो, पानी की कटौती आये तो उस 61 किलोमीटर की नहर का रख-रखाव और मैंटीनेंस की जाये, ताकि वहां से हम पानी ले सकें। यह हमारे दोनों जिलों की बहुत-बड़ी मांग है।

हमारे पक्के खाले और वाटर कोर्स, जो कभी 70:30 की रेशो हुआ करती थी, 30 परसेंट किसान देते थे, 70 परसेंट सरकार देती थी। उसके बाद यह 90:10 हुआ पर हमारी भाजपा की सरकार ने 100 का 100 प्रतिशत अनुदान देने का काम किया तो पहली बार हुआ और सारे खर्च का वहन सरकार ने किया। आज सरकार में करोड़ों रुपये के खाले बने। इनकी पांच साल की सरकार में 4 साल ये सोये रहे और पिछले एक साल में 436 करोड़ की घोषणा इनके बजट में थी। जिसका चौथाई हिस्सा भी पानी पर, वाटर कोर्स पर खर्च नहीं हुआ। जो पक्के खाले बनवाये, उनकी क्वालिटी इतनी बुरी थी कि आज वे खाले एक-एक, दो-दो पानी पारी भी नहीं ले पाये। मैं जल संसाधन विभाग से मांग करता हूं कि इनकी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड मिनिमम 5 साल होना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिम्पल ब्रिक्स की लाइनिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वह एक महीना ही नहीं चले, तो किसानों को इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता और ना ही विभाग, जिसके लिए बजट दिया है। उसके बाद वह दुबारा बना सकता है।

जितने खाले बने थे, इनकी सरकार को गये 6 महीने नहीं हुए, वे सारे टूट गये। उनको दुबारा रिपेयर कराना पड़ रहा है। मैं विनती करता हूं कि सरकार इसके लिए हमें अतिरिक्त बजट दे। मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि गंगानगर और भांखड़ा कैनाल के सारे से सारे खाले पक्के होने चाहिए।

पक्की डिग्गियों की जहां तक बात है। पक्की डिग्गियां पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा जल सरंक्षण का मुख्य मुद्दा है। कृषि आयुक्तालय के दिशा निर्देश में पॉइंट नम्बर 8.5 पर लिखा है, जब तक आपकी फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं आयेगी, तब तक हम आपको एडम अप्रूवल भी नहीं देंगे। मेरी सदन से मांग है कि आप पिछली सरकार को देखें तो पूरे पांच सालों में जितने आवेदन आये, उसका मात्र 12.36 परसेंट इन्होंने किसानों को डिग्गियों पर अनुदान दिया। इस हिसाब से तो लोग बीस-बीस साल तक इंतजार करते रहेंगे।

मेरी सरकार से मांग है कि जितने अनुदान पेंडिंग पड़े हैं, सारे के सारे किसानों को लाभान्वित करो, पैसा दो, ताकि लोग कम पानी में खेती कर सके। आज 8.5 नियम में जो लिखा है, जब किसान आवेदन करे, वहां 15 दिन में अधिकारी समीक्षा करके, वह डिग्गी निर्माण कर सके। जब सरकार के पास बजट का प्रावधान हो, तब दे दें, पर जिन किसानों ने डिग्गी निर्माण कर ली, कोई भी सरकार उसको एक पैसा नहीं देती। इस नियम में संशोधन की आवश्यता है।

मेरा निवेदन है भांखड़ा नहर प्रणाली नहर प्रणाली का जो क्रस्ट लेवल है, आरडी नम्बर 496 पर भांखड़ा के पूरे पानी का वहां लेवल मैंटेन करना पडता, पोंड लेवल को ऊपर करना पड़ता है। अगर क्रस्ट लेवल तोड़कर हम नीचे बराबर कर दें, आईजीएनपी पर तो भांखड़ा नहर प्रणाली, जिससे पांच विधान सभा क्षेत्रों को पानी मिलता है। हम कम से कम उसको पानी इजीली प्रदान कर पायेंगे। ओल्ड भांखड़ा कैनाल, यह बहुत सालों से मुद्दा पैंडिंग है। वहां हरियाणा इसके बैक फ्लो का फायदा लेता है।

Bhs/Rtm/22.7.24/14.20/2e

जैसे ही आई.जी.एन.पी. में पानी का स्तर बढ़ता है तो ओल्ड भाखड़ा कैनाल से आज की डेट में पिछले 15 सालों से एक क्युसेक पानी राजस्थान में इनलेट नहीं हुआ। बैक फ्लो में हमारा पानी दो सौ-तीन सौ क्युसेक्स चला जाता है उसको रोकने का भी हम काम कर सकते हैं अगर हम ओल्ड भाखड़ा कैनाल को बन्द कर दें।

माननीय सभापति महोदय, मेरी विनती है कि लम्बे समय से बेलदार जो गेज लीटर हमारी पहली कड़ी है नहर की, जो नहर का रखरखाव, नहर में गिरे हुए बड़े पेड़, नहर का पटड़ा सुधार, पानी चोरी को रोकने वाला एक कर्मचारी था बेलदार उसकी सालों से भर्ती नहीं हुई है उसका खामियाजा हमारी नहरों को भुगतना पड़ रहा है। आज पटड़े पर जाने के लिए जगह नहीं है, आज नहर की कोई सूचना देने वाला नहीं है। कोई आंधी से, तूफान से पेड़ गिर जाये तो नहर टूट जाती है तो यह भर्तियां भी सरकार को करके बेलदार प्रोवाइड करने

चाहिये।

भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जब गठन हुआ, राजस्थान और पंजाब सरकार इसमें 50-50 की पार्टनर थी। 1966 में जब पंजाब और हरियाणा अलग-अलग हुए तो राजस्थान को उसकी पार्टनरशिप से बाहर निकाल दिया गया और लम्बे समय से राजस्थान का भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में मैम्बर नहीं है। हमारी केन्द्र सरकार ने प्रावधान में चैंज किया है, अदर स्टेट से मैम्बर आ सकता है। मेरी जल संसाधन विभाग से दरख्वास्त है कि हमें प्रयास करना चाहिये, राजस्थान का परमानेंट मैम्बर बीबीएमबी में हो, ताकि हमारी आवाज को कोई वहां उठा सके।

आज मैं स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत को याद करना चाहूंगा कि जब उनकी सरकार थी, यह पहली बार नहीं है 1993 से 1998 में हम तो छोटे बच्चे थे पर हमने देखा है उस टाइम पर फ्रेग्मेंट का कानून तोड़ा, उस टाइम उन्होंने वाटर मेड का टैक्स माफ किया, उस टाइम उन्होंने चुंगी टैक्स माफ किया और मेरी आज आपसे मांग है कि मामला माफ हो ताकि किसानों की जेब न लूटी जा सके। आज पिछली सरकार ने किसान कल्याण कोष के नाम पर एक फंड क्रियेट किया। कृषि कल्याण सेस के नाम से इन्होंने किसानों की जेब को कतरा है।

मैं माननीय सदस्यों से मांग करता हूं कि आज की डेट में राजस्थान में जितना टैक्स एप्लीकेबल है, मंडी टैक्स जो मंडी शुल्क है 1.6 परसेंट ऑन टर्न ओवर है, so, that is on turnover; that is not a profit or income tax! आज जिस प्रकार से इन्होंने कृषि कल्याण सेस लगाया उसका टोटल एवरेज है 2.6 जो पूरे देश की सबसे महंगी इन्कम टैक्स स्लैब से भी ज्यादा है। कोई माननीय सदस्य जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो आपको बैठना चाहिये, मेरा आपसे निवेदन है कि जो देश में इन्कम टैक्स की मैग्जिमम स्लैब है वो प्रोफिट पर 30 परसेंट है, जिसका टर्न ओवर पर मात्र 1.5 परसेंट टैक्स बैठता है। आज किसानों पर 2.3 का मतलब है इन्कम टैक्स से भी वह भारी है तो मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम इन जो टैक्सेज के मार्फत इन्डाइरेक्टली हम किसानों की जेब लूट रहे हैं उसको काट करके किसानों को राहत दी जाये।

स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जो ट्वड्र्स इंडियन सिंगल मार्केट चैप्टर में भी यह कहा गया कि चाहे वो डाइरेक्टली, इन्डाइरेक्टली जितने भी टैक्स हैं उनको छूट दी जायेगी तो किसान को आमदनी में बढ़ोतरी होगी। हम उसके ऊपर यह बोझ न बना पाये इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सब चीजों पर एक कृषि के ऊपर हमारी चाहे जिस तरीके से सदन में चर्चा होती है, एक दिन सिंचाई पर चर्चा हुई है, पर एक दिन स्वामीनाथन रिपोर्ट पर, इर्रिगेशन पॉलिसी पर हमारी चर्चा हो और हर सदस्य जो अपने-अपने जिले से आये हैं वो अपने-अपने जिले की समस्या बता सकें, एक कांक्रीट प्लान अगले बीस साल के लिए बने क्योंकि पानी की चुनौती डे-बाई-डे बढ़नी है। इस प्रदेश को हमने कैसे पूरा पाना है इसके ऊपर कैसे हमारी अप्रोच को सुधारना है, कभी वो सरकार आयेगी, कभी ये सरकार आयेगी पर हमारा डाइरेक्शन एक तरफ होनी चाहिये, हम कम पानी में ज्यादा खेती कैसे कर सकें, आज

देश की अभी भी 2/3 पापूलेशन कृषि पर निर्भर है।

आज मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिन्होंने अपनी कृषि के लिए पानी के स्रोतों को सुधार किया, ड्रिप सिस्टम को, कैनाल सिस्टम, डिग्गी सिस्टम को, स्प्रिंकलर को सुधार करने का फायदा यह हुआ, जहां पंजाब गेहूं में अव्वल नम्बर पर था आज की डेट में मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में देश के पहले नम्बर पर है। हम भी राजस्थान में जो हमारी फसलें हैं चाहे हमारी सरसों हैं, जीरा है, हमारा इसबग़ोल है, आज जिस तरीके का हमारा खजूर है, पूरी दुनिया में हम बेस्ट खजूर यहां पैदा कर सकते हैं। कम पानी में खारे पानी में खजूर हो सकती है पर होगा तब जब हमारी सरकारें इसके लिए ध्यान देंगी।

खजूरों के प्रतिपिछली सरकार ने 1200 हजार हेक्टेयर के बारे में बातकी कि हम खजूरों के ऊपर काम करेंगे। कोई खजूर पर काम नहीं हुआ। जिस एजेंसी ने सरकार के साथ मिल कर किसानों को खजूरों के पौधे इजराइल से इम्पोर्ट करके देने थे वो ज्यादा से ज्यादा उसमें फर्जी निकले और वो सारा हमारा प्लान चौपट हो गया। सरकार का पैसा बरबाद हुआ। किसानों का समय बरबाद हुआ। खजूर के प्लांट का रिजल्ट आने में आठ-आठ साल लग गये। आज जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो चाहे जैसलमेर हो, चाहे बीकानेर हो, नागौर हो, इन सारे क्षेत्रों में खजूर के खारे पानी से हम पैदावार ले सकते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन प्रोजेक्ट्स पर हमें काम करना चाहिये। ड्रिप सिस्टम के माध्यम गंगानगर हार्टिकल्चर का हब है, चाहे वहां किन्नू हो, आज गंगानगर में अमरूद हो, अनार हो, तरह-तरह की फल सब्जियां हो, हम कम पानी से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं पर हमें फ्लेटफार्म सरकार को देना पड़ेगा।

मैं अपनी इतनी मांगें रखता हुआ, आपने मुझे इजाजत दी, समय दिया, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय किसान। जय जवान।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री नरेन्द्र बुडानियां।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): धन्यवाद सभापति महोदय, कि आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का समय दिया।

यह बहुत ही सेंसेटिव विषय पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। पानी हमारी बड़ी समस्या है। पुराने लोग कहते थे कि पानी जीवन है। पानी जीवन है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे आज भी सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो जल है और हम जिस प्रदेश में हैं राजस्थान में उसकी स्थिति जल के सम्बन्ध में बहुत ही ज्यादा खराब है। हमारा भूभाग पूरे देश में दस प्रतिशत है। हमारी आबादी 5.2 प्रतिशत है और जल संसाधन 1.16, यहां खड़े हैं हम।

राजस्थान को भयंकर संकट का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिये। यह आप और हम ये और वो शेम-शेम कहने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है राजस्थान के किसानों की। यह ऐसी समस्या है जो हम सबको बैठ करके और एक राय होकर के और इसके ऊपर इस समस्या का समाधान करने की दिशा में काम करना चाहिये।

आज हमें एक जाग्रति, एक चेतना लाने की आवश्यकता है। एक समग्र अभियान चलाने की आवश्यकता है। किस चीज के लिए, आज किस प्रकार से हमारा पानी वेस्ट हो रहा है, आज हमारे जल संग्रहण के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा है। जल संग्रहण के लिए नहीं कर रहा है, जल बचत के लिए नहीं कर रहा है। गन्दा पानी पी रहे हैं कोई शुद्ध पानी की बात नहीं सोचता तो ये सारी बातें हमें एक अभियान के रूप में करनी पड़ेगी क्योंकि हम उस प्रदेश में रहते हैं जो हमारे देश का सबसे कठिन प्रदेश है पानी के मामले में। राजस्थानी किसानों की हालत बहुत खराब है। कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है, कभी कीड़े-मकोड़े खा जाते हैं और कभी-कभी राज करने वाले भी दुश्मन हो जाते हैं।

आज बिजली की बात चल रही थी। आज सारे के सारे किसानों के कुए राजस्थान में बन्द पड़े हैं। किसान बोलते हैं कि दो घंटे दे दो, एक घंटे दे दो, कम से कम हमारी फसल तो बच जाये लेकिन बिजली नहीं है। आज हम कहां खड़े हैं। 1950 में मंत्री महोदय, प्रति व्यक्ति पानी कितना था, जितना उस वक्त था अब 1/3 प्रतिशत रह गया है, इतना पानी कम हो गया है। जहां 70 लीटर मिलता था आज 30 लीटर है और आगे आने वाली चुनौतियां हमारे सामने हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह नीति आयोग भी कह चुका है...

Kas/rtm/22.07.2024/14.30/2f

कि जो पानी की कमी आ रही है, वह सबसे बड़ी समस्या है। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार के सामने, कांग्रेस के नेताओं के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होने इस देश में बड़े-बड़े डैम बनाने का काम किया। आप देखिए, हरिपुरा सागर, गांधी सागर, नागार्जुन बांध, पोंग डैम, रणजीत सागर, दामोदर डैम। अभी मोदी जी सरदार सरोवर बांध में पानी का अर्पण कर रहे थे। ...(व्यवधान)... राजस्थान में भी इस समस्या पर ध्यान देते हुए हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने बड़ा काम किया और बड़े-बड़े बांध बनाये। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, मानसरोवर बांध, कडाना बांध, सोम कमला अम्बा बांध, मेजा बांध, जयसमन्द बांध बनवाया।

सभापति महोदय, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में सिर्फ 300 बांध थे। 1990 तक 4000 से ज्यादा डैम बन चुके थे। आप क्या कर रहे हो? ...(व्यवधान)... यह कागज नहीं है, हकीकत है। हमने इतना काम किया, आप बता दो आपने 10 साल में क्या काम किया? 10 साल से केन्द्र में आपकी सरकार है, आप बता दो? मंत्री महोदय, हां, काम तो आपने किया है, सुनने का माद्दा रखना, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया, वैमनस्य बढ़ाने का काम किया और गरीब को गरीब बनाया और अमीर को और अमीर बनाते चले गये, यह पूरा देश जानता है। आज जिस देश में 5,000 करोड़ रुपये शादी में लगते हैं और एक तरफ किसान का बेटा अन्न के लिये तरसता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके क्षेत्र में एक मायरा भरा गया, कितने करोड़ का? वह भी हमारा कोई काश्तकार साथी ही था। ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, मैं राजस्थान का हूं, किसान का बेटा हूं, किसानी में रुचि रखता हूं, किसान की परेशानियों को जानता हूं। राजस्थान में पहले केन्द्र से त्वरित सिंचाई योजना के लिये 50 प्रतिशत अनुदान मिलता था। आपने ज्यों ही गद्दी संभाली, सबसे पहले इस काम को बंद करने का काम किया। राजस्थान में नहरों से, बांधों से 38-40 हैक्टेयर जमीन सिंचाई हो रही है और उसमें 24-25 प्रतिशत इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, भाखड़ा केनालों से हो रही है। अभी सादुलशहर से आने वाले हमारे साथी 50 हजार करोड़ की बात कर रहे थे, कि 50 हजार करोड़ रुपये रखे हैं। आप जहां से आये हो, उनको कितना दिया है, यह तो देखो। 1400 करोड़ रुपये रखे हैं और वह भी पांच साल के लिये। रेगिस्तान का जो ऐरिया 24-25 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित करता है, उसको आप इतना पैसा दे रहे हो, यह रेगिस्तान के साथ अन्याय है, वहां के किसानों के साथ अन्याय है।

सभापति महोदय, इंदिरा गांधी केनाल जीवन दायिनी है। इसका पानी गंगानगर से शुरू होकर कहां बाड़मेर, जैसलमेर तक पहुंचाया है। धन्य हो इस योजना को बनाने वाले लोग और इसको पूर्ण करने वाले लोग। मंत्री महोदय, 1948 में इसकी परिकल्पना हुई, उसके बाद 1951 में इसकी रिपोर्ट बनी। सन 1955 में रावी व्यास का समझौता हुआ, इसका पानी तय हुआ और 1958 में इसका उद्घाटन हो गया, यह है काम। आज इंदिरा गांधी केनाल में हमें 8.06 एमएएफ पानी समझौते में स्वीकृत है और हमें 8 एमएएफ पानी मिल रहा है, यानी .06 हमारा पानी हमें नहीं मिल रहा है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकारों ने प्रयास नहीं किया, हमारा पानी लेने के लिये सरकारों ने प्रयास किया है, लेकिन इसके लिये और आवश्यकता है। यह डबल इंजन की सरकार है, तो हमारा पानी तो दो। सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, आज हमारा कितना पानी वेस्ट हो रहा है। आज हमारा सतलज रावी व्यास का 10 एमएएफ पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है, इसको रोकने का काम करना चाहिये। इसको रोक कर डाइवर्जन करके लाने से ही हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है, हमारे राजस्थान की ताकत बढ़ सकती है।

सभापति महोदय, इंदिरा गांधी केनाल बनी और उसके बाद 1983 में इसका द्वितीय चरण आया और 6 लिफ्ट केनाल बनीं। इसकी योजना मंजूर हुई और योजना बनकर तैयार हो गई। आज उन 6 लिफ्ट केनाल से कितने किसानों का कल्याण हो रहा है। आपने क्या किया, आपने 2005 में जब आपकी सरकार थी, राजस्थान का किसान सोच रहा था कि हम रेगिस्तान के लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? आपने उसमें 3.50 लाख हैक्टेयर सिंचाई का रकबा काट दिया। आप बनाने की बात कर रहे हो, आपकी सरकार ने तो काटा है पानी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज हमारे क्षेत्र हनुमानगढ़ और चूरू को कुम्भाराम लिफ्ट केनाल का पानी मिलता है। कुम्भाराम लिफ्ट केनाल के पानी का जितना नुकसान 2005 में हुआ, आपने किसान को देकर, किसान को परोस कर हमारी 1 लाख 38 हजार हैक्टेयर जमीन कुम्भाराम क्षेत्र की काट दी। एक तरफ कांग्रेस ने किसानों के लिये यह योजना बनाई

और आपने काट दी। अभी हमारे मित्र कह रहे थे जादूगर, जादूगर। हां जादूगर है, आपका काटा हुआ रकबा 20 हजार हैक्टेयर हमने पांच साल में बनाकर दिखाया है।

msk/rtm/22.07.2024/1440/2g

सभापति महोदय, मेरे तारानगर क्षेत्र का 20 हजार हेक्टेयर रकबा ज्यादा कटा। उसमें से मैंने 20 हजार स्वीकृत कराया है। 10 हजार पर तो उद्घाटन हो गया और 10 हजार का काम चल रहा है। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि राजस्थान में हमारी छह लिफ्ट कैनालों का जो रकबा कट गया, उसको वापस जोड़ने की घोषणा करें, यदि किसान के सच्चे साथी हो तो। मैं तारानगर को रिप्रजेंट करता हूं। आज हमारे चूरू जिले की सरदारशहर तहसील के 56 गांव, तारानगर तहसील के गांव और राजगढ़ तहसील के गांव आपने काट दिये। आज किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि आप कटे हुए रकबे का वापस जोड़ने का काम करें। ...(व्यवधान)...

श्री संजीव कुमार (भादरा): ...(व्यवधान)... आप तो चिंता करो। उसका भी करा दो।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): हां उसकी डीपीआर बनी हुई। आप घोषणा करायें। हमने तो सिद्धमुख कैनाल का करके दिखाया। सिद्धमुख कैनाल का बनाकर दिखाया, जिससे राजगढ़ और आपके क्षेत्र भादरा को पानी मिलता है। जब 1989 में लोकसभा का सांसद था। उस वक्त के प्रधान मंत्री राजीव गांधी को लाकर इसका शिलान्यास करवाया और सोनिया गांधी से उसका उद्घाटन करवाया और आज हमारे किसान लाभ ले रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय, ये जो राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं उस समय राजस्थान ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: शान्त रहिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजें, आप भी बैठिये।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, कोई माननीय सदस्य बोलता है तो मंत्री महोदय, मैं कभी बीच में खड़ा नहीं होता हूं। कोई बोल रहा है, अपना विचार व्यक्त कर रहा है तो सुनने का भी माद्दा रखें। आप राज के मालिक हो। हम तो विपक्ष में बैठे हैं। हम बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम तो आपको बोलकर ही बतायेंगे। आप हमें बोलने से ही रोक रहे हैं। यह गलत बात है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ईश्वर करे आप ऐसे ही बोलते रहें और हम ऐसे ही सुनते रहें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, अभी यमुना नहर की बात बहुत जोर-शोर से हो रही है। यमुना समझौते का चुनाव के समय बहुत प्रचार-प्रसार किया गया था। हां, मुख्य मंत्री भजन लाल जी को धन्यवाद दूंगा कि बनने के बाद कम से कम उन्होंने यमुना के बारे में सोचा तो सही। ...(व्यवधान)... दे रहा हूं, धन्यवाद। जो सच्ची बात है, उसे

कहने से मैं दूर नहीं हटूंगा। धन्यवाद पहले भी दिया है और आज भी दे रहा हूं। लेकिन यमुना का पानी कैसे आयेगा, यह तो बतायें। 1993 में जब भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे तो मैं उनके साथ सदस्य था। 1994 में मेरा यमुना पर भाषण है, कोई सदस्य निकाल कर देख सकता है। भैरोंसिंह जी ने 1994 के अन्दर इसका एमओयू किया।

श्री सभापतिः दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): बस, पांच मिनट और लूंगा।

श्री सभापतिः नहीं दो मिनट। समय आपकी पार्टी के द्वारा प्रदत्त है। मैं दोनों ही पार्टियों से कह रहा हूं कि जो समय आपके लिए निर्धारित किया गया है, उतना ही समय मिलेगा। आप दो मिनट में बोलिये।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): मेरे को 25 मिनट दिये हैं, अभी तो 15 ही मिनट हुए हैं।

श्री सभापतिः आपका 20 मिनट लिखा हुआ है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 25 है।

श्री सभापतिः पहले 20 लिखा हुआ है, फिर आपने 25 कर दिया और आप इस व्यवस्था को देखें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभी मुख्य मंत्रियों ने प्रयास किया। मंत्री महोदय, हमारे सामने यह बड़ा चैलेंज है कि आज जनता में इतनी चेतना हो गयी, हरियाणा हमको पानी नहीं लेने देगा, बिल्कुल नहीं लेने देगा। पहले पानी नहर से लाने का तय हुआ। अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने समझौता किया है, पाइप से लाने का। वहां हरियाणा के मुख्य मंत्री विधान सभा में बोल रहे हैं, जब एमओयू हुआ, हंगामा मचाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कोई एक्सेस पानी होगा तो देंगे। ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। आज पानी कैसे आये, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन एक बात तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के लिए कोई एमओयू होता है तो उसको टेबल तो करवायें। उसको सदन की मेज पर तो रखवायें। जनता को पता तो लगे कि कितना पानी मिलेगा, कितना क्षेत्र होगा, कैसे आयेगा, बताओ तो सही। अब आप कह रहे हैं कि चूरू को पानी मिलेगा, झुन्झुनू को मिलेगा, यमुना से सीकर को पानी मिलेगा। कितना-कितना मिलेगा, यह तो बतायें। आपने किसी क्षेत्र के अन्दर एक तहसील में पानी दे दिया और आप पूरा जिला गिना रहे हैं। नहीं, आपको बताना चाहिए।

सभापति महोदय, ईआरसीपी की बात बहुत जोरशोर से की गयी है। मैंने खुद ने हमारे देश के प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना है। उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना को पूरा करने की बात की। पांच साल निकल गये, हम मांग करते रहे, लेकिन इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। पांच साल बाद कहते हैं, हम बनायेंगे। पांच साल में इसकी कितनी कोस्ट बढ़ी है? वे किसके पैसे हैं? हमारे पैसे हैं। आज उसकी लागत ढाई गुना बढ़ गयी है। आपने आज तक क्या किया? आपने 50 हजार करोड़ की बात की है। आपने राजस्थान इर्रिगेशन वाटर ग्रिड सिस्टम की बात की है। इसके लिए आपने 50 हजार करोड़ रुपये दिये हैं। कहां से आयेंगे?

सभापति महोदय, बजट एक वर्ष के लिए रखा गया कि 2024-25 में आप क्या करने वाले हैं और इसके अन्दर आप 5 साल की बात कर रहे हैं। आप बताइये तो सही कि इस साल क्या करेंगे? लेकिन आपने नहीं बताया। महोदय, यह जो ईआरसीपी है, इसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया। खूब प्रयास किया। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हम, हमारे पैसे से योजना बनायेंगे और 9 हजार 600 करोड़ के टेण्डर जारी कर दिये। आप कह रहे हैं न कि वर्क ऑर्डर दिया। ये टेण्डर हमारे जारी किये हुए हैं। आप ईसरदा का पता कर लें, उसका आधा काम हो चुका है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं। मैं फिर उसी बात पर आता हूं। यह राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे पानी को रोकने लिए बांध बनने चाहिए। आप ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है। बजट देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके अन्दर आपने जो प्रावधान किये हैं, पैसा कहां से आयेगा? यह समझ के परे की बात है। इतनी ही बात कहना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 व 45 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं।

पिछली सरकार के बेवजह फिजूलखर्ची के बहुत सारे किस्से हैं,
लगता है इस बेपटरी की गाड़ी को ठीक से चलाना
भजन लाल जी और उनकी टीम के हिस्से है।

mdp/rtm/22.07.2024/14:50/2h

माननीय सभापति महोदय, 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने जो राजस्थान की जनता के लिए किया, उसकी प्रशंसा दबे मन से विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि सच स्वीकार करना वे सीख गये हैं। इस सदन के बाहर जब हमसे चर्चा करते हैं, तब यह भी कहा करते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम विपक्ष में बैठे हैं, हमें आलोचना करनी होगी। पिछली सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें काम तो नहीं दिया, लेकिन ट्रांसफर-पोस्टिंग की दुकान चलाकर राज़ी जरूर रखा। इस नाते वे हमारी अच्छी-अच्छी प्रशंसा बजट की तो कर ही रहे हैं, साथ ही पानी के लिए जो निर्णय माननीय भजन लाल जी ने लिये, जब 2013 की सरकार थी, तो उस सरकार का मैं भी हिस्सा था। उस सरकार में वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने 2016 में ईआरसीपी का विजन रखा था। उस विजन में जब सर्वे की एक बड़ी टोली बनाई थी, उस टोली के अन्दर मैं भी था। मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुख्य मंत्री जी ने पिछले 5 सालों के अदंर, बार-बार अशोक गहलोत जी के मुंह से, पूर्व मुख्य मंत्री के मुंह से ये सुन-सुन कर, क्योंकि हम दोनों ही पूर्वी राजस्थान से आते हैं, वे भी और मैं भी, हमने संगठन में काफी

लम्बे समय काम किया है, वे कहा करते थे कि ये मुख्य मंत्री जी ईआरसीपी के लिए रोज नई गोली दे देते हैं, लेकिन इसकी घोषणा नहीं करते। काम चालू नहीं कराते। मध्य प्रदेश के साथ समझौता नहीं करते, दिल्ली जाकर कोई मीटिंग नहीं करते और अधिकारियों के साथ बैठते नहीं है।

सभापति महोदय, चूंकि हम लोग, जिसकी पीड़ा होती है, वही जानता है। पूर्वी राजस्थान में पानी कितनी बड़ी समस्या है, ये कोई हमसे पूछे, लेकिन सरकार बनने के बाद पहला निर्णय उन्होंने पेपर लीक पर किया और दूसरा निर्णय पूर्वी राजस्थान की इस बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लगभग 65 हजार करोड़ इस योजना के अन्दर लगेगे और 21 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। बार-बार ये बातें तो करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रदेश के मुख्य मंत्री आए हों और बैठकर एक जाइंट प्रेस कांफ्रेस में यह कह कर गये हों कि हमारा समझौता हो गया और हम मिलकर इस योजना को लागू करेंगे। ऐसा डबल इंजन की सरकार के कारण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने बैठकर प्रेस कांफ्रेस करके ये घोषणा की। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी को और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग जब राजस्थान की चर्चा करते हैं तो पूरे देश में राजस्थान के बारे में जो परिदृश्य बना हुआ है, वह ऐसा है कि राजस्थान में सूखा है, राजस्थान में बूढा है, राजस्थान में पानी की समस्या है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के अन्दर इस बार 18 अरब से अधिक का बजट राजस्थान को हरित बनाने के लिए घोषणा की। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरी ओर से यह कहता हूं कि अब आवश्यकता पर्यावरण को बचाने की है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने 20 हजार हैक्टेयर भूमि में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट के लिए, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जा रहे हैं, मैं तो पानी पीने जा रहा था, इसलिए जा रहा था कि ये जो समझौता जिस दिन हुआ, उसको आज 6 महीने हो गये। अब तक मध्य प्रदेश ने अपनी डीपीआर ही शुरू नहीं की। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि ...(व्यवधान)... हम डीपीआर सबमिट कर देंगे।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक योजना चलाई और सबसे आग्रह किया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान। उस अभियान के पीछे उनकी जो मंशा थी, पर्यावरण को सुरक्षित करने की थी। हमारे राजस्थान में भी 7 करोड़ पौधे इस वर्ष लगाने का निर्णय लिया। हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री ने उसकी तैयारी चालू कर दी। हम सबको फोन करके कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में वृक्ष लगाने की योजना बनाकर आप लोग इस पर रफ्तार से काम कीजिए। मैं माननीय मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हरित राजस्थान की दृष्टि से 4 करोड़ की राशि से जो कार्य प्रारंभ होने वाला है, उसक लिए

भी माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, 70 साल की आजादी के बाद राजस्थान में 540 ही नर्सरियां विकसित कर पाए हम लोग, जबकि कई वर्षों तक कांग्रेस का राज इस प्रदेश में रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 नई नर्सरियां बनाने के लिए इस बजट में घोषणा की गयी। मैं उसके लिए भी हमारी सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। 2000 स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र के नाम से सम्मानित करने का उनका जो मूल उद्देश्य है, वह सिर्फ यह है कि पर्यावरण को लेकर लोग जागरूक हो, पर्यावरण की ओर लोगों का ध्यान जाए और राजस्थान के बारे में बाहर के लोगों की जो मंशा है, वह मिथक बदले।

सभापति महोदय, वृक्षारोपण के 1 हजार 650 करोड़ की राशि से एक बड़ी योजना बनाकर कार्य करने का शुभारम्भ भी हम लोग करने वाले हैं। जब वृक्षों की बात हो रही है तो प्रदूषण के बारे में हम चर्चा करे बिना हम रह नहीं सकते। जब बजट पर चर्चा हो रही थी, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर 10 हजार सोलर प्लांट लगाने की जो घोषणा की। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। वन क्षेत्र की दृष्टि से किले, धार्मिक स्थल, मन्दिर के स्थान, श्रद्धालु इन सभी सरिस्का, उसमें मेरा रणथम्भौर भी है, पांडुपोल भी है, इन सभी स्थानों को पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए भी एक बड़ी योजना हमारी सरकार ने बनाई। मैं तो इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल औसत उम्र आदमी की 75 से 80 वर्ष होने लगी है और उसमें लगभग हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं, अगर उस ऑक्सीजन को हम परचेज करें तो लगभग दस लाख रुपये का ऑक्सीजन हम लोग, इन वर्षों में जीवित रहने के लिए लेते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से एक निवेदन सदन के सभी सदस्यों से जरूर करना चाहूंगा कि हम सभी इसमें अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 10 वृक्ष स्वयं लगाने का संकल्प इस सदन से लेकर जाए तो मैं मानूंगा हमारा इस सदन में आने का उद्देश्य सार्थक हो गया और हमने इस पर्यावरण के लिए अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया।

Ans/rtm 15.00 2j 22.07.2024

सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र रणथम्भौर चारों ओर से घिरा हुआ है, जब इतना काम हमारी सरकार ने किया तो मुझे यह कहते हुए मुझे कतई संकोच नहीं होता। मेरे क्षेत्र में कुशालीपुरा से कुवालजी रोड़ थी, जिसकी घोषणा पिछली सरकार में, चार साल पहले ही हो गई थी और फोरेस्ट की एनओसी के कारण वह रोड नहीं बन पा रहा था। जब मैंने हमारे वन मंत्री से निवेदन किया, मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस रोड की एनओसी के लिए 3-4 बार अधिकारियों की बैठक बुलाई और बीते 15 दिन में उन्होंने उस एनओसी को देने का काम किया। मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जो काम चार साल से यह सरकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि इनकी मंशा काम की नहीं

रहती, इनकी मंशा तो वाहवाही लूटने की रहती है। इनकी मंशा सिर्फ इस बात की रहती है कि हम लोग कैसे अख़बार में छपे।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में विस्थापन बहुत बड़ा इश्यू है। विस्थापन में आने वाले गांव, जिनको पहले मुआवजे के तौर पर 2002 में एक पैकेज इश्यू हुआ, जिसमें तय हुआ 8 बीघा जमीन विस्थापित परिवार को दी जाएगी। वह विस्थापित परिवार उस जमीन को लेकर, जहां भी सरकार जमीन देगी, वहां विस्थापित हो जाएगा या फिर 5400 वर्ग फुट रहने के प्लाट के लिए, कहीं भी आस-पास के शहर में वह जमीन दी जाएगी। एनटीसीए की केन्द्र सरकार के प्रावधान के अनुसार, विस्थापित परिवार को यह जमीन देने का प्रावधान बना। साथ ही सरकार की ओर से यह तय किया गया कि विस्थापित परिवार में 18 साल के व्यक्ति को एक अलग परिवार मान कर हम उसको विस्थापित करेंगे। पिछली राज्य सरकार ने एक काला कानून लाकर इसको बदल दिया। अब 8 बीघा की जगह 6 बिस्वा जमीन देने का इन लोगों ने प्रावधान रखा। सभापति महोदय, बड़े दुख की बात है कि जो जमीन ये देने की बात करते हैं, जब विस्थापित परिवार दूसरी जगह अगर जमीन लेगा, तो जो मुआवजा राज्य सरकार दे रही है, उसकी डीएलसी रेट 25 हजार रुपये से लेकर 60 हजार रुपये हैं। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, किसी स्थान पर विस्थापित परिवार जाने वाला है, वहां 25 हजार बीघा की रेट पर क्या उसे जमीन आज के समय उपलब्ध हो पाएगी क्या। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस पैकेज को बढ़ाकर प्रेक्टिकल पैकेज बनाया जाए और पिछली सरकार के इस काले कानून को बदलकर, विस्थापित परिवारों के लिए और सुविधा विस्थापन के समय दी जाए?

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर लेकर जाना चाहता हूं, जहां कई वर्षों से पिछली सरकार कांग्रेस की होने के बाद भी..

श्री सभापति: शीघ्र समाप्त करें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): केन्द्र सरकार से लगभग पौने पांच करोड़ की पुलिया एनएच की हम सैंक्शन कराकर लाए। बोदल के खाल की पुलिया, उस पुलिया के अन्दर 150-200 मीटर का एक फोरेस्ट का टुकड़ा आता है जिसमें औसत महीने में 10-20 एक्सीडेंट हो जाते हैं। पिछली सरकार इतनी असंवेदनशील थी कि उसकी एनओसी देने का काम आज तक नहीं किया और वह पैसा यूं ही पडा हुआ है। मेरे क्षेत्र में लसोला बोदल रोड़, बालेर करणपुर रोड़, सीतामाता नीमली रोड, कुशालीपुरा तिराहे पर एक गुर्जर शहीद स्थल है। उस शहीद स्थल को बनाने के लिए भी कई बार हमने पिछली सरकार में प्रयास किए लेकिन यह सरकार किसी भी जाति, किसी धर्म के लिए गम्भीर नहीं है।

श्री सभापति: विराजें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): जबकि हम लोगों ने लगातार प्रयास किए और इनकी ओर से नेगेटिव जवाब आया।

श्री सभापति: श्री रामकेश।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पिछले पांच वर्षों में वहां पूर्व सरकार के मुख्य मंत्री थे..(व्यवधानी)..

श्री सभापतिः विराजें। श्री रामकेश।

श्री रामकेश (गंगापुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 42 व 45 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): उसकी भी जांच करानी चाहिए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): राजनीतिक दबाव से जो काम किए गए हैं, उनकी जांच वन विभाग को करानी चाहिए, माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा। धन्यवाद

श्री रामकेश (गंगापुर): जल संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर सदन में चर्चा हो रही है। उस चर्चा में मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूं। राजस्थान के करोड़ों किसानों की आजीविका का एक मात्र साधन कृषि है। हम सब जानते हैं कि कृषि में सिंचाई बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का प्रथम नम्बर का राज्य है, लेकिन हम लोगों को पानी की मात्रा में केवल 1.16 प्रतिशत ही उपलब्ध है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में कृषि और सिंचाई के लिए सरकार की तरफ से कई घोषणाएँ हुई है। मैंने बजट को बारीकी से पढ़ा और किसानों के लिए जो घोषणा हुई उसको भी पढ़ा। पश्चिमी राजस्थान, जिसको हम रेगिस्तान के रूप में जानते थे, पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने और इन सरकारों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाकर, पश्चिमी राजस्थान की तकदीर पलटने का काम किया। पूर्वी राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की जब बातें चली, तो पूर्वी राजस्थान के लोगों के चेहरे पर खुशी दौड़ रही थी। उनको यह उम्मीद थी कि यह सरकार हमारी सुध लेगी। पूर्वी राजस्थान में भी उसी तरीके से विकास होगा, उसी तरीके के सिंचाई के साधन होंगे, जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान में हुआ है।

माननीय सभापति जी, ईआरसीपी की कल्पना, भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने 2005 में मध्य प्रदेश से समझौता करके ईआरसीपी की बात को चालू किया। 2005 के बाद, वसुन्धरा जी को दुबारा मौका मिला। 2017 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। 2017 में वेपकोर्स कम्पनी से ईआरसीपी प्रोजेक्ट लांच किया। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को 50 परसेंट डिपेंडेबिलिटी पर बनाया। सीडब्ल्यूसी के 2010 के जो मापदण्ड है, उसके अनुसार इस प्रोजेक्ट को बनाकर, राजस्थान का हिस्सा था उनके अनुसार 3921 एम.सी.एम. पानी राजस्थान को मिलना था। वर्तमान में और इससे पहले केन्द्र सरकार में गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब जल शक्ति मंत्री बने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के कारण, वसुन्धरा जी को यह श्रेय नहीं जाए, वसुन्धरा जी को नीचा दिखाने के लिए, ईआरसीपी से हटाकर पीकेसी नाम देकर 75 परसेंट डिपेंडेबिलिटी पर

इस योजना को बनाने का काम किया।

VPS-RTM-22.07.2024-15.10-2k

75 परसेंट डिपेंडेबिलिटी पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मात्र 1775 एम.सी.एम. पानी ही मिलेगा जो पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में केवल पेयजल की योजना इससे लागू हो सकती है, सिंचाई के लिए किसानों को कोई पानी इस योजना से मिलने वाला नहीं है।

मैंने मुख्य मंत्रीजी से यह पहले भी कहा था कि आपने अभी मध्य प्रदेश से जो समझौता किया है, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, आप समझौता करके आये हो मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश से आपने किन शर्तों पर समझौता किया है? राजस्थान को कितना पानी मिलने वाला है? मध्य प्रदेश को कितना पानी मिलेगा? यह आपने तय किया होगा उस एम.ओ.यू. में लेकिन एम.ओ.यू. का अभी तक कोई अता-पता नहीं है। 13 दिसम्बर, 2022 को जो दिल्ली में मीटिंग हुई गजेन्द्र सिंह शेखावतजी की अध्यक्षता में तो उसमें यह तय किया था कि 75 परसेंट डिपेंडेबिलिटी पर ई.आर.सी.पी. की योजना को लागू किया जायेगा, बनाया जायेगा तो जब 75 परसेंट डिपेंडेबिलिटी की बात पर उस योजना को अगर बनाया जाता है तो राजस्थान के हितों की अनदेखी साफ-साफ जाहिर हो रही है। राजस्थान को जो पानी मिलने वाला था, वह पानी किसी भी रूप में नहीं मिल सकता है। 1775 एम.सी.एम. अगर पानी मिलता है तो राजस्थान के हितों के साथ यह कुठाराघात मानता हूं। यह अंदरूनी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और केवल वसुन्धराजी को नीचा दिखाने वाली यह राजनीति राजस्थान के किसानों को और विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के किसानों का गला घोंटने जैसा कदम भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार उठा रही है।

मैं मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप एम.ओ.यू. को बदलिये और 3921 एम.सी.एम. पानी जो राजस्थान का हक बनता है, उस पानी को लेकर रहें। मध्य प्रदेश ने मोहनपुरा और कुंडालिया बांध पहले ही बना लिये हैं और लगभग साढ़े आठ लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित बनाने का काम मध्य प्रदेश कर चुका है और राजस्थान के किसानों को अब इस योजना के तहत अगर कोई पानी मिलेगा तो वह बहुत कम मात्रा में पानी मिलेगा, यह राजस्थान के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा मजाक है। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा, आपके मार्फत मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी, आप अन्दर की राजनीति को छोड़िये और राजस्थान के किसान और पूर्वी राजस्थान के किसानों पर आप मेहरबानी करें और इस योजना को, पुरानी जो ई.आर.सी.पी. की योजना है, उस योजना के आधार पर ही ज्यादा से ज्यादा पानी लेकर आएं, यह हमारी मांग रहेगी।

(समय 15.13 बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में हमारे साथ हर बार मजाक किया गया।

हर बार पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ यह धोखाधड़ी हुई है। हमारे यहां पर एक पांचना बांध बना था। 2150 एम.सी.एफटी. का बांध है, वह 2006 से लगातार बंद पडा हुआ है। गम्भीरी नदी पर और गम्भीरी नदी के आस-पास के जो किसान हैं, दस हजार हैक्टेयर जमीन, लगभग चालीस हजार बीघा जमीन पिछले बीस सालों से असिंचित पड़ी हुई है, उनके खेतों में होकर वह नहरें निकलीं, उनको मुआवजा भी नहीं मिला और चालीस हजार बीघा जमीन के किसान अभी भी यह बाट जोह रहे हैं कि यह पांचना बांध का पानी खुले और हमारे खेतों में पानी आये। पांचना बांध भी बंद पड़ा हुआ है और इससे पहले इंदिरा लिफ्ट योजना का काम चला था। इंदिरा लिफ्ट योजना भी हमारे सी.डब्ल्यू.सी. से सैंक्शन होने के बाद में भी केन्द्रीय जल आयोग ने उसको स्वीकृति दे दी लेकिन उसके बाद में भी वह भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इंदिरा लिफ्ट योजना भी बंद पड़ी हुई है। पीपल्दा लिफ्ट, वह भी बंद पड़ी हुई है। पिछले बजट में हम लोगों ने चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट योजना का प्रावधान करवाया था। चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट योजना में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान उस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने किया और 20 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के बाद में यह उम्मीद जगी थी कि चम्बल से पानी लिफ्ट करके वह पांचना बांध में आयेगा और पांचना बांध से जगर बांध में जायेगा और जगर बांध से आस-पास का क्षेत्र सिंचित होगा और उससे सबको लाभान्वित किया जायेगा लेकिन इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ यह जो ज्यादती की जा रही है, यह पूरी तरीके से धोखा किया जा रहा है तो पूर्वी राजस्थान का किसान इसे किसी भी रूप में माफ नहीं कर पाएगा। अभी प्रधान मंत्रीजी आये थे विधान सभा चुनावों में तो करौली में आकर उन्होंने खुद ने जगर लिफ्ट योजना का जिक्र किया था और मुझे यह उम्मीद जगी थी कि जगर लिफ्ट की यह योजना निश्चित रूप से, आप इस बजट में सम्मिलित करेंगे लेकिन जगर लिफ्ट योजना को भी गायब कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, पांचना बांध को भी गायब कर दिया और यह ई.आर.सी.पी. और पी.के.सी. योजना, जिसको आप बता रहे हो कि यह 21 जिलों की कायापलट करेगी। जब आपके पास पानी ही नहीं आयेगा, जब पानी की मात्रा ही आपने आधी से भी कम कर दी, आधी से भी कम मात्रा में पानी जब राजस्थान को मिलेगा तो 21 जिलों के किसानों को कहीं पर भी सिंचाई का साधन नहीं मिल पाएगा। आप इस बजट में यह कह रहे हैं कि 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर में सिंचाई होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जब हम 50 परसेंट डिपेंडेबिलिटी पर अगर इस योजना को बनाते तो हमको 3921 एम.सी.एम. पानी मिलता और अगर हम 75 परसेंट डिपेंडेबिलिटी पर बनाते तो केवल 1744 एम.सी.एम. पानी ही मिल रहा है और जिन बांधों का आप जिक्र कर रहे हैं, डूंगरी बांध की आप बात कर रहे हो, डूंगरी बांध से आप ईसरदा को भी भरने की बात कर रहे हो, डूंगरी बांध से आप रामगढ़

में भी पानी लाना चाहते हो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, आवाज कम करें।

श्री रामकेश (गंगापुर): आप डूंगरी बांध से दूसरे बांधों में भी पानी लाना चाहते हो। डूंगरी बांध की अगर 75 परसेंट डिपेंडेबिलिटी की बात करे तो केवल 82 एम.सी.एम. पानी ही मिलेगा। 82 एम.सी.एम. पानी वहां के आसपास के लोगों के पेयजल के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो ऐसी भद्दी मजाक और जनता को गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हो। ई.आर.सी.पी. और पी.के.सी. का नाम लेकर पूर्वी राजस्थान को किसानों को ठगने का काम कर रहे हो और आपसी राजनीति का शिकार पूर्वी राजस्थान के किसानों को आप बनाना चाहते हो। पूर्वी राजस्थान का किसान समय आने पर आपको इसका सबक सिखाएगा। आप यह समझ लीजिए कि यह जिस तरीके से आपने ई.आर.सी.पी. और पी.के.सी. को जो फुटबॉल बनाकर पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ जो अन्याय और धोखाधड़ी की है और अभी भी इस ई.आर.सी.पी. और पी.के.सी. को लागू नहीं करना चाहते हैं। छह महीने हो गये हैं एम.ओ.यू. हुए, छह महीने से अभी भी आप इसको फुटबॉल बना रहे हो और एम.ओ.यू. को क्यों नहीं आप सदन के पटल पर रख रहे हो? जब बारबार यह मांग की जा रही है कि एम.ओ.यू. को आप बताइये कि किस आधार पर आपने, किन शर्तों पर मध्य प्रदेश से यह समझौता किया है? आपको बताने में इसमें क्या शर्म है? आपको सदन के सामने यह बात रखनी चाहिए, जिससे लोगों को यह पता लगे, सारे माननीय सदस्यों को यह पता लगे कि आप यह समझौता करके राजस्थान के हितों की आप रक्षा करेंगे। आपने राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं करके और अंदरूनी राजनीति में फंसकर पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ जो ज्यादती कर रहे हो मैं इसको कंडेम करता हूं और यह मांग करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जो पुरानी योजना थी, उसका आप ई.आर.सी.पी. ही नाम रख देते। यहां से लेकर दिल्ली तक पूरा गुट सक्रिय हो गया, गजेन्द्र सिंह शेखावतजी से लेकर और यहां बी.जे.पी. के लोग एकजुट होकर और वसुन्धराजी को नीचा दिखाने के लिए ई.आर.सी.पी. का नाम हटाएंगे, ई.आर.सी.पी. का नाम हटाएंगे, भाई, आप ई.आर.सी.पी. का नाम हटा दीजिए, आप और कोई नाम रख दीजिए लेकिन राजस्थान के हितों के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। 3921 एम.सी.एम. पानी अगर आप लाएंगे और राजस्थान के किसानों का हित करोगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे लेकिन अगर इससे कम पानी का अगर आपने एम.ओ.यू. किया तो आपका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जायेगा। पूर्वी राजस्थान का किसान आपको किसी भी रूप में माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।

SSY/RTM/22.07.2024/15:20/2I

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज जल संसाधन विभाग की मांग संख्या 42 पर ओसियां क्षेत्र सहित पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ के जिलों में किसानों की फसलों की सिंचाई हेतु नहरी पानी लाने के लिए ईआरसीपी की योजना

की तर्ज पर डब्ल्युआरसीपी पर बोलने का मौका दिया, उसके ऊपर चर्चा करने का और बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): इससे पहले जल संसाधन मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में सिर्फ 6 महीनों के अन्दर ईआरसीपी की योजना लाकर के पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों का सिंचाई और पेयजल के लिए इतना बढ़िया काम किया है।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहने से पहले, मैं अपनी खुद की लिखी हुई कविता से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अब आप वर्तमान की बात करो, पुरानी कविताएं छोड़ो और कोई वर्तमान पर बात करो। ना चूल्हा मिट्टी का रहा, ना हल बैल का रहा। फिर क्यों तमाशा होता है लोकतंत्र के मन्दिर में, यह धरती है मीरा बाई की, यह धरती है कर्मा बाई की, यह धरती है भक्ति की, यह धरती है शक्ति की, यह धरती है अपनायत की, यह ठाकुर है और यह किसान है पर लोकतंत्र के मन्दिर में 36 कौम के लोग सभी तो हमारे अपने हैं। महाराणा और सूरजमल के वंशजों को लड़ाना बंद करो। मुगलों और अंग्रेजों की चालें अब चलना बंद करो। आपके कुएं तो कब के सूखे, अब तो नलकूप भी सूख रहे हैं। आप बातें कर रहे हैं मिट्टी के चूल्हों की और मिट्टी के ही तालाब की, वह तालाब तो कब के सूख गये, कोई कर सको तो किसान की जरूरत की बात करो और कोई कर सको तो भागीरथी प्रयास करो। गंग नहर की तर्ज पर इस मरुधरा का उद्धार करो। धोरा धरती सूख रही है, कोई बात करो तो कैनाल पर बात करो। पुरानी कविताएं छोड़ो और कोई वर्तमान पर बात करो।

सभापति महोदय, मैं ओसियां विधान सभा क्षेत्र से और ठेठ पश्चिमी राजस्थान से आता हूं। आपकी राजस्थान नहर परियोजना हमारे पश्चिमी राजस्थान की, यदि मैं बात करूं प्राकृतिक रूप से तो हमारे बड़े बुजुर्गों को अपने सर पर घड़ा रखकर 10-10, 20-20 किलो मीटर दूर से पीने के लिए पानी लेकर आना पड़ता था। आज धरती के भू गर्भ का भी पानी सूख गया है। उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसलिए मेरा जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप जैसे ईआरसीपी की योजना लाए, ऐसे ही हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए डब्ल्युआरसीपी की आवश्यकता पर मैं आपको महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं।

नम्बर वन, आपकी माही परियोजना जो 1966 के समझौते को लागू कराना था, वह 10 जनवरी, 1966 को राजस्थान व गुजरात राज्य के मध्य हुए समझौते को धरातल पर अविलंब लागू करवायें, जिससे राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा होगा। शारदा, यमुना, साबरमती लिंक प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने वाले इस प्रोजेक्ट की एक लाख करोड़ की अनुमानित लागत से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लम्बाई 1835 किलोमीटर है। भारत-नेपाल सरहद तक की हिमालय क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी का पानी राजस्थान तक लाने के लिए हमें भागीरथी प्रयास करने होंगे। उक्त परियोजना को

लागू करने के लिए राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाये।

एक महत्वपूर्ण बात है कि माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने की डीपीआर को भी तुरंत और समयबद्ध रूप से तैयार करवाया जाये। यमुना, घग्घर, जोजरी, लूणी तथा साबरमती नदी योजना को सर्वे करवाकर उसको भी लागू करवाना हमारे किसानों के हित में होगा। सिंधु जल समझौता 1960 की समीक्षा करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाये, ताकि सतलुज, रावी, व्यास, घग्घर नदियों का अत्यधिक वर्षा के दौरान जो पानी पाकिस्तान की ओर डाइवर्ट किया जाता है, उसे राजस्थान की तरफ सिंचाई के लिए लाया जा सके और डब्ल्युआरसीपी की योजना को मूर्त रूप दिया जा सके। रन-आफ वाटर और वाटर ग्रिड के तहत स्वीकृत कार्यों सहित जो जवाई बांध से जोधपुर तक फीडर नहर का कार्य है, उसको भी अति शीघ्र शुरू करवाया जाये। यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

सभापति महोदय, अब मैं पश्चिमी राजस्थान की नर्मदा नहर तथा इंदिरा गांधी नहर की परियोजना की मरम्मतीकरण का काम कराते हुए बिना कटौती किये हुए पूरे हिस्से का पानी दिया जाये ताकि उनका विस्तार भी किया जा सके। ओसियां क्षेत्र के अन्दर गिरते हुए भू जल के स्तर को रोकने के लिए तथा वर्षा जल के संचय हेतु क्षेत्र में नवीन बड़े-बड़े बांध का निर्माण करवाया जाना अत्यंत जनहित के अन्दर है। जो निम्नलिखित है, एक तो आपका बालरवा, बाड़ी, मारुंगा बड़ा, कोटेचा, दूसरा संतोड़ा के नैरवा चारणान, वीर तेजा नगर, जलूगगाड़ी, भवाद, उजलिया, मेवासा, डाबरा और गिरभाकर, नांदिया कलां, नेवरा, दूदांडा, ओसियां, बेटवासिया, मांडी खुर्द, बनसिया और कोटवाली में किया जाये।

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि मारवाड़ की सूरत बदलनी चाहिए। इस हिमालय रूपी सदन से कोई गंगा रेगिस्तान के लिए निकलनी चाहिए। ना जात होगी, ना पात होगी, राजस्थान के चहुंमुखी विकास की बात होगी। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, इस सरकार ने बहुत से काम किये। बजट भी अच्छा दिया। लेकिन बजट के साथ-साथ चित्तौड़गढ़ में, जिले में और विधान सभा में पानी की समस्या भी है, नहरों की समस्या भी है, एनिकटों की समस्या भी है, बांध की समस्या भी है।

चित्तौड़गढ़ नहरी इलाका है। मेरे चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में 4-4 डैम हैं। उन 4 डैमों की नहरों की टाइम पर साफ-सफाई हो। ओरई डैम है, उस डैम की नहरें चित्तौड़गढ़, बेगूं, भीलवाड़ा में जाती हैं। लेकिन उसकी रिपेयरिंग का काम हर साल होता है। नहरें नई भी बनती हैं। लेकिन वह ढंग से काम हो नहीं पाता है। अधिकारी उनको ढंग से देख नहीं पाते हैं। ठेकेदार काम पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मंत्री महोदय, इस सरकार के इस कार्यकाल में जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हों, उन ठेकेदारों की मानिटरिंग भी हो। काम की मानिटरिंग

भी हो।

आपके पास जेईएन, एक्सईएन जो भी कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनकी काफी कमी है। इस चीज को मान सकते हैं। जो कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनको देखते हुए अच्छे काम हों, अच्छा वर्क हो। हमारे ओरई की नहरों में लास्ट टेल तक पानी पहुंचे। बस्सी डैम का पानी लास्ट तक पहुंचे। उसके लिए जहां-जहां भी नहरों में दिक्कत है वहां नया बजट देकर उसकी पूर्ति करवायें।

Spp/Rtm/22.07.2024/15:30/2m

सबसे बड़ा बांध हमारे गंभीरी बांध का है। गंभीरी की नहरें भी पूरी चित्तौडगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आती हैं और उस बांध की क्षमता भी काफी है। वहां भी नहरें काफी लम्बे समय से टूटी हुई हैं। उसकी पूर्ति भी आप लोग करायें। चम्बल का पानी जो लाने की बात हुई है, उसके लिये टेंडर भी हुए हैं और काम भी चालू हो गया है पर वह काम टाइम पर हो जाये अच्छा काम हो और अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि ऐसी बहुत-सी टंकियां और लाइनें हैं पर वहां पर पानी नहीं आ पाया और आज वह टंकियां खत्म सी हो गयी हैं। वहां की पाइप लाइनें खत्म हो गयी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्रीजी बैठे हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं कि जो चम्बल का पानी आ रहा है, उसकी मानिटरिंग आप ऐसी करें क्योंकि केवल पाइप लाइन डालने से, केवल मात्र टंकी बनने से काम नहीं चलेगा। उसके पानी की मानिटरिंग भी हो और पानी टाइम पर पहुंचे और वहां अगर कोई भी टंकी बनती है और साल दो साल अगर उसमें पानी नहीं भरते हैं तो वह टंकी खत्म हो जाती है। इसलिये सरकार का पैसा व्यर्थ नहीं जाये। चम्बल का पानी चित्तौड़गढ़ की 46 पंचायतों में पहुंचे। पूरे शहर में पहुंचे उसके लिये मानिटरिंग हो। **(समय समाप्ति सूचक घंटी)**

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय सदस्य, यह पेयजल की डिमांड नहीं है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): मंत्रीजी बैठे हैं।

उसके लिये टाइम पर पानी पहुंच जाये। मेरे पांच-सात एनिकट हैं, उन एनिकटों के लिये मैंने मंत्रीजी को दिया भी है। मेरी साकेड़ा की नहर भी हो जाये और भी धराणा के एनिकट और भी ऐसे पांच-सात एनिकट हैं, वह एनिकट की भी हमारे वहां पूर्ति हो जाये।

वन विभाग मंत्रीजी ने तो हमारे काफी दिया है। उसके अलावा भी एक मातृ वन, जो चित्तौड़गढ़ शहर में निर्मल वन के नाम से हमने डवलप किया है, वहां पर काफी पैसा देना बाकी है। मैंने प्रस्ताव भी दिया है, माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट का समय और चाहिये। वहां मातृ वन भी आप दे दें। मेरे वहां काफी सैंक्चुरियां हैं। बस्सी सैंक्चुरी है और भी भदेसर में वहां एक सैंक्चुरी बनाने की योजना है, पहले फोरेस्ट का बना हुआ तो है वहां भी मैंने प्रस्ताव दिये हैं तो फोरेस्ट में भी आप जितना कर सकते हैं क्योंकि चित्तोड़गढ़ विधान सभा में और चित्तौडगढ़ जिले में काफी फोरेस्ट है उसके लिये पैसा, क्योंकि डबल

इंजन की सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है और केन्द्र में भी सरकार है। ऊपर जो मंत्रीजी बैठे हैं वह भी राजस्थान से जीतकर, अलवर से जीतकर वहां पर मंत्री बने हैं और यहां भी अलवर के मंत्री बने हैं तो दोनों का काम्बीनेशन भी अच्छा है। दोनों साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं तो पैसा आने की कोई कमी नहीं रहेगी। पैसा भी अच्छा आ जाये और हमारे एरिये में अच्छा डवलपमेंट हो जाये और आने वाले दिनों में फोरेस्ट में नीचे गार्ड वगैरह के जो ट्रांसफर होते थे, वह पहले नीचे हम डी एफ ओ लेवल पर करवा लेते थे। अब वह फाइलें नीचे की, गार्ड वगैरह की यहां आ रही हैं। वह भी आप नीचे दिखवा लें तो अच्छा रहेगा। आपने मुझे मांग संख्या 42 और मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और मांग संख्या 45 जल संसाधन पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है।

रहिमन पानी राखिये, बिना पानी सब सून

पानी न गये उबरै मोती मानस चून।''

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले ERCP से बात चालू करना चाहूंगा। ERCP का प्रोजेक्ट का जो एम ओ यू आपने किया है, वह 28 जनवरी, 2024 को किया है और इसको 6 माह हो गये हैं। 6 माह में अभी तक प्रदेश की जनता को और विपक्ष के साथियों को यह पता नहीं है कि आपने इसमें क्या समझौता किया है? इसकी पहले वाली ही डी पी आर रहेगी या नई डी पी आर बनाने जा रहे हैं तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन रहेगा कि यह बात आप सदन के सामने रखें और क्या एम ओ यू किया है, यह भी आप बताने की कृपा करें। मध्य प्रदेश सरकार से आपने जो एम ओ यू किया है, वह मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गयी हुई है। उस प्रोजेक्ट का नाम ERCP की जगह दूसरा नाम रख लिया PKC, PKC का प्रोजेक्ट तो माननीय सभापति महोदय, 2004 में ही बन्द हो गया था। सरकार ने उसी वक्त इसको बन्द कर दिया था। अब इसको दुबारा कैसे जिन्दा कर पायेंगे, मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि आपने फिर इसका PKC नाम रख दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जल संसाधन मंत्रालय में ई आर सी पी के लिए हमारे पूर्वी राजस्थान में बड़े भारी आन्दोलन हुए और जनता को बड़ी उत्सुकता है कि इस योजना से हमारे यहां भारी विकास होगा, पानी आयेगा और जिस तरह से आपने एम ओ यू किया है इससे तो शायद पीने का पानी भी नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि सरकार की आंखों में पानी होगा तो जनता को पानी मिल पायेगा। यह कोई ऐसा शब्द भी नहीं है पर यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सालों-साल से लोग आन्दोलित हैं। गांव-गांव में आन्दोलन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं

कि ई आर सी पी का सपना चूर-चूर होता नजर आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी भजनलाल जी हमारे पूर्वी राजस्थान से आते हैं और पूर्वी राजस्थान में जब से ये मुख्य मंत्री बने हैं तो उनकी बड़ी उत्सुकता है कि हमारे यहां ई आर सी पी का पानी आयेगा, लेकिन ई आर सी पी का पानी आना तो बहुत दूर की बात है, आज जिस तरह की स्थिति प्रदेश में बन रही है, पहले माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने जयपुर में, अजमेर में कई जगह भाषण दिये कि इसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने जा रहे हैं, पर वह आज तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। मुझे लगता है कि यह कहीं कागजों में इस तरह से उलझ कर रह जायेगी और मध्य प्रदेश ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश किया है, कोर्ट में केस किया है तो उस केस से यह योजना शायद यहीं लटककर रह जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे भरतपुर, करौली, हिण्डौन, धौलपुर और महवा, सभी क्षेत्रों में गंभीर नदी एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी नदी है और गंभीर नदी में पांचना डेम बना हुआ है। पिछले 20 साल से वह बन्द है। किसी भी तरह से उसमें पानी नहीं आ रहा है। अगर उसको बीच बीच में खोल दिया जाये तो लोगों को वहां पर पानी मिलने की व्यवस्था हो सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हमारे एक समाजसेवी ताराचन्द मीणा थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे किया और सालों-साल तक उन्होंने एक सर्वे करके सरकार को बताया और हमारी पूर्ववर्ती सरकार गहलोत साहब की सरकार को भी बहुत सारा काम करके उसमें बताया। उन्होंने यह रिपोर्ट बनायी कि गंभीर नदी पर हर पांच किलोमीटर पर एक एनिकट बनाया जायेगा तो उस एनिकट से जनता को भारी लाभ मिल पायेगा। इसके साथ ही, जो ई आर सी पी की जो बात थी, उसमें यह कह रहे थे कि यह ई आर सी पी तो पहले ही चालू कर दी। माननीय अशोक गहलोत जी ने उसमें 9 हजार करोड़ से ज्यादा का जो बजट रखा तो उसमें केन्द्रीय मंत्रीजी ने एक चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी को, कि इस योजना को बन्द किया जाये। इसमें काम ही नहीं किया जाये। उस वक्त अशोक गहलोत साहब ने कहा था कि यह योजना बन्द नहीं होगी, चाहे मुझे बन्द होना पड़े।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): उसमें एक रुपया खर्च नहीं हुआ।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): कैसे खर्च नहीं हुआ, उसके टेंडर हो गये। काम आज भी चल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में काम चल रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं सरदारजी? आप माननीय सदस्य चलकर देखो। वहां पर आज भी काम चला हुआ है। काम चल रहा है और आप अब जो कर रहे हैं, जो वर्क आर्डर जारी किये हैं, वह हमारी सरकार के टाइम के ही टेंडर है। मेरा आपसे निवेदन है कि पक्ष और विपक्ष, दोनों ही हम एक सिक्के के पहलू हैं। पर यह बहुत गंभीर विषय है, किसानों का विषय है। इस विषय पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिये। आपने पहले उसमें 13 जिले थे, अब 21 जिले कर दिये। यह भी अच्छी बात है कि उसका दायरा बढ़ा दिया। पर जो पहले डी पी आर बनी थी, उसमें खूँटा चैनपुर एक मुख्य

जगह पानी का स्टोरेज का रखा था। अब यह हमारी उत्सुकता है कि वह है कि नहीं, उस जगह को रखा या नहीं या उसमें चेंज कर दिया। गांवों में लोग, किसान हमसे पूछते हैं कि खूँटा चैनपुर में जो वाटर का स्टोरेज रखा था, जो डेम रखा था, वह है कि नहीं? हमारी समझ में यह ही नहीं आ रहा कि सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है?

इसके साथ-साथ मैं एक और विषय पर निवेदन करना चाहूंगा। जल संसाधन विभाग में 1998 में जो अभियंताओं की भर्ती हुई, उसमें 20 वर्ष से पहले से अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिशाषी अभियंताओं को पदोन्नति के अभाव में एक ही पद पर काम करना पड़ रहा है। पिछले 20 साल से एक ही पद पर काम करना पड़ रहा है। अधिशाषी अभियंता कई तो सेवानिवृत्त हो गये और कुछ इस वर्ष में भी होने जा रहे हैं। इस प्रकार राज्य सेवा के चयनित होने वाले 26 साल तक इन्हीं आरक्षित वर्ग के लोगों को मात्र एक ही पद पर कार्य करने का मौका मिला है जिसमें सिर्फ एस सी, एस टी के लोग हैं। क्या कह रहे हैं साहब?

MLS/RTM/22.07.2024/15:40/2n

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): यह जो आप फरमा रहे हैं, वह पिछले पांच सालों का रिकॉर्ड बता रहे हैं न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, 26 साल पुराना। मैं पांच साल का ही नहीं बता रहा, 26 साल का है यह। उसमें हमारी सरकारें भी रही हैं, आपकी भी सरकारें रही हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): जब आपके हाथ में होता है एससी, एसटी के लिए कुछ करने का, तब तो कुछ करते नहीं, उलटे अफसरों को रिवर्स करते हैं, उन्हें डीमॉरलाइज करते हैं। जब उधर बैठ जाते हैं, तब आपको याद आता है? उधर बैठते हैं तो एससी-एसटी याद आती है आपको? इतने दिन भूल जाते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): जवाब मंत्री जी देंगे या आप देंगे?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं जवाब नहीं दे रहा, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपसे सवाल पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फटाफट बोलें, समय निकल रहा है आपका।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मेरा आपसे निवेदन है कि एससी, एसटी के ये जो अभियनता हैं, इनका आप प्रमोशन करें। अभी दो-चार महीने में ही इनका रिटायरमेंट हो जायेगा तो ये लोग अपने लाभ से वंचित रहेंगे। मेरा जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इन 38 पदों के प्रशासनिक आदेश जारी कराएं। इसके साथ-साथ, सिंचाई विभाग के जो तालाब हैं, पहले सरकारों ने इनको सिंचाई विभाग से ग्राम पंचायतों को दे दिया। ग्राम पंचायतों के पास बजट है नहीं। इन तालाबों की स्थिति खराब है। नहरों का कोई काम उनमें नहीं हो रहा है। वे जर्जर हो रहे हैं। कई जगह बरसात के कारण टूट भी गये हैं। वे तालाब जनता के कोई काम नहीं आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो सिंचाई विभाग के तालाब हैं, वो तो अलग बात है, पर पहले सरकारों ने वे ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दिये।

इससे आज उन तालाबों पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। अतः उन तालाबों को वापस जल संसाधन विभाग को दिया जाये और उनके रख-रखाव हेतु उनकी स्थिति को ठीक किया जाये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चम्बल हमारे लिए बहुत बड़ी जीवनदायिनी नदी है। उसमें पानी की कोई कमी नहीं है। जगर बांध, पांचना बांध, पहले अशोक गहलोत साहब के टाइम पर उसमें बजट भी दिया गया था। कुछ काम उसमें पूरा भी हो गया है, सर्वे भी हो गया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि उस योजना से हमारे पूर्वी राजस्थान में जो माड़ एरिया है, उसमें हजारों फीट तक ग्राउंड वॉटर नहीं है। जमीन में कोई पानी नहीं है। सिर्फ उस आधार पर किसानों को लाभ मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक योजना और है फार्म पॉन्ड की। फार्म पॉन्ड किसानों के लिए वरदान साबित हुए हैं। जब फार्म पॉन्ड की योजना चली थी तो उसमें अनुदान की राशि कम मिलती थी। अब मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि उसकी अनुदान राशि हम बढाएं। वह बहुत महत्त्वपूर्ण योजना है, उसमें आप 3 से 5 लाख तक का अनुदान करेंगे तो किसानों को फायदा होगा। अगर फार्म पॉन्ड की योजना नहीं होती तो माड़ के किसान अब तक पलायन कर जाते। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये फार्म पॉन्ड कृषि विभाग में आते हैं, पर इनको जल संसाधन विभाग में लिया जाये। इन्हें किसी-किसी एरिया में डिग्गी योजना भी बोलते हैं।

श्री सभापतिः श्रीमान् अंशुमान सिंह जी भाटी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभापति जी, पर्यावरण का तो रह ही गया।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महादेय, आपने मुझे आज मांग संख्या 42 और 45 पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 650 किलोमीटर लम्बी इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से तकरीबन राज्य के 16 जिले लाभान्वित होते हैं। इस नहर से तकरीबन 65 लाख बीघा से भी अधिक धरती सिंचित होती है और तकरीबन चौथाई राजस्थान की आबादी इसी से अपने पीने का पानी लेती है। अतः इसे रेगिस्तान की गंगा कहना कोई गलत नहीं होगा। 8 हजार करोड़ की लागत से बनने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रत्येक वर्ष हिन्दुस्तान को तकरीबन 16 हजार करोड़ की फसल देती है, 2 बिलियन डॉलर्स।

इससे न सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पानी के क्षेत्र में विकास होता है, बल्कि ग्रामीणों की जीवनशैली, रहन-सहन, पहनावा, यहां तक कि रिश्तेदारी में भी इससे सुधार आता है। वर्ष 1980 से 1989 इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बेलदार, मेट व गेज रीडर जैसे श्रमिकों की भर्ती रखी गयी थी, जिनका नहरी तंत्र की सुरक्षा करना व जल वितरण पर प्रभावी नियंत्रण व निगरानी रखने का काम था, परन्तु समय बीतता गया और समय के साथ-साथ लगातार ये श्रमिक सेवानिवृत्त होते गये और आज के समय में मात्र 3 प्रतिशत स्टाफ ही बाकी है जो 2026 तक शून्य हो जायेगा। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 1 हजार कैनाल गार्ड, बेलदार, मेट व गेज रीडर जैसे श्रमिकों की भर्ती की जाये, जिससे सिंचाई

प्रणाली सुदृढ़ और मजबूत हो और सुचारू रूप से चल सके।

इतने विशाल नहरी तंत्र की सुरक्षा तथा जल वितरण की पानी चोरी रोकने के लिए हमें एक विशेष टास्क फोर्स की भी आवश्यकता है, जो उस पूरे के पूरे राज्य में काम आयेगी। प्रदेश की विभिन्न नहरी सिंचाई प्रणाली, जैसे नर्मदा नहर प्रणाली व खासकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में विशाल सिंचाई क्षेत्र के सिंचाई विभाग के काफी पद रिक्त हैं। विभागीय कार्रवाई का भय नहीं होने के कारण से कई असमाजिक तत्व बेखौफ होकर खुलेआम साइफन के माध्यम से, पम्प सैट के माध्यम से चोरी करते हैं। इससे होता यह है कि अन्तिम छोर पर बैठे हुए किसान को प्राय: खुद के हिस्से का निर्धारित पानी भी नहीं मिल पाता है। केन्द्र, राज्य सरकार के हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी पानी चोरी रोकने के लिए कठोर नियम नहीं होने से आजादी के 77 साल बाद भी टेल पर बैठा हुआ कृषक आज भी एक-एक बून्द पानी के लिए तरस रहा है।

जुलाई, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए हुए निर्देशित किया कि जांच एजेंसियों को सात वर्ष तक की जेल की सज़ा वाले अपराधों के लिए आरोपी के उपस्थित होने का नोटिस जारी किये बिना और फिर इसे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किये बिना आरोपियों की गिरफ्तारी करने से बचना चाहिये। हिन्दुस्तान में अपराधियों को गिरफ्तारी का भय होता है। जब यह भी खत्म हो जायेगा तो यह व्यवस्था कैसे चलेगी? मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान इर्रिगेशन और ड्रेनेज एक्ट, 1954 की धारा 55 में संशोधन कर जो भी लगातार पानी की चोरी करता हुआ आदतन अपराधी हो, उसके खिलाफ सात साल से अधिक सज़ा हो, जिससे उनमें भय व्याप्त होगा और अन्तिम छोर तक बैठे कृषक तक पूरा पानी पहुंच पायेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विशाल सिंचित क्षेत्र के सीएडी विभाग द्वारा 1985 से 2000 के बीच में खाळों का निर्माण कराया गया था।

इन 30 से 35 वर्ष पूर्व निर्मित खाळों की ढंग से देखभाल नहीं हो पायी, रख-रखाव नहीं हो पाया। विभागीय लापरवाही से आज अधिकतर खाळे टूटने की स्थिति में हैं। साथ ही, इन खाळों की मरम्मत हेतु कोई नियमित बजट प्रावधान भी नहीं है, इसलिए राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि सीएडी खाळों की मरम्मत हेतु 25 से 30 वर्ष की एक न्यूनतम समय-सीमा तय की जाये और प्रत्येक बजट वर्ष में प्रावधान कर इन खाळों की मरम्मत की जाये। इसी सम्बन्ध में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1985 से 1990 के बीच में जो भी खाळे बनाये गये हैं, उनके लिए बरसलपुर शाखा के लिए 70 करोड़ और चारणवाला शाखा के लिए 50 करोड़ के अतिरिक्त बजट की भी हमें आवश्यकता रहेगी।

आज से 30-35 वर्ष पूर्व अधिकतर ग्रामीण गांवों में निवास करते थे, परन्तु जैसे-जैसे समय बीता, नहर और सिंचाई की सुविधा होने से लोग चकों में रहने लग गये। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण पुलियाएं भी वहां पर पर्याप्त नहीं थीं, इसलिए लोगों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अत: रेगिस्तानी क्षेत्र में जल्द से जल्द नहरों पर पुलियाएं बनाने की आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत में आने वाली दो बड़ी

शाखाएं- बरसलपुर और चारणवाला में क्रमशः 100 करोड़ व 125 करोड़ के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत के कार्य 2023-24 में स्वीकृत किये गये थे, परन्तु मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है, विगत सरकार में हुए भ्रष्टाचार के कारण ये काम सरकारी मापदण्डों के आधार पर नहीं हो पाये और न ही इनकी गुणवत्ता उस स्तर की रही।

लगातार 35 वर्ष के लम्बे इन्तजार के बाद हमें यह फंड मिला। आगे आने वाले 35 साल के बाद हमें यह फंड नहीं मिलेगा, इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो भी, जैसे एक कम्पनी है गोपी-कृष्ण, हैदराबाद, ऐसी कम्पनी की जितनी भी काम में अनियमितताएं हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे जनता के हक का पैसा सही जगह लग सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत के मगरा क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं है। इससे बहुमूल्य वर्षा जल रेगिस्तान में व्यर्थ ही बह जाता है और हमारे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात होते हैं। अगस्त 2023 में अतिवृष्टि से हमारे क्षेत्र के कई गांव, जैसे मण्डाल भाटियान, मण्डाल चारणान, गड़ियाला, मोटासर, ग्रांधी, बज्जू, इनमें बाढ़ की स्थिति हो गयी थी। वहां पर रोडें टूट गयी थीं, नहरें टूट गयी थीं, यहां तक कि लोगों की फसलें, खेत, उनके ट्यूबवैल, उनका सारा साज-ओ-सामान नष्ट हो गया था।

mkd/rtm/22.07.2024/15:50/2o

मैं आपसे अनुरोध करता हूं मेरे क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्राकृतिक एवं पारम्परिक जल स्रोत का पुनर्निमाण करने हेतु वाटरशेड एवं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया जाये। इसलिए, मैं आपसे अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये की मांग करूंगा। जिससे जल संरक्षण होगा, भूजल स्तर बढ़ेगा और भूमि का कटान भी कम होगा, साथ ही पर्यावरण और पशुधन को भी लाभ होगा।

अन्त में, मैं यही कहना चाहूगा, जब सिंचाई पर बात चल ही रही है तो आज हम सभी को इस आधुनिक भारत के भागीरथ व केसर ए हिन्द महाराजा गंगासिंह जी को भी याद करना चाहिए। उन्हीं का प्रयास था। मात्र 18 साल के अन्दर, जब वे राजा बने तो 1899 में छपनिया अकाल आया। इस अकाल से ज्यादा विनाशकारी अकाल शायद ही राजस्थान की इतिहास में आया। मात्र 18 साल के राजा के सामने एक ऐसी चुनौती आई। उसके सामने उसकी 20 प्रतिशत जनता एक साल में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गयी। इससे विचलित होकर उन्होंने यह प्रण लिया कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से मेरी जनता को नहीं गुजरना पड़े।

इसलिए, मैं एक ऐसी नहरी व्यवस्था लेकर आऊंगा, जिससे आगे भविष्य में अकाल से मेरे क्षेत्र में कोई भी परेशानी नहीं आयेगी। इसी के तहत उन्होंने, बहावलपुर, पंजाब और बीकानेर रियासत के बीच में कई बार वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन लगातार वार्ता विफल रही। उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और लगातार लगे रहे। 1921 में तीन राज्य आपस में

एक समझौते में आये और सतलुज पानी समझौता तय हुआ। उसी के कारण 1927 में इस रेगिस्तान को चीरते हुए गंग कैनाल अपने बीकानेर के अन्दर, अपने राजस्थान के अन्दर आई।

इसके लिए तकरीबन उस समय में 5 करोड़ रुपये खर्च हुए। उस समय महाराजा गंगासिंह जी ने यह बात रखी कि मैं अंग्रेजों की सरकार से एक रुपया भी नहीं लूंगा। उन्होंने खुद के निजी खर्चे पर खुद के महल, खुद की सम्पत्ति को गिरवी रखकर 5 करोड़ से यह नहर बनाई और उसका लाभ आज अपन सब ले रहे हैं।

जिन्दगी के आखिरी समय में गंगासिंह जी कैंसर से त्रस्त थे, पीड़ित थे। 2 फरवरी, 1943 को उनको कोमा के अन्दर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परन्तु मृत्यु से मात्र एक घंटे पहले गंगासिंह जी होश में आते हैं और होश में आकर हल्के शब्दों में यही बात कहते हैं, get me the files of Bhakra Dam. भाखड़ा बांध की फाइल लेकर आओ। मतलब, मृत्यु के आखिरी क्षण में खुद की जनता के लिए जो आदमी लगा, वे थे महाराजा गंगासिंह जी।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त करियें। श्री सुभाष जी गर्ग।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): क्या महाराजा गंगासिंह जी यह आईजीएनपी जिसे प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं। वह नहर क्या गंगासिंह जी खुद के लिए लेकर आये। गंगासिंह जी वह नहर सभी के लिए लेकर आये, 36 कौम के लिए लाये, किसान के लिए लाये, शोषित, मजबूर के लिए लेकर आये। परन्तु बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि यहां पर कोई लोग बैठकर यह बात करते हैं कि ठाकुरों का बजट था। खुद के घर को, खुद के महलों को गिरवी रखकर कोई आदमी लेकर आया। इस पवित्र सदन में उनके लिए ऐसी बात की जाती है तो इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है।

श्री सभापतिः श्री सुभाष जी गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं जल संसाधन के अन्तर्गत भरतपुर और पूर्वी राजस्थान की बात करना चाहूंगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि बहुत वर्षों पहले 1994 में भरतपुर, डीग और इस एरिये के लिए एक यमुना जल समझौता हुआ था। आज लगभग 30-31 वर्ष हो गये हैं। इसके बावजूद भी जो समझौता तय हुआ था, उसमें यह था कि लगभग 1200 क्यूसिक पानी भरतपुर, डीग एरिये को मिलेगा। अभी तक जो पानी मिल रहा है, वह केवल 200 डीग को मिल रहा है, और 500 अभी तय है, लेकिन पूरा नहीं मिल पा रहा है।

मेरी गुजारिश है, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा, क्योंकि वे पूर्वी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और भरतपुर जिले के नागरिक हैं, वाशिंदे हैं। जिस तरह से अभी आपने अखबारों के माध्यम से चर्चा सुनी थी। यमुना जल समझौता हुआ है, जो झुंझुनूं, सीकर, चूरू के लिए पानी लाने की बात की है। वह समझौता जो हुआ है,

उसका भी अध्ययन करने की जरूरत है। हरियाणा ने कहा कि 24 अतिरिक्त पानी होगा तो हम पानी देंगे, अन्यथा पानी नहीं मिलेगा और नहर भी बनायेंगे तो उसमें मान लो चार बनायेंगे तो 3 का हिस्सा, एक खुद बनायेंगे, तीन राजस्थान को देंगे। मेरा यह मानना है कि जो पुराना समझौता है, 1994 का समझौता है, उसको अमल में लाया जाये। भरतपुर में सबसे ज्यादा सिंचाई की समस्या है। भरतपुर, धौलपुर और करौली के साथी भी हमारे कह रहे थे, उस पर मैं बाद में आऊंगा। इस यमुना जल समझौते के तहत जो पानी तय हुआ है, उसको दिलवाया जाये।

माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर एक चर्चा करके, इसको क्रियान्वित किया जाये। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि ईआरसीपी की बात हो रही है। ईआरसीपी के तहत बहुत सारी बातें हैं। मैं उसका स्वागत भी करता हूं, यदि वह उस तरह से इम्प्लीमेंट हो जाये। जैसा कि बात की गई कि वह राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जायेगी। वह तो मालूम पड़ जायेगा, कल बजट आ रहा है, शायद वह हो जाये। उससे भरतपुर के बांधों को सिंचाई के लिए नहीं जोड़ा गया है। भरतपुर के लिए पीने के पानी की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन सिंचाई के लिए नहीं की है। मेरा आपसे मांगना है कि मोती झील, बन्ध बैराठ, अजान, चकसाना बांध, ये जो बांध हैं, इनको भी ईआरसीपी में शामिल किया जाये।

तीसरा, पांचना बांध से भी पानी भरतपुर को मिलना चाहिए। गम्भीरी नदी में जब पानी आयेगा, तब जाकर मिलेगा। इसी के तहत मैं वन पर्यावरण पर भी दो मिनट बोलना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। उनसे कहना चाहूंगा कि केवलादेव वर्ल्ड हैरिटेज है, नेशनल पार्क बर्ड सैंक्चुरी और उसमें पानी की आये दिन किल्लत आती है। पीने का पानी बन्द करके चम्बल के पानी की सप्लाई घना में देनी पड़ती है। लाखों टूरिस्ट भरतपुर में आते हैं। घना बर्ड सैंक्चुरी से राजस्थान का नाम पूरे विश्व में आता है। वह पानी के लिए तरस रहा है। जो माइग्रेटेड बर्ड हैं, वह नहीं आ पाती हैं। एक 751 करोड़ की पेयजल योजना, जो जेजेएम में, उसमें एक अलग पाइप लाइन बिछाई जानी थी। उस पर कार्यवाही करवाने का काम करें, जिससे घना को पानी मिल सके।

दूसरा, यह कहना चाहूंगा कि बजट में जूलोजिकल पार्क दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मंत्री जी, आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जूलोजिकल पार्क बनाया जायेगा, लेकिन उस जूलोजिकल पार्क का सर्वे करके जो भूमि आइडेंटिफाई की जा रही है, आप व्यक्तिगत संज्ञान लेकर खुद विजीट कर लें, वह कहां बनना चाहिए। लोकल प्रशासन उसको गलत तरीके से देख रहा है।

तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि घना अभयारण्य संरक्षण है। आज भी आसपास के एरिये में काफी अतिक्रमण हो गया है। उसकी वजह से माइग्रेट बर्डस नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वे माइग्रेट हो जाती है, यदि उनको क्लाइमेट परिस्थितियां वैसी नहीं मिलेंगी तो आप जानते हो चिड़िया बहुत सेंसेटिव होती हैं, फेमस बर्ड साइबेरिया से क्रेंस आती हैं। वहां पर लाखों फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। घना बर्ड सैंक्चुरी को संरक्षित किया जाये।

भरतपुर को सिंचाई के लिए पानी की बहुत जरूरत है, हजारों हेक्टेयर भूमि बेकार हो जाती है।

मुझे उम्मीद है, माननीय मुख्य मंत्री जी भरतपुर के हैं, शुरू में चूरू, सीकर और झुंझुनूं की बात तो बहुत की है। मैं भी उसका समर्थन करता हूं, लेकिन भरतपुर जो 1994 से अन्याय सह रहा है, वह 1200 क्यूसिक मीटर पानी भरतपुर को दिलाया जाये। आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री लक्ष्मण जी।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय सभापति जी, आपने मुख्य मांग संख्या 42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश के कुल भू-भाग का 10.4 प्रतिशत है। यहां की पोपुलेशन देश की पोपुलेशन की 6 परसेंट है। यहां बहुत सारे मिनरल्स हैं, यहां 80-81 टाइप के मिनरल्स हैं, जिनमें से 57 परसेंट का दोहन हो रहा है। भौगोलिक परिस्थितियां, वर्षा की मात्रा में निरन्तर कमी, यहां अत्यन्त भूजल दोहन की वजह से काफी समस्याएं हैं।

राजस्थान सदियों से पानी की समस्या को झेलता आ रहा है। पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत भंयकर समस्या थी। वहां के पानी के साधन, वहां के टांके में बरसात के पानी को सहेज कर रखते थे। वही पानी उनके जीवन का एक स्रोत था।

माननीय सभापति महोदय, देश का भूमिगत जल का 1.70 परसेंट राजस्थान में उपलब्ध है। यहां सतही जल का 1.16 परसेंट पानी उपलब्ध है। बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या और यहां का मुख्य धंधा कृषि और पशुपालन है, उसके बढ़ते दायरे के कारण यहां पर पानी की गम्भीर समस्या है। हम बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात करते हैं। जिनमें बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अरबों रुपये खर्च किये जाते हैं।

Bhs/Rtm/22.7.24/16.00/2p

लेकिन जब तक बरसात नहीं होगी और जब बहुत कम बरसात होती है तो नदियों में भी पानी नहीं आयेगा, तो मेरा तो सरकार को सुझाव है कि हमारे परम्परागत जो स्रोत हैं जिनमें हमारे तालाब हैं, झीलें हैं, नाड़ियां हैं, टांकें हैं, खड़ीन हैं, एनिकट्स हैं, उनकी सफाई की जाये और महात्मा गांधी नरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा तालाबों का निर्माण किया जाये ताकि लोकल लेवल पर पानी वहां का इकट्ठा होगा वह उस इलाके के काम आयेगा और उसका रिचार्ज भी होगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी पानी का इतना जबरदस्त दोहन हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में काम लेने के लिए कि हमारा 70 प्रतिशत पानी सिंचाई में जा रहा है, 23 प्रतिशत हमारे उद्योगों के काम आ रहा है, 7 प्रतिशत

पानी केवल मात्र पीने के काम आ रहा है। पूरे देश की बात करें तो यहां 70 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है और अभी भी देश की करीबन साठ करोड़ की आबादी ऐसा पानी पीती है जिसकी वजह से उनके कई बीमारियां होती हैं और ये आंकड़े हैं कि हर साल खराब पानी, दूषित पानी पीने से करीब-करीब दो करोड़ लोगों की पूरे देश में मृत्यु होती है।

राजस्थान के लोग तो काफी आदी हैं इसके और अब काफी विकास भी हुआ। सभी सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सबने कुछ न कुछ काम पानी के लिए किया है और यह जो प्रोजेक्ट् हैं जैसे राजस्थान के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना है वह उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी है, वहां सिंचाई हो रही है, वहां इसकी वजह से दस जिलों को पेयजल मिल रहा है, उसकी वजह से उस इलाके में काफी खुशहाली आयी है, वहां उद्योग-धन्धे लगे हैं, वहां आवागमन बढ़ा है।

सभापति महोदय, इसी तरीके से नर्बदा प्रोजेक्ट जो जालोर, सांचोर और बाड़मेर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जहां से सरदार सरोवर से पानी आता है। इसी तरह से ई.आर.सी.पी. एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके बारे में काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मेरा भी यह मानना है कि इसका अगर पानी की 50 प्रतिशत डिपेंडेबिलिटी पर समझौता होगा तो निश्चित रूप से 21 जिलों को पेयजल के लिए और बहुत कम पानी माइनर इर्रिगेशन, फव्वारे, ड्रिप इर्रिगेशन के लिए पानी मिल पायेगा। अगर 75 प्रतिशत पर होता है तो फिर कोई सम्भावना नहीं है कि वहां से इर्रिगेशन हो, पीने का पानी भी 21 जिलों को नहीं मिलेगा क्योंकि इन 21 जिलों में प्रदेश की 40 प्रतिशत पॉपुलेशन है जो करीबन 3 करोड़ 25 लाख होती है, निवास करती है।

पश्चिमी राजस्थान मेवाड़ का इलाका है, इधर तो काफी पानी के प्रयास किये गये क्योंकि पुराने जमाने से ही यहां पानी की समस्या थी तो उस इलाके में काफी काम किया सरकार ने पिछले साठ-सत्तर साल में लेकिन पूर्वी राजस्थान में यहां अंडरग्राउंड वाटर काफी होने की वजह से लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब पानी बहुत गहरा चला गया है और इसकी वजह से वहां समस्या है, पीने के पानी की समस्या है सिंचाई की बात तो दूर है तो इसके लिए जो ई.आर.सी.पी. है उसका जो एम.ओ.यू. हुआ है वह टेबल किया जाना चाहिये, जनता को बताया जाना चाहिये। जल्दी से जल्दी इसमें काम चालू होना चाहिये, ताकि वो हो सके क्योंकि 2005 से यह कंसेप्ट आया है लेकिन करीबन बीस साल निकलने के बाद भी अभी तक कुछ सम्भावना नहीं है कि इसकी क्रियान्विति समय पर हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, ये जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं जैसे ई.आर.सी.पी. पर भारत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की, उस स्थिति में यहां की राजस्थान सरकार ने प्रथम चरण जिसमें नवनेरा, ईसरदा वाला जो डैम है नवनेरा और ईसरदा डैम इनका कार्य हाथ में लिया और नवनेरा जो बेराज है उसका काम तो करीब-करीब पूरा हो गया और ईसरदा डेम का काम भी मेरे ख्याल से साल भर के अन्दर कम्पलीट

हो जायेगा। इसकी वजह से दौसा, सवाईमाधोपुर ईवन अलवर, भरतपुर इन इलाकों को पेयजल मिल पायेगा। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, कितना टाइम बाकी है?

श्री सभापतिः दो मिनट हैं।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): दो मिनट हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि जो परम्परागत सोर्स ऑफ वाटर है उन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। जितनी भी हमारी जो योजनाएं हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, माइनर इर्रिगेशन के हैं, मध्यम और सूक्ष्म इर्रिगेशन के उनको समय पर पूरा किया जाना चाहिये।

अब मैं फॉरेस्ट और इर्रिगेशन पर भी दो मिनट बोलना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, फॉरेस्ट की जहां तक बात करें तो पिछली जितनी भी सरकारें आई हैं, हर साल वन महोत्सव मनाते हैं। हर साल करोड़ों के पेड़-पौधे लगाने की बात करते हैं लेकिन ऐसे पेड़-पौधे लगाये जाते हैं जो यहां की जलवायु के अनुकूल नहीं हैं और बहुत जल्दी ही वो पौधे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो मेरा तो सरकार को सुझाव है, मंत्री जी भी यहां विराजे हुए हैं, कि ऐसे पेड़ लगाये जायें जैसे पीपल है, बरगद के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, देशी बबूल है इस तरीके का वृक्षारोपण करें तो कम पानी में भी उनकी वृद्धि अच्छी होगी और वो पनप पायेंगे।

अभी बजट में इन्होंने कहा कि सात करोड़ पौधे लगायेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, तो ये लगा तो दिये जायेंगे पेड़ लेकिन उनकी सुरक्षा किया जाना भी बहुत जरूरी है। जब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी, फॉरेस्ट पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको नहीं हटाया जायेगा, जो चोरी से माइनिंग होती है, पेड़ों की अवैध कटाई होती है उस पर भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से पर्यावरण के लिए जरूरी है कि यह पॉलिथीन बैग हैं, प्लास्टिक की जो फैक्ट्रियां हैं उनको बन्द किया जाये क्योंकि इनको जब दूर फेंक दिया जाता है यूज करके तो हमारी जो बेसहारा गायें घूमती रहती हैं वो खाती हैं और उनकी मृत्यु होती है।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, मैं चार लाइनों से मेरी बात आगे शुरू करूंगा - 'यकीन से आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है। वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं, हम तो तूफानों से टकरा कर कारवां चलाते हैं।'

सिंचाई के लिए आज एक महत्वपूर्ण चर्चा सदन में हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और जल संसाधन मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो किसानों के हित के लिए प्रदेश में हम क्या कर सकते हैं, यह चर्चा सदन

में रखने का आज आप सब सदस्यों को मौका दे रहे हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, सभापति महोदय, उन पर भी बात करूंगा क्योंकि आज सभी को समय बहुत कम दिया है। अभी यहां बहुत सारी चर्चाएं हो रही थीं। कुछ माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि आजादी के समय में तीन सौ बांध थे, हमने 1990 तक उन बांधों की संख्या 5 हजार कर दी है।

यह बात सही है देश में लम्बे समय तक राज आप लोगों ने किया है, सत्ता में आप लोग रहे हैं तो जाहिर है कि इस देश में बांधों की संख्या जो बनाने की है वो भी आप ही के द्वारा हुई है लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि ई.आर.सी.पी. की बात आज इस सदन में हम सब लोग कर रहे हैं। बांध आपने बना-बना कर छोड़ दिये। आज जो चर्चा हो रही है, ई.आर.सी.पी. की जो योजना है, माही, जाखम की जो डीपीआर है, हमारी सरकार जो इस योजना पर काम कर रही है, उस योजना के द्वारा उन सब बांधों को जो आपने बना-बना करके छोड़ दिये हैं उनको भरने का काम हमारी सरकार कर रही है वो योजना हमारी सरकार लेकर आयी है यह महत्वपूर्ण बात है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में खारी बांध है जो आसीन्द विधान सभा क्षेत्र और आस-पास के हजारों गांवों के किसानों का एकमात्र स्रोत है, जो पिछले 35-40 सालों से खाली पड़ा हुआ है। किसानों की स्थिति बहुत खराब है। किसानों के पास जमीनें, किसी के पास सौ बीघा है, किसी के पास डेढ़ सौ बीघा है, किसी के पास पचास बीघा है, लेकिन आज हालत यह है ...

Kas/rtm/22.07.2024/16.10/2q

पानी की कमी के कारण सभी किसानों का पलायन हो रहा है, उनको राजस्थान छोड़ कर गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर काम करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मेरा विशेष तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा, माही राजसमन्द जवाई की डीपीआर में चित्तोड़गढ़, राजसमन्द और भीलवाड़ा, इन तीनों जिलों के 24 बांधों को भरने की योजना आपने तैयार की है। इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मेरा विशेष तौर से मुख्य मंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा, क्योंकि भीलवाड़ा जिले का नाम भी उसमें है, 24 बांधों को भरने की वह योजना है, उसमें मेरी आसीन्द विधान सभा का अगर खारी बांध भरता है, तो उसका 200 किलोमीटर तक किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। मेरा निवेदन रहेगा कि उस डीपीआर में खारी बांध को आपने जोड़ा है, तो उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और अगर नहीं जोड़ा है, तो मेरा विशेष तौर से इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप उस डीपीआर में आसीन्द विधान सभा का जो एक बहुत बड़ा खारी डैम, जो पिछले 35-40 सालों से खाली पडा है, उसको भी आप उस योजना में लेकर उस डीपीआर में जोड़ें, तो लाखों किसानों को फायदा हो सकता है।

सभापति महोदय, भोजपुरा फीडर मेरे बदनोर ब्लॉक की एक बहुत बड़ी योजना है। पिछले 45 साल पहले भोजपुरा के एक सरपंच साहब हुआ करते थे रहमत अली जी, यह उनके द्वारा लाई गई योजना है। वहां अरावली के पहाड़ों का पानी नीचे आकर बेकार होता है, आज के 45 साल पहले उस पर वह योजना बनी थी। संसाधनों की कमी के कारण उस समय वह काम पूरा हो नहीं पाया था। पिछले 20 सालों से वह काम बन्द पडा है। पिछली बार भी मैंने इस सदन में बहुत मांग की थी, लेकिन उस सरकार ने मेरी सुनी नहीं थी। डीएमएफटी फंड के पैसे से 1 करोड़ 20 लाख की सेंक्शन मैंने उस भोजपुरा फीडर के लिये निकलवाई थी। माननीय सिंचाई मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि चूंकि आप पुष्कर से आते हैं और आपको अच्छी तरह से वह योजना ध्यान में भी है, उस पर आप अधिकारियों को आदेश देकर, एक योजना बनाकर छोटा से फंड की उसमें जरूरत है, क्योंकि 45 साल पहले काम चला था और उसका लगभग 80 परसेंट काम हो चुका, 20 परसेंट अगर उसका काम और हो जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 20-22 पंचायतों के गांवों की पेयजल की और सिंचाई की समस्या खतम हो सकती है। आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, मेरी विधान सभा में खारी बांध, सरेरी बांध, कंटारिया बांध और हुरड़ा के बरेली तालाब तथा और भी कई तालाबों की नहरें, जो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आप एक सर्वे करवा कर इन टूटी हुई नहरों को बनाने की कृपा करें। अगर वह नहरें बन जाती हैं, पक्की हो जाती हैं, तो जो छोटा-मोटा पानी बारिश के समय तालाबों में आता है, वह सिंचाई के लिये काम आ जायेगा। सिंचाई के समय जब नहरें खोली जाती हैं, उस समय लगभग 80 परसेंट पानी खराब हो जाता है। अगर आप इन नहरों की सुध लेंगे, तो आपकी अति मेहरबानी होगी।

मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा कि जब 2013-18 में हमारी माननीय वसुन्धरा जी की सरकार थी, उस समय बहुत सारे तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया गया था। जो तालाब बचे हुए हैं, जो पंचायत हैडक्वार्टर के तालाब हैं और बड़े-बड़े तालाब हैं, जो मॉडल तालाब बनने से बच गये हैं, उनका सर्वे करवा कर उनको मॉडल तालाब में विकसित करोगे तो आपकी मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा कि खारी बांध पर एक बहुत पुराना गेस्ट हाउस बना हुआ है जो पूरी तरह से खंडर है। उसके लिये भी अधिकारियों को कह कर एक डीपीआर बनाकर उस गेस्ट हाउस को अगर आप वापस नया बना देंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जीवाराम जी चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय, आपने मुझे 8 मिनट बोलने का समय दिया, सर्वप्रथम इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का सुबह से भाषण सुन रहा हूं, कोई कह रहा है कि वहां बांध बनाओ, कोई कह रहा है कि वहां नहर लाओ, कोई कह रहा है कि वहां तालाब खोदो। जिस क्षेत्र से हम आ रहे हैं, उसमे

जमीन का पानी भी नहीं था। लोगों ने गर्मियों के दिनों में सुबह नई-नई बेरियां खोद कर कटोरी से ले-ले कर पानी पीकर अपना जीवन यापन किया है। यह पानी आयेगा कहां से? पानी का स्रोत प्रकृति है, भगवान है, इन्द्र महाराज हैं और इन्द्र महाराज को खुश करने के लिये हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सब अपने-अपने भाषण ठोक रहे हैं, पर्यावरण के बारे में हम कुछ सोच नहीं रहे हैं। आपको पानी कौन देगा? आप डैम बना लोगे, आप नहरें बना लोगे, आप डिस्ट्रिब्यूट्रीज बना दोगे, आप पम्प लगा दोगे, लेकिन जल कहां से लाओगे? इसलिए मेरा आप सभी से यह विनम्र अनुरोध है कि हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और हमारी जनता को भी जागरूक करें। आज मोदी जी हों, भजन लाल जी हों, गहलोत साहब हों, सारी सरकारें अपने-अपने स्तर पर पेड़ लगाने का प्रयास करती हैं, लेकिन असलियत में आपके पास आंकड़ें हैं तो आप देख लो, आज दिन तक राजस्थान में कितने करोड़ पेड़ लगाये और कितने करोड़ पेड़ अभी जिंदा हैं। यह आंकड़ें अगर आप देख लो, एक लाख पेड़ लगाये हैं, तो आज की तारीख में मुश्किल से 50 पेड़ भी जिंदा नहीं होंगे, यह धरातल की स्थिति है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगा दिया, पेड़ को भी पानी चाहिये, वह उसको कौन देगा? सारी खानापूर्ति करके, आंकड़े देकर सब अपने-अपने मार्ग जायेंगे और फिर कहेंगे कि उस समय मैं नहीं था, उस समय तो वो था, कोई जवाबदारी लेने के लिये तैयार नहीं है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है हम सब लोग सर्वप्रथम पानी का स्रोत जिस वजह से धरती पर ज्यादा से ज्यादा पानी आये, उस कार्य को करने में हम अपना दिमाग खपाएं। **(समय समाप्ति सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, अगर आप कहते हो तो मैं बैठ जाता हूं। मैं तो बहुत कम बोलता हूं। मैं तो जब हमारे यह मित्र बोलते हैं, उनके साथ कभी-कभी हंसी मजाक कर लेता हूं, बाकी बहुत कम बोलता हूं।

सभापति महोदय, सरदार पटेल ने नर्मदा नहर का सपना देखा था, वह गुजरात से पूरा होते-होते 2008 में मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में नर्मदा के नीर का अवतरण हुआ। इसका खाली मेरी तहसील ने ही नहीं मेरे पूरे जिले के लोगों ने उस पानी की पूजा करके उसका स्वागत किया। उस नर्मदा में पिछले पांच साल से हमारे काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा था। अब जब हमारी यह भजन लाल जी की सरकार बनी, उसके बाद इस सीजन में काश्तकारों को भरपूर पानी मिला, हमारे वहां करोड़ों रुपये की जीरे की फसल हुई। इसलिए मेरा निवेदन है उस नर्मदा के पानी को जालोर और बाड़मेर जिले के 1210 गांवों को पीने का पानी देना है। हमारी तीन योजनाओं में से एक माननीय गहलोत साहब ने शुरू की थी और उन्होंने ही उसको संपूर्ण किया, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उससे हम हमारी पूरी तहसील में पीने का पानी नहीं पहुंचा पाये हैं। नर्मदा का पानी जो हम हमारे काश्तकारों को देते हैं, उसमे हमारी नहरें इतनी लंबी हैं कि काश्तकार के खेत के टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि सीलू से लेकर बाकासर रोड तक एक अलग से वितरिका निकाली जाये, ताकि हमारे क्षेत्र के काश्तकारों को भरपूर पानी मिले और हमारा

काश्तकार समृद्ध हो।

सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र सांचोर के कुछ गांव सिंचाई में रह गये हैं, मेरा सरकार से निवेदन है कि उनको भी नर्मदा में जोड़कर उन काश्तकारों को भी उसका लाभ दिया जाये।

सभापति महोदय, एक छोटा सा पांचला बांध है, जो टूटने की वजह से सांचोर सिटी में हर साल बाढ़ का पानी आता है और हमारा शहर जलमग्न हो जाता है। माननीय गहलोत साहब सांचोर पधारे थे, मैंने निवेदन किया था, ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उसकी डीपीआर बनाई या नहीं बनाई, मुझे पता नहीं। वर्तमान सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह छोटा सा बांध बन जाये, कुल डेढ-दो करोड़ का खर्चा है, उससे हमारे सांचोर नगर के नगरवासियों को इस बाढ़ के पानी से कभी तकलीफ नहीं होगी।

अंत में इस सरकार के प्रति आप कुछ भी बातें कर लो, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी की नीयत में खोट नहीं है, यह मैं गारंटी देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

msk/rtm/22.07.2024/1620/3a

श्री सभापतिः श्री गणेश जी घोगरा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जीवाराम जी के लिए माइक की साइज ऊंची की जाये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जल संसाधन एवं वन तथा पर्यावरण के बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने कई बातें कीं। सरकार की कई उपलब्धियां बतायीं कि हमारी भजन लाल सरकार ने यह कर दिया, वह कर दिया। ईआरसीपी के बारे में भी बात की। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जल ही जीवन है। आज पूरे हिन्दुस्तान में जितने भी बड़े-बड़े बांध, जितने भी बड़े-बड़े तालाब, जितनी भी नहरें, जितने भी एनिकट बनाये हैं, वे हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस पार्टी ने बनाये हैं। ये जो तालाब और एनिकट बनाये हैं, इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है।

माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण में, बजट घोषणा में टीएसपी एरिये के लिए, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए कुछ भी घोषणा नहीं की। क्योंकि वहां आदिवासी रहते हैं, गरीब रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं। जनजाति को क्या चाहिए, कुछ नहीं है। इनके लिए तो मुर्गी पालन, बकरी पालन, यही योजना बना दो, इससे खुश हो जायेंगे। लेकिन हमारे बांसवाड़ा में माही डैम है, प्रतापगढ़ में जाखम बांध है, जयसमन्द झील है, उसका पानी डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में कैसे लायें, वह कार्ययोजना नहीं बनायी। टीएसपी क्षेत्र का पानी टीएसपी के क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वह पानी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। टीएसपी के लोग जो रहे हैं, वे खरीफ की फसल ही उगाते हैं, बारिश पर निर्भर रहते

हैं। आप भी जानते हैं कि रबी की फसल नहीं होती है। आप भी ग्रामीण से आते हैं। आप भी किसानों की तकलीफ और दुःख दर्द समझते हैं, तो क्यों नहीं सरकार ने टीएसपी एरिये के लिए योजना बनायी? लिफ्ट के माध्यम से डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र को पानी मिले, चौरासी को मिले, सागवाड़ा को मिले और आसपुर को मिले। लेकिन आप सिरोही ले जा रहे हैं, जोधपुर ले जा रहे हैं, चित्तौड़ ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे टीएसपी के लिए बजट घोषणा में एक रुपया भी नहीं दिया है।

हमारी पूर्व अशोक गहलोत की सरकार ने एनिकट के लिए 3657.1 लाख रुपये दिये। डेम और कैनाल के लिए 3 हजार 9 लाख दिये थे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप इसके बाद बता देना।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सोलर के लिए 5070.79 लाख हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने दिये थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने आदिवासियों के लिए एक रुपया भी नहीं दिया। यह सरकार आदिवासियों की कभी हितैषी नहीं थी, हितैषी होगी भी नहीं।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): गलत आंकड़े दे रहे हैं।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र के लोगों की मांग है।

श्री सभापतिः बैठें-बैठें, आपका नंबर आये तब बोलना।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में न तो बड़े-बड़े एनिकट हैं, न तालाब हैं, न बांध हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो पुराने कुएं हैं, उनको गहरा कराया जाये और पक्की मुण्डेर करायी जाये। अभी पानी की स्थिति ऐसी थी कि पीने के लिए भी पानी नहीं था, सिंचाई की तो दूर की बात है। इसलिए पुराने कुएं गहरे कराये जाएं, उनकी पक्की मुण्डेर करायी जाये तो हर बार बारिश से वे नहीं गिरे और कोई जानवर व मनुष्य उस कुएं भी नहीं गिर सके। इसलिए वहां पर कुओं की बहुत आवश्यकता है। या तो नरेगा के माध्यम से करायें या जनजाति क्षेत्र विभाग से भी करायें, नये खोदें।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): सभापति महोदय, ये असत्य बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... गलत आंकड़े हैं।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मैंने आंकड़ा बता दिया।

श्री सभापतिः आप अपना नंबर आये तब बता देना, बीच में डिस्टर्ब नहीं।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं अब वन एवं पर्यावरण के बारे में बात करुंगा। हमारी सरकार में सामुदायिक पट्टे, जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर बार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए कैम्प लगाती है और विशेषकर उनको सामुदायिक पट्टा देने का काम करती है। आपकी सरकार क्या करेगी, वह अब पता नहीं। आज पर्यावरण को कौन खराब कर रहे हैं? बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों वाले जो सामने बैठे हैं, यही पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। गांव के लोग खराब नहीं करते हैं। डूंगरपुर शहर में बड़े-बड़े

लोग कचरा कर रहे हैं और गांवों में जाकर खाली कर रहे हैं। वहां घाटा का गांव भण्डारिया है, वहां से निकलते हैं तो बदबू मारती है। वहां के लोग कैसे रहते हैं, पता नहीं। कचरा कर रहे हैं शहर वाले और गांव वाले बदबू वाली हवा ले रहे हैं। तो यह पर्यावरण खराब कौन कर रहा है? ये आप जैसे लोग बड़े-बड़े बैठे हैं, फैक्ट्रियों वाले, करोड़पति, अरबपति, यही पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। बड़े-बड़े पहाड़ खोद दिये, इन्होंने रेस्टोरेंट बना दिये, बड़ी-बड़ी होटले बना दीं, फॉर्म हाउस खोल दिये, पर्यावरण को खराब ये कर रहे हैं। बारिश कैसे आयेगी? अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। जब होटल बनायेंगे तो पेड़ काटेंगे, फॉर्म हाउस बनायेंगे तो भी पेड़ काटेंगे। पर्यावरण को तो ये बड़े-बड़े पूंजीपति लोग खराब कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि वृक्षारोपण होना चाहिए। वन विभाग के माध्यम से भी करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, करोड़ों पौधे लगा रहे हैं, लेकिन वे पेड़-पौधे रह कहां रहे हैं? उसके लिए तारबन्दी होनी चाहिए। वन विभाग के माध्यम से परकोटा होना चाहिए, जिससे पेड़ सुरक्षित रह सकें। नहीं तो हम हर बार घोषणा कर देंगे कि वह सरकार आयी, यह सरकार आयी, हमने इतना खर्चा कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, जब कोरोना काल था सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गयी थी। ऑक्सीजन की कमी से हमारे परिवार के कई रिश्तेदारों की जानें भी चली गयीं, लेकिन उस टाइम हमारी अशोक गहलोत सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। लेकिन आपकी सरकार में मोदी जी मोमबत्ती जला रहे थे, थालियां बजवा रहे थे और ढोल पिटवा रहे थे, यह काम मोदी जी ने किया, लेकिन हमारी सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया और ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। जगह-जगह इंदिरा रसोई योजना भी खोली, यह काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री से मांग करुंगा कि बोरी एनिकट का जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत बोरी। सुन्दरपुर एनिकट (वन) का जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत सुन्दरपुर। सुन्दरपुर एनिकट (टू) का जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत सुन्दरपुर, ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज सहयोग करें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): ...(व्यवधान)... सुन्दरपुर एनिकट (तीन) का जीर्णोद्धार ग्राम पंचायत सुन्दरपुर। जीर्णोद्धार कार्य सुरपुर एनिकट, ग्राम पंचायत सुरपुर। धरूड़ा एनिकट की ऊंचाई एवं जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत डचकी। लामापाटड़ा में असोदाफलां एनिकट निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत लामापाटड़ा। सहदरा एनिकट निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत खजूरी। थानबी का वीआर एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य, थाना। रणसागर तालाब एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत खेड़ा। घूगरा पीकवेयर का जीर्णोद्धार कार्य ग्राम पंचायत, घूगरा। नवलसाम बांध का जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत नवलसाम। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि ये मेरे विधान सभा क्षेत्र के काम हैं, ये जल्दी से जल्दी कराये जायें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी रुपया बजट घोषणा में नहीं

दिया, मैं यह कहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री केसाराम जी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 42 और मांग संख्या 45 पर चर्चा हो रही है, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। अगर जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। माननीय, भारत देश गांवों में बसता है और करीबन 75 प्रतिशत आबादी किसी न किसी तरह से खेती पर निर्भर है। ऐसे में भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन ने भी कहा है कि खेती विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है, क्योंकि फसल का भविष्य मानसून पर निर्भर है। ...(व्यवधान)... भैया, मैंने तो बोला नहीं।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जल और वन दोनों एक-दूसरे के परिपूरक हैं। वनों की कटाई शुरू हो गयी, इसके कारण से आज बरसात भी कम हो रही है।

mdp/rtm/22.07.2024/16:30/3b

दूसरा मुख्य कारण है, जो जल नदियों में सीपेज होता था, उस सीपेज में से बजरी को हमने बिलकुल खाली कर दिया तो जमीन में पानी भी सीपेज होना बंद हो गया। अगर पानी नहीं है और आप वृक्ष लगाएंगे, उसको भी पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हम 7 करोड़ पौधे पांच साल में लगाकर इस राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने की जो कल्पना की है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। अगर वृक्ष लगेंगे तो निश्चित रूप से बरसात भी आयेगी और बरसात आयेगी तो नदियां भी बहेंगी और नहरों में भी पानी आयेगा। अगर वर्षा ही नहीं है, आज तो यमुना और गंगा में भी पानी की कमी होने लग गयी है। हमें चिंता आज से करनी है। निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने जो चिंता की है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। अगर राजस्थान हरा भरा होगा तो बरसात भी आयेगी। 7 करोड़ पौधे लगाने की जो घोषणा की है, उसकी पूरा राजस्थान प्रशंसा करता है। इस कार्य को सतत रखने के लिए मल्टी सेक्टर प्रोग्राम के रूप में 'मिशन हरियाला राजस्थान' आरंभ करने की घोषणा की है। इस मिशन के अंतर्गत पांच वर्षों में लगभग 4 हजार करोड़ राशि व्यय करके कई तरह के कार्य हाथ में लिये जाएंगे। इसमें 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 650 नई नर्सरियां लगाएंगे। 540 वर्तमान में स्थापित नर्सरियों का संवर्द्धन करके, उनको सुदृढ़ करेंगे ताकि उनमें और अच्छी तरह से पौध तैयार की जा सके, जिससे 7 करोड़ का लक्ष्य हम पूर्ण कर सके।

प्रत्येक जिले में आम जन की सहभागिता से मातृ वन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। हमारी भजन लाल जी की सरकार की सोच को लेकर मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं। उनकी सोच के अनुरूप मेरे क्षेत्र में रानी के रहने वाले राज राजेन्द्र बसंती देवी

किशोर मल खीमावत चैरिटेबल ट्रस्ट, सरकार वृक्ष लगाने की बात करती है, मगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने पूरे रणकपुर से लेकर रामदेवरा तक और रणकपुर से लेकर नाकोड़ा तक रानी में आने वाले प्रत्येक रास्ते में वृक्षों से ऐसी छटा लगा दी है कि सड़क के दोनों किनारों पर जब निकलते हैं तो उस किशोर भाई खीमावत को याद किये बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। वह 24 लाख से अधिक वृक्षारोपण कर चुके हैं। एक व्यक्ति की इच्छाशक्ति अगर 24 लाख वृक्ष लगा सकता है तो क्या हम पूरे राजस्थान की जनता अगर इस बात को ठान लें तो क्या भजन लाल जी के 7 करोड़ का लक्ष्य हम 5 साल में पूरा नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय, 15 जगहों पर नर्सरी, खुद पौधे तैयार करते हैं और पिंडवाड़ा से ब्यावर, नेशलन हाईवे पर दोनो तरफ वृक्षों की झड़ी लगा रहे हैं। अगर एक भी पौधा मृत हो गया तो उसकी जगह जेसीबी लाकर वापस दूसरा वृक्ष लगाकर गैप फीलिंग करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको स्वर्ग में स्थान दें।

इसके साथ ही सामाजिक सहभागिता से यूतिका वेलफेयर फाउंडेशन व्यापारी द्वारा विगत 5 वर्षों में विभिन्न विद्यालयों, श्मशान भूमि, गौशालाओं, तालाब की पालों, ओरनों में एक लाख से अधिक पौधे लगाये, जिसमें 80 परसेंट पौधे सुरक्षित हैं। ये मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य रावली रेंज में, मंत्री जी, फोरेस्ट मंत्री जी, आपकी रावली रेंज को भी 10 हजार पौधे इस यूतिका वेलफेयर फाउंडेशन ने तैयार करके दिये हैं। इसी तरह से गूड़ा भिंजा जोजावर रेंज को भी 10 हजार पौधे दिये हैं। अगर एक-एक व्यक्ति ऐसी ठान रहा है, मेरे क्षेत्र में, आपसे निवेदन करता हूं कि बाली, मांडा, अलख जी की ओरन में चिमनाराम हीरा जी गुर्जर, दोनों भाइयों ने करीबन 4 हजार पौधे (समय सूचक घंटी) अभी इस भजन लाल जी की प्रेरणा को सुनकर अलख जी की ओरन में अभी लगा दिये हैं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी भी उसको देखकर आए। उनकी प्रशंसा की, उनका मान-सम्मान किया। आप स्वयं भी वहां उस अलख जी के ओरन में बाली की जोड़ में पौधे लगाकर आप भी दोनों भाइयों का स्वगत करके, तारीफ करके पधारे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता इस तरह से भजन लाल जी के आह्वान पर जागरूक हुई है, तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान प्रदेश में वृक्षारोपण होगा तो वर्षा भी आयेगी। वर्षा आयेगी तो नदी, नाले, नहरों की भी कल्पना कर सकेंगे, नहीं तो आज तो यमुना, गंगा में भी पानी की कमी की बाधा आ रही है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने दिल में जो अरमान लेकर के 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य किया है, मां के नाम से एक पौधा लगाना, मां की तरह उस पौधे को समझना। मंदिरों के ऊपर बड़ के पेड़ उग जाते हैं, पीपल का पेड़ उग जाता है, उनको पानी कौन पिलाता है? मगर वह भी बड़े हो जाते हैं।

श्री सभापतिः सदस्य, सहयोग कीजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सर, अभी तो पानी पर ही बोला हूं।

श्री सभापति: सभी पानी पर ही बोलेंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पानी पर बोलना है मुझको। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि बड़ के पेड़, पीपल के पेड़, कदम के पेड़ जो हमारे पूजनीय वृक्ष हैं, उनको लगाने के लिए भी हमें कोई न कोई सोच लेनी होगी।

राजस्थान में ईआरसीपी की 21 जिलों को पेयजल की 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर में खेती की सिंचाई की सुविधा भी करेंगे, उस ईआरसीपी में मेरा निवेदन है कि मेरे मारवाड़ जंक्शन को भी इससे जोड़ा जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग कीजिए। डा. ऋतु बनावत

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अगर ईआरसीपी का पानी राजसमंद झील में छोड़ा जायेगा।

श्री सभापति: डा. ऋतु बनावत।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): साहब, मेरी दो मांग ही तो बोल रहा हूं। मेरे एक तो कालीघाटी में सड़क की स्वीकृति देनी है। दूसरी काजलवास की धुनी जो सिद्ध पुरुषों की जिंदी समाधियां हैं, उनके लिए दो किलोमीटर का रास्ता, उसमें डामर सड़क की स्वीकृति के लिए आपसे निवेदन करता हूं। वहां की बावड़ी का पानी, किसान लोग लाकर अपने पशुओं के बीमारियां होती हैं।

श्री सभापति: मैं सभी सदस्यगण से प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी मांग पहले रख दें, फिर आप भाषण दीजिए। जिसकी डिमांड है, वह पहले रखेंगे तो आपका दर्ज हो जाएगा। आपके संगठन ने जो समय दिया है, उससे हम ज्यादा चलेंगे, सभी ऐसे मांगेंगे तो समय की पूरी पालना नहीं कर पाएंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरा निवेदन एक ही है, साहब, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो भी छोटे-मोटे बांध हैं, उनको बचाना है तो हम कच्ची नहरों में पानी देते हैं, पानी बिखर जाता है और पानी की तकलीफ होती है, इसलिए मैं मेरी नहरों को पक्की करने के लिए मंत्री जी से निवेदन करता हूं। मेरे क्षेत्र के छोटे-मोटे बांधों की नहरों को पक्की किया जावे।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 42 व मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा कि जल बिना कुछ भी नहीं है और जल से ही कल है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी कि पिछले टाइम भी जब बीजेपी की सरकार थी तो ईआरसीपी के माध्यम से पानी लाने का काम राजस्थान में शुरूआत का पहला कदम बीजेपी की सरकार ने उठाया। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी। वर्तमान में ईआरसीपी के लिए एमओयू करने का काम भी बीजेपी की सरकार ने किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जल संसाधन के माध्यम से, ईआरसीपी के माध्यम से बयाना में पानी आये। बयाना विधान सभा भरतपुर जिले में सबसे पहला बेनिफिशयरी है और

उसका ध्यान आपको करना होगा। बयाना में वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। मैंने सदन के माध्यम से भी कई बार कहा है कि जब तक पांचना का पानी गंभीरी नदी में नहीं आयेगा तब तक हमारी पानी की जो समस्या है, वह ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मेरा निवेदन है कि बयाना में पानी के वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए इस नदी का 12 महीने बहना बहुत जरूरी है। पांचना में गंभीरी नदी का पानी आना बहुत जरूरी है। आपने पीकेसी, ईआरसीपी के माध्यम से रूपबास की ओर जाने वाली जो नहरें हैं, उनकी मरम्मत भी की जाए। साथ ही उन नहरों में पानी भी खोला जाए।

Ans/rtm 16.40 3c 22.07.2024

भरतपुर तक पानी पहुंचना, जब पानी एक्सेस होगा तो पहुंचेगा लेकिन जिन लोगों का पहला हक बनता है, उन तक पानी पहुंचने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मेरा निवेदन है कि पहला हक हमारा है। इस हक को पांचना बनने के बाद से मार दिया गया। पुनः हमें वह हक मिले, हमें पानी मिले, हमें पानी की बहुत जरूरत है, हम पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं आपसे अपील करती हूं कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगी कि ईआरसीपी में रूपवास क्षेत्र का कोई भी बांध नहीं जोड़ा गया है। सच बात तो यह है कि जब गम्भीरी नदी बहती थी तो वहां वॉटर लेवल अच्छा बना हुआ था, बांध की कोई जरूरत भी नहीं थी। छोटे-छोटे बांध बने हुए हैं लेकिन एक खानवा बांध, अगर आप ईआरसीपी में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी विधान सभा को बहुत फायदा होगा और जो छोटे-छोटे बांध है वह भरते चले जाएंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि खानवा बांध को ईआरसीपी में जोड़ने का आप श्रम करें।

मेरा क्षेत्र खनन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और खनन से जुड़ा हुआ होने के कारण वहां वन क्षेत्र की भूमि बहुत है। हम विकास की कहीं भी बात करते हैं तो हमारी सड़कें अटक जाती है। विकास की बात करते हैं तो वन क्षेत्र होने के कारण बांध भी नहीं बन पा रहे। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहां खनन वाला क्षेत्र है, उसको रिवर्ट कर दिया जाए और छोटे-छोटे पट्टे काटे जाएं। पहले सरकार ने पट्टे काटे, खनन के लिए भूमि दी, लेकिन बड़े-बड़े पट्टे काटे, जिससे बाहर के लोगों को फायदा हुआ। वहां का लोकल व्यक्ति आज भी मजदूरी करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। मैं वन मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि आप यह व्यवस्था करें कि हमारे यहां वन भूमि जो खनन के क्षेत्र में आती है उसको रिवर्ट करने का काम करेंगे तो आपको वहां की जनता दुआ देगी। हमारे पास पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है, आप यह काम जरूर करें। ...(व्यवधान)... लैंड फोर लैंड करें।

श्री सभापतिः प्लीज।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): बंध बारेठा सेंक्अचुरी को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए, जिससे रोजगार के साधन बढ़ पाए। बयाना विधान सभा क्षेत्र में

वनपालकों के पद बहुत रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण वन क्षेत्र की रखवाली भी नहीं हो पाती। मेरा निवेदन है कि वनपालकों की नियुक्ति की जाए। वन क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों ने पौधारोपण योजना में वित्तीय अनियमितता की है, उनको सबक सिखाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि आगे आने वाले समय में अधिकारी सचेत होकर ईमानदारी के साथ काम करे, मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद, जय भारत, जय राजस्थान।

श्री सभापतिः श्री अमित चाचाण जी।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति, आपने मुझे मांग संख्या-42 जल संसाधन एवं मांग संख्या-45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। आज हमें आवश्यकता है कि इस कृषि प्रधान देश के अंतिम छोर तक हम किसान के खेत और खलियान तक पानी पहुंचाए, जल पहुंचाए। जब तक हम किसान के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, खेत और खलियान तक उचित पानी पहुंचाएंगे तब तक हमारा पूरा विकास सम्भव नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के नेतागण चुनाव के दौरान तो किसान को भगवान मानते हैं, गरीब को गणेश मानते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, यह सत्ता में आते हैं, तो उसी किसान को, गरीब को, दलित को, मजदूर को वह भूल जाते हैं और चंद पूंजीपति घरानों के लिए वह काम करते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हम केवल महानगरों का ही विकास नहीं, गांव के अंतिम छोर पर जो दलित, किसान, मजदूर बैठा है, उसके हाथ को भी मजबूत करें, उनके खेत तक उनके हिस्से का पानी पहुंचाएं। अन्नदाता जो पूरे विश्व का पेट भरने का काम करता है, उसके खेत तक हम पानी पहुंचा पाएं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आपने कहा, मैं क्षेत्र की समस्याएं पहले बता देता हूं। बाद में पता नहीं आप कब मुझे बिठा दे।

श्री सभापतिः आपके संगठन ने समय दिया है, वह पूरा बुलाऊंगा। आप बाद में बोलो या मत बोलो।

श्री अमित चाचाण (नोहर): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी सबसे बड़ी मांग, अधिकारियों की नकारात्मक सोच की वजह से, इनकी सोच रहती है कि पानी कहां से लाएंगे, पानी नहीं मिलेगा। नोहर, भादरा, तारानगर के 30 असिंचित गांव, जहां के काश्तकार आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय लगातार तीन बजटों में घोषणा हुई। पहले फिजिबिलिटी की हुई, डीपीआर की हुई, फिर पिछले बजट में अशोक जी गहलोत ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की। चुनाव से पहले वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया लेकिन अधिकारियों की यह सोच नहीं थी कि किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाए। उसका कार्य शुरू नहीं हो पाया, इसलिए मेरी मांग रहेगी कि उन 30 गाँवों को सिंचित करने का आप काम करें।

मेरे नोहर फीडर की रिलाइनिंग का काम था, जिसमें 20 करोड़ रुपये की मुख्य मंत्री जी

ने घोषणा की और 60 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार का लगना था। हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह जी भी थे, उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन वह काम आज तक सिरे नहीं चढ़ पाया, क्योंकि हरियाणा में आपकी डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा के अधिकारियों ने एनओसी जारी नहीं की। एक साल से वह काम अटका हुआ है, जिससे हमारे 35 गांव प्रभावित हो रहे हैं। मेरा सरकार ने निवेदन है, कई इंजनों की आपकी सरकार है, आप इस पर संज्ञान लेकर नोहर फीडर की रिलाइनिंग का काम करवाए।

पूर्ववर्ती सरकार के समय हमारी खालों, नहरों की मरम्मत, जीर्णोद्धार के 58 करोड़ रुपये सरकार ने स्वीकृत किए थे, उसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी लेकिन यह किसान विरोधी सरकार जब भी सत्ता में आई तो सबसे पहले विकास कार्यों पर रोक लगाने का काम किया। किसान आज भी उन खालों के लिए तरस रहा है। मेरी यह मांग है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो बजट स्वीकृत किया गया था, टेंडर हो चुके थे, 58 करोड़ स्वीकृत थे, उन खालों का निर्माण कार्य करवाया जाए।

जायका के तहत भी, मेरे नोहर फीडर की बात हो, अमरसिंह ब्रांच की बात हो, रसलाना वितरिका नहर की बात हो, जायका द्वारा स्वीकृत कार्य थे, जिसके टेंडर हो चुके थे, 100 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य, उन कार्यों को भी जल्दी से जल्दी करवाया जाए, जिससे नहरों की मरम्मत हो जाएगी तो किसान के अंतिम छोर तक पानी पहुंचा पाएंगे।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से 2008 तक थी। सदन के सदस्यों को मालूम होगा कि रावला घड़साना का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें कई किसानों ने शहादत देने का काम किया था। उस समय, उस दबाव में उस सरकार ने जेल के अन्दर एक समझौता किया और साहवा लिफ्ट की 6 नहरें बनने वाली थी, उसको काट कर 1 लाख 80 हजार हैक्टेयर भूमि को, कमांड को अनकमांड करने का काम किया। उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित नोहर, सरदारशहर, तारानगर के लोग हुए। जिसमें सूई ब्रांच नहर का निर्माण कार्य करवाया जाता, उस सूई ब्रांच नहर का बीच में ही बंद कर दिया गया। किसानों को यह लग रहा था कि एक-दो दिन में हमारे यहां पानी आने वाला है, लेकिन उन किसानों के यहां पानी खेत में तो नहीं पहुंचा बल्कि किसानों की आँख में जरूर पानी आ रहा है। इसलिए मैं सूई ब्रांच की मांग करता हूं।

इसके अलावा एटा सिंगरासर माइनर की कई माननीय सदस्यों ने मांग भी की है। इंदिरा गांधी नहर के सबसे समीप वह क्षेत्र होते हुए आज भी वह प्यासा है, आज भी वह जमीन सूखी है। काश्तकार चाहता है इसके माध्यम से हमें पानी मिलेगा तो उपज हो पाएगी। मेरे क्षेत्र चाहे अमरसिंह ब्रांच हो, रसलाना वितरिका, नोहर विधान सभा क्षेत्र टेल पर स्थित है।

(समयः बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

पानी चोरी की वजह से टेल के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। पिछले 20 वर्षों से हमारे काश्तकार उससे प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को मैं धन्यवाद

दूंगा, पूरे राजस्थान में एक मात्र पुलिस थाना नोहर में स्थापित किया जो केवल पानी चोरी रोकने का काम करेगा, लेकिन आज भी इस पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं आपसे मांग करुंगा कि पानी चोरी पर अंकुश लगाया जाए। जिस प्रकार से वन माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया है, हमारे उधर के क्षेत्र में पानी माफिया पनपे हुए हैं, जो हजार-हजार रुपये घंटे में काश्तकार का पानी बेचने का काम करते हैं। मेरी आपसे मांग है, उस पर रेगूलेशन के द्वारा पूरी गश्त करवाई जाए। पानी चोरी रोकने का काम करे जिससे किसान को पानी मिल सके।

नहरों की सफाई की बात आती है। अधिकारी सोते रहते हैं। रेगूलेशन आने वाला होता है, तुरंत फुरत वह पानी सफाई की बात करते हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि अगर समय रहते उन नहरों की सफाई की जाएगी, सिल्ट निकाली जाएगी तब ही अंतिम छोर तक पानी पहुंच पाएगा।

हरियाणा में 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है। दस सालों से केन्द्र में सरकार है। उसके बावजूद भी हमें हमारे हिस्से का, हरियाणा का पानी नहीं मिल रहा है। अमरसिंह ब्रांच, नोहर फीडर, रसलाना वितरिका हो, तीनों नहरों में किसानों की बारी पिट जाती है। पिछले कई महीनों से लगातार काश्ताकरों की बारियां पिट रही है। चलती नहर में दो-दो दिन वह नहरों को बंद कर देते हैं। किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता। किसान पर गहरी चोट लगाई जा रही है। इसलिए मेरी कई इंजनों की सरकार से मांग है, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, तो हमारे हिस्से का जो पानी है वह पूरा ले और किसानों को पूरा पानी देने का आप काम करे।

इंदिरा गांधी नहर में बहुत लंबे समय से मांग उठती आ रही है। सत्ता पक्ष के व विपक्ष के, सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि आज राजस्थान में कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर में दूषित पानी प्रवाहित किया जा रहा है, पंजाब की फैक्ट्रियों का जहरीला पानी प्रवाहित किया जा रहा है, हम आज तक उस पर रोक नहीं लगा पाए हैं। उस पानी की वजह से पूरे राजस्थान में कैंसर फैल रहा है। मेरी सरकार से मांग है, ...

VPS-RTM-22.07.2024-16.50-3d

माननीय मंत्री महोदयजी, यह मेरी विशेष मांग है। कई इंजनों की आपकी सरकार है अगर केन्द्र सरकार चाहे तो तुरंत उस पर रोक लगा सकती है। जहरीले पानी पर रोक लगानी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यह पूरे राजस्थान के आमजन, किसान, मजदूर का मामला है। आज हमारी जो बूंद-बूंद पद्धति के तहत साहवा लिफ्ट केनाल के तहत जो नहरों में पानी दिया जा रहा है, उसमें सरकार की यह योजना थी, जिसमें 117 डिग्गियों का निर्माण हो चुका है और 131 डिग्गियां आज भी विचाराधीन हैं तो उन डिग्गियों का निर्माण कार्य पूर्ण करायें और उसमें बिजली तंत्र भी स्थापित करें जिससे कि अगर उन डिग्गियों का संचालन हो जायेगा तो बूंद-बूंद पद्धति से पूरा पानी हम किसान के खेत तक पहुंचा पायेंगे।

इसके अलावा अभी अपने जितने भी बोर सूख गये हैं यह, मंत्री महोदय, मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि सूखे हुए बोर को हम वॉटर हार्वेस्टिंग में काम में ले सकते हैं जिससे कि वर्षा के पानी का उसमें संचय हो सके चाहे नीमराना माइनर हो, रामपुरा माइनर हो।

एक और विशेष मांग, हमारी सरकार काश्तकारों से जो आबियाना वसूल करती है, वह पटवारी या अधिकारीगण हर वर्ष तो उनसे वसूल करने जाते नहीं हैं और वे पांच-पांच, दस-दस साल का एक साथ आबियाना वसूल करने किसानों के पास जाते हैं। आप सब आज देख रहे हैं कि फसल उनके होती नहीं है, भाव उनको मिल नहीं रहे हैं तो मेरी इस सरकार से यह मांग है कि काश्तकारों के हित में यह आबियाना को माफ करने का आप कम करे जिससे कि किसानों के हम हाथ मजबूत कर सकें। हम सभी विधायकों को यह सोचना होगा, किसानों के हमें हाथ मजबूत करने होंगे।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि चाहे वह बिजली का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, सब आंख मूंद कर बैठे रहते हैं कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है लेकिन यह तो सुबह-सुबह की बात है, यह तो सुबह-सुबह की बात है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अरूण चौधरी।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना और मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपनी बात को इन पंक्तियों को सदन के सामने रखते हुए शुरू करता हूं कि- 'जल ही जीवन है, जल सा जीवन, जल्दी जल जाओगे अगर न बची जल की बूंदें तो कैसे प्यास बुझाओगे?'

माननीय सभापति महोदय, इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रदेश के बजट में सिंचाई विभाग के द्वारा कई घोषणाएं की गयीं, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सिंचाई विभाग के तहत और विशेषकर इस जल के सम्बन्ध में जो आम जनता के जीवन की बहुत ही अमूल्य चीज है, उसके लिए बहुत सी घोषणाएं कीं, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आजादी के बाद पहली बार अगर इतनी घोषणाएं हुई हैं तो वे पहली बार हुई हैं।

हमारे मुख्य मंत्री भजन लालजी शर्मा साहब की इस सोच को भी मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने पश्चिमी राजस्थान को पानी की समस्या से निजात दिलाने हेतु हिमाचल सरकार से पोंग बांध में पानी भराव की क्षमता को बढ़ाने हेतु सकारात्मक जो प्रयास शुरू किये हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं वरन अधिकांश भू-भाग पर आज पानी की बड़ी विकट समस्या है और पानी की भयंकर समस्या होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना परियोजना जो आती है, वहां पोकरण

के अन्दर एक स्टोरेज सिंचाई विभाग के द्वारा काफी टाइम से बन रहा है लेकिन पहले तो यह कह रहे थे कि मार्च के अन्दर उसको पी.एच.ई.डी. विभाग को हैंडओवर कर देंगे लेकिन आज दिन तक उन्होंने हैंडओवर नहीं किया है, माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं तो मैं उनसे भी यह निवेदन करता हूं कि उसे अतिशीघ्र पी.एच.ई.डी. विभाग को हैंडओवर करवाने की कृपा कराएं।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में रिफाइनरी है। मेरा क्षेत्र बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र है, उस औद्योगिक क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर या नर्मदा नहर जो गुजरात से आती है, उससे मेरे विधान सभा क्षेत्र को जोड़ा जाये, जिससे कि यहां पर पीने के पानी और आने वाले टाइम में किसानों को भी कृषि करने में फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक निवेदन करता हूं हमारे लूनी नदी के सिलोर, जेठंतरी, कनाना, सराना, बिठूजा, तिलवाड़ा, आदि स्थानों पर जीरो बेस के रूप में डैम बनायें। माननीय मंत्री महोदय, क्योंकि जीरो बेस डैम है, वह अगर नदी के अन्दर बनता है तो वहां का पानी जो बहाव से चला जाता है, उसको रोका जा सकता है। माननीय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी के सपने को साकार करने के लिए, हमारे यहां पर भीम राजजी भाटी साहब भी बैठे हुए हैं जो पाली के माननीय विधायक महोदय हैं और हमारे हमीर सिंहजी बैठे हैं, मैं इनको भी यह बताता हूं कि हमारे लूनी नदी को माही बांध से जोड़ा जाये, माही बांध का पानी जो सही नहर है, उस सही नहर से जवाई बांध में लाकर और जवाई बांध का पानी हेमावास में लाकर, हेमावास का पानी जब लूनी में आएगा और लूनी नदी के अन्दर इसका बहाव होगा तो मुझे यह पूरा विश्वास है कि यह लूनी नदी आने वाले टाइम में इस पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बहुत ही अमूल्य रूप से साबित होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यावरण के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी यहां पर विराज रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने जो पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया है, वह हमारे राजस्थान को आने वाले टाइम में बहुत ही सकारात्मक रूप में सहयोग करेगा।

दूसरा, मैं हमारे वन मंत्रीजी से यह कहता हूं कि हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या बबूल के पेड़ की है, जो बबूल का पेड़ है वह आम किसानों के लिए फायदेमंद नहीं रहता है तो इस बबूल के पेड़ को हटाने के लिए पूर्व में भी एक कोई योजना बनी हुई है तो उस योजना की आप क्रियान्विति करायें।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): वह बबूल नहीं हैं, माननीय सभापति महोदय, विलायती बबूल है।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): विलायती बबूल है, हमारे यहां पर उसको बबूल ही बोलते हैं, माननीय मंत्री महोदय।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, देसी बबूल और विलायती बबूल में अंतर है। वे यह बता रहे हैं। देसी बबूल तो बहुत काम का है।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर तो देसी भाषा में उसको बबूल्या ही कहते हैं लेकिन हिंदी के अन्दर उसको बबूल कहते हैं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, उसको जूलीफ्लोरा भी बोलते हैं।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ता माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि इस धरती पर हमने इतने पेड़ लगाये हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहता हूं कि हम वास्तव में सार्थक रूप से पौधे लगायें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। अभी जिस तरह से हमारे कांग्रेसी भाई यह कह रहे हैं पर मैं तो यह कह रहा हूं अगर आजादी के बाद आपने जितने पौधे लगाये, उस हिसाब से तो यह धरती आज तक पेड़ों से ही भरी रहती अगर वास्तव में वे पेड़ लग जाते, तो यह तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं अपनी तरफ से एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर औद्योगिक क्षेत्र रिफाइनरी है, उस औद्योगिक क्षेत्र रिफाइनरी के आसपास के चारों तरफ के एरिये के अन्दर ग्रीन बैल्ट को कम कर दिया गया है पर भविष्य के अन्दर यह ग्रीन बैल्ट होना बहुत ही जरूरी है, तो आप इसकी घोषणा करायें। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बिठूजा, जसोल और बालोतरा में प्रदूषण इकाइयां हैं और प्रदूषण इकाइयों से जो पानी आता है, इसी तरह से जोधपुर से भी गंदा पानी आता है जो डोली और कल्याणपुरा, आदि गांवों के अन्दर आता है और इसी तरह से पाली से भी गंदा पानी लूनी नदी के अन्दर डाला जाता है तो इन सबको एक चैनल के मार्फत आप कच्छ की खाड़ी या अन्य किसी तरह की कोई योजना बनाकर, हमारा जो क्षेत्र है, इस पश्चिमी राजस्थान से प्रदूषण से मिटाएं एवं इस समस्या से निजात दिलायें।

दूसरा, अभी कई माननीय सदस्यों ने पॉलीथिन बैग को लेकर कहा है तो मैं यह कहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, आप पॉलीथिन बैग को लेकर प्रदेश के अन्दर एक इस तरह की नीति बनायें क्योंकि हम सभी ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक शपथ ली थी कि पॉलीथिन बैग नहीं रखेंगे और इस पॉलीथिन बैग को हम हटाने के लिए कोई इस तरह की कारगर योजना बनाये कि यहां पर एक भी फैक्टरी इस राजस्थान में नहीं हो जो पॉलीथिन बैग बनाती हो, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अनिल कुमार शर्मा।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट सिंचाई परियोजना के 58 गांवों का रकबा जो काट दिया गया था, बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में उन 58 गांवों के रकबों को शामिल करने की गत सरकार ने घोषणा की थी।

SSY/RTM/22.07.2024/17:00/3e

इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों ने लगभग डेढ़, 2 महीने पूर्व मुझ से संपर्क किया और इस सम्बन्ध में चर्चा भी की।

मुझे अवगत कराया कि माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसकी मंशा है कि गत सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं, उन्हें पूरा करेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अभी जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट पेश किया गया तो इन 58 गांवों के सम्बन्ध में क्रियान्विति हेतु इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गयी।

मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहता हूं कि माननीय पूर्व उप राष्ट्रपति और पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत जी के कार्यकाल में जब वह 1990 में मुख्य मंत्री थे, उसी समय मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा जी आईजीएनपी मिनिस्टर थे। तब सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को आईजीएनपी में, कुंभाराम आर्य लिफ्ट योजना में शामिल किया गया था। लगभग ढाई साल बाद ही सरकार भंग हो गयी थी और उसके बाद अलग-अलग सरकारें आई। अलग-अलग मंत्री बने। उन्होंने उधर ध्यान देने की बजाय अपने-अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया। आज भी कुछ गांव मेरी विधान सभा के सिंचित हो रहे हैं, लेकिन इन 58 गांवों के रकबे को काट दिया गया। उसके बाद लगातार विधान सभा क्षेत्र की जनता की मांग रही और इतने सालों के बाद 2023-24 के बजट में माननीय पूर्व मुख्य मंत्री गहलोत जी ने इन गांवों को जोड़ने की घोषणा की।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इन 58 गांवों को चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल से जोड़कर क्षेत्र की जनता को राहत देने का काम करें। यह विशेष तौर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

साथ ही, सरदारशहर तहसील मुख्यालय पर लगभग 10 बीघा जमीन आईजीएनपी रेस्ट हाउस की जो आज अमूल्य, करोड़ों रुपयों की भूमि है। उसी समय वहां आईजीएनपी का एक ऐसा सुदंर रेस्ट हाउस बना, वहां स्टाफ और देखभाल की कमी की वजह से आज उसकी हालत जीर्ण-शीर्ण है। वह खुर्द-बुर्द हो रहा है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि उसकी मरम्मत करायें, सुधार करें और वहां स्टाफ लगायें ताकि उसका रख-रखाव हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री संजीव कुमार।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 42 जल संसाधन और मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर चर्चा चल रही है। आपने इसमें मुझे

बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कृषि प्रधान इलाका है। सिंचित क्षेत्र से मैं आता हूं। अत: अपने क्षेत्र की सिंचाई की समस्याओं का जिक्र मैं सदन में रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र भादरा और नोहर में भाखड़ा सिंचाई परियोजना से, भाखड़ा मैन लाइन से अमरसिंह सब ब्रांच और सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना से सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था होती है। हरियाणा बॉर्डर पर स्थित सीपी-5 से पानी राजस्थान में इन नहरों का प्रवेश करता है। जहां तक डिजाइन, डिस्चार्ज का सवाल है, अमरसिंह सब ब्रांच का 355 क्यूसेक्स पानी निर्धारित है। इसके साथ-साथ सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का 564 क्यूसेक्स पानी डिजाइन, डिस्चार्ज के अनुसार इसमें निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नोहर क्षेत्र की जो नोहर फीडर और बरुवाली वितरिका है, उसका करीब 332 क्यूसेक्स पानी डिजाइन, डिस्चार्ज के मुताबिक इसमें निर्धारित है। इन दोनों सिंचाई प्रणालियों का करीब 1251 क्यूसेक्स पानी डिजाइन, डिस्चार्ज के मुताबिक इसमें निर्धारित किया हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, भादरा, नोहर क्षेत्र के लिए जो निर्धारित पानी है, उसमें से 0.17 एमएएफ पानी, लगभग 300 क्यूसेक्स पानी हरियाणा सरकार हमें कम दे रही है। हरियाणा सरकार से लगातार हमें कम मिल रहा है। 0.17 एमएएफ पानी का झगड़ा, विवाद काफी पुराना है। बरसों पुराना विवाद है। राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ रही है। लंबे समय से यह लंबित है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि इसकी मजबूती से पैरवी की जाये। हम तीव्रता से इसमें निर्णय लेकर आयें। इसके प्रयास किये जायें। एक अच्छा वकील इसमें खड़ा करके यदि मजबूती से पैरवी करेंगे तो जल्दी से जल्दी 0.17 पानी ले पायेंगे।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): आप 17 एमएएफ बोल रहे हो, वह 60 एमएएफ है।

श्री संजीव कुमार (भादरा): वह आप पूरा बता रहे हो। मैं जो नोहर, भादरा का हमारा है, उसका 0.17 है, 300 क्यूसेक्स हमारी दोनों नहरों का है। मैं उसका जिक्र कर रहा हूं।

सभापति महोदय, इसके अलावा भी दूसरा सवाल कि बीबीएमबी में जो हमारा निर्धारित शेयर है, जिसका मैं ध्यानाकर्षित माननीय मंत्री महोदय का आपके मार्फत करना चाहूंगा, उसमें भी निर्धारित शेयर के मुताबिक पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। वर्तमान में जो हम रेगुलेशन इन सालों का देख रहे हैं, उसके मुताबिक अमरसिंह सब ब्रांच में पानी की मांग का जो इंडेंट हमारे सिंचाई के अधिकारी भेजते हैं, साढ़े 400 क्यूसेक्स पानी की मांग करते हैं तो औसतन उसकी एवज में हमें 320 क्यूसेक्स पानी पिछले सालों से मिल रहा है। सिद्धमुख फीडर में भी इसी तरह से साढ़े 400 क्यूसेक्स का इंडेंट जब हमारा यहां से जाता है सिंचाई विभाग का तो औसतन 380 क्यूसेक्स पानी ही हम ले पा रहे हैं। इसकी वजह से टेल के किसान को ना केवल सिंचाई पानी के लिए बल्कि पेयजल के लिए भी त्राहि-त्राहि करनी पड़ रही है। इलाके में किसानों के द्वारा आंदोलन भी होते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जो फ्लेक्चुएशन आता है बीच-बीच में, जो उतार-चढ़ाव आता है पानी का, उसकी मार भी हमारे इलाके को झेलनी पड़ती है। लगातार हमारी बारियां पिटती हैं। किसानों की बारियां पिटती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार से पूरा पानी हमारी इन दोनों नहरों के लिए, दोनों सिंचाई प्रणालियों के लिए आप दिलाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के तहत केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा 1989-90 में हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए, एक तरह से भादरा, नोहर, तारानगर और राजगढ़ का जो एरिया है, उसके करीब 106 गांवों के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत की गई। इसमें जो इसका मूल स्वरूप था, उससे मेरे क्षेत्र के 14 गांवों को भी वंचित कर दिया गया। उसके अलावा नोहर विधान सभा क्षेत्र के भी गांव वंचित रह गये। लगातार इसकी मांग इलाके के किसान करते रहे।

पिछली सरकार के समय तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने बजट 2022-23 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए करने की घोषणा इसी सदन में की थी। मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में नोहर से आने वाले माननीय सदस्य भी मेरी बात को सुन रहे हैं। यह भी बड़े जोर-शोर से, बड़े हौसले के साथ उस बात को रख रहे थे। अपने आपको बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मैं इनका भी ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि 100 करोड़ रुपये की 2022-23 के बजट में घोषणा की गई। उसके बाद 2023-24 का बजट चला गया। एक साल चला गया।

सभापति महोदय, देखिये, मैं बताना चाहता हूं, सुनिये, आप सुनने का माद्दा रखिये, पूरा साल निकल गया, जब स्वीकृति होती है तो उसका काम चालू करने से पहले प्रशासनिक स्वीकृति होती है, वित्तीय स्वीकृति होती है, तकनीकी स्वीकृति होती है। एक साल निकल गया। आपका पूरा साल निकल गया। आपने स्वीकृति जारी नहीं की

Spp/Rtm/22.07.2024/17:10/3f

और चुनाव की आचार संहिता लगने से चन्द रोज पहले केवल वोट के लिये, केवल वाहवाही लेने के लिये आप लोगों ने वर्चुअल शिलान्यास करने का काम किया। वर्चुअल शिलान्यास करके आपने वोट लेने का प्रयास किया। भादरा और नोहर विधान सभा क्षेत्र की जनता को आपने भ्रमित करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 100 करोड़ की जब घोषणा हुई तो वहां पर लोगों ने खुशियां मनायीं, मिठाइयां बांटी, ढोल बजाये गये, डी.जे. बजाये गये और तत्कालीन जन प्रतिनिधियों को घोड़ी पर चढ़ाया गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी भादरा और नोहर की

जनता के साथ-साथ वहां के किसान के साथ-साथ शायद नोहर से आने वाले माननीय सदस्य भी उस 100 करोड़ के बजट को ढूंढते हुये नजर आ रहे हैं। उसकी वित्तीय स्वीकृति को, उसकी तकनीकी स्वीकृति को, प्रशासनिक स्वीकृति को ढूंढते हुये नजर आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बिराजें-बिराजें माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): ढोल बजे हैं, ढोल भी बजे हैं और घोड़ी भी चढ़े हैं। मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से आपके कारनामे देखकर ...(व्यवधान).. माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपके कारनामे देखकर जिस तरह का आप लोगों ने किया है, जिस तरह से गुमराह करने का काम, जिस तरह से जनता को गुमराह करने का काम आप लोगों ने किया है, आपके कारण ...(व्यवधान).. माननीय सभापति महोदय, सुनने का माद्दा रखो। आप लोगों के कारनामे देखकर लोगों ने वहां पर जन प्रतिनिधि को घोड़ी से उतारने का काम किया, बल्कि आपको भी उस किनारे पर बिठाने का काम किया है। ..(व्यवधान).. सुनने का माददा रखो।

श्री सभापतिः बैठिये आप। ..(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

श्री अमित चाचाण (नोहर): 000

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सदस्य, आप बोल रहे थे मैंने बीच में आपकी बात नहीं काटी।

श्री अमित चाचाण (नोहर): 000

श्री सभापतिः श्री विकास चौधरी। ..(व्यवधान)... बोलिये, आपका समय प्रारम्भ हो गया।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, इनको बिठाओ तो सही। ..(व्यवधान)... सभापति महोदय, इनको बिठाओ तो सही।

श्री सभापतिः आप तो बोलो। ..(व्यवधान)..

श्री अमित चाचाण (नोहर): 000

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापतिजी, कैसे बोलूं, बिठाओ तो सही। ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप भी बैठिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ): यह नूरा कुश्ती बाहर कर लें, मेरा समय कट रहा है।

श्री सभापतिः आप भी बैठो। ...(व्यवधान).. बिराजिये। बिराजिये आप। आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 जल संसाधन और मांग संख्या 45 वन व पर्यावरण पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

जल बिन जीवन है नहीं,
जल देता है प्राण।।

बड़ा शक्तिशाली है जल
करे सृष्टि निर्माण।।

इस अवसर पर मैं ब्रह्मा जी की नगरी से आये हुये माननीय मंत्रीजी को प्रणाम करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं कुछ तथ्यात्मक आंकड़ों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जल संकट इस समय इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। चूंकि भारत वैश्विक जनसंख्या में 18 प्रतिशत आबादी इस देश में निवास करती है, लेकिन विश्व के स्वच्छ जल संसाधन का मात्र चार प्रतिशत जल ही यहां उपलब्ध है। राजस्थान की स्थिति इस सन्दर्भ में और भी ज्यादा चिन्ताजनक है। राजस्थान में देश की कुल सतही जल संसाधनों का केवल 1.16 प्रतिशत व मात्र उपयोग योग्य 16.05 बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है। जैसाकि नीति आयोग ने अपनी कम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान के पांच शहर- जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर आज अत्यधिक भूजल दोहन के कारण खतरे में हैं। एन.जी.टी., नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार भारत में रोजाना 48.41 अरब लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 60 करोड़ लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जल की बर्बादी न हो, इसके लिये यहां एक कहावत है। आदरणीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आपको एक कहावत कहना चाहता हूं-

'घी ढुल्यां म्हारो की न जासी,
पानी ढुल्यां म्हारो जी बलै।।

आज देश में पीने योग्य जल की गुणवत्ता की स्थिति अत्यन्त शोचनीय और विचारणीय है। जल की गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें नम्बर पर है, जो बड़ी चिन्ताजनक बात है। माननीय सभापति महोदय, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जल संसाधनों की कमी लगातार इसी तरह रही तो 2050 तक कृषि उत्पादकता में 50 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है और आपने-हमने अखबारों में पढ़ा होगा कि आज भारत जैसे कृषि प्रधान देश को भी गेहूं बाहर से मंगाना पड़ रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश की जी डी पी के 6 प्रतिशत का नुकसान लगातार हमें हो सकता है। वर्तमान में विश्व ने यह देखा कि जल संकट के कारण दक्षिण अफ्रीका का एक शहर केपटाऊन है, उसे जलविहीन शहर घोषित कर दिया गया और यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस प्रदेश की स्थिति भी बड़ी विकट हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, जब समय पर जल नहीं मिले, पांच साल हम लड़ते रहे। जल पर तो सबका अधिकार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने 2017-18 में ई आर सी पी प्रोजेक्ट को तैयार किया। केन्द्र में 10 वर्ष से मोदीजी की सरकार है। लगातार कांग्रेस पार्टी कहती आ रही है कि ई आर सी पी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। लेकिन लड़ाई किस चीज की है?

जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका-तिनका गिर जाये
फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं।।

इसलिये पांच साल तो आपने खराब कर दिये लेकिन अब हम नौजवानों को आशा है कि नौजवानों को नौकरी देने में आप असमर्थ हो, कम से कम पानी तो दे दो तो पानी से आने वाले नौजवान की पीढ़ी कृषि कार्य करके अपने रोजमर्रा का काम तो कर सके। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं सदन से मांग करता हूं कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने जल की महत्ता समझी और जोहड़, नाड़ी, तालाब, पोखर, बाव़डियां, टांके, खड़ीन इत्यादि का निर्माण कर जल संरक्षण पर ध्यान दिया। उसी तरह वर्तमान राज्य सरकार को नई जल नीति बनाकर इस दिशा में उनको प्रयास करना चाहिये।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुनलाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, ERCP के MOU को आज छह महीने हो गये। राजस्थान, मध्य प्रदेश केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच क्या MOU साइन हुआ? सदन के साथ-साथ पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि आखिर आप किस पर्ची पर वहां साइन करके आये हो, यह पूरा प्रदेश जानना चाहता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस ERCP पर चर्चा होनी चाहिये। इस परियोजना का जल मेरे विधान सभा किशनगढ़ सहित अजमेर जिले की तमाम तहसीलों में जाये, यह मंत्रीजी से मैं मांग करता हूं। मैंने सुना है ERCP पुष्कर तक तो आ रही है। मैं तो प्रतिपक्ष में हूं, मेरे मत लेकर आओ लेकिन कम से कम इस प्रदेश सरकार के उप मुख्य मंत्री आदरणीय प्रेमचन्द जी बैरवा जी के दूदू तक तो लेकर आ जाओ तो भी मैं मान जाऊंगा। रास्ता तो उधर से ही गुजरेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कोडिया सागर, अराई, विजय सागर, लाम्बा, सुख सागर, जवाहर सागर, सिरोंज, मूण्डोती डेम, मनोहरपुरा, किशन सागर, गागुन्दा, न्यूबरोल टैंक, उम्मेद सागर, नोरिया, रामसागर, रामपुरा, तिलोनिया तालाब, रामसरोवर, बांदरसिंदरी, गोवर्धन, हनुमान सागर, बरणा, रलावता, सरगांव, काचरिया ऐसे अनेक सुन्दर तालाब बने हुये हैं। यदि ERCP का पानी उसमें आ जाये तो हमारे क्षेत्र में जो वाटर लेवल गायब हुआ है, वह वाटर लेवल वापस रिचार्ज हो जायेगा। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी ने जिस प्रकार से बजट में, अपने विभाग में जल स्वावलम्बन 2.0 के तहत 20 हजार गांवों में 5 लाख जल संचयन इकाइयों बनाने की घोषणा की। इसी तरह बजट में रन ऑफ वाटर ग्रिड व राजस्थान इर्रिगेशन वाटर ग्रिड की बात की। मैं बीजेपी में और बीजेपी के साथियों को लम्बे समय से जानता हूं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है।

MLS/RTM/22.07.2024/17:20/3g

मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि आपने जो बजट में लिखा है, यदि उसका क्रियान्वयन कर दिया तो सदन में खड़े होकर हम नौजवान आपको बधाई देंगे, शाबासी देंगे। मैं चाहता हूं,

जल पर राजनीति न होकर सरकार घोषित योजनाओं पर हितधारकों से संवाद कर योजनाओं का क्रियान्वयन करे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो नयी जल नीति बने, उसमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बून्द-बून्द सिंचाई, नये बांध व एनिकट का निर्माण हो। किशनगढ़, जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें नये जल का पुनर्चक्रण का कार्य हो।

साथ ही, वन मंत्री जी बैठे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ आप आएं तो हमारे मंदाड़ी चौराहे से खातोली की आप रोड को देखें। उससे सुन्दर राजस्थान की कोई रोड हो तो आप जो कहेंगे, वह करेंगे। उस सुन्दर रोड पर दोनों तरफ नीम के वृक्ष लगे हुए हैं, निम्बार्काचार्य की पीठ है, कल गुरु पूर्णिमा थी, मैं उनके चरणों को वन्दन करता हूं। रोड के दोनों तरफ आप वृक्षारोपण का काम करें। तब जाकर सही रूप से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकेंगे। बजट में घोषित आरटीडीएएस (Real Time Data Acquisition System) को शीघ्र लागू करें। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) माननीय सभापति महोदय, मेरा मूल विषय, जिसमें मैंने अध्ययन किया है, पीएच.डी. की है, वह तो अब आया है, यह तो किसानों के लिए जल की बात थी।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): सभापति जी, मैं किसान परिवार से आता हूं। न केवल किशनगढ़ जिले का, इस अजमेर जिले का किसान क्या मांगता है? किसान सड़कों पर यदि अपने हक की आवाज उठाता है तो वहां आप लाठियां चलाते हैं। किसान की आंखों में जो आंसू आते हैं, वे आपको दिखते नहीं हैं। किसान पानी मांगता है तो आप लाठियां चलाते हैं। किसान एमएसपी पर अपने जींस की खरीद मांगता है तो आप उनकी तरफ देखते नहीं हैं, लेकिन जनता ने इस बार 400 की जगह 240 पर लाकर आपको एक बार का तो कम से कम रास्ता दिखा ही दिया। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा अहंकार टूटेगा।

सभापति महोदय, पर्यावरण से हमारा जीवन पलता है, आज वही प्रदूषित होता जा रहा है। 5 जून को हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आयोजित पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन वह मनाने के बाद हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जातीं, आज मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मां के नाम दस पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ों का रख-रखाव कौन करेगा, उन्हें पानी कौन देगा, इस पर भी हमें विचार करना चाहिये।

बड़े-बड़े कल-कारखानों का जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, वह लगातार हमारे पानी को दूषित कर रहा है और वह पानी आज हमारे नौजवानों में कैंसर और अनेक प्रकार की प्राणघातक बीमारियों को जन्म दे रहा है। माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण का विषय बड़ा गम्भीर विषय है। जिस प्रकार का एन्वायर्नमेंट हमें देखने को मिल रहा है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी-कभी एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है।

''यह शहर भी क्या शहर है,
हवाओं में धुआं है, फिजाओं में जहर है।''

हमें इन पंक्तियों पर चिन्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि

''बड़ी मासूम सी है ये जिन्दगी मेरी,
शहर में रहूं और गांव भी चाहिये,
बस बैठा रहूं ऊंची ईमारतों में मैं,
पेड़ों को काटूं और छांव भी चाहिये,
और छांव भी चाहिये।''

मुझे लगता है, यह विषय जन-जागरण का है। यह यहां के प्रत्येक सदस्य के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है कि हम अपने क्षेत्र में जाकर वृक्षारोपण करें। हमारे क्षेत्र में अनेक प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, मैं उनसे आपको अवगत कराना चाहता हूं। किशनगढ़ में औद्योगिक इकाइयों की अधिकता के मद्देनजर सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र की स्थापना की जाये। राज्य की नयी पर्यावरण नीति बनायी जाये और उसमें जिलेवार एक्शन प्लान तैयार किया जाये ताकि आने वाली पीढ़ी को सम्पोषणीय वातावरण हम दे सकें। सभापति महोदय, आपने मुझे पूरा समय दिया और मुझे सुना, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री विक्रम सिंह जाखल।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 42 एवं मांग संख्या 45 पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम, माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ सहित पिलानी विधान सभा क्षेत्र में 7542 करोड़ की जल जीवन मिशन के तहत इंदिरा गांधी नहर आधारित पेयजल परियोजना की सौगात दी।

मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र नवलगढ़ में पेयजल समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा। गत सरकार में केंद्र की महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन परियोजना का नवलगढ़ सहित पूरे प्रदेश में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ, जो प्रदेश में जल संसाधन विभाग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। सभापति महोदय, झुंझुनूं के समस्त उप-खण्डों में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना एवं अन्य पेयजल परियोजनाओं से पेयजल की आपूर्ति होती रही है, परंतु मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में अभी तक ऐसी कोई भी परियोजना संचालित नहीं है जिसके कारण यहां की जनता भू-जल पर ही निर्भर है।

जलदाय विभाग के सर्वे के अनुसार नवलगढ़ विधान सभा में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण 73 ट्यूबवैल सूख चुके हैं। इससे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है। श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त पेयजल परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये ताकि हमारे क्षेत्र की जनता की पानी की समस्या दूर हो। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र नवलगढ़ की श्री सीमेंट फैक्ट्री द्वारा किये जा रहे पर्यावरण प्रदूषण की ओर दिलाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, सीमेंट फैक्ट्री गोठड़ा द्वारा हजारों पेड़-पौधों की अन्धाधुन्ध कटाई की जा रही है, जिससे फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फैक्ट्री के प्लांट एवं माइनिंग क्षेत्र में पेड़-पौधे काटने से वहां रहने वाले जीव-जन्तु नष्ट हुए हैं। खुदाई कर मिट्टी के बड़े-बड़े पहाड़ खड़े कर दिये गये हैं, जिससे तेज हवाएं चलने पर धूल-मिट्टी के गुबार आसपास के गांवों में फैल जाते हैं। इससे वहां की जनता को श्वास लेने में भी परेशानी हो रही है।

सभापति महोदय, ग्राम गोठड़ा में श्री सीमेंट फैक्ट्री, गोठड़ा से निकलने वाले धुएं एवं धूल-मिट्टी से भयंकर प्रदूषण हो रहा है, जिससे आमजन का फैक्टरी के आसपास के क्षेत्र में रहना दूभर हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण में स्थानीय लोग अस्वस्थ होने के साथ-साथ गम्भीर बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। उक्त प्रदूषण के भय से कुछ परिवार तो यहां से पलायन कर दूसरी जगह भी चले गये हैं। सभापति महोदय, श्री सीमेंट फैक्ट्री, गोठड़ा में माल ट्रेलर एवं बड़ी मशीनों, जनरेटर से निकलने वाले धुएं से खतरनाक प्रदूषण एवं गैसेज निकलती हैं, जिससे स्थानीय आमजन में गम्भीर बीमारियां हो रही हैं। श्रीमान् से अनुरोध है, उक्त फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण के कारण श्री सीमेंट ही समय-समय पर चिकित्सा कैम्प लगाकर लोगों का इलाज कराये।

सभापति महोदय, श्री सीमेंट फैक्ट्री, गोठड़ा द्वारा सीएसआर फंड से क्षेत्र में सामाजिक एवं पर्यावरण से सम्बन्धित जितने अनुपात से कार्य होना चाहिये, उतने अनुपात से कार्य नहीं हो रहे हैं। इससे किसानों और आमजन में रोष व्याप्त है। सभापति महोदय, फैक्ट्री के आसपास एक बहुत बड़ा भू-भाग है, जिसका फैक्ट्री द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। उसमें आसपास के पशु विचरण के अपना पेट भरते थे। वर्तमान में उन पशुओं का घास-चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका जीवन कष्टमय है। सभापति महोदय, श्री सीमेंट फैक्ट्री, गोठड़ा द्वारा स्थानीय किसान, काश्तकार, मजदूर एवं आमजन को रोजगार नहीं देकर बाहर से आये लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इससे स्थानीय किसान एवं आमजन में रोष व्याप्त है, जबकि किसानों की भूमि अधिग्रहण के समय स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था।

आज फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र के किसान एवं आमजन बेरोजगार हो गये हैं, क्योंकि अब न तो किसान के पास कृषि के लिए भूमि है और न ही अन्य कोई रोजगार है। सभापति महोदय, श्री सीमेंट फैक्ट्री, गोठड़ा से सीमेंट परिवहन के लिए बेरी से गोठड़ा रेल लाइन डालना प्रस्तावित है।

mkd/rtm/22.07.2024/17:30/3h

उक्त प्रस्तावित रेल मार्ग में काफी पेड़-पौधे एवं किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है। किसानों के हित को देखते हुए उक्त रेल लाइन उचित मार्ग से आनी चाहिए। जिससे किसानों की भूमि ज्यादा खराब नहीं हो तथा किसानों को उचित मुआवजा मिले।

सभापति महोदय, श्री सीमेंट फैक्ट्री द्वारा एनजीटी के अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया जा रहा है। श्री सीमेंट फैक्ट्री से प्रभावित स्थानीय निवासियों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। फैक्ट्री द्वारा न ही एनजीटी के माध्यम से दिये जाने वाले फंड से हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क का निर्माण, पेयजल व्यवस्था एवं अन्य विकास के कार्य किये जा रहे हैं।

अतः सभापति महोदय से अनुरोध है कि श्री सीमेंट फैक्ट्री के आसपास क्षेत्र में आने वाले किसानों व आमजन की पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनकी उक्त समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें।

जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो, तब तक श्री सीमेंट फैक्ट्री को एनजीटी से पर्यावरण से सम्बन्धित एनओसी जारी नहीं करने का कष्ट करावे।

सभापति महोदय, नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चिराणा, पहाडिला, करौडी, नोरा, लोहारगढ़, रामपुरा पहाड़ी, वन क्षेत्र शाकम्भरी, कंजर्वेशन रिजर्व से सटे होने के कारण इस गांव में आये दिन जंगली जानवर, पैंथर आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। जो ग्रामीणों के पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। जिससे गांव वालों में भय का माहौल व्याप्त है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त जंगली जानवरों व पैंथर से ग्रामीणों के मवेशियों की सुरक्षा हेतु तारबन्दी या चारदीवारी का निर्माण करवाया जाये। जिससे जंगली जानवर, पैंथर व ग्रामीणों के मवेशी दोनों ही सुरक्षित रहें। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रुपिन्दर सिंह।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार', अदम चाकरी लेकिन आज खेती एक घाटे का व्यवसाय बनकर रह गया है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। आज सदन में बैठे हुए बहुत से मेरे साथी किसानी से जुड़े हुए हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई किसान है, कोई किसान की बेटी है। हर जिले के किसानों की अलग-अलग समस्याएं हैं। मैं श्रीगंगानगर जिले से आता हूं। यहां के लोग खेती पर निर्भर हैं और खेती नहरी पानी पर निर्भर है।

सभापति महोदय, वर्ष 1981 में रावी, व्यास नदी से पानी देने के लिए राजस्थान और पंजाब सरकार के बीच समझौता हुआ था। जिसमें राजस्थान को 8.60 एमएफ पानी मिलना था, लेकिन राजस्थान के किसानों को उनके हिस्से का 0.60 एमएफ पानी आज तक नहीं मिल पा रहा है। पंजाब सरकार हमारे हिस्से का पानी नहीं दे पाती है। उनकी मनमर्जी के वजह से किसान प्रभावित होते हैं।

सभापति महोदय, हमारे हिस्से का पानी जून-जुलाई का 2500 क्यूसेक्स है। मैंने मंत्री जी को भी अवगत कराया था, लेकिन आज हमारे किसानों को सिर्फ 1200 क्यूसेक्स पानी मिल पा रहा है। सादुलशहर से आने वाले मेरे साथी ने बड़े आंकड़े पेश किये हैं, लेकिन मैं सदन

को बताना चाहता हूं कि पिछले दो महीने से हमारे किसान पानी के लिए तरस रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि किसान आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको उनके हक का पानी नहीं मिल पा रहा है। कृपया, केन्द्र सरकार से बात करके किसानों को पानी पहुंचाये, ताकि उनकी फसलें बच सकें।

कांग्रेस सरकार द्वारा फिरोजपुर फीडर के पुन:निर्माण के लिए 200 करोड़ स्वीकृत किये थे। इसकी डीपीआर केन्द्र सरकार को भी भेज दी गई थी, लेकिन वह डीपीआर वहीं रोक दी। फिर भी, माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी ने फिरोजपुर फीडर के लिए 200 करोड़ रुपये का पुन:निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

गंगनहर पर महाराजा गंगासिंह जी के बाद अगर किसी ने काम किया है तो वह तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। सन् 2000 में गंगनहर को पक्का करवाने के लिए 770 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। जिससे गंगनहर का पुन:निर्माण हुआ था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोजपुर फीडर के पुन:निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। उसकी डीपीआर बनवाकर जल्द ही फिरोजपुर फीडर का पुन: निर्माण करवाया जाये, 45 आरडी बलेवाला हैड से 368 आरडी खखा हैड तक आरसीसी रिलाइंनिग कराई जाये, नहर के दोनों तरफ पक्के पटड़े बनाये जाये। पुरानी बीकानेर कैनाल के हुसैनीवाला हैड से 45 आरडी तक सफाई करवाई जाये। रिक्त पद भरे जायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, गंगानगर जिले में हजारों एकड़ जमीन पर कॉलोनी कट चुकी है। उनका कॉलोनाइजर हो चुका है। जो बचत का पानी है, उस पानी का संज्ञान ले और जो बचत का पानी है, उससे अनकमांड जमीन को कमांड कराया जाये ताकि किसान को उस पानी का लाभ मिल सके। लिंक चैनल लोहगढ़ से शिवपुर हैड तक नहर को पक्का कराया जाये।

माननीय सभापति महोदय, गंगनहर में दूषित पानी आ रहा है, जिससे हजारों लोगों में कैंसर की बीमारी फैल रही है, लोग प्रताड़ित हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो रही है। भारत देश में नदियों व झीलों के पानी को दूषित नहीं किया जाये, इसलिए वर्ष 1974 में कानून बनाया गया था, परन्तु उसकी पालना अभी तक नहीं हो पाई है।

माननीय सभापति महोदय, गंगनहर और भाखड़ा नहर के अन्तर्गत सिंचाई खालों को पक्का कराने के लिए सरकार द्वारा मात्र 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो काफी कम है। गंगनहर परियोजना के अन्तर्गत 165 खाले अभी भी पक्के होने वाले हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें बजट और बढ़ाया जाये ताकि पानी की बचत हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 45 पर्यावरण एवं वन्य जीव, उस पर बोलने से

पहले मैं विश्नोई समाज के गुरु जम्भेश्वर महाराज जी को नमन करता हूं। जिन्होंने आज से 500 साल पहले ही यह सन्देश दे दिया था, वन्य जीव और पर्यावरण को बचाने का। यदि हम उनके बताये हुए सन्देशों पर चलते तो आज हमें हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ता।

मेरा सरकार से निवेदन है कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया है। मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन सिर्फ नारा लगाने से पर्यावरण नहीं बचाया जा सकता है। एक तरफ हम पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पेड़ों को काटने के लिए आरा मशीनों को लाइसेंस देते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आरा मशीनों के लाइसेंस पूरी तरह निरस्त किये जाये।

सरकार को पेड़ बचाने के लिए काम करना चाहिए। दूसरी तरफ, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से हिरण हैं, जिनका आये दिन शिकारियों द्वारा शिकार किया जा रहा है। उस पर पूरी तरह रोक लगाई जाये, नहीं तो वह दिन दूर नहीं, जिस तरह से हमको विदेशों से चीते मंगाने पड़े थे, उसी तरह हिरण भी हमें विदेशों से मंगाने पड़ेंगे।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पदमपुर में एक वन्य चौकी एवं एक नर्सरी खोली जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।

श्री सभापतिः श्री ललित मीणा।

श्री ललित मीना (किशनगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय सिंचाई मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा

Bhs/Rtm/22.7.24/17.40/3j

कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 410 करोड़ रुपये आपने देकर इर्रिगेशन को सुदृढ़ करने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए जो काम किया है, वह जो पिछले पांच साल बहुत बड़ा सफर कर रहा था उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। 410 करोड़ रुपये की जो योजना आपने दी है उसमें अलग-अलग एनिकट हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ी नदियां आती हैं कून्, करई, रेपी जैसी नदियां आती हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र लगभग 2.8 लाख हैक्टेयर है उसमें से 1.06 हेक्टेयर कृषि भूमि है और लगभग 2100 हेक्टेयर भूमि में ही बांध और नहरों से सिंचाई हो पाती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सारी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो पिछले 2018 में स्वीकृत की थी, का वर्तमान में भी काम चल रहा है। बजट के अभाव में वो सफर कर रही है और कहीं न कहीं फॉरेस्ट के भी ऐसे इश्यू हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में इतने फॉरेस्ट एरिया हैं उस वजह से उसकी परमिशन के लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे राड़ी, नवेली और देवली की मध्यम सिंचाई परियोजना वर्षों से फॉरेस्ट के कारण अटकी हुई

है। उसकी डीपीआर 2018 में बनायी। उसके बाद 42 करोड़ की बनी, एक की 53 करोड़ की बनी लेकिन फॉरेस्ट के कारण वो अटकी हुई है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको बजट देकर इस क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए आन्दोलनरत जो हमारे किसान हैं उनको लाभ मिले, पूरे क्षेत्र को लाभ मिले। इसके साथ-साथ मेरी बिलासी मध्यम सिंचाई परियोजना जिसके लिए जायका से पिछली बार 18 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए थे उसका काम भी आज वर्तमान में अभी चल रहा है पर कुछ काम अभी पेंडिंग है। इसके साथ-साथ मेरा मझोला का झखा तालाब जिसके चार करोड़ रुपये पिछली सरकार में 2018 में बीजेपी के समय सैंक्शन हुए थे उसका काम अभी सफर कर रहा है उसको भी बजट देने का काम करें। इसके साथ-साथ देवली का जीरणा तालाब के लिए 20 करोड़ सैंक्शन हो गये, जो डूब में आये उनके लिए मुआवजा देने की तैयारी हो गई पर सरकार चली गई तो पिछले पांच साल से वो अभी तक पेंडिंग है तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब आज आप रिप्लाई दें तो मेरा जो देवली का जीरणा तालाब है, राड़ी और नवेली को भी स्पेशल तौर पर बजट देकर इसको स्वीकृत करवाने का श्रम करें।

इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र और 13 जिलों की और इस राजस्थान की बहुत बड़ी योजना ई.आर.सी.पी. जो पूर्वी राजस्थान को सुदृढ़ करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने आते ही इसकी घोषणा की और 900 करोड़ रुपये का इसमें प्रोविजन किया। इसी की डीपीआर 2017 में लगभग 37 हजार 250 करोड़ की बनी थी और आज इसको जमीनी धरातल पर लाने का काम मुख्य मंत्री जी ने किया, इसका जो डेम बन रहा है वो मेरे रामगढ़ और महलपुर बैराज डैम जो बारां जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र में बन रहा है इसके लिए आपने 9,600 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है इससे मेरे विधान सभा क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए कम से कम इसको सम्मिलित करें, उसकी डीपीआर बनवायें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसान और सब लोग पिछले चार-पांच महीने से जब से सरकार आयी है तब से आप से निवेदन कर रहे हैं और मैंने भी ज्ञापन दिया आपको तो इसके माध्यम से इसको सर्वे करा कर ई.आर.सी.पी. में जुड़वाने का काम करें। लगभग 35 गांव वर्तमान में इसमें डूब में आ रहे हैं और उनको डूब में आने के साथ-साथ उन गांवों के जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं वहां सरपंचगण हैं, उनके पट्टे बनवायें, ताकि वो डूब में आयेंगे तो उनको मुआवजा मिल सके और मुआवजा मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पूरे विधान सभा क्षेत्र को ई.आर.सी.पी. से वंचित कर दिया तो इसके लिए मेरा मंत्री महोदय से बहुत जोर देकर निवेदन है कि आप इस डीपीआर का पुनर्गठन करवायें मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो दो डैम हैं रामगढ़ और महलपुर बैराज और इसके साथ-साथ जो हमारी परवन जो 2017 में हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने सैंक्शन की थी उस समय तो उससे बारां, कोटा और झालावाड़ में लगभग 1821 गांवों को पेयजल के लिए सैंक्शन किया था और इसके साथ-साथ लगभग 637 गांवों को उससे लाभान्वित होना था सिंचाई में।

सभापति महोदय, इससे 1 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी और इस पर अभी तक वर्तमान में 5,549 करोड़ रुपये व्यय हो चुके पर मेरा निवेदन है कि पिछले पांच साल से इसको बजट नहीं मिला, जब कांग्रेस की सरकार थी। अभी वर्तमान में मेरा आपसे निवेदन है कि इसको बजट देने का काम आप करें ताकि इससे मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पेयजल की व्यवस्था होगी और मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद को ई.आर.सी.पी. में भी नहीं जोड़ा और न ही परवन से इसको सिंचाई के लिए लिया और दोनों ही आपकी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अगर मेरा विधान सभा क्षेत्र छूट गया तो फ्यूचर के लिए पूरे दोनों ब्लॉक किशनगंज शाहबाद छूट जायेंगे। बारां, अटरू को परवन से सिंचाई मिल रही है। अन्ता, मांगरोल को सी.ए.डी. से मिल रहा है पर मेरा विधान सभा क्षेत्र अछूता रह जायेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको या तो परवन से लिफ्ट करके जब हम ई.आर.सी.पी. से लिफ्ट करायें या परवन से लिफ्ट करा के इसको पैसा दें।

सभापति महोदय, मेरे नाहरगढ़ क्षेत्र में आपने हमारे डूंगराज और बरनी नदी पर डेम बनाने के लिए पचास लाख रुपये की डीपीआर बनाने के लिए आपने बजट में घोषणा की है इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। विभाग से आपके माध्यम से निवेदन है कि विभाग को पॉजिटिवली यह कहें कि वो वहां पर दोनों डेम डूंगराज और बरनी नदी पर बनाने के लिए सर्वे करा कर पॉजिटिव रिपोर्ट भेजें और फॉरेस्ट मंत्री जी यहां बैठे हैं। मेरे पूरे किशनगंज में शाहबाद में चार फॉरेस्ट की रैंज की पड़ती है। लगभग मेरे 35-36 रोड पैंडिंग पड़े हुए थे उसका आपको निवेदन किया तो आपने कहा भी है कि उनको पास करा देंगे।

इसके साथ-साथ हमारे पी.एम.-जनमन में लगभग 72 रोड आये हैं प्रधान मंत्री जी के यहां से सीधा मॉनिटरिंग हो रहा है सहरिया क्षेत्र होने के कारण तो उसमें 36 रोड ऐसे हैं जो हमारे कहीं न कहीं फॉरेस्ट की वजह से हमारे रुके हुए हैं इसके साथ-साथ मेरे हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना का वर्तमान में काम चल रहा है, 2018 की बजट सैंक्शन में हमारी पिछली सरकार ने लगभग 283 करोड़ रुपये देने का काम उस समय किया और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार थी उस समय उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया आज उससे लगभग 48 गांवों को पानी मिलेगा, उसके पीछे की 1 किलोमीटर की बाउंड्री है। उसकी जो रूपरेखा है उसमें भी फॉरेस्ट की वजह से उसकी परमिशन अटकी हुई है तो मेरा निवेदन है कि उसको थोड़ा सा दिखवा कर आगे कंटीन्यू करा कर उसको चालू करायें।

इसके साथ-साथ मेरे जो वन क्षेत्र हैं इन वन क्षेत्रों में 2005 के आपने पहले पट्टे दिए हुए हैं उन पट्टों के माध्यम से पांच बीघा के पट्टे तो दे दिये लेकिन उनमें न हम बोर करा सकते न लाइट के कनेक्शन तो वहां पर वो सफर कर रहे हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि उसमें कोई न कोई रास्ता निकाल कर फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब उसमें राहत प्रदान करें। इसके साथ-साथ मेरे जो 42 गांव बिलकुल फॉरेस्ट में बसे हुए हैं उनसे परमिशन लेकर लाइट लगवाई उनमें और कुछ रोड बनवाये हैं पर उनको वहां पर आबादी में कन्वर्ट नहीं किया तो कहीं न कहीं उनको आबादी में कन्वर्ट कराने का काम करें ताकि वहां के लोगों को उसका

लाभ मिले।

इसके साथ-साथ हमारे जो 1,050 करोड़ रुपये की आपने स्वीकृति की उसमें पचास नयी नर्सरी बनाने की आपने स्वीकृति की है तो फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ नर्सरियां दें ताकि वहां पर फॉरेस्ट का घनत्व बढ़े और इसके साथ-साथ चार रैंज होने के कारण ए.सी.एफ. की सुनवाई छीपाबड़ौद होती है तो बारां मुख्यालय पर मेरे नाहरगढ़ के फॉरेस्ट के जो कैसेज हैं उनकी सुनवाई बारां मुख्यालय पर हो।

इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ग्रीनको प्लांट हमारी लाइट को समृद्ध करने के लिए ग्रीनको प्राइवेट प्रोजेक्ट वहां पर आया है उसमें लगभग डेढ़ लाख पौधे...। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में खत्म करूंगा। डेढ़ लाख पौधे उसमें कटना बता रहे हैं विभाग की तरफ तो जो प्राइवेट ग्रीनको प्लांट है यह थर्मल से बनेगा और इसकी फॉरेस्ट से एन.ओ.सी. भी होगी तो मेरा कहना है कि ये डेढ़ लाख जो पौधे हैं इनको कहीं न कहीं विधान सभा क्षेत्र में प्राइवेट प्लांट है इसके माध्यम से कहीं न कहीं लगवाने का श्रम करें ताकि एनवायरनमेंट की कहीं न कहीं रखवाली हो सके और जो हीटवेव इस बार पूरे राजस्थान में चली, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो वैसे ही पानी की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि दोनों सिंचाई परियोजनाओं से छूट रहा है तो कहीं न कहीं पौधे लगाने का काम ये प्राइवेट प्रोजेक्ट करे ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री भीम राज भाटी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटा बढ़ाया जाता है।

Kas/rtm/22.07.2024/17.50/3k

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपने मुझे मांग संख्या 42 और मांग संख्या 45 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सरदार सरोवर बांध, हेमावास बांध, खारड़ा बांध, गरवलिया बांध, बायत बांध, नेहड़ा बांध, इन सब बांधों में पानी तो रहता है, लेकिन नहरें कच्ची हैं। उस जमाने में जोधपुर दरबार ने सरदार सरोवर बांध एवं हेमावास बांध बनाया था, लेकिन वह सब नहरें कच्ची हैं, उन नहरों को पक्की करने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि चाहे वर्ल्ड बैंक से पैसा लाएं या चाहे कहीं से भी पैसा लाएं, उन नहरों को पक्की कराने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, एक रावलवास फीडर को भी दुरुस्त कराएं, ताकि उसका पानी खारड़ा बांध और हेमावास बांध में आ सके। इसी तरह हमारे यहां न तो कुओं में पीने का पानी है, न तालाबों में पानी है। रोइड पंचायत समिति के जैतपुर तालाब में, रोइड तालाब, मांडावास तालाब, गेलावास तालाब, कानावास तालाब, इन सब तालाबों में बढ़िया व्यवस्था करें। यह सब पानी स्टोरेज करने के लिये हैं। जब भी जवाई से पाली पानी आ जाये तो उन तालाबों को भर दिया जाए, ताकि समय-समय पर जो पानी की तकलीफ होती है, वह न हो। तालाबों में पानी स्टोरेज रहे, तो गर्मी के सीजन में पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। इसी तरह मंडलीखुर्द है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): भाटी साहब, इन तालाबों में पानी डालते ही खारा नहीं हो जायेगा क्या?

श्री भीम राज भाटी (पाली): नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरी जानकारी के अनुसार खारा हो जायेगा।

श्री भीम राज भाटी (पाली): नहीं होगा, मैं रहता हूं वहां, मुझे मालूम है। जब मूलचंद जी डागा साहब मेम्बर ऑफ असेंबली थे, एमपी थे, वह इन तालाबों में पानी भराते थे और उसकी वजह से पानी की समस्या नहीं होती थी। इसी तरह से पाली शहर में रामदेव रोड पर, पाली शहर इतना बड़ा हो गया है कि इस शहर में पानी के ओवर टैंक बना दिये जाएं तो पीने के पानी की समस्या का शहर में भी समाधान हो जायेगा।

दूसरी सबसे बड़ी समस्या पाली में प्रदूषण की है। जैसे हमीर सिंह साहब को भी पता है, पाली में सीईटीपी का प्लांट है। उस प्लांट का पहला ट्रीटमेंट प्लांट मैंने बनवाया था, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाया था। आज की तारीख में प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, प्लांट नंबर 4, इस तरह 6 ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं। उन प्लांटों के लिये एनजीटी ने आर्डर कर रखा है कि एक बूंद भी अनट्रीटेड पानी नदी में नहीं बहाया जायेगा। अभी राजस्थान राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम आई थी, पांच बड़े अफसर आये थे। उन अफसरों ने वहां जांच की, तो प्लांट नंबर 4 और प्लांट नंबर 6 से पानी उस सीईटीपी के प्लांट से पाइप लाइन डालकर बांडी नदी में छोड़ा गया। उन पाइपों को जेसीबी लगवा कर हटवाया गया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जो रीजनल ऑफिसर, आर.ओ, हैं, उन्होंने 58 पेज की रिपोर्ट फोटो सहित लिखी, लेकिन उसके ऊपर आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वहां पर सीईटीपी के जो अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ फौजदारी के मुकदमें दर्ज हैं, धोखाधड़ी के मुकदमें दर्ज हैं, स्टेट

बैंक ऑफ इंडिया का उन पर करीब 60-65 करोड़ रुपये का कर्जा है। वह आदमी बड़े-बड़े लोगों के प्रोटेक्शन की वजह से आज भी उस सीईटीपी का अध्यक्ष बना हुआ है। वह कहते हैं कि मेरे पर तो बड़े-बड़े लोगों का हाथ है। अब वह कौन बड़े लोग हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता। जिस आदमी पर फौजदारी का मुकदमा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करोड़ों रुपया उस ट्रीटमेंट प्लांट के लिये दे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने करोड़ों रुपया दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, लेकिन उस कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट के अध्यक्ष पद पर ऐसा भ्रष्ट आदमी, जिसका मकान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिकवरी के लिये सीज हो रखा है, जिसकी फैक्ट्री सीज हो रखी है, वह आज भी उस सीईटीपी का चेयरमैन बना हुआ है और वह कहता है कि मेरे ऊपर बड़े-बड़े लोगों का हाथ है। पता नहीं किन लोगों का हाथ है? सीईटीपी के प्लांट नंबर 6 से सीधा बांडी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जयपुर ऑफिस को रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन उस रिपोर्ट पर भी आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रदूषण की वजह से किसानों की हजारों बीघा जमीन खराब हो गई। राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जिन किसानों की हजारों बीघा जमीन खराब हुई है, उनको मुआवजा दिया जाये, लेकिन हाई कोर्ट के उस आदेश की पालना आज दिन तक नहीं हुई।

(समय: बजे।)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इस सीईटीपी की एनक्वायरी करने के लिये, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की एनक्वायरी करने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बड़े-बड़े सीनियर ऑफिसर की टीम आई। वह 10 दिन तक वहां पाली में रही। 10 दिन तक उस टीम को कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये। फिर कलेक्टर के सख्त आदेशों के बावजूद उस टीम को कागजात उपलब्ध कराये गये। उसके बाद उस टीम ने 6 करोड़ 36 लाख रुपये का घोटाला पकड़ा और उस घोटाले की रिपोर्ट भेजी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑडिट डिपार्टमेंट ने, 2016, 2017, 2018, जितने भी कलेक्टर आये, उन सब कलेक्टरों को रिपोर्ट लिखी कि इस भ्रष्टाचार की जांच करो और इसकी वसूली करो और इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लो, पुलिस केस करो, लेकिन आज दिन तक किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। पता नहीं कौन ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को बचा रहे हैं। इसलिए किसानों को मुआवजा देने का हाई कोर्ट का आदेश है और जिन्होंने भ्रष्टचार किया, उनसे वसूली करने का और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का, इसके लिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि सीईटीपी में हजारों रुपये का रोज केमिकल यूज दिखाया जाता है, लेकिन केमिकल यूज नहीं किया जाता है और पोल्यूटेड पानी बांडी नदी में डाला जा रहा है। इससे हमीर सिंह साहब भी वाकिफ हैं। नेहड़ा बांध को प्रदूषित पानी से भर दिया और फिर डाउन स्ट्रीम में छोड़ा। डाउन स्ट्रीम में हमीर सिंह जी का विधान सभा क्षेत्र है। इस

प्रदूषण की समस्या को निदान करने के लिये मेरा एक सुझाव है कि इस प्रदूषित पानी के लिये 300 एमएम के एचडीपी पाइप, जो रिलायंस बना रही है, और भी लोग बना रहे हैं, वह एचडीपी पाइप लगाकर उस प्रदूषित पानी को कच्छ में छोड़ा जाये। गुजरात के प्लांट से भी केमिकल पानी को कच्छ में छोड़ा जा रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर आप एक पर्मानेंट सोलुशन चाहते हैं तो एक पाइप लाइन लगाकर उस प्रदूषित पानी को कच्छ में छोड़ दिया जाये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे अनुदान की मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज के समय में देश-प्रदेश, सभी ग्लोबल वार्मिंग के घेरे में आये हुए हैं। मानव जीवन क्या, पशु-पक्षी सभी खतरे में हैं। पुरखों ने वर्षों पूर्व गांवों की बसावट को लेकर एक वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य किया था, जिसमें ओरण, गोचर, सिवायचक भूमि, तालाब, आगोर, लाटा, कई प्रकार की भूमियों को गांव के पास छोड रखा था। इसमें हजारों पेड़-पौधे, सैंकड़ों पशु-पक्षी, जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रहरी थे, आज के समय में वो समाप्ति की ओर हैं। मारवाड़ में तो पेड़ों की सुरक्षा को लेकर खेजड़ली गांव में अमृता देवी ने अपना बलिदान भी दिया था। पेड़-पौधों की कमी के कारण पर्यावरण सुरक्षा को खतरा होने लगा है, इसका इस वर्ष का हीट वेव उदाहरण है। सामान्य तापमान 50 डिग्री से अधिक होना, आने वाले कल के लिये ठीक नहीं है। दूसरी ओर कल-कारखानों ने प्रदूषित धुआं, प्रदूषित पानी से जन जीवन को प्रभावित करने के साथ नदी-नालों, खेत-खलिहानों को दूषित कर उनमें उत्पन्न होने वाले अन्न को भी दूषित कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, अत्यधिक पेस्टीसाइड, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से ओर्गेनिक खाने-पीने वाली वस्तुएं मिलना अब संभव नहीं है। इसका परिणाम अपने प्रदेश में कैंसर नाम की ट्रेन भी चलने लगी है। सरकार हर वर्ष लाखों पेंड-पौधे लगाकर आंकड़ा जरूर बढ़ाती है, लेकिन धरातल पर पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कोई चिंतित नहीं हैं। वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए पेड़ों की गिनती के साथ पेड़ की जानकारी होनी चाहिये कि किस पेड़ से पर्यावरण को कितना लाभ व नुकसान होता है। पेड़ों को लगाने को लेकर जीओ टेग होने के साथ, लगाने वालों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिये, ताकि पेड़ सुरक्षित रह सकें।

msk/rtm/22.07.2024/1800/3l

प्रदेश में खेजड़ी वृक्ष को ग्रथों में भी कल्प वृक्ष की संज्ञा दे रखी है, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सुरक्षा की बात ही नहीं, अंधा-धुंध कटाई हो रही है, जिसको नहीं रोका गया तो भविष्य में डायनोसोर जानवर की भांति ये पेड़ पर्यावरण से गायब हो जायेंगे। अभी हम कोरोना से उभरकर समान्य जीवन जीने की पटरी पर ही आये हैं, ऑक्सीजन की कमी हमने अपनी नजरों से देखी है। यही पेड़ हमको जीवन दान दे सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग

का एक मात्र कारण पर्यावरण में असंतुलन, यहां तक कि ऋतु परिवर्तन भी होने लगा है। बेमौसम बरसात, तूफान, सर्दी सब कुछ बदलने के कगार पर है। अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इस प्रकार से पेड़ कटाई और इनकी सुरक्षा नहीं हुई तो वे दिन दूर नहीं कि मानव जाति को ऑक्सीजन का सलेन्डर लेकर घूमना पड़ेगा। यह स्थिति बन रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नेहड़ा बांध स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत के समय में किसानों के लिए पेयजल के लिए बना था। आदरणीय भाटी साहब ठीक ही कह रहे थे कि हर उद्योग रहना चाहिए, राजस्थान में रोजगार मिलना चाहिए। पाली, जोधपुर और बालोतरा में कपड़े का उद्योग है। नेहड़ा बांध अब पोल्यूटेड पानी का यार्ड बन गया है। मैंने 2013 से 2018 में इसके लिए विधान सभा में बात उठायी थी, कमेटी बनी थी। उस कमेटी के मार्फत 245 फैक्ट्रियां बन्द हुई थीं। उसके बाद आज भी हमारी मारवाड़ की मरू गंगा लूणी नदी के अन्दर प्रदूषित पानी आता है। इन्तजार होता है बारिश आते ही। आज की तारीख में लूणी क्षेत्र में, पूरे बालोतरा क्षेत्र में और सिवाना में, नदियों के अन्दर से एवं कुओं से लाल, पीला और ऐसा काला पानी निकलता है, पशु-पक्षी भी नहीं पी सकते।

हमारी यह हालत हो गयी है। माननीय सभापति महोदय, इसको सुधारने के लिए मैं मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि इकाइयां चलनी चाहिए, पर पानी को सही तरीके से ट्रीटमेंट करके नहीं निकाला गया तो किसान, पशु-पक्षी से लगाकर यह हालत हो गयी है। जोधपुर से भाण्डू होकर कल्याणपुर तक पानी निकलता है। करीब 80 किलोमीटर तक तालाब की तरह खेत भरे हुए पड़े हैं। पशु-पक्षी और जानवर भी अन्दर होकर नहीं निकल सकते हैं। अगर जानवर अन्दर होकर निकल जाये तो उसकी चमड़ी उतर जाती है, यह स्थिति बनी हुई है। सभापति महोदय, इसको कैसे रोका जाये, उद्योग बन्द नहीं हों, पर किसान, पशु-पक्षी के लिए, जब तक तीन जगह की इकाइयों में सही तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट के मार्फत यदि कार्य नहीं हुआ तो यह वीरान हो जायेगा। कच्छ के समुद्र तक जहां नदी जा रही है, वहां तक हालत बुरी हो गयी है। इसको रोकने के लिए ठोस उपाय करें। ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से लगें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे एरिये की कुछ मांगें हैं, वे मैं निवेदन करूंगा। माननीय, सिवाना उप खण्ड मुख्यालय पर वर्षों से बने सहायक अभियन्ता कार्यालय, जल संसाधन के कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टर निर्माण की मांग है। मैं आपके मार्फत मंत्री जी को निवेदन करूंगा। मेली बांध के जीर्णोद्धार की मांग एवं ऊँचाई, सफाई, रखरखाव एवं अतिक्रमण से मुक्त करवाना। बाढ़ बचाव कार्य में लूणी नदी के तट में कोटड़ी से जेडन्त्री मठ खटीया, लालीया, मजल समदड़ पिसिंग बनाकर इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। पीपलून, सिनेर, मजर, धीरा, भाखरडा बेल्ट में रमड़िया, मुबारी, कुडल, धारणा, इन्द्राणा, गोईना, डंडाली, यहां पर भी छोटे-मोटे एनिकट अगर बन जाते हैं, पूर्व सरकार में जो सेंक्शन हुए थे, विराजे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, पर मेरा तेलवाड़ा का 7 करोड़ का एक बांध स्वीकृत हुआ था, उसका टेण्डर हो रखा था, उसे कैंसिल कर दिया था। सिवाना क्षेत्र के एनिकट की और

माही बांधी के लिए नयी डीपीआर बनायें। पश्चिम राजस्थान के रेतली भाग में जमीन खूब है, जमीन की कमी नहीं है। पर वह माही बांध का पानी जंवाई नदी होकर नहीं आये, तब तक किसानों के लिए.. एक समय ऐसा था कि बाड़मेर, जैसलमेर का सिवाना कश्मीर था। आज की तारीख में पीने के लिए, माननीय जलदाय मंत्री विराजे हैं, बार-बार, दिन में चार बार निवेदन करते हैं कि पीने के लिए पानी नहीं है। यह स्थिति बन गयी है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापतिः विराजें। श्री सोहन लाल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मेहरबानी करके डीपीपी बनाकर माही बांध को भी जोड़ा जाये।

श्री सभापतिः बैठिये माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): एक मिनट लूंगा।

मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी अरावली श्रृंखला पंच तीर्थ के नाम से जानी जाती है। हल्देश्वर महादेव मन्दिर वन भूमि मिनी माउंट के बराबर है, इतनी ऊंचाई पर है और इतना एरिया है। उसके विकास के लिए ईको ट्यूरिज्म के तहत विकास कार्य करवाने की मांग है। मैं आपके मार्फत मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि अरावली क्षेत्र में कैम्पो फंड में बांध और एनिकट बनायें। अगर वहां अच्छा बजट मिल जाये तो काफी वन क्षेत्र एवं पहाड़ी एरिये वन विभाग के तहत एनिकट, बांध ...(व्यवधान)... एक मिनट, वन क्षेत्र में आबादी बसी हुई है, जिसको नियमित करें। वन क्षेत्र के विकास मांग मारवाड की 36 कौम के लिए...

श्री सभापतिः बैठिये, अंकित नहीं होगा।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री सभापतिः विराजे माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 एवं 45 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों के किसान खेती पर आधारित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के किसानों की जो जन समस्याएं हैं, उनको माननीय मंत्री महोदय जरा ध्यान से सुनें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में गंग कैनाल जो कि जीवनदायिनी नहर है, उसमें अक्सर हमारे किसानों के साथ अन्याय होता है। जब भी पंजाब के अन्दर धान की बुआई होती है। उस वक्त हमारे हिस्से का पानी पंजाब काट लेता है। यहां मंत्री जी बैठे हैं, मेरे सत्ता पक्ष के साथी कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डबल इंजन की सरकार जरा दम दिखाये और हमारे हिस्से का पानी हमें दिलाये। माननीय सभापति महोदय, हमारी घग्घर नदी का राइस बैल्ट, जो धान की फसल बुवाई करते हैं, उसको बरसात के समय में पानी की मार पड़ती है। किसान धान की फसल की

बुवाई का खर्च भी उठा लेता है और उनकी फसल पानी के बिना बर्बाद हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बरसात के दिनों में घग्घर का जो पानी है, पीछे लोगहट

के अन्दर और उससे आगे के जो बांध बने हुए हैं, उनमें जो पानी रोकने के तरीके हैं, उनको हटाकर हमारे टेल क्षेत्र पाकिस्तान की बॉर्डर तक घग्घर नदी जाती है, वहां पर पानी पूरा दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन यह भी करूंगा कि गंग कैनाल के अन्दर सीएडी के द्वारा जो खाले बनाये जा रहे थे, उसमें पिछली केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा न देकर उन खालों को बनाना बन्द कर दिया। माननीय अशोक जी की विगत सरकार ने एक एमओयू के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि खाले पुनः चालू किये जाएं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस एमओयू को शीघ्र करके, उन किसानों के सीएडी के खाले बनवाये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि घग्घर नदी क्षेत्र में बहुत से ऐसे पुल हैं, जब भी घग्घर नदी आती है तो गांव का कनेक्शन, सम्बन्ध शहरों से कट जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनका ज्यादा बजट भी नहीं है। बस दो-चार करोड़ रुपये का बजट है। दो-चार पुल हैं। जैसे मैं आपको एक पुल की बात करता हूं। 91जीबी, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है।

mdp/rtm/22.07.2024/18:10/3m

10 गांव एक तरफ आते हैं और एक तरफ शहर आ जाता है। चार महीने तक अगर घग्घर नदी चलती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। वहां के किसान अपनी फसल लेकर शहर नहीं जा पाते। मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा वहां घग्घर नदी के पुल का प्रोजेक्ट बनाकर, ज्यादा लम्बा-चौड़ा खर्च नहीं है, मात्र करोड़ रुपये के आसपास बैठता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस घग्घर नदी के पुल को बनाया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के पास में सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र है। वहां केन्द्र सरकार का बीज निगम का एक फॉर्म है। हजारों बीघा जमीन उनके पास है। घग्घर नदी का जब भी पानी आता है, वह उसको रोक लेते हैं। जब हमारे किसानों को धान में पानी देने की जरूरत होती है, उस वक्त रोक लेते हैं। जब उनके पास एक्सेस पानी होता है, तब हमारी फसलें खराब करने के लिए पानी छोड़ देते हैं। इसमें तय किया जाए कि जितना पानी हमारे हिस्से का है, वह हमको दिया जाए। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कृषि यंत्रों और डिग्गियों पर जो सब्सिडी दे रहे हैं, वह बहुत कम है। आज से दस साल पहले भी वही सब्सिडी थी, आज लागत बढ़ चुकी है तो उन डिग्गियों की और कृषि यंत्रों की सब्सिडी बढ़ाई जाए। इसी के साथ उनमें संख्या भी बढ़ाई जाए, क्योंकि पहले कम किसान मांग करते थे। अब बहुत किसान मांग कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर इस वक्त नरमे की फसल के अन्दर लाल सूंडी का प्रकोप चल रहा है। इससे किसान

की नरमे की फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि आप इस लाल सूंडी के इलाज के लिए, रोकथाम करवाने के लिए कृषि विभाग और सिंचाई विभाग, क्योंकि जो दूषित पानी आता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, इनको कहें कि रोकथाम करें। अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसको व्यक्तिगत बीमा भी दिलवाएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सेकण्ड फेज में इस बजट में 1 हजार 430 करोड़ रुपया दिया गया, जबकि हमारा फर्स्ट फेज, सेकण्ड फेज से दस साल बनी नहरें, खालें, उसके अन्दर एक भी पैसा नहीं दिया गया। यह जो दोहरा व्यवहार है, इससे हमारे किसान बहुत परेशान हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फर्स्ट फेज के किसानों को नहरों के और खालों के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया जाए।

सभापति महोदय, वन विभाग, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आए दिन हिरनों के शिकार हो रहे हैं। लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। उस पर कोई स्थाई व्यवस्था नहीं की जा रही है। शिकारियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। इस कारण से हमारे वहां के लोग बहुत परेशान है। अगर पकड़ा भी जाता है (समय समाप्ति सूचक घंटी) तो वन विभाग ऐसे लोगों को पकड़ता है, जो छोटे-छोटे लोग होते हैं। वे शिकार नहीं करते, उनको पकड़ कर फंसा देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वन विभाग के अन्दर एक जूलीफ्लोरा खरपतवार है, जो सड़कों के किनारे और नहरों के किनारे बहुत ज्यादा है। आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। नहरों में उनकी झाड़िया जाने से नहरें टूटती हैं। मेरा निवेदन है कि इस जूलीफ्लोरा को खतम करने के लिए कोई तरीका निकाला जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि नहरों के किनारे जो पेड़ वन विभाग के लगे हुए हैं, वे परिपक्व होने के बाद काटते हैं।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, एक मिनट। जो वन विभाग के पेड़ काटे जाते हैं, उनकी छोटी-छोटी टहनियां वहीं छोड़ दी जाती है, पेड़ उठा लिये जाते हैं। वन विभाग को तो रेवेन्यू आता है, परंतु जो किसान है, उनकी नहरें बंद होती है। ज्यादा नहीं कहते हुए आपसे निवेदन करूंगा इन पेड़ों की जो टहनियां हैं, उनको भी उठाने की व्यवस्था करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अंत में ये निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर काश्तकार हैं, किसान हैं, कापड़िया समाज के। उनको राजस्थान सरकार ने 25 परसेंट, उसको जरायम पेशा भी कहते हैं, उसको 25 परसेंट पर जमीन अलॉटमेंट की थी, परंतु उनको आज तक उनका हक नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि आप उनको वह हक दिलाएं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज मांग संख्या 42 जल संसाधन और आईजीएनपी, मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया,

इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की ही बात करूंगा। इसमें तत्कालीन शासक जसवंत सिंह जी द्वितीय जो हमारे जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने तीन बांध बनवाए थे। जवाई बांध, सरदारसमंद और तीसरा बांध था जसवंत सागर बांध। उन्होंने तो बनवा दिये और लम्बे समय तक हमारे हजारों परिवार, जो इन बांधों के डाउन स्ट्रीम में बसते थे, उनकी रोजी-रोटी का एक बहुत बड़ा आधार बना था। आज की तारीख में उन बांधों का अस्तित्व खतम होने जा रहा है।

विशेष तौर से हमारे जसवंत सागर बांध के लिए, हमारे बीच जसवंत सिंह जी के रूप में सिंचाई मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी हैं, क्योंकि जसवंत सागर बांध का जो लूनी नदी का उद्गम स्थल है, वह उद्गम स्थल अजमेर की अरावली की नाग पहाड़ियों से होते हुए निकलता है और वह पुष्कर, नान, बडियालनिया वास, पीसांगन, गोविन्दगढ़, इन सबसे होते हुए निकलता है। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गयी है कि वहां पर 18 साल से एक बूंद भी पानी नहीं आया। एक बार 2007 में आया था तो उसका अमेगमेंट खतम हो गया था। वापस सरकार ने उसका निर्माण करवाया। आज स्थिति यह है कि उसके ऊपर इतने एनिकट और बांध बन गये हैं, तालाब बन गये हैं, उस नदी का जो अवैध या वैध खनन हुआ है बजरी का, उससे उसका बिलकुल ही अस्तित्व खतम हो गया है। लूनी नदी का भी अस्तित्व खतम हो गया है और बांध का भी अस्तित्व खतम हो गया है।

सभापति महोदय, विशेष तौर से इसमें मेरी एक मांग है कि जसवंत सागर के पुनर्भरण के लिए जो इंदिरा गांधी नहर है, दो मीटर व्यास की, ढ़ाई मीटर की पाइप लाइन है जोधपुर के अन्दर, जोधपुर में वैसी ही तख्त सागर है, उम्मेद सागर है, कायलाना है, उसके भरने से शहर के अन्दर पानी का, केपेलरी एक्शन से, सीपेज के कारण तहखाने व अंडरग्राउण्ड भर जाते हैं और विभाग को अनाप-शनाप पैसा खर्च करना पड़ता है, पंपिंग करके तहखानों को खाली करने केलिए। उस पाइप लाइन की जो स्वीकृति हुई है, यदि जसवंत सागर के अन्दर इस पानी को डाल दिया जाता है तो पूरे मारवाड़ के लिए, वह पानी काम आएगा पश्चिमी राजस्थान के अलावा पाली और जोधपुर जिले के भी सारे के सारे गांव में इससे पानी की सप्लाई हो सकती है। दूसरा, यह है कि मान लीजिए वह स्वीकृति हो गयी और उससे हम नहीं कर सकते हैं तो अभी मुख्य मंत्री जी ने हमारे जवाई बांध से नहर जोधपुर के लिए, जो पुरानी थी, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए 194 किलोमीटर की नहर का प्रावधान लिया है। अगर कम से कम उसको जसवंत सागर से मिला दें तो ग्रेविटी से जोधपुर को पानी मिल जाएगा और हमारे संसदीय मंत्री जी बैठे हैं, इनका लूनी भी इसमें शामिल हो जाएगा, नहीं तो लूनी भी कट रही है उससे।

तीसरा, मान लीजिए ये दोनों प्रपोजल नहीं होते हैं तो तीसरा है, यमुना लिंक से जो झुंझुनूं, चूरू होकर नागौर तक ला रहे हैं, उसको यदि लूनी नदी के उद्गम स्थल पर जोड़ दिया जाता है तो हमारे दो फीट का जो धोरा चलता है, उस धोरे का पानी भी ग्रेविटी से लूनी नदी से निकल जायेगा तो हमारा भला हो जायेगा। यदि यह भी नहीं बैठता है तो ईआरसीपी की

तर्ज पर हम पहले से ही मांग कर रहे हैं कि डब्ल्यूआरसीपी हो जाए। इस डब्ल्यूआरसीपी से जसवंत सागर को जोड़ देते हैं तो पूरा मारवाड़ उससे सिंचित हो सकता है। या फिर जवाई, एमलियावास बांध, सरदार समंद और हमारा जसवंत सागर बांध, जालीवाड़ बांध, इनको यदि एक ही जो अरावली से पानी निकलता है और इन सारे बांधों को भरता है, यदि इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमारे ईआरसीपी, डब्ल्यूआरसीपी किसी की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय, आप थोड़े बातों में मशगूल हो गए, आपसे मेरा निवेदन है कि आपके पास पेयजल वाले मंत्री जी भी विराजे हैं, मैं यह चाहता हूं कि इनको जोड़ दे तो हो जायेगा।

Ans/rtm 18.20 3n 22.07.2024

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक बात बताओ, यह सुन भी लें तो क्या कर लेंगे। जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): यह बराबर नोट कर रहे हैं। मुझे आश्वासन देंगे।

श्री सभापति: अर्जुन जी, समस्या बताओ। समय हो रहा है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): दूसरा, मेरा वन एवं पर्यावरण पर है। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय विराजे हैं। हमारे मारवाड़ में पहले यह था कि अकाल ज्यादा पड़ रहे थे तो हरियाली नहीं होती थी। अंग्रेजी बबूल, जूली जी बैठे हैं क्या। जूलीफ्लोरा के नाम से एक पौधा लगा दिया। सारा बीज वहां मारवाड़ में, रेगिस्तान में, आपके नाम से गिरा दिया। ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्री जी ने 7 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वे रहेंगे तो किसी भी सूरत में ये पौधे भी नहीं पनप पाएंगे। उसका कारण वह जूली जी, जूलीफ्लोरा जी। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पहले तो मेरे से प्रोबलम थी। अब मेरे नाम के पौधों से भी प्रोबलम हो गई आप लोगों को?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मेरा समय जा रहा है, साहब।...(व्यवधान)... मेरा समय कम पड़ रहा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अकेले आपसे प्रोबलम नहीं। जूली और फ्लोरा। जूली व फ्लोरा, दो से प्रोबलम है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इसके अलावा राज्य वृक्ष खेजड़ी...(व्यवधान)..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलो। संसदीय मंत्री है आपके, बोलने तो दो। बैठो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा एक निवेदन था कि माननीय बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बातों बातों में बात कही है कि जूली जी जहां होते हैं वहां दूसरे नहीं पनपते। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजे।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र से 363

शहीद हुए थे, जंगलेश्वर भगवान के बनाए हुए नियम कायदे थे, पूरा विश्नोई समाज हमारे क्षेत्र में है। उनके जो नियम हैं उनके अनुसार यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से वन और पर्यावरण विभाग है, वह उस पर चल सकता है।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): साहब, एक मिनट। छोटी सी बात रह गई।

श्री सभापतिः आप बातों में उलझ जाते हो, आप तो बोलो साहब।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): खेजड़ी की कटाई, जूलीफ्लोरा है उसको खतम करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारी ग्राम पंचायतों के अन्दर ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप तो विलायती बबूल बोलो।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ठीक है, बबूल। उनको खतम करने का एक ही तरीका है कि आप ग्राम पंचायतों को अधिकार दे दो कि आप इसका कोयला बनाकर बेचें, तो उनकी इन्कम आ जाएगी। अभी मेरे क्षेत्र से अँग्रेज़ी बबूल निकाल रहे थे, उनको पकड-पकड़ वन विभाग वालों ने अन्दर डाल दिया। मैंने कहा कि आप यह क्या कर रहे हो।

श्री सभापतिः श्री रामनिवास।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मेरा आपसे आग्रह है कि उन पर रोक लगाई जाए। लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर रोक लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 45 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, आज माननीय सदस्यों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर चर्चा की। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए इस सदन में कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना लगभग 10 ज़िलों की जीवनदायिनी के रूप में है। हम सब लोगों के लिए जीवनदायिनी है। जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुन्झूनूं, सीकर, अनूपगढ़, नागौर, डीडवाना, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर है।

सभापति महोदय, आजादी के 75 वर्ष बाद भी सदन में हम सब लोग एक आम आदमी को पीने के लिए मीठा पानी कैसे मिल सकता है, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं,जो हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्य है। बिजली और पानी प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यह कोई लग्जरी व्यवस्था नहीं है, जो आज हम सब लोग इस सदन में बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी उमंग से, ऊँट गाड़ी से इस नहर को बनाने के लिए दिन रात एक किए। सभापति महोदय, समय की मार देखिए, भूमि का जल स्तर भी कम हो गया और आज हम सब लोगों का केवल और केवल इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भरोसे जीवन निर्भर है। हम एक दूसरे के साथ तंज़ कसकर, असत्य बातें बोलकर इस सदन से चले जाएंगे, लेकिन इस प्रदेश की जनता प्यासी की प्यासी रह जाएगी।

सभापति महोदय, सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, मैं यह नहीं कहता कि बीजेपी या कांग्रेस, हम सब लोगों का दायित्व बनता है इस सदन में, जनता ने हम लोगों को चुनकर भेजा है, हम आपस की लड़ाई मिटाकर, इस प्रदेश की जनता को मीठा पानी कैसे पहुंचा सकते हैं, इस बात पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

पिछली बार जब हम सब लोग इस सदन में पहली बार आए, तो विपक्ष में माननीय नेता, प्रतिपक्ष हमेशा इस बात की दुहाई दिया करते थे कि केन्द्र में हमारी सरकार है, हम बड़ा दिल रखेंगे, आप लोग हमारे साथ चलो। जल शक्ति मंत्री यहां राजस्थान के हैं, हम भी आपकी पैरवी करेंगे, प्रदेश की जनता की पैरवी करेंगे और प्रदेश की जनता को मीठा पानी पिलाया जाएगा। लेकिन जब यह सदन सुबह 11 बजे शुरू होता है और कार्यवाही जब तक चलती है तब तक, सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है वह यह कहता है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, डबल इंजन की सरकार है इसमें क्या ईंधन की कमी आ गई, जो आप आज प्रदेश की जनता को पानी नहीं पिला सकते।

सभापति महोदय, मैं नागौर की बात करूं। समय-समय पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर लगभग 4 हजार 99 करोड़ रूपये खर्च हुए, जिसमें प्रथम फेज में 761 करोड़ रूपये व्यय हुए। उसके बाद जायल में जायका प्रोजेक्ट की हमारी यूपीए सरकार के दरमियान 2 हजार 938 करोड़ रूपये से शुभारम्भ कर हमारे नागौर को मीठा पानी पिलाने के लिए इस योजना को लागू किया गया। उसके बाद आज भी वर्तमान में लगभग 400 करोड़ रूपये का काम चालू है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो बजट पेश हुआ, उसमें क़िले और महलों पर इन्होंने 5 हजार करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की, लेकिन इस प्रदेश की जनता को मीठा पानी पिलाने के लिए एक रूपये की घोषणा नहीं हुई।

माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, पंजाब की नहरों के 23 सेम्पल लिए गए, उसमें से 17 सेम्पल फेल हो गए और इसमें लिखा हुआ है कि यह पानी ना नहाने का है, ना पीने योग्य है। राजस्थान के लोग इसी पानी पर निर्भर होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम सब लोगों को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि जालंधर, कपूरथला और वहां के आस-पास की करीब 2500 फैक्ट्रियों से गंदा पानी आता है, चाहे चमड़े का व्यापार हो,चाहे कपड़े की फैक्ट्रियां हो, वह पानी उस नहर में मिल जाता है और हम सब लोगों को मजबूरन उस पानी को पीना पड़ता है। उसके दुष्परिणाम, आज बीकानेर में पंजाब से कैंसर की ट्रेन आती है। अगर बीकानेर जाकर आप स्थिति देखोंगे तो हम सब लोगों को शर्म आएगी कि हम राजस्थान की इस विधान सभा में बैठकर क्या कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज नागौर में हमारे लिए 200 क्यूसेक आरक्षित है लेकिन हम लोगों को 123 क्यूसेक स्वीकृत किया गया और वर्तमान में मात्र 100 क्यूसेक मिल रहा

है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे पडौसी भी है। खुंडियास वाले बाबा का जब कार्यक्रम होता है, बाबा का मन्दिर हम दोनों की सीमा पर है, आधा इनका और आधा हमारा। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप भागीरथी प्रयास करो। हम बाबा के यहां बुलाकर आपका सम्मान करेंगे। हमारे डीडवाना वाले माननीय सदस्य भी इस बात के लिए चर्चा कर रहे थे कि आज हम सब लोगों को इस गम्भीर विषय पर चर्चा करनी चाहिए।

VPS-RTM-22.07.2024-18.30-3o

आज मैं जैसे परबतसर की बात करूं ग्रामीण क्षेत्र में तो 22.4 एम.एल.डी. की जरूरत है लेकिन हमें केवल मात्र 13.4 एम.एल.डी. पानी ही दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की बात करूं तो 2.4 एम.एल.डी. की जरूरत है, लेकिन 1.3 एम.एल.डी. ही दिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि यह जो कम्पनियां हैं यह तो केवल बनाने का ही काम करती हैं पर इनका संचालन वी.डब्ल्यू.एस.सी. जो एक समिति पंचायत के अंतर्गत है, उसको दिया जाता है और वह पंचायत वाले इस बात को कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि उसकी संचालन प्रक्रिया पूरी पी.एच.ई.डी. विभाग को दी जाये ताकि एक आम व्यक्ति को पानी मिल सके।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): जल जीवन मिशन योजना की जो स्कीम है उसका डिजाइन 55 एल.पी.सी.डी. के लिए उसका डिजाइन किया गया है लेकिन आज ग्रामीण परिवेश में जाकर आप लोग देखेंगे तो केवल मात्र 35 एल.पी.सी.डी. तक ही पानी पहुंच पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि नहर बंदी के नाम पर ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः डॉ. विश्वनाथ मेघवाल। आप विराजिये।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): 45 दिन इस काम को रोक दिया जाता है और विभाग द्वारा यह कहा जाता है कि हमारे पास में 45 दिन का स्टोर करने योग्य डैम बने हुए हैं लेकिन पूरे प्रदेश की यह भयावह स्थिति है जब गर्मियों में पानी की सबसे ज्यादा खपत होती है, उस समय हम लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाता है।

श्री सभापतिः डॉक्टर साहब, आप बोलिये। इनका अंकित नहीं होगा।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): 000

श्री सभापतिः आप बोलो। आपका समय चालू हो गया। आप सब शांत रहें।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42- जल संसाधन एवं मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण पर आज बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि खेती सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है क्योंकि फसल का भविष्य मानसून पर निर्भर है। यह बात सही है कि हमारे महाराजा गंगा सिंहजी ने आजादी से पहले पश्चिमी राजस्थान के लिए गंग कैनाल के माध्यम से सिंचाई की, पेयजल की व्यवस्था की वह परिकल्पना की और वे लेकर भी आये। यह एक बहुत ही भागीरथी काम उन्होंने किया, वे बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आजादी के समय, आजादी के बाद पोंग डैम की बात हमारे सामने बैठे हुए कांग्रेस के भाइयों ने कही। मैं यह मानता हूं कि पोंग डैम या जितने भी डैम, चाहे भाखड़ा डैम हो, वे बने हैं लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इन डैम्स के बनाने के बाद में नहरों की पचास साल तक किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली और नहरें जर्जर अवस्था में हो गयी थीं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे प्रधान मंत्री बने तो पहली बार उनकी यह परिकल्पना थी कि नदियों को जोड़ा जाये और पूरे देश में नदी जोड़ने की वे एक योजना लेकर आये लेकिन उसके बाद आपकी सरकार दस साल तक रही पर आप लोगों ने उस योजना को ही बंद कर दिया। यह दुर्भाग्य की बात है। हमारे नरेंद्र भाई मोदीजी जब सरकार में आये तो उन्होंने पुनः नदियों को जोड़ने की बात कही। इसके तहत ही पूर्ववर्ती वसुन्धराजी की सरकार ने जिस तरीके से राजस्थान में नदियों को जोड़ने की बात कही, चाहे ई.आर.सी.पी. प्रोजेक्ट को चालू करने की बात उन्होंने कही, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लालजी शर्मा ने सरकार बनते ही ई.आर.सी.पी. का यह प्रोजेक्ट शुरू करवाया और एम.ओ.यू. मध्यप्रदेश से किया। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक काम करके माननीय मोदीजी ने हमें यह सौगात दी है 45 हजार करोड़ रुपये की तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इस मौके पर मैं यह ही कहना चाहूंगा कि यमुना जल की बात भी हमारे मुख्य मंत्री भजन लालजी ने तीन जिलों के लिए कही है तो यह भी हमारे लिए ऐतिहासिक काम होगा चूरू, झुन्झुनूं और सीकर के लिए। माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथी कई जो हमारे गंगानगर साइड से आने वाले हैं, वे बहुत सारी बातें करते हैं।

माननीय वसुन्धराजी के समय में 2003 से 2008 के बीच में घड़साना आंदोलन हुआ तो उसके बाद में माननीय वसुन्धराजी ने यह चिंता की कि नहरों की क्या स्थिति है? हमारा जो पानी आता है वह हरिके बैराज से आता है, हरिके बैराज से जो आई.जी.एन.पी. कैनाल का जो डिस्चार्ज है, आई.जी.एन.पी. कैनाल की जो क्षमता है वह 18 हजार क्यूसेक की है लेकिन आज पचास साल के बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि वह उसमें पानी 18 हजार क्यूसेक ले नहीं सकती, वह नहर 11-12 हजार क्यूसेक के बाद में पानी नहीं ले सकती तो मजबूरी में वहां से हुसैनीवाला हैड होते हुए यह पानी पाकिस्तान जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वसुन्धराजी ने उस वक्त नहरी क्षेत्र का दौरा किया और 952 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट बनाया, योजना बनाई और केन्द्र सरकार को भेजी। 2008 में सरकार बदल गयी, 2009 में आपकी सरकार आयी। हमारे सामने जो प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं, उनको मैं यह बताना चाहूंगा कि 952 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने पास किये थे, उस समय आपकी सरकार थी, डबल

इंजन की सरकार थी उस वक्त आप और हम भी 2008 में विधान सभा में आये, पूरे पांच साल आप यहां से हमारे से मेजें थपथपाते रह गये कि साहब, हम 952 करोड़ रुपये का काम कराएंगे, नहर बंदी लेंगे लेकिन पांच साल तक एक भी पैसा इन्होंने नहीं लगाया, यह मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से। फिर दुबारा हमारी सरकार आयी 2013 में तो माननीय वसुन्धराजी ने 952 करोड़ रुपये की जगह उसका प्रस्तावित बजट दुबारा से बनाया नहरों की स्थिति सुधारने के लिए तो वह 3200 करोड़ रुपये का बजट हुआ। 3200 करोड़ रुपये 2013 से लेकर 2018 की जो सरकार थी, उसके तहत वह पास हुए और पूरे राजस्थान में 3200 करोड़ रुपये का जो हमारी आई.जी.एन.पी. कैनाल की नहरें हैं, उनमें आज भी वे काम चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके तहत हमारी चाहे वह अनूपगढ़ ब्रांच हो, पूगल ब्रांच हो, हमारे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की जितने भी नहरें थीं, उनके सुदृढ़ीकरण का काम आज हुआ है और करीब पांच सौ, छह सौ करोड़ रुपये हमारे क्षेत्र में लगे हैं और यह एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है और आने वाले समय में अंतिम छोर पर पानी पहुंचेगा, इससे जनता को फायदा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर मैं मेरे क्षेत्र की एक दो मांग भी निवेदन करना चाहता हूं। आप जल्दी ही घंटी बजा देते हो।

श्री सभापतिः पूरा टाइम दिया है।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): चलो ठीक है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में एक बात कही है कि जो डैम की क्षमता है वह 1400 फीट से भी ऊपर ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं तो मैं यह मांग करूंगा माननीय मंत्रीजी से, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं कि डैम की जो भराव क्षमता है पोंग डैम की वह 1390 से बढ़ाकर 1400 फीट के आस-पास की जाये तो जनता को बहुत ही बेनिफिट होगा 1400 फीट पर और मेरे क्षेत्र में जैसे नहरों में अंतिम छोर पर पहुंचने के लिए डी-सिल्टिंग का काम समय पर हो, रेगुलेशन सही बने और अंतिम छोर पर पानी पहुंचाया जाये। कंवरसेन लिफ्ट के लिए 185 करोड़ रुपये दिये, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। दूषित पानी जो लुधियाना से आ रहा है हमारी नहर में, उसको भी रोकने का कोई प्लान बनायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि आप भी नहरों का दौरा करें और आप उनको देखें। एक अंतिम मांग मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पूगल ब्रांच और छत्तरगढ़ की जितनी भी नहरें हैं उनमें भी खालों की मरम्मत के लिए कुछ बजट आवंटन किया जाये और जो अभी मैंने बताया कि जिस तरीके से यह पूगल ब्रांच की डी. डब्ल्यू. डी., के.एल.डी. और छत्तरगढ़ की नहरें जो हमारी हैं उनकी मरम्मत भी करायें। आपके सी.एस.डी. नहर है, रोजड़ी नहर है, इनकी मरम्मत का पैसा भी हमारे को देकर खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की नहरों का सुदृढ़ीकरण करायें। सभापति

महोदय, आपने टाइम दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री भगवाना राम सैनी।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 42 एवं 45 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में सिंचाई के लिए हमारे पहले एक कांतली नदी होती थी जिसमें अरावली पहाड़ का पानी आता था और उससे हमारे पूरे झुन्झुनूं जिले का वॉटर स्तर बढ़ता था। दस-बीस साल पहले पोंग बांध लग गया, मण्डावरा लग गया, छापोरी लग गया तो उसमें पानी कम हो गया। उसके बाद में थोड़ी बहुत आशा थी तो वह सिर्फ हमारे मंशा माता का मन्दिर का जो पहाड़ है, उसका पानी इसके साथ कोटड़ी और खंडेला नदियों का भी पानी आता था, पर अब दोनों जगह वहां भी बांध बन गये तो उसके बाद में अब कोई आशा नहीं है कि हमारी उस कांतली नदी में कोई पानी आयेगा और उससे उदयपुरवाटी और झुन्झुनूं जिले में पानी का जलस्तर ऊपर आने की अब कोई उम्मीद नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे उदयपुरवाटी का आधा क्षेत्र पहाड़ी बैल्ट पड़ता है और आधा मैदानी क्षेत्र है तो पहाड़ी बैल्ट तो पूरा ड्राई हो गया है। अब कोई पानी ही नीचे नहीं है, वहां पर पीने के लिए भी पानी नहीं है, खेती करना तो दूर की बात है। इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र है उसमें इन नालों में पानी जाता था, कांतली नदी का पानी आता था, कांतली नदी को खोदकर बजरी ले गये और उसको बर्बाद कर दिया गया है तो इसके बाद यमुना नदी के पानी के लिए हमारे उदयपुरवाटी में आज भी आंदोलन हो रहे हैं, पहले भी धरने हुए हैं जिला स्तर पर, वहां पर हमारे सहीरामजी हैं, उनके नेतृत्व में धरने दिये जा रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि अगर बाहर का पानी नहीं आता है तो उदयपुरवाटी सहित पूरे जिले में पानी नहीं रहेगा, मैदानी क्षेत्र के पांच दस गांवों में ही पानी है, बाकी पानी खतम हो गया है, नीचे कुछ भी नहीं है तो मेरा यही निवेदन है कि बाहर का पानी आना चाहिए और बाहर का पानी नहीं आयेगा तो वहां सिंचाई तो दूर की बात है, पीने का पानी भी नहीं रहेगा।

SSY/RTM/22.07.2024/18:40/3p

इसके अलावा फोरेस्ट की बात करूं, वहां 41 पंचायतों में से करीब 20-25 पंचायतें और 2 नगरपालिकाएं पहाड़ी बेल्ट में रहती हैं। हमारे लोग पहाडियों के सहारे बसना बहुत पसंद करते थे। वहां बहुत पानी होता था। झरने चलते थे। बड़ी संख्या में पशु पालते थे। हमारे लगभग 20 पंचायतें ऐसी हैं जो पहाड़ी की तलाई में बसी हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस पहाड़ी में हमारे गांव, कोई 100 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है। वह वहां बसे हुए हैं। 40-50 साल पहले तो सरपंच या जो होते थे, वह उनको पट्टे दे दिया करते थे। अब जाकर के उन लोगों को पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं क्योंकि वे फोरेस्ट में हैं। उनको पता नहीं

था कि वे फोरेस्ट में हैं। मेरा निवेदन है कि जो गांव 100 साल पुराने बसे हुए हैं, आबादी 50 साल पहले की बसी हुई है, उन लोगों को पट्टे जारी किये जायें। जो मैदानी क्षेत्र है, वह लोग पार्ट थे ही नहीं तो जमीन पड़ी हुई थी, चाहे वह जोहड़ की थी, चारागाह थी, उसमें बस गये। गांव के गांव बसे हुए हैं। वे भी बहुत पुराने बसे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि पुरानी आबादी को देखते हुए पट्टे जारी किये जायें।

अब हालात यह हो गये हैं कि पानी सूख गया। पहाड़ों में बस गये। पशुओं के लिए पानी नहीं है। अब हमारे वहां एक अभयारण्य खुल गया। हम बहुत खुश हुए कि बहुत शानदार होटलें खुलेंगी। रोजगार मिलेगा। गांवों का विकास होगा। अब हमारे साथ जो अन्याय हुआ, वह मैं बयान करना चाहता हूं। होता क्या है कि उस जंगल में पैंथर लाकर के छोड़ दिये जाते हैं। हम पशु पालते थे। वह पैंथर पहले तो हमारी बकरियों को खाने लग गये। उनको खा गये तो उनमें से कुछ को हमने बेचा और कुछ को घर पर बांधा। लेकिन घर पर भी नहीं छोड़ा। घर पर भी खाने लग गये।

हालात ये हो गये कि वहां पर बहुत सारे बंदरों के झुंड रहते थे। मोर रहते थे। जंगली सूअर रहते थे। जब पैंथर इनको खाने लग गये तो मोर नीचे आ गये हमारे किसानों के खेतों में। फिर बंदर भी आ गये। वे भी हमारी फसलों को बर्बाद करने लग गये। इसके बाद में बचे हुए सूअर भी आ गये। वे भी फसलों को बर्बाद करने लग गये। हमारे पालतू जानवरों को खा गये। पशुओं को खा गया। ऊपर से सारे जंगली जानवर नीचे आ गये और किसानों के खेत बर्बाद करने लग गये। अब हम जायें कहां? अब हालात इतने गंभीर हैं कि हम कहां जायें? और तो और अगर कोई नील गाय, सूअर किसान के खेत में मर गया तो बड़ी टीम आती है। डॉक्टर आते हैं। पुलिस आती है और हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जाते हैं।

हमारी बकरियों को वह जंगली जानवर घर आकर के खा जाते हैं। उसको कोई पूछता नहीं है। हमारे तो खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और वह हमारे घरों में आकर के पशु खाते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिंए। फोरेस्ट वालों को बोलो कि वह अपने जानवरों को उन जंगलों में रखें। हमारे हालात इतने गंभीर हो गये हैं कि हमारा जीना दूभर हो गया है। मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब भी कर रहा हूं।

इसके अलावा विकास के नाम पर, मैंने क्वेश्चन लगाया कि यह जो पैंथर छोड़े हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि इतनी लंबी-चौड़ी दीवार बनायी है। कोई जगह नहीं बता रहे हैं। इतनी जगह में हमने पेड़ लगाये हैं। जगह नहीं बता रहे हैं। वहां मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि आपके अधिकारी जवाब सही नहीं दे रहे हैं। उनको सही जवाब देने के लिए पाबंद करो। गलत है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करो।

हालात इतने खराब हो गये हैं, उदयपुर वाटी की इतनी दशा खराब हो गई है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। साथ ही, हमारे गांवों में छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं। किसान के खेत में भी पत्थर हैं। उन पत्थरों को किसान निकालकर अपने काम में लेता है तो उसके खिलाफ

मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। उनके जो छोटे-छोटे आवास हैं, वह अन्दर पहाड़ी बैल्ट में आते हैं, तो उनके रास्ते बंद कर दिये जाते हैं। हमारे 15-15 साल के बच्चों के मुकदमे लग गये।

सभापति महोदय, इसके साथ में मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारे पहाड़ों में जैसे मनसा माता का बहुत बड़ा मन्दिर है। भालका मन्दिर हैं। हमारे कदंब कुंड छापौली में है। वहां हम जो काम करते हैं, जैसे कोई छोटी-मोटी रोड बनाते हैं तो वह नहीं बनने देते हैं। हकीकत यह है कि आपके फोरेस्ट के अधिकारियों की वजह से जंगल सुरक्षित नहीं हैं। हमारे लोगों की आस्था है कि हम जो मन्दिर होता है, हमारे लोग वहां पेड़ नहीं काटते हैं। हमारे लोग उनकी रक्षा करते हैं। उलटा जब हम वहां कोई काम करते हैं,कोई सड़क का करते हैं, कहीं कुछ करते हैं तो जैसे छापौली का सरपंच कदंब कुंड में रोड बना रहा था, नहीं बनाने दी। हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे कन्हैयालाल जी मीणा, वह एक टंकी बना रहे थे, उसमें जंगली जानवर भी पानी पीते हैं, और भी पीते हैं। वह भी नहीं बनाने दी। मेरे कहने का मतलब है कि उस पहाड़ में जितने भी मन्दिर हैं, भैरू जी के हैं, माताजी के हैं, भालका मन्दिर है पौंग में, उन मंदिरों में जब कोई काम करता है तो उसको काम नहीं करने देते हैं। हालात इतने खराब हैं।

इसी प्रकार से हमारी मण्डावरा से लेकर खोह तक 15 किलो मीटर की रोड है। 2020-21 में 24 करोड़ रुपये पास हुए। अभी तक भूमि का रूपांतरण नहीं हुआ। हमारे वे पैसे खराब पड़े हैं। उससे फोरेस्ट का ज्यादा विकास होगा।

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि इसके लिए जरूरी कदम उठायें, ताकि हमारा विकास हो सके। धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42 जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर सदन में चर्चा हो रही है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज की दोनों मांगें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन पर चर्चा होनी भी चाहिए। जल है तो जीवन है। वन है तो जल है। पर्यावरण शुद्ध है तो वन भी रहेंगे, जीवन भी होगा और अच्छी जमीन भी होगी। यदि पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। वनों को बचाना बहुत जरूरी है। वन बचेंगे तो जीवन भी बचेगा। बरसात भी होगी। सब कुछ ठीक हो जायेगा।

लेकिन मैंने पिछले 5 सालों में यह देखा कि जितने जंगल, जितने वन, जितने पेड़ इस दौरान काटे गये, उतने शायद मेरे जीवन में कभी भी इतने पेड़ नहीं काटे गये। इतने पेड़ पिछली सरकार में कटे। इतने पेड़ कटे कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। कोई देखने वाला नहीं था। अंधेर नगरी हो गई। सरकार ने आँख मूंद ली, ऐसा मुझे लगा। यह पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है? जैसा होना था, वैसा हो रहा है।

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए घने वनों को

लगाना बहुत जरूरी है। माननीय पर्यावरण मंत्री जी, आपसे मेरा आग्रह है कि पर्यावरण को दूषित करने वाले जितने भी उद्योग-धंधे हैं, जो जीवन नहीं बचा सकते हैं, जमीन नहीं बचा सकते हैं, जल को ठीक नहीं रख सकते हैं और यहां तक कि उस जिंक में काम करने वाले, दरीबा के अन्दर जो काम करने वाले, चंदरिया में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, उनके ब्लड में लेड की मात्रा अधिक होने से असमय मौत हो जाती है।

मैं बार-बार कई वर्षों से यह मामला उठा रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी मिले हुए हैं। जिंक का सारा मैनेजमेंट मिला हुआ है। रिपोर्टिंग गलत आती है। लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए, वह होता नहीं है। हम सब लोगों के ब्लड में लेड की मात्रा 10 माइक्रो ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिंक के आसपास के 40 गांवों में वातावरण ही दूषित हो गया है। जल दूषित हो गया है। जमीन दूषित हो गई है। वहां के मजदूरों में, वहां के लोगों में, उनके जीवन में, उनके ब्लड में 50 माइक्रो ग्राम से भी ज्यादा लेड की मात्रा है।

ऐसे उद्योग-धंधों को चलाकर जीवन को खराब कर दो। जमीन को खराब कर दो। पानी को खराब कर दो। तो यह किस प्रकार से जहर उगलने वाले उद्योग-धंधों पर हमें लगाम लगानी चाहिए। मैं उद्योग-धंधों को बंद करने के पक्ष में कतई नहीं हूं। उद्योग-धंधे भी चलने चाहिए और रोजगार भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे उद्योग-धंधे जो जीवन को ही नष्ट कर दें, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या जहरीले पदार्थ उगलने वाले उद्योग-धंधे जल, जीवन, हवा को शुद्ध रख पायेंगे? यह कतई नहीं करने वाले हैं। यह जीवन को खराब करेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पूर्व के विधान सभा क्षेत्र गंगरार में पहले मेरे पास चंदरिया था, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, चंदरिया। अब मैं कपासन आ गया हूं तो वापस दरीबा आ गया। वहां के हालात इतने खराब हैं, आसपास के 40 गांवों के अन्दर कि वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। हवा खराब, पानी खराब, जमीन खराब, जीवन खराब, यह खराब ही खराब करने का काम हिन्दुस्तान जिंक में होने वाला है। लेड की मात्रा अधिक होने से गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो गये हैं।

Spp/Rtm/22.07.2024/18:50/3q

हाल ही में अभी दो दिन पहले परसों के दिन की घटना है। भगतपुरा गांव का एक कालूराम जाट, जिसको छह महीने पहले हिन्दुस्तान जिंक ने कम्पलसरी रिटायरमेंट देकर उसको कहा तुम घर जाओ, क्योंकि उसके गुर्दे की बीमारी हो गयी। वह काम नहीं कर सकता था। उसके ब्लड के अन्दर लैड की मात्रा ज्यादा हो गयी तो उन्होंने कम्पलसरी रिटायरमेंट देकर उसको घर भेज दिया। अभी दो दिन पहले ही उसकी मौत हो गयी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा हिन्दुस्तान जिंक के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं मिट्टी के, वहां आप जाकर देखोगे कि इस विधान सभा भवन से भी बड़े-बड़े मिट्टी के पहाड़ लगे हैं। वहां पर अरावली की एक श्रृंखला बन गयी है। पचासों

की संख्या के अन्दर माननीय पर्यावरण मंत्रीजी, आप जाकर देखोगे दरीबा और चंदरिया में कि किस प्रकार से पहाड़ बने हुए हैं। जब बरसात होगी तो वहां बरसात के साथ पानी और मलबा बहकर सड़कों के ऊपर आयेगा। जब सड़कों पर आ जायेगा तो वह उस जहरीले पानी से हमारे खेत खराब हो जायेंगे, फसलें खराब हो जायेंगी। हवा के कारण जनजीवन नष्ट हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिये हमको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदियां खराब हो गयीं, तालाब खराब हो गये, कुएं और ट्यूबवैल, मैंने देखा और आपसे पहले भी कहा था जब हम पिछली बार थे, तब मैंने कहा था कि मैं एक गांव में गया सोमटियो के खेड़ा में और उन्होंने वहां पर कहा कि चाय बनाते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे पानी की समस्या है। उन्होंने कहा इसीलिये तो आपको पिला रहे हैं। पानी और चाय को मिलाया और उसको गैस के ऊपर रखा और दूध फट गया। यह समस्या इसलिये है कि दूध में भी लैड की मात्रा ज्यादा हो गयी। चारे में भी लैड की मात्रा ज्यादा हो गयी। **(समय समाप्ति सूचक घंटी)** माननीय सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट ज्यादा देंगे तो अच्छा लगेगा।

श्री सभापतिः सबको आठ-आठ मिनट दिये हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हां, कहना पड़ेगा।

रावत साहब को धन्यवाद देना रह जायेगा नहीं तो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ग्राउंड वाटर इतना खराब हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहां पर अशुद्ध पानी पीने के कारण गर्भपात भी होते हैं और बांझपन की समस्या भी बनी हुई है। लैड में यह केडियम की मात्रा हैवी मैटल्स में से केडियम, निकल और लैड निकलते हैं। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहूंगा यदि वहां का पानी शुद्ध होता तो हिन्दुस्तान जिंक दरीबा में काम करने वाले जितने भी अधिकारी और मजदूर हैं, वह मेरे मातृकुण्डिया डेम से पानी लाते हैं। लाइन बिछाकर के वहां से पानी लाकर पानी पी रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन था। आज सुबह मैंने एक प्रश्न पूछा था विधान सभा में, उसके लिये बड़े जतन किये लेकिन मेरा नम्बर नहीं आया। मैं पर्यावरण मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं आप इस जिंक की जांच के लिये कोई ऐसी कमेटी बनाने का आपको आश्वासन देना था, यह प्रश्न में आया है। मेरा एक आग्रह है वहां के जन प्रतिनिधियों को साथ में रखा है, वहां के विधायक, वहां के एम पी., वहां के चेयरमैन, वहां के प्रधान, उन सबको आप उस कमेटी के अन्दर आप रखें तब जाकर लीपापोती नहीं होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बड़ी तकलीफ है मेरे मन में कहते हुए कि यह जितना भी पर्यावरण डिपार्टमेंट आपका है, यह सारे अधिकारी मिले हुए हैं और यह अधिकारी नीचे के कर्मचारियों को कहते हैं, लैब वालों को कि हम जैसी रिपोर्ट चाहें तुम वैसी रिपोर्ट बनाकर दोगे। मैं उस अधिकारी का नाम तो नहीं लेना चाहता, जो मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, क्या हैं यह मैं नहीं जानता। उन्होंने नीचे के कर्मचारियों को कहा कि जैसा हम चाहें, वैसी रिपोर्ट बनाकर दीजिये, क्योंकि उनका मैनेजमेंट हो रखा है।

(समय बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

उनका कनेक्शन है। इस कनेक्शन के लिये मैं चाहूंगा कि ऐसी कमेटी बनाकर आप दें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इर्रिगेशन के लिये दो मिनट बोलूंगा। रावत साहब और हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो-जो भी मैंने मांगा है, वह सब आपने देने का काम किया है। मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये कहा था कि जब तक मातृकुण्डिया के अन्दर पानी हमारे क्षेत्र के तालाबों को नहीं मिलेगा, तब तक मैं साफा नहीं बाधूंगा। वह मेरा प्रतिज्ञा का साफा दमाणा के अन्दर मन्दिर में पडा हुआ है। आपने मातृकुण्डिया की फीडर भी देदी, दमाणा-कपासन फीडर भी देदी। आपने और तो यह काम किया माही-बेसिन जाखम बांध का, माननीय अध्यक्ष महोदय, फीडर का पानी जयसमंद बांध में लाकर बड़गांव बांध में लाकर चित्तौड़-भीलवाड़ा और उदयपुर के कई तालाबों और नदियों को जोड़ने का काम करेंगे और उसमें 7 हजार 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस साल डी पी आर बनाने के लिये 30 करोड़ रुपये की भी स्वीकृति दी, इसके लिये भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। मेरे जितने भी एनीकट की और मांग हैं, हमारे यहां लुहारिया फीडर पक्की करनी है जिसमें सांसद महोदय ने भी आपसे निवेदन किया था। वह भी आप दे देना। दूसरा एक निवेदन करना चाहूंगा। दो मिनट और। कर्मचारियों का मामला है। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 में 20 साल पहले जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों की जो डी पी सी होनी थी, वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गयी। लेकिन उनके प्रमोशन पर रोक लगा रखी है। मेरो आपसे आग्रह है, यह पत्र मैं आपको दे रहा हूं। टेबल कर दूं या आपको दे दूं।

श्री अध्यक्ष: आप टेबल कर दो।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इन सारे पदों पर आपने यदि प्रमोशन दिया तो आपको हमेशा के लिये वह कर्मचारी याद रखेंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रमोशन को रोकने का काम आपके अधिकारी मिलीभगत के कारण उनको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह काम आप कर दें। मैं अन्त में, एक ही निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पधार गये हैं।

श्री अध्यक्ष: डेढ़ मिनट ज्यादा हो गया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपकी तरफ से मुझे पांच मिनट मिलने चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से पानी के अन्दर जो आपने काम किया है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किया है, इसके लिये आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं और मैं जल्दी से जल्दी चाहूंगा कि यह सारी की सारी योजनाओं के टेंडर लगाकर धरती

पर उतर जायें और जो मेरी मांगें हैं वह मैं आपको टेबल कर देता हूं। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः आप टेबल कर दें। धन्यवाद। श्री डूंगरराम।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और मांग संख्या 45 पर बोलने का अवसर दिया।

जल ही जीवन है, जल ही जान,
जल के बिना दुनिया वीरान
जल के बिना न वन-उपवन
जल के बिना न खेतों में अन्न।

आज जल संसाधन पर बहुत चर्चा हो रही है। राजस्थान प्रदेश, जो रेगिस्तानी इलाका है, उसके अन्दर जल का कैसा महत्व है, यह राजस्थान का व्यक्ति जानता है। इसको सबसे पहले महसूस किया 1925 में महाराजा गंगासिंहजी ने कि राजस्थान के अन्दर जल को कैसे लाया जाये। इसलिये उन्होंने 05 दिसम्बर, 1925 को बीकानेर कैनाल का उदघाटन हुसैनीवाला हैड से किया और जिसकी एक बीघा चौड़ाई में जमीन खरीदकर वह इस नहर को लेकर आये। उस जमीन के अन्दर क्वार्टर बनाये गये, कोठियां बनायी गयी, कर्मचारियों के रहने के लिये और अधिकारियों के रहने के लिये, लेकिन यह आज बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह सारे क्वार्टर्स और कोठियां पंजाब की सरकार बेच चुकी है और आज इस फिरोजपुर फीडर की और इस गंगनहर की हालत यह है कि जहां 2500 क्यूसेक पानी हमको मिलना चाहिये वहां पर 1200 क्यूसेक से 1500 क्यूसेक पानी हमें मिलता है। उसमें भी 400 से 500 क्यूसेक पानी की छीजत बीच में सीपेज हो जाता है, चोरी हो जाता है और उसकी वजह से गंगानगर के किसानों को बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को 45 आर.डी. से खक्कर हैड तक रिलाइनिंग का कार्य करने की जरूरत है। पटरी मजबूत करने की जरूरत है और पटरियों पर सड़क बनाने की जरूरत है ताकि वहां आवाजाही हो सके, अधिकारी दोनों और चक्कर काट सके ताकि वहां पर पानी की जो चोरी है, उसको रोका जा सके। पंजाब के लोग बरमे लगाकर और ऊपर से पाइप लगाकर पानी की चोरी रात को करते हैं और वहां पर आने-जाने के लिये मोटर साइकिल पटरी के ऊपर से नहीं निकल पाती है, इसलिये वहां के हमारे अधिकारी और कर्मचारी वहां जा नहीं पाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मेरा यह भी आपसे निवेदन है कि गंगनहर के खालों के लिये, जो 20-25 साल पुराने हैं, उनको नया बनाने की जरूरत है। जो 10 करोड़ का बजट, इस बजट भाषण के अन्दर दिया गया है, एक किलोमीटर खाला 10 से 12 लाख रुपये में बनता है और एक जो आउटलेट है, उसकी लम्बाई कम से कम पांच से छह किलोमीटर होती है तो इस तरह से यह जो खाले 10 करोड़ का बजट दिया है, यह एक ग्राम पंचायत के अन्दर यदि 8 से 10 आउटलेट हैं तो दो और तीन ग्राम पंचायतों के खाले ही इस

10 करोड़ से बन सकते हैं।

MLS/RTM/22.07.2024/19:00/4a

बाकी बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनके खाळे बनने जरूरी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन खाळों के लिए कम से कम 400-500 करोड़ रुपये का बजट जारी किया जाये। भाखड़ा नांगल बांध की नींव 1954 में रखी गयी और उस टाइम के प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आधुनिक भारत का मन्दिर इस भाखड़ा नांगल बांध को बताया। उसकी भाखड़ा नहर में, जिसका 1700 क्यूसेक्स पानी बनता है, उसे मात्र 1200 क्यूसेक्स पानी ही अभी मिल पा रहा है। आईजीएनपी को मरू गंगा के नाम से जाना जाता है, गंगानगर से लेकर बाड़मेर-जैसलमेर तक सिंचाई के साथ-साथ पीने का पानी भी इन जिलों को उपलब्ध होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरिके बैराज पर सतलुज और ब्यास, दोनों नदियां जहां मिलती हैं, जहां से ये नहरें निकलती हैं, वहां सतलुज के अन्दर जलन्धर की फैक्टरियों के सीवरेज का पानी, कैमिकल का पानी लगभग 400 से 500 क्यूसेक्स एक बड़ी नहर के रूप में इस सतलुज नदी में गिरता है, वह सारा कैमिकल युक्त पानी राजस्थान के लोगों को पीने को मिलता है। जहां-जहां यह पानी गया है, वहां-वहां कैंसर भी गया है। मैं तो आज सदन के अन्दर यहां तक कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार और केन्द्र की सरकार को राजस्थान की विधान सभा प्रस्ताव पास करके भेजे कि जलन्धर से जो सीवरेज का कैमिकल युक्त पानी सतलुज नदी में गिरता है, उसे रोका जाये और उसके अन्दर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हैं, उन्हें काम में लेने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर आज यहां बहस हो रही है, लेकिन ज्यादातर साथी अपना समय सिर्फ इसलिए गंवा रहे हैं कि पिछली सरकार ने यह नहीं किया, पिछली सरकार ने वह नहीं किया। मैं सत्तापक्ष के साथियों को यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश में 6-6 किसान शहीद हुए हैं तो 2005-06 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। रावला-घड़साना में और टोंक सोहेला में। उनकी और कोई मांग नहीं थी, सिर्फ पानी की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस की गोली से वे शहीद हुए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज आईजीएनपी के जो खाळे हैं, वे लगभग 20-25 साल पुराने हैं, उन्हें दुबारा बनाने की जरूरत है। पिछली बार अशोक गहलोत साहब ने सीएडी के माध्यम से इन खाळों को बनाने की घोषणा की थी। तीन चरणों में खाळे बनने थे, एक चरण का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन दो चरणों के खाळे अभी बाकी हैं। इस बजट में उन खाळों पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि कोरोना के समय हम लोगों ने देखा

कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हुई। पूरे देश में जब मात्र पांच-सात दिन गर्मी पड़ी तो हमने देखा कि किस तरह से आज वन और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है।

राजस्थान प्रदेश में एक ओर हम सोलर कम्पनियों को जमीनें दे रहे हैं, दूसरी ओर खेज़ड़ियों का कटान कोई सबसे ज्यादा कर रहा है तो ये सोलकर कम्पनियां कर रही हैं। विदेशों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि उन खेज़ड़ियों के जो छोटे पौधे हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई पर भी वे सोलर प्लांट लगते हैं। इससे जीव-जानवर भी बचे रहेंगे, वनस्पति भी बची रहेगी। यदि वह वनस्पति बची रहेगी तो हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा। अतः खेजड़ी काटने के खिलाफ बहुत सारे किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग पर भी ध्यान दिया जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) धन्यवाद। जय संविधान। जय भीम।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 42 व 45 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में उप-मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी जी ने ''सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय'' की भावना से प्रेरित हो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए एवं प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जाने वाले सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखते हुए बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है और उनके लिए वित्तीय प्रावधान भी किया है।

इसी सन्दर्भ में राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक इस बजट में वन्य क्षेत्र में 20 हजार हैक्टेयर की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य भी प्रस्तावित किया गया है। हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस वर्ष पर्यावरण दिवस पर "एक पेड़ मां के नाम'' अभियान की शुरूआत की है। आगामी 5 वर्षों में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान के साथ विभिन्न कार्यों के माध्यम से ''हरियालो-राजस्थान'' मिशन भी इस बजट के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की गयी है।

वन अधिकार क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय निवासियों को वन के माध्यम से रोजगार मिल सके, इसके लिए "वन-धन कार्यक्रम" के साथ ब्लॉक स्तर तक वन उपज एवं सम्बन्धित उत्पादों के विक्रय के लिए मार्केटिंग हब्स विकसित किये जाएंगे। इस हेतु भी विशेष बजटीय प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र सोजत मगरा एवं मैदानी क्षेत्र में स्थित है। मगरा क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें, उनके राजस्व गांव, ढाणियां एवं छोटे-बड़े बाड़िये वन अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं। विधान सभा क्षेत्र सोजत की गुडा रामसिंह, गुडा कलां, गुड़ा बीजा, खोड़िया एवं रायरा कलां टोडगढ़-रावली अभयारण्य वन्य क्षेत्र में आते है। यह क्षेत्र डीएफओ कार्यालय राजसमन्द के अधीन है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4 हजार हैक्टेयर है। मैदानी क्षेत्र में रेंज सोजत की सियाट, बोयल, अटबड़ा, चंडावल स्टेशन, मेव ग्राम पंचायतों के कुछ हिस्से भी वन्य क्षेत्र में आते हैं।

उक्त गांवों के वन अधिकार क्षेत्र में स्थित होने के कारण आजादी के बाद आज तक इन रहवासियों को कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है। इन्हें कोई सरकारी योजना का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। वन अधिकार क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन लोगों के लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, महात्मा गांधी नरेगा योजना भी संचालित नहीं होती है। छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों में कृषि करने के अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट पालन ही आजीविका का मुख्य साधन है। इन क्षेत्रवासियों के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय तक आने-जाने के लिए न तो कोई सड़क मार्ग है, न ही शिक्षण व्यवस्था और न ही कोई चिकित्सा सुविधा। इन लोगों को बिजली का स्विच कैसा होता है, यह भी पता नहीं है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के वाइल्ड लाइफ अभयारण्य एवं वन अधिकार क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के साथ-साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई माकूल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इन वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों को पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी की तलाश में हिंसक जानवर जैसे लैपर्ड, चीता, भालू नीचे वन्य क्षेत्र में लोगों के घरों के आसपास आवासीय इलाकों में आ जाते है। हम आये दिन समाचार पत्रों में भी यह खबर पढ़ते हैं कि वन्य प्राणी पानी के लिए भटककर गांवों में आ जाते हैं। आबादी क्षेत्र में वन्य जीव आ जाने से प्रायः भेड़-बकरियों को उठाकर ले जाते है तो कई बार मानवीय जीवन को भी खतरे में डाल देते हैं।

महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में पाये जाने वाले हिंसक जानवरों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो। इसके लिए इस क्षेत्र में एनिकट, चैक, डैम आदि के निर्माण कार्य करवाये जाएं। वन्य क्षेत्र में ही पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होने पर हिंसक जानवरों की आबादी क्षेत्र में आने की सम्भावना घट जायेगी। इसी तरह वाइल्ड लाइफ वन्य क्षेत्र के चिह्नित स्थानों पर लगभग 6 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार भी बनायी जाये ताकि जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में नहीं आ सकें। सुरक्षा दीवार बन जाने से हिंसक प्राणी वन्य क्षेत्र में स्वच्छन्दता से विचरण कर सकेंगे और आबादी क्षेत्र में आसानी से नहीं आ पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य जीव अभयारण्य में विदेशी बबूल की खरपतवार अधिक होने के कारण स्थानीय वनस्पति लुप्त होती जा रही है। इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाकर जूलीफ्लोरा को हटाकर बांस के मैदान विकसित किये जाएं। महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में कई बांध एवं तालाब स्थित हैं। पश्चिमी क्षेत्र चोपड़ा ग्राम पंचायत में अबकाई ढाणी में बोरीनाड़ा बांध स्थित है। इस बांध से क्षेत्र की लगभग 1500 बीघा से अधिक जमीन की सिंचाई होती है। इस बांध से निकलने वाली नहरों के अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी की बर्बादी के साथ अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों को काफी परेशानी होती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सम-आप करें।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): महोदय, इसी तरह चंडावल स्टेशन ग्राम पंचायत का टूटीया बांध, चंडावल नगर का गोविंद सागर बांध, सरदार समंद बांध, सूरायता ग्राम पंचायत का मालपुरिया-कानावास बांध, रेपड़ावास में हापत बांध, चोपड़ा ग्राम पंचायत में स्थित राजसागर बांध, भैसाणा ग्राम पंचायत में श्री आई माता बांध की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्वार करवाये जाने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मांगेलाल मीना।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 42 और 45 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका तहेदिल से आपका आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

mkd/rtm/22.07.2024/19:10/4b

+++

श्री अध्यक्ष: आप डिमांड पर बोलियें। बीएसी की मीटिंग पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, मांगो पर बोलियें**, ये हटा दीजिये**।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): बिजली लोड शेडिंग के हिसाब से बार-बार बिजली काटी जाती है। मैं, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गांवों में इतनी दयनीय स्थिति है कि रात में आठ से नौ घंटे तक बिजली काटी जाती है। माननीय मंत्री जी, सदन में असत्य बयान देते हैं और गुमराह करते हैं कि गांवों में दो-दो, तीन-तीन घंटे काटी जाती है। गांवों में क्या इंसान नहीं रहते, वृद्ध नहीं रहते, क्या बच्चे नहीं रहते, क्या बीमार नहीं रहते, क्या गर्भवती महिलाएं नहीं रहतीं? सरकार का गांवों के साथ दोहरी नीति अपनाने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, वापस जाइये। नो, पीछे से घुमकर जाइये। इसके नार्म्स बने हुए हैं।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): विश्व का सबसे जोखिम भरा फसल का व्यवसाय है है। फसल का भविष्य और किसान का भविष्य मानसून पर निर्भर करता है। किसानों के बहुत आंदोलन करने के बाद भी एमएसपी कानून आज भी भारत सरकार के पास लम्बित है। उस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष: डिमांड पर बोलिये। पानी और वन की डिमांड है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, अलवर में स्थिति यह है बिजली नहीं होने से जंगली पशु बाहर आ जाते हैं। इसलिए बिजली की बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जब बिजली का नम्बर आये तब बिजली पर बोलना। डिमांड पर बोलेंगे तो ही अंकित होगा।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए,

पेयजल के लिए मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी सिंधिया ने 2017 में डीपीआर बनाई थी, उसको आपस की टकराकर की वजह से भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। अगर 2017 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते तो आज पूरे राजस्थान की जनता पीने के पानी के योग्य होती और पानी मिलता। पिछले सात साल से इस योजना को भटका रहे हैं, इसको फुटबॉल बना रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री गहलोत साहब ने इसके लिए अथक प्रयास किये हैं। राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने के बावजूद भी, उन्होंने हिम्मत और हौसला दिखाया और यह करके दिखाया कि 9 हजार 600 करोड़ रुपये की ईसरदा बांध जैसी परियोजना को लागू किया। वह किसी और की हिम्मत नहीं थी, गहलोत साहब की थी, गहलोत सरकार की थी।

आज जो आप बजट भाषण प्रस्तुत करते हैं, असत्य लिखते हैं कि हमने 9 हजार 600 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये हैं। मैं यह कहता हूं कि पिछले सात महीने में वृहद योजना के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा न तो कोई वित्तीय सैंक्शन निकाली गई और न ही कोई कार्य आदेश जारी किये गये हैं। आज की तारीख में राजस्थान में जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं, वे सारे के सारे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य ही प्रगतिरत हैं। यह सत्यता है और आप लोगों को सत्यता पर आना चाहिए।

सरकार के वित्तीय बजट के बिन्दु संख्या 111 में उल्लेख किया गया है कि 21 जिलों की 3.25 करोड़ जनसंख्या को हम पेयजल उपलब्ध करायेंगे। 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे, लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं है, ये केवल काल्पनिक फिगर हैं। इसकी न तो कोई डीपीआर बनाई गई है, इसका एमओयू जनवरी में करने की बात की गई है, लेकिन आज तक एमओयू की कॉपी सदन पटल पर नहीं रखी गई है। उसमें क्या लिया गया है? 2017 में डीपीआर में 3921 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता, लेकिन अभी जो एमओयू किया है, उसमें 2412 मिलियिन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। राजस्थान को लगभग बंटवारे में 1509 क्यूबिक मीटर पानी मिलने उल्लेख है।

आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि डीपीआर में वह सब समावेशित होना चाहिए। प्रोजेक्ट में पहले प्लानिंग हो, कौन-कौन से बांधों को जोड़ा जायेगा, उनकी कितनी क्षमता है। सिंचाई के लिए कल्पना करना, यदि आप पूर्वी राजस्थान के बांधों को नहीं जोड़ोगे तो वहां पानी कैसे मिल पायेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से डीपीआर में अलवर जिले के रियासतकालीन बांधों को जोड़ने का निवेदन है। तहसील राजगढ़ के बागोला, धमरेड़, ठेकडी, कोठी नारायणपुर, प्रतापगढ़, बिगौता, देवती, सुडैल, खरगड़ा, बड़ला, रैणकी, पिनान, माचेड़ी, डगडगा डेरा, धेदावण और तहसील लक्ष्मणगढ के मौजपुर, झालटाला, गौर पहाड़ी, कनवाड़ा, लीली, देवली, हरसाना, अन्ता, पाड़े बांधों को इस योजना में जुड़वाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्षः बाकी टेबल कर दें। श्री गणेशराज। पहली बार आये हैं, पहली बार बोल रहे

हैं।

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 42 जल संसाधन विभाग एवं मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण विभाग पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

आदरणीय महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी द्वारा प्रस्तुत बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहरों के लिए 29 करोड़ 30 लाख रुपये एसएसडब्ल्यू नहर के पुन: निर्माण के लिए दिए गये हैं, उसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इसके अलावा मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है वह पूरा हरियाली का क्षेत्र है। इसमें भांखड़ा नहर परियोजना व इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई करके किसान वर्ग अपना जीवनयापन करते हैं। यह राशि बहुत ही कम है। आईजीएनपी क्षेत्र में जो खाले वर्षों पहले बने हुए हैं, वे नकारा साबित हो चुके हैं, उन खालों के लिए बजट उपलब्ध कराया जाये ताकि किसान अच्छे से खेती कर सके।

इसके अलावा हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन शहर के बीचों बीच से घग्घर नदी गुजर रही है। जिसमें वर्षा के समय बाढ़ आने का खतरा रहता है। सन् 1995 में हनुमानगढ़ जंक्शन शहर इस घग्घर नदी के कारण डूब भी गया था। मेरी आपसे मांग है कि इस घग्घर नदी के डोले को पक्का करके, अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरह इस पर रिवर फ्रंट बनाया जाये तो न केवल शहर का सौन्दर्यीकरण होगा, बल्कि शहर के वासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे।

इसके लिए जो भांखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता नहीं है। यदि सरकार भांखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता उपलब्ध कराये तो किसानों के हित में जनप्रतिनिधि सोचेंगे और अच्छा पानी किसानों के लिए ले सकेंगे।

हनुमानगढ़ में जो एक एफटीपी माइनर निकली है, उस माइनर की जो अनकमांड भूमि थी, उस भूमि को कमांड करके लाखों रुपये उसकी फीस किसानों को अदा करने के लिए कहा गया है, तो मेरा सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप उन किसानों को देखते हुए, उसकी राशि लाखों में है, उसे कम करके उनकी जमीनों को कमांड घोषित किया जाये।

इसके अलावा जहां-जहां कृषि भूमि में कॉलोनियां कट चुकी हैं या भूमि का कंनवर्जन हो चुका है, उन जमीनों को, जो शेष पानी बचता है, उससे जो जमीनें अनकमांड हैं उन्हें कमांड किया जाये, ताकि आम किसान को राहत महसूस हो सके।

इसके अलावा मैं वन मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ शहर के समीप कोहला फार्म है, उसमें हजारों बीघा भूमि है। पूर्व में माननीय सांसद निधि से कोहला फार्म की चारदीवारी कराई गई थी, जिसे काफी वर्ष हो चुके हैं। वह चारदीवारी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कई जगह से टूट गई है और मुख्य सड़क पर जो तारबन्दी करवाई हुई है, वह भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

Bhs/Rtm/22.7.24/19.20/4c

वहां पर पशु विचरण करते हैं तो भागकर आते हैं तो वो गाड़ियों से टकराते हैं जिससे कई बार जान-माल की हानि भी हो चुकी है तो कृपया वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दें। क्षतिग्रस्त चारदीवारी को सही करवाया जाये और सी.ए.डी. विभाग के द्वारा जो खाले बनाने के लिए वर्क ऑर्डर किये गए हैं उन्हें वित्त विभाग के द्वारा रोक दिया गया है, आपसे निवेदन है कि चूंकि खाले किसानों की जरूरत है उन खालों को जल्दी से जल्दी बनाने के आदेश जारी किए जायें। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से अनुरोध है। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री विरेन्द्र सिंह।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 और 45 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं जल संसाधन मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी और राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा और जल संसाधान मंत्री के द्वारा ई.आर.सी.पी. योजना से जो 21 जिलों में पानी पहुंचेगा तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा में पेयजल और सिंचाई के पानी की बहुत ही गम्भीर समस्या है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि मसूदा विधान सभा क्षेत्र के सभी छोटे-मोटे तालाबों, बांधों में इस पानी को लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि बीसलपुर बांध में पानी से अजमेर, जयपुर और कई जिलों में पानी पेयजल के लिए जाता है, तो जो चम्बल का पानी है बीसलपुर बांध से जोड़ा जाए जिससे मसूदा विधान सभा क्षेत्र में पीने का पानी वर्ष भर लोगों को मिले।

माननीय मंत्री महोदय, विधान सभा क्षेत्र मसूदा में अंधेरी देवरी में श्री सीमेंट का प्लांट है, लूलवा गांव में माइन्स इतनी अधिक गहरी है, उस माइन्स से अब खनन कार्य भी बन्द कर दिया है लेकिन भूमिगत जल इतना अथाह वहां भरा रहता है कि 12 महीने श्री सीमेंट फैक्टरी उस पानी का दोहन करती है जिससे आस-पास के पूरे एरिया में करीब 10-15 पंचायतों में कुओं और ट्यूबवैल में पानी सूख जाता है तो किसानों को बड़ी समस्या रहती है, तो उस माइन्स के पानी पर रोक लगायी जाए वो 24 घंटे उस पानी को बड़े-बड़े नलकूपों के माध्यम से फैक्टरी में ले जाते हैं और उस पानी के द्वारा अंधेरी देवरी गांव के आस-पास की पंचायतों में जहां श्री सीमेंट का प्लांट है पानी भरपूर मात्रा में होता है तब भी वह पानी पीने लायक नहीं है। पानी जहरीला हो रहा है।

माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसकी भी जांच करायी जाए और हमारे मसूदा विधान सभा क्षेत्र में नारायण सागर बांध जो विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है तो उसमें भी ई.आर.सी.पी. के माध्यम से पानी को जोड़ा जाए और लोहड़ी सागर बांध और

भिनाय क्षेत्र में देव सागर बरली जो बांध है उस पर काम भी चल रहा है, तो उसको भी इस ई.आर.सी.पी. योजना से जोड़ा जाए।

माननीय मंत्री महोदय, जो छोटे-मोटे तालाब हैं...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मंत्री जी को सम्बोधित नहीं किया जाता।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार आया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो ग्राम पंचायतों में छोटे-मोटे तालाब हैं उन तालाबों में पानी रिजर्व रखा जाए। होता क्या है कि तालाब में जिनके खेत हैं वो खेत की बुवाई के लिए मोरियों को खोल कर रात को पानी को बाहर निकालते हैं अपने खेत बोने के लिए, तो उन तालाबों में भी पेयजल के लिए पानी रिजर्व रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सीमेंट से वायु प्रदूषण और पानी का प्रदूषण इतना भयंकर हो रहा है कि अंधेरी देवरी से श्री सीमेंट प्लांट का धुआं व धूल मसूदा तक आता है। रात्रि को अगर छतों पर सोयें तो मिट्टी की परत वहां जमती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि जो पॉल्यूशन विभाग की टीम आती है वो केवल श्री समेंट के जो मानक लगे हुए है प्रदूषण के उनको मान कर सारी रिपोर्ट करती है अगर वह पॉल्यूशन की टीम एक सप्ताह भी श्री सीमेंट के आस-पास के गांवों में रहे और उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए तो पता लगेगा कि स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉवर प्लांट से जो जहरीली हवा और गैसें निकलती हैं उससे अकाल मृत्यु हो रही है। श्री सीमेंट अंधेरी देवरी के आस-पास लोगों का जीना दूभर हो रहा है। हमारे हाईवे पर माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी पधारते हैं, अजमेर से ब्यावर उसके बीच में पीपलाज, करवा और कानाखेड़ा में पत्थर पीसने की इतनी फैक्ट्रियां हैं तो उससे इतना धूल और धुआं शाम के और सुबह के समय होता है कि हाईवे पर वाहन चलाने में भी बड़ी दिक्कत आती है तो इस वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वृक्षारोपण नरेगा के माध्यम से भी फॉरेस्ट में किया जाए जिससे हमारे पर्यावरण को ऑक्सीजन मिलने में मदद मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय,...।

श्री अध्यक्षः फिर, क्या बोले आप? ध्यान से सुन रहा हूं।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो प्लास्टिक की थैलियां हैं गांवों में और शहरों में बड़े कस्बों में जो कचरा सफाई कर्मचारी बीन कर लाते हैं उसको जला देते हैं उससे जहरीली गैसें वायुमंडल में फैलती है तो उस प्लास्टिक और कचरे का भी डिस्पोजल किसी गड्ढे में करें, इसके लिए पंचायतों को पाबन्द किया जाए जिससे उसका निस्तारण हो सके। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वन क्षेत्र में जो आये दिन पैन्थर आबादी क्षेत्र में घुस आते हैं

तो उन पर भी पिंजरे लगाने हेतु रैंजर को और डी.एफ.ओ. साहब को कहते हैं तो वो समय पर उनका निस्तारण करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि मसूदा में देवमाली भगवान का मन्दिर है उस मन्दिर परिसर में भी ... (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: पहली घंटी के बाद सम अप करना होता है, एक मिनट फिर आधा मिनट। श्रीमती शिमला देवी।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 42 और 45 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम मैं 2004 में हमारे रावला घड़साना में बहुत बड़ा किसान आन्दोलन हुआ उसमें सात किसान हमारे शहीद हुए, उन शहीदों को नमन करते हुए क्योंकि उस वक्त भाजपा की सरकार थी और माननीय वसुन्धरा जी हमारी मुख्य मंत्री थी। किसानों ने पानी मांगा था लेकिन गोलियां मिली वहां पर और उन सातों किसानों के घरों के हालात देखें तो देखने लायक नहीं है। आज उस बहन का सुहाग हम नहीं लौटा सकते, उस बच्चे को पिता नहीं दे सकते, हम उस माता को बेटा नहीं दे सकते। जो एक पानी जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा है, इसमें मैं सत्ता और विपक्ष दोनों से कहना चाहता हूं कि जल की सभी को आवश्यकता है। नहर में जब पानी आता है, खेतों में सिंचाई के लिए जाता है तो वहां भाजपा और कांग्रेस नहीं देखा जाता है। वाटर वर्क्स में जो पानी आता है पाइपों के माध्यम से, नल के माध्यम से हमारे घरों में आता है तो वहां भाजपा और कांग्रेस नहीं देखा जाता है। तो मेरा सारे सदन से निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर सत्ता और विपक्ष को बैठ कर आपसी विचार-विमर्श करके हमारे पेयजल और सिंचाई के लिए जो पंजाब में हमारा पानी है उसको लेने का हमें प्रयास करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि भारत पाक विभाजन के समय सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। रावी, ब्यास, सतलुज नदी, इसके अन्दर एक मास्टर प्लान बना था जिसके अन्दर सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध और ब्यास नदी पर पोंग और पंडोह बांध और रावी नदी पर रणजीत सागर व थीन बांध बना था तो रावी और ब्यास नदियों के अन्दर 52 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान की थी लेकिन पीछे जो उझ नदी है जो रावी नदी की उप नदी है एवं माधोपुर है तो थीन डैम की भी शाहपुर कंडी डैम जिसका एम.ओ.यू. 8 सितम्बर, 2018 को कश्मीर व पंजाब के बीच हुआ, जिसका कि राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि उसमें केन्द्र की मोदी सरकार ने भी राजस्थान के हितों का ध्यान नहीं रखा और इस समय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी थे और इसके अन्दर 52 प्रतिशत हमारी हिस्सेदारी है तो वह पानी राजस्थान के किसानों को मिलना चाहिये और इसके साथ-साथ जो पोंग बांध और भाखड़ा, रणजीत सागर डैमों की जो

भराव क्षमता है उससे बीस फीट पानी कम भरा जाता है, जिसके कारण राजस्थान को लगभग 9 लाख क्यूसेक्स गेज पानी का नुकसान होता है। यदि डेमों को पूरा भरा जाए तो लगभग तीन महीनों तक आई.जी.एन.पी. से चार में से दो समूह में पानी हम चला सकते हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर आप ध्यान दीजिये। इसी के साथ-साथ सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है कि जो आई.जी.एन.पी. है सबसे बड़ी हमारी जीवनदायिनी है, तो हरिके बैराज से नहर निकलती है ...

Kas/rtm/22.07.2024/19.30/4d

लेकिन हरिके बैराज का नियंत्रण बीबीएम के पास नहीं होकर, पंजाब के पास है। राजस्थान काफी समय से मांग कर रहा है कि बीबीएम में राजस्थान को मेम्बर बनाया जाये। इसका एक चेयरमैन और दो मेम्बर होते हैं, जो केन्द्र सरकार नियुक्त करती है। जब तक बीबीएम में राजस्थान की भागीदारी नहीं होगी, पंजाब हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं देगा। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि बीबीएम बोर्ड में राजस्थान को भागीदार बनाया जाये। हरिके बैराज से फिरोजपुर फीडर पर जो दोनों नहरें निकलती हैं, आपने फिरोजपुर फीडर के लिये बजट दिया है, लेकिन फिरोजपुर फीडर बने तो उसके साथ-साथ इंदिरा गांधी की भी डीपीआर बननी चाहिये, क्योंकि नहर के दोनों साइड के पटड़ों की हालत बहुत खराब है, नाजुक है। जीरो आर.डी. से लेकर 15 तक तो बहुत ही हालत खराब है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर भी आप ध्यान दें।

इसके साथ-साथ पिछले 40 वर्षों से हरिक बैराज से होकर हुसैनी वाली हैड से हजारों क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान जा रहा है, इसे रोकने के लिये आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस पानी को लेकर किसी प्रकार की संधि भी नहीं हुई है। इसके साथ-साथ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों पहले स्काडा प्रणाली स्थापित हुई थी, इसमें आइजीएनपी की मुख्य नहर की सभी शाखाओं, वितरिकाओं, उप वितरिकाओं में उपलब्ध पानी दर्शाया जाता था। इसके बाद वह वैबसाइट आईजीएनपी.इन पर सबको उपलब्ध था। इसमें अपडेट नहीं किया गया, इसलिए स्काड़ा प्रणाली को पुनः चालू करने की मैं सरकार से मांग करती हूं।

इसके साथ, पंजाब में इंदिरा गांधी फीडर की रिलाइनिंग और ब्रिज निर्माण पर 92 करोड़ रुपये खर्च होने थे, इंदिरा गांधी की फीडर की आर.डी; 520, 345, 332, 554, 280 और 570, इनके लिये अलग-अलग बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बार सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। एक पानी के अभाव में हमारी रबी की फसल खराब हो जाती है। जब हमारी रबी की फसल पकाव पर हो, उस समय सरकार हमें पूरा पानी दे, ताकि हमें आंदोलन नहीं करना पड़े।

इसके साथ, आईजीएनपी की प्रथम शाखा के खालों के निर्माण के लिये मैं मांग करती हूं। खालों का निर्माण पंजाब की तर्ज पर किया जाये, ताकि इनकी मियाद लंबी चले और किसानों को प्रोपर तरीके से पानी मिल सके। जहरीले पानी की हम बात करते हैं..

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे कागज टेबल कर देती हूं।

श्री अध्यक्षः हां टेबल कर दो। श्री देवी सिंह शेखावत।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर व मांग संख्या 45 पर्यावरण व वन पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। मानव शरीर और हमारा ब्रह्मांड पंच तत्व, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल से बना हुआ है। इससे पानी का महत्व पता चलता है। चाहे हमारा देश हो या विश्व का कोई भी देश हो, सभ्यता वहीं फलीभूत हुई जहां पानी था। हमारे हिन्दुस्तान में मोहन जोदाड़ो, हडप्पा, या हमारी गंगा-यमुना नदी के पाट क्षेत्रों में सभ्यता ने विकास किया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आबादी 1947 में 36 करोड़ थी और आज पूरे विश्व में हम 140 करोड़ से अधिक होकर एक नंबर पर आ गये। हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में 18 प्रतिशत है और हमारा जल का प्रतिशत 4 प्रतिशत है। उस 4 प्रतिशत में 65 प्रतिशत जल भूगर्भ से मिलता है। राजस्थान की बात की जाये, तो हमारे पास 10 प्रतिशत क्षेत्रफल है और हमारे पास जल की उपलब्धता 1.87 परसेंट है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी एवं आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का, इन्होंने इस जल के महत्व को समझा, राजस्थान की जल की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए हमारी ईआरसीपी योजना को लागू किया। हमारे कांग्रेसी साथी तरह-तरह की शंका व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो अपने समय में इस योजना को लाने में ईमानदार नहीं थे, इसलिए उनको आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो यह लागू किया, इस पर भी शंका होती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह योजना आने वाले पांच सालों में धरातल पर उतरेगी और सभी कांग्रेसी साथी भी इसका स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कुएं, बावड़ी, तालाब, जोहड़, पानी के स्रोत होते हैं। पूर्वी राजस्थान में लाइट आने से, देश में हरित क्रांति होने की वजह से, कृषि यंत्रों का विस्तार होने की वजह से जो जमीनें पड़ी रहती थीं और जो बैलों और ऊंटों के माध्यम से चड़स निकाले जाते थे, उसकी अपेक्षा हमारे यहां बड़ी-बड़ी मोटरें लग गईं, गहरे-गहरे बोरिंग होने से जल का दोहन बहुत ज्यादा हुआ। 2012 तक हमने जल का दोहन 30 प्रतिशत तक कर लिया था। पूरे विश्व के जल के जानकारों का कहना है कि आने वाले 20 सालों में हम जीरो डे की तरफ बढ़ जायेंगे। जीरो डे जहां भू जल खतम हो जाता है, उसको कहा जाता है। पूरे विश्व में कैपटाउन जो पूरी दुनिया में दक्षिण अफ्रिका का बहुत ही सुंदर शहर था, उसका

पहला नंबर आया। जल संसाधन की बात करें, तो दुनिया के 182 देशों में भारत की स्थिति 132वे नंबर पर है। कुल मिलाकर हमारे यहां जल कम है। इसकी चिंता करते हुए जो हमारा जल बहकर समुद्र में चला जाता था, अतिवृष्टि का जल ईआरसीपी के माध्यम से लाया जायेगा। यमुना का जल हमारे सीकर, झुंझुनूं, चूरू में लाया जायेगा। यह काम सतह पर होगा। हमारे राजस्थान की साढ़े आठ करोड़ की आबादी है, इसमें करीब 4 करोड़ की आबादी इससे लाभान्वित होगी। हमारा राजस्थान कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषक आज मजदूर की स्थिति में चला गया है। लोगों का गांवों से पलायन हो रहा है, उस स्थिति से हम उबरेंगे और हमारा प्रदेश पंजाब जैसे होगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्लेशियर, जिनसे गंगा नदी बहती है, उनमें 18-20 प्रतिशत पानी कम हो गया। पानी कम होने का कारण ओजोन, पर्यावरण है, क्योंकि हमारे यहां कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही ज्यादा हो गया है। एसी, मशीनों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिससे वातावरण में गर्मी बढ़ रही है और पूरे विश्व का तापमान 1-2 परसेंट ज्यादा हो गया है। 8.5 परसेंट तक हमारा तापमान बढ़ चुका है। दुनिया के साउथ ग्लेशियर 2000 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनमें पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश आजाद हुआ उस समय हमारी आबादी केवल 36 करोड़ थी, उस समय हमारे यहां तालाबों की संख्या 25 लाख थी। आज पूरे देश में हमने केवल 5 लाख तालाब छोड़े हैं, क्योंकि नदी के क्षेत्र में आबादी आने से एनक्रोचमेंट इतना ज्यादा हो गया, नदी का क्षेत्र रुक गया। गांवों में जोहड़ बीच में आ गये, चारों तरफ से हमने उनको एनक्रोच कर लिया, उनका क्षेत्र छोटा कर दिया और उनको गंदे पानी का स्टोरेज बना दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में चितोली का बांध हमारे पड़ोस में है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि उसकी स्पष्ट घोषणा करें कि वह पहले चरण में जुड़े। इसके साथ ही हमारे हरसौड़ा के बांध को जोड़ा जाये।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट दिये जाएं। इसके साथ ही हमारे पहाड़ के बिलकुल नीचे का क्षेत्र है, बिलाट के नीचे पहाड़ पर बंधा बनेगा तो कई गांवों में पानी की पूर्ति वहां से होगी। ज्ञानपुरा में पहाड़ के नीचे तालाब बन सकते हैं, वहां केचमेंट ऐरिया काफी बड़ा है। इसके साथ ही रामपुर में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है।

वन क्षेत्र की मैं बात करूं, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि यह जूलीफ्लोरा का विषय बार-बार आ रहा है, इसको आप अपने कार्यकाल में जड़ से खतम करें।

msk/rtm/22.07.2024/1940/4e

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि माइनिंग, फोरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर कोई भी माइनिंग की लीज निकालते हैं तो पूरा सोच-विचार कर निकालें, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में एक ही दिन का आदेश आता है कि इनको बन्द कर दिया जाये। व्यापारी को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए इस पर आप ध्यान दें, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जसवन्त सिंह गुर्जर।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मांग संख्या 42 और 45 की आज चर्चा होनी है। अध्यक्ष महोदय, ईआरसीपी पर सब अपना-अपना श्रेय ले रहे थे, मैं काफी देर से देख रहा था। अध्यक्ष महोदय, जो गंगा जी लायेगा, भागीरथ तो वही कहलायेगा। सत्य बात तो यह है।

सिंचाई की चर्चा रही है तो यह सब जानते हैं कि जल का महत्व क्या है? हमारे पुराणों में भी कहा:-

छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये बना शरीरा।

बिना जल के जब शरीर ही नहीं है तो क्या कल्पना कर सकते हैं, इस जीवन की क्या संभावना बनती है? तभी इस विषय पर सदन के प्रत्येक बुद्धिजीवी ने इस पर अपने-अपने तरीके से बात रखी है, जो कि निश्चित तौर पर प्रशंसा के योग्य हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे बाड़ी विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा। वहां दो बांध हैं, जहां से मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है, एक तो पार्वती बांध है। अध्यक्ष महोदय, पार्वती बांध की स्थिति यह है कि वहां पर नहर पूरी कच्ची है तो मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि उस नहर को पक्का किया जाये। कई जगह पर लीकेज हैं, उस लीकेज के कारण कम से कम 25 परसेंट लीकेज क्षति होती है। दूसरी, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई नहर आती है, उत्तर प्रदेश के किसान लगभग 25 परसेंट सिंचाई का पानी नहर तोड़कर ले जाते हैं, इसलिए वहां पुलिस की गश्त की व्यवस्था की जाये या वहां चौकी बनायी जाये, जो कि सिंचाई के समय काम आये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा रामसागर है, जिससे बाड़ी क्षेत्र को पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, रामसागर से गुम्बट-बाड़ी नहर निकलती है, वहां उस नहर पर कुछ राजनेताओं द्वारा सड़क बना दी गयी है। कई बार नोटिस देने के बावजूद सिंचाई विभाग की कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई। मैं तो उन नोटिस वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके सामने बिजली विभाग के एक ए.ईएन. के 22 फ्रेक्चर होने के बावजूद भी उन्होंने नोटिस दे दिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तरीका थोड़े ही है, बात करने का।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, उस नहर पर आज तक किसी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अध्यक्ष महोदय, मेरी ओर ध्यान दें, जो मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सब नोट हो रहा है।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): उस नहर को पाट दिया गया और उस पर 80 फीट चौड़ी सड़क बना दी गयी। उसका मूल उद्देश्य यह था कि वहां के राजनेताओं ने वहां जमीन खरीद रखी थी। जमीन खरीदकर वहां रिसोर्ट बनाया, होटल बनाया, होटल में कितनी मंजिल बना सकते हैं, कितनी चौड़ी सड़क पर। यह किसी ने एडवाइज दी। किसी ने बताया कि अगर आपको पांच-छह मंजिल बनानी है तो आपको 80 फीट रोड डालनी पड़ेगी। उस नहर की जमीन पर और किसानों की जमीन पर 80 फीट सड़क बना दी गयी, जबकि टेण्डर 13 मीटर हुआ था। नगरपालिका से पैसे आये, पीडब्ल्यूडी ने 13 मीटर की सड़क बनायी और मौके पर 80 फीट की सड़क बनी, सिंचाई की नहर के ऊपर। जब ठेकेदार ने कहा कि 80 फीट नहीं बना पाऊंगा तो उससे कहा, पेमेंट मैं करवाऊंगा। उस समय सरकार का आपसी डिसप्यूट था, विकलांग-सी सरकार थी। ये कोई कार्यवाही नहीं कर पाये। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह रावत।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): भयवश कहीं वहां के नेता नाराज नहीं हो जायें, इस वजह से उस सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया गया।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, हो गया। पांच मिनट में, जितना बोलना था, बोलें।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। महोदय, भारत का भविष्य बनाने के लिए राष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता एवं भारत के अवतारी पुरुष के रूप में माननीय नरेन्द्र मोदी जी और राजस्थान में भविष्य बनाने के लिए माननीय भजन लाल जी शर्मा, मुख्य मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदया दिया कुमारी जी और उप मुख्य मंत्री प्रेम चन्द बैरवा जी साहब, इन सबको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना, इन्होंने जो बजट पेश किया है।

माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहां देवाता फीडर के ऊपर 30 करोड़ रुपये की घोषणा की, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मंत्री महोदय सुरेश जी को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं, इन्होंने हमारे 30 करोड़ रुपये की घोषणा करवायी, इसके लिए मैं मेरी तरफ से हृदय से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। देवाता फीडर नेशनल हाई-वे क्रोस करती है। इस फीडर के ऊपर हाई-वे क्रोस के नीचे दो फीट की एक नहर बनायी हुई है, उसमें पानी की क्षमता ज्यादा रहती है और पुलिया के नीचे इसकी लगभग 10 मीटर चौड़ाई बनायी जाये। राजावास तालाब बड़ा तालाब है, इसको भरने के लिए सुरेगाठा फीडर की हमने मांग कर रखी है, उसके लिए भी लगभग 5 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आप घोषणा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

साथ ही, विधान सभा क्षेत्र के आसन्न के अन्दर कोटाबांध, जिसकी सालों से पुरानी मांग चली आ रही है, इसका जीर्णोद्धार करने के लिए आप सर्वे करवाकर बजट स्वीकृत करायें। साथ ही, जवाजा तालाब की चादर को 3 फीट ऊपर लेकर बनवाने के लिए स्वीकृति जारी करवायें। फूल सागर बांध, राजावास तालाब और इन बांधों को भी ईआरसीपी से जोड़ें तो वहां का भविष्य हमेशा के लिए बहुत सुधर सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई छोटे-मोटे

तालाबों की नहरें काफी टूट चुकी हैं, उसके लिए आप बजट में स्वीकृति करायें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मांग संख्या 45 के ऊपर माननीय वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि वन विभाग में विधिवत रूप से कर्मचारियों की संख्या नहीं के बराबर रह पाती है, इसलिए कर्मचारियों की भर्ती की जाये। महोदय, राजसमन्द वन्य जीव रेंज में सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड लगाये जाते हैं, पूरे क्षेत्र में उनकी संख्या 62 के लगभग है। आप होमगार्ड को 16 हजार से 18 हजार रुपये का वेतन देते हैं और ये 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस राशि में वन रक्षक की नियुक्ति की जा सकती है और वे 8 हजार से 10 हजार के अन्दर अच्छी सेवाएं देंगे और पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे और आपके होमगार्डों का अता-पता भी नहीं रहता है। स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल जायेगा और आपको इससे ड्यूटी भी ज्यादा समय तक दे पायेंगे। इसमें लगभग 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए वन रक्षकों के लिए आप निश्चित रूप से घोषणा करायें।

साथ में, निवेदन है कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के बुजारेल, रूदालेश्वर वाली सड़क वन विभाग में आती है, इसके अन्दर काफी वर्षों से डामरीकरण नहीं हुआ है। इसकी रिपेयरिंग के लिए ऑनलाइन स्वीकृति के लिए आपके पास जा चुकी है। आपसे आग्रह है कि आज ही उसकी ऑनलाइन स्वीकृति जारी करें, ताकि लोगों का आना-जाना हो, बसें जाती हैं, उसके अन्दर आना-जाना भी नहीं हो पाता है। अतः उसकी ऑनलाइन स्वीकृति जारी करायें। साथ ही, स्वरूपा गांव ऐसा गांव है, वहां पर आज भी 500 परिवार निवास कर रहे हैं, लेकिन वन होने के कारण उसमें लोगों को आने-जाने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है, गाड़ियां आये दिन टूट-फूट जाती हैं। उस कच्ची रोड को कम से कम सही कराने के लिए स्वीकृति जारी करायें।

mdp/rtm/22.07.2024/19:50/4f

पाली जिले को जोड़ने वाली बलाकन कंटालिया, भुजारेल से सहारन, ऐसी वन क्षेत्र में होकर सड़कें जाती हैं, जो दो-दो जिलों को जोड़कर जाती हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। श्री जाकिर हुसैन।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरा आपसे आग्रह है कि यातायात के लिए इनकी स्वीकृति जारी करावें। भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी, कांग्रेस के रूप में कचरे की। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः हो गया। बैठिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्षः क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना व मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 42 व 45 जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना व वन एवं पर्यावरण के वाद-विवाद में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहेदिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से ही बहुत महत्वपूर्ण वाद-विवाद हो रहा है, पानी को लेकर। हमारे नागौर जिले सहित मकराना में पानी की ऐसी बुरी हालत थी आज के 15-20 साल पहले, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अन्दर पानी इतना गहरा है, आज भी है 800 से 1000 फीट गहरा पानी मिलता है। जो पानी मिलता है, वह भी खारा पानी होता है, पीने लायक नहीं होता है। कई क्षेत्रों में तो पानी, जैसे मकराना में पिछले 20 पहले जो भाकापट्टी एरिया हुआ करता था गच्छीपुरा साइड, जो पानी पीते थे, मनुष्य का शरीर आड़ा-टेढ़ा हो जाता था। इन सब बातों को देखते हुए हमारी पूर्ववर्ती सरकार जो 1998 के अन्दर अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 1998 से लेकर 2003 तक जो इंदिरा गांधी नहर के फर्स्ट फेज का जो काम किया, बहुत ही ऐतिहासिक काम किया। इसमें 800 करोड़ रुपये लगाकर नागौर, खीवसर, मेड़ता, डेगाना में इंदिरा गांधी फर्स्ट फेज का पानी मिला। उसके बाद में फिर कांग्रेस सरकार 2008 से 2013 के अन्दर, 3 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर इंदिरा गांधी नहर का सेकेण्ड फेज का काम कराया। 3 हजार करोड़ प्रोजेक्ट में 2250 करोड़ जायका जापान से लॉन लिया और 750 करोड़ का काम राजस्थान सरकार द्वारा कराया गया है। 4 हजार करोड़ का काम होने के बाद भी आज भी लोगों को पानी बराबर समय पर नहीं मिल रहा है।

मैं मकाराना की बात कहूं तो गांवों के अन्दर इंदिरा गांधी नहर का 15-15 दिन से टूटियों में पानी आता है और सिटी के अन्दर भी 15-15, 20-20 दिन से पानी मिलता है। पानी कम मिलने की वजह यह है कि जो एमओयू हो रखा है, उसमें व्यवस्था ठीक ढंग से सरकार ने नहीं की। इसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी जो रिजर्व होता है, 450 एमएलडी की आवश्यकता होती है, इसके बदले में 225 एमएलडी पानी हमें मिल रहा है। जबकि दोनों जिलों की मांग, नागौर, डीडवाना, कुचामन की मांग 350 एमएलडी है। पानी आगे से ही कम आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे मकराना विधान सभा के अन्दर 16 एमएलडी पानी की डिमांड है, वहां 11 एमएलडी पानी आ रहा है। मकराना ग्रामीण क्षेत्र में पानी के लिए हमेशा हर आठ-दस दिन के अन्दर धरने-प्रदर्शन चल रहे हैं। आपसे यही कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या के लिए आप इंदिरा गांधी नहर, पीएचईडी को नोखा में कम पानी मिलने का मुख्य कारण पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट योजना के पंपिंग सेट संख्या 5 में इंदिरा गांधी नहर के

पुराने पम्प सेट लगे हुए हैं। उनकी क्षमता मांग के विरुद्ध आधी है। अतः इन पम्पों को बदलने का प्रावधान अतिशीघ्र किया जावे जिससे मकराना विधान सभा सहित पूरे जिले के अन्दर पानी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मकराना विधान सभा के अन्दर सीडीएस-सेकण्ड प्रोजेक्ट का जो कार्य हुआ है नहर को लेकर, इसमें अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा अनियमितता बरती गयी है। जो इंदिरा गांधी पानी की पाइप लाइन है, साढ़े तीन फीट खोदकर पाइप लाइन डालने का एग्रीमेंट है, जबकि ठेकेदार ने एक से दो फीट पाइप लाइन डालकर खुदाई की है। इससे किसानों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब खेती की बिजाई होती है और जब कटाई का समय आता है तो एक फीट नीचे पाइप रहता है जिसके टूटने की पूरी आशंका होती है। सीडीएस-सेकण्ड प्रोजेक्ट के अन्दर जो पाइप डाले गये थे, 90 एमएम का इसका एग्रीमेंट है, उसकी जगह 50 एमएम का पाइप डाला गया है। उसकी जांच की जाए। यह मांग ही है मेरी, कोई कहानी थोड़ी सुना रहा हूं मैं। कई जगह आज तक पीएसपी की लाइन नहीं जोड़ी गयी है, जिससे पशु प्यासे मर रहे हैं। प्रोजेक्ट में विकास से सम्बन्धित पूर्ण कार्य नहीं किया।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, विराजें। हो गया आपका।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं डिस्टर्ब हो गया था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने दो टाइम चार हजार करोड़ का प्रोजेक्ट काम करने के बाद भी जो गांव के अन्दर वंचित ढाणियां हैं, उनको पाइप लाइन से जोड़ा जाए और टंकियों को भी जोड़ा जाए। मैं जल संसाधन के अन्दर एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्षः हो गया अब। श्री बाबू सिंह जी।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले के साथ मेरा विधान सभा मकराना भी सिंचाई की सुविधा से वंचित है। आजादी के 75 वर्ष में सिंचाई की अनेक योजनाएं बनीं, परंतु हमारे जिले में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में न तो कोई लघु सिंचाई योजना बनी और न ही कोई वृहद सिंचाई योजना बनी, जिसके चलते क्षेत्र के किसान परम्परागत खेती पर निर्भर है।

श्री अध्यक्षः हो गया सदस्य, बैठिए। बच गया जो टेबल कर दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): आधा मिनट, मेरे क्षेत्र की ...(व्यवधान)... किसानों की आयु दोगुनी करने के लिए ...(व्यवधान)... केन्द्र सरकार द्वारा, परंतु जब तक सिंचाई की सुविधा नहीं होगी तब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी। धन्यवाद।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 व 45 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मारवाड़ में अकाल हमेशा आता रहा है, हमको विरासत में मिला है।

(समयः बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सात में से पांच वर्ष अकाल रहा और दो वर्ष जमाने देखने को हमको मिलते रहे। इसलिए कहा गया है-

पग पूंगल धड़ कोटडे, उदरज बीकानेर।
भूलो चूको जोधपुर, ठावो जैसलमेर।

अकाल कहता है कि मेरे पैर पूगल में, बीकानेर जिले का गांव है, सिर कोटड़ा, जोधपुर मारवाड़ में तथा उदर अर्थात धड़ बीकानेर में स्थित है। कभी-कभी मैं जोधपुर में रहता हूं परंतु जैसलमेर मेरा स्थायी निवास है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मारवाड़ में सिंचाई के लिए और पेयजल का स्थायी समाधान करने के लिए जिस प्रकार से राज परिवारों ने मारवाड़ में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की थी, जैसा अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह बात सही है कि अपने राज्य की चिंता करते हुए महाराजा गंगा सिंह जी गंग नहर लाए। उनके नाम से गंगानगर जिला भी बना और बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ की ये जीवनदायिनी बनी। वैसे ही मारवाड़ के राज परिवार ने जवाई बांध बनाया और जवाई बांध से नहर से जोधपुर में पानी लाए। जसवंत सागर बांध बनाया, हेमावास बांध बनाया, सुरपूरा बांध बनाया, तख्त सागर कायलाना बांध बनाया, सरदार समंद बांध बनाया और उम्मेद सागर, मारवाड़ में ऐसे कई बांध बनाए और बांधों में नहरें लगाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था उस समय की थी।

मेरा खासतौर से आपसे आग्रह है कि ईआरसीपी, जिस प्रकार से योजना लायी गयी है, वैसे ही डब्ल्यूआरसीपी योजना लाई जाए और गुजरात-राजस्थान का जो जल बंटवारा समझौता हुआ था, उसका एमओयू करवा कर माही का पानी लूणी में लेकर आएं। लूणी से पाइप लाइन के माध्यम से या नहरों के माध्यम से मारवाड़ में जितने बड़े बांध बनाये गये हैं, उन बांधों को जोड़ने से हमेशा-हमेशा के लिए हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है। आज मैं कह सकता हूं कि अभी बायतु से आने वाले विधायक कह रहे थे कि ठाकुरों के बारे में, राजाओं के बारे में उन्होंने बात की।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): वह विदेश चले गये।

Ans/rtm 20.00 4g 22.07.2024

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): भेज दिए गए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। प्लीज, प्लीज।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जिस प्रकार जवाई बांध बनाया गया है, उससे जवाई नहर जोधपुर आई, इस तरह निर्माण हुआ कि अगर कारीगर पूरे दिन मेहनत कर ले तब भी एक पत्थर भी वहां से नहीं निकाल सकता, ऐसी नहरें, ऐसे बांध। सरकार तो आज उसकी मरम्मत भी नहीं करा पा रही है। इतने बड़े-बड़े सोर्स हैa। हर गांव में कुआं बना हुआ है। मेरे गांव में भी राज परिवार की तरफ से कुआँ है, 36 कौम पानी पीती है। वैसे ही पोखर है, बांध है,

तालाब है, नहरें हैं, इस प्रकार से पूरी व्यवस्था की गई, आज भी उपयोग में ले रहे हैं। इसलिए कहा गया कि जल से ही जीव पैदा हुआ।

पानी की व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर में सरस्वती नदी बहती है, आप उसका सर्वे करा लेंगे तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की वह जीवनदायिनी बन सकती है। इधर से लूणी को जोड़ दंगे तो पूरे मारवाड़ में समस्या का समाधान हो सकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में, आदरणीय तत्कालीन केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ने करीब 100 करोड़ की परियोजना में 50 चेक डैम और एक गोतावर बांध का निर्माण करवाया। जब उसकी फिजिबिलिटी की सर्वे हुई थी तो वह 22 मीटर की फिजिबिलिटी थी लेकिन निर्माण होते-होते वह 11 मीटर ही किया गया। 11 मीटर करने के बाद पहली बारिश में ही पानी ओवरफ्लो हो गया और 6 घंटे ओवरफ्लो होकर पानी बहता रहा। वह बांध बनाया गया है, उस बांध का भराव क्षेत्र है, उस भराव के अन्दर सारा मलबा डाल दिया गया और दो मीटर नीचे कर दिया गया।

मंत्री महोदय, मेरी आपसे मांग है कि जो यह बांध बना है, यह बांध हमारे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की जीवन रेखा बन सकता है। करीबन 10 हजार किलोमीटर भराव क्षमता है, बांध का केचमेंट एरिया 2100 बीघा है। ग्राम पंचायत 30 है, राजस्व गांव 150, जनसंख्या 1 लाख 25 हजार, पशुधन 2 लाख, नलकूप 2 हजार, हैण्डपम्प 2 हजार, कुएं 700, कृषि भूमि 70 हजार बीघा को लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बांध को आप 11 मीटर की बजाए 22 मीटर कर देंगे तो हमारी पूरी विधान सभा क्षेत्र की समस्या का समाधान इसी बांध से हो सकता है। यह आप करे या केन्द्र सरकार से कराए, लेकिन इस बांध की ऊँचाई 22 मीटर कराए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बस, एक मिनट। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजनलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने दीर्घगामी योजना बनाकर रन आफ वाटर ग्रिड स्थापित करने एवं ग्रिड अन्तर्गत 30 हजार की लागत से अधिक कार्य करने की घोषणा बजट में की है। आपने वर्षों पुरानी जवाई से जोधपुर लाई गई जवाई नहर जो बंद पड़ी थी वह जीर्णशीर्ण हो गई थी, नहरी सीमा की जमीन पर लोग कब्जे कर रहे थे, इस नहर का जीर्णोद्धार व जोधपुर व पाली शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु 2 हजार 280 करोड़ स्वीकृत किए हैं, इसके लिए हम मुख्य मंत्री जी के आभारी है।

साथ ही, आपने हमारे महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत जल संरक्षण के लिए 2 हजार 627 रूपये स्वीकृत किए।

श्री सभापति: विराजिए। विनोद कुमार।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एनिकटों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ रूपये। मंत्री महोदय, आपको एनिकट के प्रस्ताव भी दिए हैं और तालाबों के प्रस्ताव दिए हैं। जितने भी बड़े तालाब हैं, मैं मांग करना चाहूंगा कि जहां 12 महीने पानी रहता है, ऐसे तालाबों की आप डीपीआर तैयार करे और इस योजना में सम्मिलित कराए।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 व 45 बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पेड़ों को बचाने के लिए हमारे वहां शहीद हुए। अमृता देवी जी..

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जिन्होंने कहा कि रूंख बचे और सिर साटे..

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज सहयोग करे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यानी रूंख बचता है सिर कटता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पेड़ों को बचाने, पानी बचाने का किसी ने उदाहरण दिया,हमारे मारवाड़ ने दिया। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 व 45 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। भांखड़ा क्षेत्र में जो सरहिंद फीडर है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। आरडी 119 से 447 तक लगभग 100 किलोमीटर, उसमें से लगभग 90 किलोमीटर काम पूर्ण हो चुका है। आरडी 0 से लेकर 119 तक 36 किलोमीटर की रिलाइनिंग अभी नहीं हुई, अगर वह हो जाती है तो हमारे गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के किसान हैं, उन सबको फायदा मिल सकेगा। आईजीएनपी की हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, उसके आरडी संख्या 149 से 496 तक 97 किलोमीटर रिलाइनिंग कार्य प्रगति पर है। उसमें से 82 किलोमीटर लम्बाई में कार्य हो गया है। बाकी 0 से 79 तक रिलाइनिंग कार्य नहीं करवाया गया है, उसमें अगर रिलाइनिंग का कार्य पूर्ण हो जाता है तो किसानों को बहुत फायदा मिलेगा।

आज विस्तृत चर्चा हुई। हमारे बहुत से साथियों ने अपनी-अपनी बात रखी। हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। आज तक कोई मंत्री नहीं बनाया गया। हमारे सादुलशहर से युवा साथी एमएलए साहब है, बड़ा ध्यान रखते हैं इस बारे में। आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को अगर कैबिनेट में शामिल किया जाए तो और सुधार हो सके।

आईजीएनपी व भांखड़ा क्षेत्र में एलजीडब्ल्यू नहरों का एमओडी नहरों का जो भी निर्माण करवाया गया, उसमें कहीं ना कही लेवलिंग की वजह से और जो आउटलेट लगे हुए हैं, हमारे डी कमांड क्षेत्र के मुरब्बे जोड़े गए। जोड़ तो दिए गए, लेकिन आउटलेट का साइज वही रखा गया, इस वजह से हमारे काश्तकारों को जितना पानी मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खालों की बहुत समस्या है। हमारा सेमग्रस्त इलाका है। भांखड़ा क्षेत्र आईजीएनपी का आता है, उनमें खालों की बहुत समस्या है।

हमारे सरपंच साहब नरेगा का निर्माण कार्य इसलिए नहीं करवा पाते, उनके मद सामग्री के पैसे साल-डेढ़ साल तक नहीं आ पाते, इसलिए वह नरेगा का कार्य नहीं हो पाता। सीएडी

व अन्य डिपार्टमेंट को जो बजट अलॉट किया गया है, हमने मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था। जो संशोधित बजट दिया गया उसमें दो सड़कें मुख्य मंत्री जी ने जोड़ी, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। खालों वाला भी अगर बजट आवंटित करते हैं तो उनका और धन्यवाद करेंगे। किसानों को लाभ मिल पाएगा।

वन विभाग पर भी चर्चा चल रही थी। सिर साटे पर रूंख रहे तो भी सस्तो जान, अमर शहीद माता, अमृता देवी जी। हमारे 363 लोग शहीद हुए, जम्भेश्वर भगवान द्वारा, आज भी जीवों व पेड़ों की रक्षा के लिए, आज से बहुत वर्षों पूर्व हमें उनसे सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हमें रक्षा करना चाहिए। सभापति महोदय, भादरा में भी कल-परसों किस तरीके से हिरणों का शिकार हुआ। जिस प्रकार की बात हुई, उसकी पूर्ण जांच हो। वन्य जीवों को भी बचाया जा सके, पेड़ों को भी बचाया जा सके।

बहुत से पेड़ लगाने की बात करते हैं, अच्छा अभियान चलाया है। लेकिन हमारी बहुत सी संस्थाएं हैं जो पेड़ों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहती है। हम ट्री गार्ड उपलब्ध नहीं करवा पाते, जितने पेड़ लगाए जाते हैं, एक बार फोटो खिंचाने के काम आ जाते हैं, अख़बार में फोटो आ जाती है, इससे ज्यादा लाभ हमें नहीं मिल पाता। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी संस्थाएं नि:शुल्क काम कर रही है, उन लोगों को ट्री गार्ड की व्यवस्था हो,चार दीवारी या अन्य कोई व्यवस्था कर पाए तो वन के प्रति, पेड़-पौधों को बढ़ाने की जो भावना है, वह पूर्ण हो जाएगी।

मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ माँगों को आपके बीच रखना चाहूंगा। हमारा बड़ोपल क्षेत्र है, पक्षी अभयारण्य क्षेत्र, वाटर सफारी, घग्घर नदी फ्लड, नौकायान का यह प्रपोजल पूर्व की सरकारों द्वारा बनाया गया था। बहुत बड़ा क्षेत्र है,अगर इनको इसमें शामिल कर लिया जाता है तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत बड़ा एरिया है, लोगों को काफी राहत मिलेगी। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के लखासर, खरलिया, वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर भी खोलने और गोलूवाला केंचिया, धन्नासर वन विभाग में स्टाफ व चौकी स्वीकृत करने की आपसे मांग करुंगा।

VPS-RTM-22.07.2024-20.10-4h

विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के रावतसर व पीलीबंगा में भवन निर्माण व स्टाफ हेतु आपसे निवेदन करना चाहूंगा और विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा बड़ोपल, लखासर, खरलिया, इन क्षेत्रों में धन्नासर वॉटर होल, क्योंकि वन्य जीवों के लिए पानी की सुविधा नहीं मिल पाती है इसलिए हमें वहां पर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पेड़-पौधे लगाने के क्षेत्र में हमारी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। पीलीबंगा के अन्दर गोलूवाला के अन्दर वृक्ष मित्र साथी काम कर रहे हैं और मिशन ग्रीन के अन्दर लखासर में भी बहुत से युवा साथियों ने जो काम किया है उन लोगों को हम इस विचारधारा से जोड़ते हुए उन

संस्थाओं को भी राज्य सरकार अगर आर्थिक रूप से उनको फायदा देना चाहे तो पेड़-पौधों को बचाने में हमें और सहयोग मिल जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पीलीबंगा बड़ा सेम प्रभावित एरिया है। उसमें बहुत से जो खाले हैं वे चालीस-चालीस, पचास-पचास साल पूर्व में बने थे लेकिन वहां आज खाले का नाम भी नहीं है इसलिए पीलीबंगा से लेकर जो हमारा घग्घर फ्लड है और नाली बैल्ट आता है और जहां पर पीछे का पानी खारा हो चुका है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज वैल्स लगाने के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः श्री छगनसिंह। आप विराजिये।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि कुछ मच्छर घूम रहे हैं। मैं यहां से पीछे की सीट पर जाकर बैठा तो वहां भी +++ मेरे पीछे-पीछे आकर के पीछा कर रहा है। पता नहीं क्यों?

श्री सभापतिः यह सूचना है मुझे आपके बारे में। आपने इनको निमंत्रण दिया है, यह सूचना है मेरे पास। माननीय सदस्य, आपने इन्हें निमंत्रण दिया है, यह सूचना है मेरे पास। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः मार्शल को बुलाइये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): आपके पीछे मच्छर ही घूम रहे हैं, बाकी तो नहीं है न?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, कौनसी टाइप के मच्छर हैं? इनमें भी कई वैरायटीज हैं।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): ये मच्छर जीवरामजी के पीछे ही क्यों दौड़ रहे हैं?

श्री सभापतिः मैं सभी माननीय सदस्य जो बोलने वाले हैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा, माननीय सदस्य, सभी वक्ता जो बोलने वाले हैं शेष, उन्हें माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पांच-पांच मिनट का समय दिया गया है, आवश्यक रूप से आप मुझे सहयोग करेंगे। प्लीज।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं इसलिए मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग एवं मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण विभाग के बारे में बोलने के लिए अवसर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र आहोर है और जालोर जिला पूरा जवाई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहां तक कि पाली के कुछ गांव और सिरोही के गांव कुछ तहसीलें इस नदी के किनारे हैं। करीबन 300 किलोमीटर यह नदी चलती है। जब जवाई बांध नहीं बना हुआ था तो यह निर्बाध रूप से 300 किलोमीटर

तक नदी चलती थी, जिससे उस क्षेत्र में जवाई नदी के किनारे-किनारे क्षेत्र में फसलें लहराया करती थीं और मोर-पपैया बोला करते थे और वहां का जीवन उच्च स्तर का था लेकिन कालांतर में 1952 के करीब जवाई बांध का निर्माण हुआ और जवाई बांध का निर्माण होने के बाद में वह पानी रुक गया, अकाल पड़ते गये। अकाल से अकाल पड़ते गये और पानी नदी में आना बंद हो गया। वह पानी नदी में कैसे आयेगा? जवाई बांध भरता ही नहीं था और 70 वर्षों में मात्र आठ बार जवाई नदी आयी है और वह भी उस टाइम आयी है जब बाढ़ की स्थिति बनी है। जैसे लास्ट टाइम बिपरजॉय आया, उससे पहले जब भी अतिवृष्टि हुई है तब ही उस नदी में पानी आया और हमारे क्षेत्र को उसमें भी वह बर्बाद करके गया है, हमारे खेत-खलिहानों को बर्बाद करके गया है। वहां के जन-जीवन को अस्त-व्यस्त किया है। पशुपालकों को भी नुकसान पहुंचाया है तो मैं आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाहता हूं कि जवाई बांध बनने से हमें नुकसान तो खूब हुआ है लेकिन उसका फायदा हमें कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि पेयजल योजना जवाई बांध से पाली के लिए बनी। पेयजल के लिए तो चलिये कुछ नहीं, पहले जवाई बांध का पानी जोधपुर के लिए सिर्फ पेयजल के लिए और बाकी पानी जालोर जिले में सिंचाई के लिए था, ऐसा उसमें प्रोजेक्ट में था लेकिन जालोर जिले के मात्र 22 गांवों को ही जोड़ा गया है लेकिन अब पूरे पाली जिले की जो पेयजल की योजना है वह जवाई बांध पर बनाई है। उस पर सिरोही की भी पेयजल की योजना बना दी और अब दुःख का विषय तो यह है कि एक योजना अभी लागू की है, माननीय सभापति महोदय, इस योजना से जोधपुर एवं पाली शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु, जवाई बांध से जोधपुर तक चरणबद्ध रूप से तीन वर्षों में 194 किलोमीटर लम्बी क्षतिग्रस्त फीडर, नहर का जीर्णोद्धार कार्य 2280 करोड़ रुपये में करने का एक प्रावधान रखा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी, यह योजना 2,280 करोड़ रुपये की है, इसको अपन व्यर्थ कह सकते हैं क्योंकि इस जवाई का पानी या तो अभी पाइप लाइन से पेयजल के लिए जा रहा है, इस नहर को अगर वापस जीर्णोद्धार करने की बात करते हैं और जोधपुर पानी लेकर जाने की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर का पानी जो वहां पर सेम समस्या आ रही है, वहां पर तो इतना पानी है कि वहां पर तो यह ऑलरेडी समस्या है तो यह इस प्रकार की योजना बनाने से क्या फायदा?

माननीय सभापति महोदय, जब अधीक्षण अभियंता से स्टेटमेंट मांगे गये तो उसने जो स्टेटमेंट दिये हैं, मुझे यह लगता है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट एक अधिकारी को नहीं देने चाहिए कि जवाई बांध पूरा भरने पर कई बार पानी व्यर्थ बहकर जाता है, नहर को फिर से जीवित कर डिग्गियां बनाने से उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा लाभ यह है कि जवाई पुनर्भरण के लिए बनने वाले नये दो बांधों को ओवरफ्लो होकर जाने वाले पानी को भी नहर के माध्यम से लाया जायेगा। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया है अधीक्षण अभियंता ने, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि नदी में जो पानी जा

रहा है, उसके लिए अधीक्षण अभियंता यह कह रहा है कि वह नदी में व्यर्थ पानी जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, यह इतना गम्भीर विषय है, उनके क्षेत्र में पानी ले जाने के लिए तो वह सही जगह जा रहा है और मेरे क्षेत्र में जो पानी जा रहा है, जो जवाई बांध ओवरफ्लो होकर जाता है और उनको यह समस्या लगती है कि यह व्यर्थ पानी जा रहा है, उससे तो हमारा जीवन, करीब वहां की 20 लाख की जनसंख्या रहती है, उसके लिए फायदा होता है और वह 50 हजार लोगों के लिए नहर का पानी लाने के लिए वे कहते हैं कि वहां पर खेत-खलिहान, वहां पर कुएं रीचार्ज होंगे। हमारे यहां पर नदी चलती है तो उनको लगता है कि यह पानी व्यर्थ जायेगा।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जवाई का पानी जवाई नदी में आना चाहिए, दूसरी ओर गया तो हम कुछ भी करने के लिए इसके लिए तैयार हैं। जालोर जिला पूरा आपने देखा होगा पिछले साल कि किसान भूख हड़ताल पर 25 दिन तक बैठे रहे थे, उस समय जवाई का पानी नहीं छोड़ा था उन लोगों ने तो ऐसी योजना, वह उनकी योजना है और अगर आपने यह लागू कर दी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सिरोही जिले के लिए और जालोर जिले के लिए यह अभिशाप साबित होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की योजना पर पुनर्विचार करके वापस बंद करें और जवाई नदी का पानी और यह जल नीति लाकर, जिस प्रकार से जल नीति के लिए भी मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि नदी को पुनर्जीवित करने का, माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी जब सायला आये थे विधान सभा चुनाव में, उन्होंने यह कहा था कि यह जवाई नदी मैं पुनर्जीवित करूंगा और पुनर्जीवित करने के लिए मैं प्रावधान लाऊंगा तो जल नीति होती है, डेड स्टोरेज पानी, उसमें डेड स्टोरेज पानी भी रखना पड़ता है, पेयजल के लिए रखना पड़ता है, सिंचाई के लिए रखना पड़ता है।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री पितराम सिंह काला।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जवाई बांध का पानी भी जवाई नदी में छोड़ने का प्रावधान जल नीति में लाया जाये, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापतिः विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): 000

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं मांग संख्या 45-वन एवं पर्यावरण पर बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।

पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून।।'

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं पिलानी से वहां पर पानी की भयंकर

समस्या है और उससे ज्यादा समस्या यह वाटर वर्क्स के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कर रखी है। कल संडे था, मैं मेरे फील्ड के अन्दर गया हुआ था, एक नरहड़ गांव है, उसके अन्दर चार दिन से ट्यूबवैल केवल इस कारण से बंद था कि वहां पर स्टार्टर नहीं है और जो किट-आउट है, वह भी नहीं है। वहां की जो जे.ईएन. थी, उससे मैंने टेलीफोन पर बात की तो उसने यह कहा कि साहब, हमारे पास तो आठ महीने से न तो कोई बजट है और न सामान है। उसके बाद में मैंने ए.ईएन. से बात की तो मैंने कहा कि स्टार्टर का कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है, किट आउट भी ज्यादा महंगा नहीं आता है, आप ही दे दो तो उसने कहा कि साहब, मेरे पास भी कोई बजट नहीं है, न ही कोई सामान है। उसके बाद एक्स.ईएन. मदनलालजी मीणा से मैंने बात की क्योंकि अब यह जो ट्यूबवैल है, यह मेघवालों के मोहल्ले के अन्दर है, छह दिन से वह बंद है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, स्टार्टर तो दे दो आप तो वे बोले कि साहब, हमारे पास सामान नहीं है। जब पाइप मांगते हैं ट्यूबवैल को गहरा करने के लिए तो ये कहते हैं कि हमारे पास पाइप नहीं है, मोटर के लिए जो केबल होती है कनेक्शन के लिए उसकी डिमांड करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास केबल नहीं है।

SSY/RTM/22.07.2024/20:20/4j

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिड़ावा का जो खटीकान मौहल्ला है, वहां 20 दिन से ट्यूबवैल बंद पडा है। वहां करीबन 250-300 परिवार खटीक समाज के, केवल इसलिए प्यासे हैं कि वह ट्यूबवैल ठीक नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही की जाये और उनको सस्पैंड करके मुख्यालय पर बुलाया जाये।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक मोहमका की ढाणी है चिड़ावा के अन्दर, उसका जो ट्यूबवैल है, वह 19 दिन से बंद पड़ा है। उसके ऊपर भी कार्यवाही की जाये। इसी के साथ, यहां क्या है कि सभी अधिकारी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो छोटे सामान हैं, आपकी 8 महीने की सरकार हो गई, आप यह कह रहे हैं कि हमने यह कर दिया, यह कर दिया, यह तो मूलभूत आवश्यकता है। आप कम से कम यह तो उपलब्ध करवा दो। वहां ना स्टार्टर है, ना केबल है, ना पाइप है, ना कट-आउट है, यह जो कंटिंजेंसी का जो सामान है, वह तुरंत उपलब्ध करवाया जाये। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना जो अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

सभापति महोदय, मैं एक बात यह कहना चाह रहा हूं कि जब उनके पास पाइप नहीं है, सामान नहीं है, जनता जब जाती है तो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो उन ऑफिसों को बंद कर दो और वहां पर भेड़ों के बाड़े बना दो। वे काम तो कुछ आने नहीं हैं।

इसी के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ट्यूबवैल हैं, वे 10-10 दिन तक, 20-20 दिन तक बंद होते हैं। उसके बाद में मोटर बांधते हैं। बांधने के एक घंटे बाद में, 3 घंटे

बाद में वह खराब हो जाती है। प्राइवेट जो ट्यूबवैल हैं, उनकी मोटर बांधी जाती है तो 12 महीने से पहले कभी भी खराब नहीं होती। 2-2 साल तक चलती है। लेकिन वाटर वर्क्स की जो मोटरें बांधी जाती हैं, वह कोई भी मोटर एक-दो दिन से ज्यादा नहीं चलती है। 10-15 दिन से वह ठीक करते हैं और उसके बाद में वह वापस जल जाती है। फिर 10-15 दिन तक वह समस्या आ जाती है। यह क्यों होती है? इसके कारणों की तलाश की जाये। यहां अधिकारी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हैं। उनको दूर किया जाये जिससे जनता को कुछ राहत मिल सके। कुछ टेम्परेरी वह भी, स्थाई तो नहीं होगी।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि एक गांव है, जैसे नरहड़ कोई गांव है पिलानी विधान सभा का, उसके अन्दर 16 ट्यूबवैल हैं। पहले मैंने निवेदन किया था कि 16 में से 13 ट्यूबवैल सूख गये। उसी गांव के अन्दर आधे से ज्यादा ट्युब वैल टीएसएस स्कीम के अन्दर दे रखे हैं, आधे ट्यूबवैल वाटर वर्क्स के अन्दर दे रखे हैं। एक गांव की जो सीमा है, जैसे विधान सभा है, आप सभापति बैठे हैं जैसे दायी साइड में अलग और बायी साइड में अलग, इस प्रकार से गैर बराबरी का व्यवहार करें तो उचित नहीं रहेगा। उसी प्रकार से एक गांव के अन्दर एक ही स्कीम का पानी होना चाहिए। जिससे क्या है कि कोई दिक्कत ना हो।

श्री सभापतिः श्री मनोज कुमार। विराजिये।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): मेरी तो बात ही पूरी नहीं हुई।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। विराजिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 और मांग संख्या 45 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

जल जीवन का आधार है। कहावत है कि जल जठै जगदीश, जल की महत्ता को बताने के लिए हमारे यहां निर्जला एकादशी का व्रत, नव प्रसूता का जलवा पूजन आदि धार्मिक एवं सामाजिक विधान हैं।

आज विश्व में अनेकों स्थानों पर जल संकट है। राजस्थान में देश का 10 प्रतिशत भू भाग, 5.2 प्रतिशत आबादी व 1.16 प्रतिशत जल संसाधन हैं। भारत में राजस्थान व राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में जल का विकट संकट है।

शेखावाटी की सुंदरी पनघट पर खड़ी उदास,

जितने गहरे कूप हैं उतनी गहरी प्यास।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले यमुना नदी का प्रोजेक्ट जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने ले रखा है, सबसे महत्वपूर्ण इनका एमओयू हुआ। इनका एमओयू 17 फरवरी, 2024 को 1917 क्यूसेक्स पानी, इसके लिए इससे पहले, 30 वर्ष पहले 1994 में 5 राज्यों के लिए हुआ, जिसमें राजस्थान के भी 3 जिले चूरू, झुंझुनूं और सीकर, उनके लिए हुआ। लेकिन 30 वर्ष से लेकर आज दिन तक उसकी स्थिति एमओयू में ही अटकी पड़ी है। अभी भी 4 माह का समय था। 4 माह में यमुना नदी के बारे में जो एमओयू हुआ, उसके लिए आज दिन तक यह धरातल पर उसी स्थिति में खड़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यमुना नदी का अगर आपका एमओयू हुआ है, 4 महीने में अगर इसको पूरा नहीं करोगे तो मैं यह मानता हूं कि हरियाणा में सरकार बदल जायेगी, आपका एमओयू फेल हो जायगा। सभापति बैठे हैं वह, मैं हमारे सामने खड़े हैं, हम सब लोग वंचित हो जायेंगे। इसलिए इस योजना को धरातल पर लेकर आना है तो आप इनको जल्द से जल्द अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ायें और यमुना जल हम को पिलाने का आप काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिद्धमुख नहर परियोजना लंबे समय से पैडिंग है। जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के 14 गांव आते हैं। उन 14 गांवों में सबसे बड़ी समस्या है चकबंदी और मुरब्बाबंदी की। जिसकी तीन बार 1990 से लेकर 1991 में, उसके बाद कमांड और अनकमांड एरिये के क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। लेकिन आज दिन तक, तीसरी बार सर्वे वैपकोस कंपनी के माध्यम से हुए। लेकिन वैपकोस कंपनी के माध्यम से भी चकबंदी और मुरब्बा बंदी नहीं हो पाई। इसलिए वहां पानी मिलने का संकट है।

माननीय सभापति महोदय, सिद्धमुख फीडर में फिलहाल 300 क्यूसेक्स पानी चलता है। हालांकि इस नहर की क्षमता 600 क्यूसेक्स की है। हैरत की बात यह है कि सिंचाई अधिकारी इसमें 300 क्यूसेक्स पानी चलाने के लिए हरियाणा से मांग करते हैं। जबकि इस 300 क्यूसेक्स पानी में से भी 0 से 11 किलो मीटर तक हरियाणा में 100 क्यूसेक्स पानी चोरी हो जाता है। बाकी 200 क्यूसेक्स पानी नहर के साइफन के माध्यम से भादरा क्षेत्र में चोरी हो जाता है। इससे और बुरी हाल हमारी यह है कि 14 गांवों में इस नहर की एक बूंद पानी नहीं आता। जब हमारा नंबर आता है, जब उसका रोटेशन होता है, उस समय हमारे लोग सिर्फ तालाब में पानी डालने के लिए इंतजार करते रहते हैं। जैसे उनके दिवाली का त्यौहार आ गया हो।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि हमारे इन 14 गांवों को, आप नहर के अंतिम छोर तक पानी देने का काम करें। चोरी को रोकने का काम करें। जिससे हमारी सिद्धमुख तहसील के किसान इस जल का आनंद ले सकें। इसके साथ ही चकबंदी और मुरब्बाबंदी की जो बात है, उसको पूरा करने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कृषि योग्य पानी सबसे बड़ी चुनौती है। कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना में पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आता है। सिद्धमुख नहर में जो रकबा छूट गया, उसका हिस्सा चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना में जोड़ा गया। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना से राजगढ़ के 37 गांवों को पानी पहुंचाना था। प्रारंभ में जो इंडेक्स प्लान बनाया गया, उसमें चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से राजगढ़ के लिए डिस्ट्रिब्युटरी नहर निकलती थी। इसका प्रावधान था। इसके लिए सर्वे, टेंडर आदि का कार्य लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन कार्य शुरू होने से पहले ही अक्टूबर, 2005 में इस कार्य को रोक दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना से मेरे 37 गांवों को जोड़कर अनकमांड से कमांड करने की कोशिश करें।

श्री सभापतिः श्री महेन्द्र पाल मीना।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, केवल एक मेरी वन विभाग की छोटी सी बात है। एक मिनट में।

श्री सभापतिः विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री सभापतिः प्लीज सहयोग करें। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपका दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि कई दिनों से समाचार पत्रों की सुर्खियों में जमवारामगढ़ बांध आ रहा है। जो राजस्थान की राजधानी जयपुर की लाइफ लाइन रहा है। जयपुर वासियों की आत्मा रहा है। कई सालों तक रामगढ़ बांध जयपुर वासियों को पानी पिलाता रहा है।

सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, सिंचाई मंत्री महोदय को और हमारी वित्त मंत्री महोदय को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि रामगढ़ बांध को ईआरसीपी योजना के तहत 9,600 करोड़ रुपये की योजना लाकर एक भागीरथ प्रयास किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद।

Spp/Rtm/22.07.2024/20.30/4k

माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ बांध का ऐतिहासिक इतिहास रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय मंत्री महोदय को, जिन्होंने अतिक्रमण को लेकर तुरत-फुरत और बहुत ही जल्दी से फैसला करके उसके अतिक्रमण को हटाने के लिये जो कमेटी बनायी, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक है। मुझे विश्वास है कि वह कमेटी जल्दी ही उस अतिक्रमण को हटायेगी और इस रामगढ़ बांध की दशा और दिशा को सुधारेगी।

माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ बांध के आस-पास और जो छोटे बांध हैं जिनमें रायला बांध, नीमला बांध और दांतली बांध, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि रामगढ़ बांध एक पौराणिक महत्व का बांध है। इन बांधों को भी रामगढ़ बांध के साथ जोड़ दिया जाये ताकि हमारे जमवारामगढ़ के आस-पास की तहसीलों में और दौसा तक इस बांध से सुविधा होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, रामगढ़ बांध में लगभग 18 फीट भर चुकी है।

इसकी अगर खुदाई हो जायेगी तो आने वाले समय में ई आर सी पी का जो पानी आयेगा, उसमें सुविधाजनक रहेगा। इसके साथ ही इसकी जो नहरें हैं, उनकी जो दीवारें हैं, उनकी मरम्मत की जरूरत है। इसलिये मैं इस सदन में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस रामगढ़ बांध पर विशेष ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ ही हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय, हमारे जमवारामगढ़ क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत से ज्यादा वन क्षेत्र में आता है और वहां की सड़कें पिछली कांग्रेस सरकार के समय से वन क्षेत्र में होने के नाते सड़कों की एन ओ सी नहीं दी जाती थीं। बड़ी समस्या होती थी और जनता इससे बहुत परेशान रहती थी। लेकिन मैं इस सदन में बड़े गर्व के साथ माननीय मंत्री महोदय के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के पास जब हम उन सड़कों की एन ओ सी के लिये गये तो माननीय मंत्री महोदय ने सकारात्मक पहल करके उन सड़कों की एन ओ सी अब लगभग पूरी होने को है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

साथ में, मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि जो वन विभाग है, उस एरिये में लगभग वह किसानी एरिया है और आदिवासी एरिया है, उस एरिया में लगभग 33 गांवों में पंजीयन बन्द है। उस पंजीयन की वजह से किसानों की रजिस्ट्री नहीं होती है और राजस्व का नुकसान भी होता है। वहां के किसानों को के.सी.सी. भी नहीं मिलती है जिसकी वजह से बहन-बेटी की शादी करने में दिक्कत आती है और बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आती है। जमवारामगढ़ क्षेत्र में जो वन क्षेत्र में 33 गांवों की जो रजिस्ट्रियां बन्द हैं, 53 गांवों की आंशिक रजिस्ट्रियां बन्द हैं, उन रजिस्ट्रियों को खुलवायें ताकि उन रजिस्ट्रियों से किसी प्रकार का वन क्षेत्र में प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि राम और श्याम के नाम से अगर रजिस्ट्री हो जाती है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वह रजिस्ट्री बन्द होने से किसानों के सामने बहुत बड़ी परेशानी आती है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, जमवारामगढ़ क्षेत्र में खनन की जो विश्व प्रसिद्ध खानें हैं, वह भी लगभग 10-15 हजार लोगों को रोजगार देती हैं। हमारे आंधी क्षेत्र में खानें हैं। माननीय सभापति महोदय, उन खानों को भी अगर चालू कर दिया जाये तो उससे वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों का जीवन सुलभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं इस सदन में मांग करता हूं कि हमारे जमवारामगढ़ में फोरेस्ट में जो हवा होती है, वहां पर पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा पर्यावरण विकसित किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में, अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द। भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री चेतन पटेल।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 42 जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं मांग संख्या 45 वन एवं

पर्यावरण पर अपना सुझाव रखने का मौका दिया, जिसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। किसान का विकास पूरी मानव जाति का विकास है। महोदय, मेरे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र 100 प्रतिशत कृषि पर आधारित है और कोटा जिले का ग्रामीण क्षेत्र है। यहां सीमान्त व गरीब कृषकों की संख्या अधिक है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह के छोटे-बड़े उद्योग नहीं हैं। कृषि पर आधारित होने के कारण यहां नहरी पानी का महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे बजट पत्र में सिर्फ एक जगह हमारे क्षेत्र का नाम आया है। वह भी मुझे कहने में संकोच नहीं है कि शायद कोई गलत जानकारी देकर वित्त मंत्रीजी को कोई गलत जानकारी दे दी गयी हो या फिर छापने में कुछ गलती हो गयी होगी। बजट पत्र में माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा पढ़ा गया। ई आर सी पी में 9,500 करोड़ के वर्क आर्डर की बात माननीय वित्त मंत्रीजी ने कही है, जोकि तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी, अशोक गहलोत जी साहब ने 2022 के बजट में ही घोषित कर दिये थे। कांग्रेस सरकार के समय ही इनके वर्क आर्डर जारी कर दिये गये थे। इसमें नोनेरा डेम भी मेरी पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में ही आता है बल्कि खुद माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी हमारी सरकार द्वारा बनाये गये नवनैरा बांध का निरीक्षण करने आये थे। अब मैंने उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन भी किया था और फिर आपके माध्यम से मैं पुन: निवेदन करता हूं कि अनेक गांव मेरे क्षेत्र में ऐसे हैं जो नोनेरा डेम, जिसका लगभग पूरा कार्य हो चुका है, इस डेम में कई किसानों की भूमि अवाप्त की गयी है व कई गांव इस डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। इसी क्रम में नोनेरा डेम में डूब क्षेत्र में आसपास के कई गांव ऐसे हैं, जिनको सरकार ने अभी तक शिफ्ट नहीं किया है। डेम आगामी समय में आरम्भ हो जायेगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में गांव के निवासियों को शिफ्ट करना आवश्यक है। इन ग्रामवासियों को अन्यत्र घर प्रदान किया जाये या इनको घर बनाने हेतु पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जावे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित पांच वर्ष में 12,160 करोड़ रुपये व्यय कर 40,350 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। हम आपकी सरकार से निवेदन करते हैं कि अब जो काम पिछली सरकार में नहीं हो सके, वह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको करवायेंगे। दो सुझाव मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। पहला तो यह कि ग्राम टाकरवाड़ा में खराऊ के यहां लिफ्ट लगवाने बाबत् निवेदन है। यह जो मैं सुझाव दे रहा हूं 9 हजार बीघा असिंचित जमीन की सिंचाई हो सकेगी इस सुझाव से। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टाकरवाड़ा के यहां चम्बल की दांयी मुख्य नहर के करीब 20 गांवों का पानी व्यर्थ बहकर आता है और यहां के खराऊ में इकट्ठा होकर बह जाता है। इस खराऊ में दीगोद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बराऊ के आगे सभी गांवों का पानी आता है। इस खराऊ के ऊपर यदि विभाग लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था स्थापित करवा देता है तो इस पानी को यहां से उठाकर काली तलाई के माइनर में डालकर निमोदा उजाड़ टेल क्षेत्र के गांवों तक सिंचाई हो सकती है। सरकार से अनुरोध है कि ग्राम बराऊ, खुमला, फतेहपुर, कुनेटिया व अन्य गांवों के

व्यर्थ पानी को टाकरवाड़ा के यहां लिफ्ट कर काली तलाई के यहां माइनर में डालकर पुनः सिंचाई के कार्य में लिया जा सकता है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस माइनर का काम तो पक्का हो चुका है पिछली सरकार में, पर अब आपसे यह निवेदन है कि आपके सानिध्य में यहां लिफ्ट सिंचाई योजना स्वीकृत की जाये, इससे इस पानी को लिफ्ट करने पर आसपास के गांव कुनेटिया, फतेहपुर व अन्य 15 से 20 गांवों की लगभग 9 हजार बीघा असिंचित जमीन की सिंचाई हो सकेगी। आपको इससे किसानों की दुआ मिलेगी। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दूसरा सुझाव मैं आपके समक्ष यह रखना चाहता हूं कि मेरे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में खेरूला व आस-पास के गांवों में मैन ड्रेन व सब-ड्रेन की सफाई नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के ग्राम सनीजा, बुनेन खेरूला, बम्बूला रावतान, खेड़ली परसराम की लगभग 5 से 6 हजार बीघा जमीन बरसात आते ही जनमग्न हो जाती है। इस समस्या का मात्र एक ही समाधान है कि खेरूला व आसपास के खेतों के सभी ड्रेनों की सफाई करवायी जाये। इससे 5 हजार बीघा जमीनों में पानी भरने की समस्या खत्म हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह है कि बहुत सारी ड्रेन जो गांवों में है, जिनके कारण अतिवर्षा अगर हो जाती है तो बहुत ज्यादा बरसात के कारण गांव डूब में आ जाते हैं। बहुत सारी ड्रेनों का पिछली सरकार में सफाई हो चुकी हैं पर अब जो गांव शेष बच रहे हैं जिनमें ड्रेनों की सफाई नहीं हो पायी है, वह डूब में आ जाते हैं और फिर बाद में सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है, मकान टूट जाते हैं उससे अच्छा यही है कि हम समय पर उस सरकारी खजाने को, उस ड्रेन की सफाई करके उसको काम में लिया जाये। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जैसे जलोदाखातान, भोपालगंज, गंडावत, देवखेड़ली, किशनबास, फतेहपुर, छतरपुरा, कुमारिया और भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं और एक मैं आपको यह अवगत करवाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नहरों व माइनरों पर कई व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर उनको नष्ट कर दिया है। धोरों व माइनरों को नष्ट करने से नहरों का व्यर्थ बहा पानी किसानों के खेतों को नुकसान कर रहा है। सरकार से अनुरोध है कि इन धोरों व माइनरों की पुनः खुदाई हेतु अलग से बजट स्वीकृत करवाया जाये। आपने बोलने का मौका दिया, जिसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री जयकृष्ण पटेल।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 42 और मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र की उस सीट से आता हूं जहां पर कुछ समय पहले दल-बदल की राजनीति हुई थी और उस राजनीति को वहां की जनता ने दल बदल करने वालों को दलदल कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि अभी 18.01.2024 को बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी ने एक नेता पर आरोप लगाया था।

MLS/RTM/22.07.2024/20:40/4I

आरोप यह था कि 547 करोड़ केन्द्र का रुपया और 2629 करोड़ रुपया राज्य का जो पैसा है जल संसाधन विभाग से, अपर हाई कैनाल के माध्यम से जो पैसा स्वीकृत हुआ था, उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है और उसके अन्दर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ जांच होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग कर रहा हूं कि वहां पर जितने भी एईएन, जेईएन, एक्सईएन, जो भी इस काम में लिप्त हैं, उन सबकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर आपके माध्यम से जांच होनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि यहां पर जिस क्षेत्र में जल संसाधन विभाग से जो जमीन सिंचित होने वाली थी, वह 41903 हैक्टेयर क्षेत्र की भूमि थी। उस भूमि पर एईएन, जेईएन, एक्सईएन, किसी ने भी वहां पर ग्राम पंचायत के माध्यम से खाताधारकों की सहमति नहीं ली।

सभापति महोदय, यह सरासर उल्लंघन हुआ। वहां के खाताधारक व्यक्ति, जिसकी जमीन जा रही है, उससे पूछना चाहिये था। आनन-फानन में उन्होंने कार्य किया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिये। सभापति महोदय, वहां पर मुआवजे का प्रावधान था, वह भी नहीं मिला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माही और कडाणा पर विस्थापित हुए तमाम लोगों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर जब माही डैम और कडाणा बांध बना, उस समय के विस्थापित लोग आज दर-दर भटक रहे हैं। आज तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, उनकी जो मांगें हैं, वे पूरी होनी चाहिये। आज 50 वर्ष हो गये हैं, जो विस्थापित लोग हैं, न तो उन्हें जमीन मिली है, न ही पुनर्वास के लिए कोई जगह मिली है और न ही कोई मुआवजा मिला है। उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिये। साथ ही साथ, समता जजमेंट यह कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की जमीन न तो सरकार ले सकती है, न ही कोई व्यक्ति ले सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर एक एनपीसीएल का प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है और जगपुरा में स्वर्ण खदान के लिए सरकार जमीन नीलाम करने जा रही है। अगर यह जजमेंट सही है और सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानती है तो मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि एनपीसीएल का जो प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है, उसके लिए पुनर्वास कॉलोनी और जबलपुर की तर्ज पर वहां जितने भी विस्थापित हैं, उन्हें पुनर्वास के लिए घर मिलने चाहिये।

साथ ही साथ, जगपुरा में भुकिया के अन्दर जो सोने की खदानों के लिए नीलामी हुई है, उसके लिए भी हम कहना चाहते हैं कि वह नीलामी की प्रक्रिया बिलकुल गलत है। सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, लेकिन वहां पर आदिवासियों को बली का बकरा बनाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहते हैं कि ये

जो कार्य किये जा रहे हैं, वहां की जनता और वहां के क्षेत्रवासियों से पूछकर आम राय से किये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, आज हम वन और पर्यावरण की बात करते हैं, अगर हम पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यूएनओ ने भी घोषित कर दिया है कि आदिवासी जहां-जहां और जिस-जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां वन और पर्यावरण सुरक्षित है। आदिवासी क्षेत्र में आज सरकार द्वारा जगपुरा जैसी खदानें और एनपीसीएल जैसे प्रोजेक्ट लाकर वनों को उजाड़ा जा रहा है।

श्री सभापतिः श्री लादु लाल पितलिया।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): आज मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, पिछले 20 वर्षों से वहां पर जो खर्चा हो पाया है, वह मात्र बजटों के अन्दर है। वहां पर पैसा खर्च नहीं हुआ।

श्री सभापतिः विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): 000

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): भैरूजी बाबाजी की जय और खजुरिया श्याम की जय। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 45 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बांधों के पानी की आवक हेतु नदी-नहरों से जोड़ने सम्बन्धी विषय मैं रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में निम्न बांध हैं जो पेयजल एवं किसानों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। फुकिया बांध सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत नेगडिया खेड़ा में बनास बेसिन की चन्द्रभागा नदी पर निर्मित है। बांध की कुल भराव क्षमता 252.4 एमसीएफटी है। इस बांध से रेलमगरा, सहाड़ा कुंवारिया तहसील के कुल 15 गांवों की 3356 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकती है।

बांध के अपस्ट्रीम में हुए डवलपमेंट के कारण विगत 15 वर्षों में बांध की जल आवक कम हुई है, जिसके कारण क्षेत्र का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। इस बांध को नदी या नहरों से जोड़कर भरा जाये ताकि जल स्तर बढ़ने पर किसानों को राहत मिल सके। यह बांध बाघपुरा, राजसमन्द बांध की नहर, सिंचाई ऑलरेडी बनी हुई है, उसी नहर को फुकिया बांध से जोड़ना है ताकि मेरे सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के बहुत गांवों को पिलाई के लिए काफी राहत मिलेगी। रायथलियास बांध सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बनास बेसिन की चन्द्रभागा नदी पर निर्मित है। बांध की कुल भराव क्षमता 306.50 एमसीएफटी है। इस बांध में 12.90 किलोमीटर लम्बी नहरों द्वारा माजावास पंचायत, सुरावास पंचायत, जवासिया पंचायत और सरगांव पंचायत के कुल 20 गांवों की 1550 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। विगत कुछ वर्षों से बांध के अपस्ट्रीम में हुए डवलपमेंट के कारण बांध में आवश्यक जल आवक नहीं हो पा रही है। इसके कारण कमांड क्षेत्र के हजारों काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं।

लड़की बांध मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण बांध है। उपरोक्त तीनों बांध मेरे

विधान सभा क्षेत्र की जनता एवं किसानों के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इन बांधों के नदियों से जुड़े नहीं होने से पानी की आवक बहुत कम है। इस कारण बांधों में पानी का भराव बहुत कम रहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बांधों के लिए बनास नदी या अन्य किसी निकट जल स्रोत पर डायवर्जन स्ट्रक्चर बनाया जाये ताकि चन्द्रभागा नदी के पानी की आवक इन बांधों में हो सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के किसानों की सिंचाई हेतु पानी की बहुत समस्याएं हैं। इन सिंचाई की समस्याओं के निदान के लिए हमारी पांच ग्राम पंचायतें, जैसे मोकुन्दा, गलवा, देवरिया, खेमाणा इत्यादि ग्राम पंचायतों में भारी क्षमता के तालाब बने हुए हैं। ग्राम पंचायत मोकुन्दा में रणजीत सागर तालाब, जिसकी लगभग 20 फीट गहराई की भराव क्षमता है, जिसमें राजसमन्द जिले की कोठारी नदी पर मोडादे बांध बना हुआ जो ग्राम पंचायत रांचेती तहसील में पड़ता है।

मोडादे बांध का पानी वाष्पीकरण के कारण जल्दी ही खत्म हो जाता है, कुछ उपयोग में नहीं आता है। अगर मोडादे बांध का पानी नहर के द्वारा हमारी सबसे बड़ी पंचायत मोकुन्दा के तालाब रणजीत सागर में होते हुए गलवा, देवरिया, खेमाणा, और भी रायपुर तहसील के बहुत गांव हैं, इत्यादि के तालाबों में डाल दिया जाये तो किसानों के लिए सिंचाई के पानी की समस्या का समाधान हो जायेगा। मोकुन्दा के तालाब रणजीत सागर को भरे हुए लगभग 35-40 साल हो गये हैं। इन तालाबों को नहर द्वारा जोड़कर भर दिया जाये। इससे जल स्तर में बहुत सुधार होगा और पेयजल सिंचाई की समस्याओं का समाधान होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत ढोसर में उचकिया बांध बना हुआ है, जिसकी भराव क्षमता लगभग 20 फीट है। इस बांध से बनी हुई नहरें जीर्ण अवस्था में हैं। अगर इन नहरों का दुबारा जीर्णोद्धार कर दिया जाये तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की 20 पंचायतों के किसानों को लाभ और राहत मिलेगी। इसी उचकिया बांध से भोणास पंचायत जो ऊंचाई पर स्थित है, उसमें अगर लिफ्ट के माध्यम से पानी पहुंचाया जाये तो वहां के लोगों को बड़ी राहत, सौगात मिलेगी। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापतिः विराजिये। प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा। श्री संजय कुमार।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): 000

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का समय दिया। माननीय, मैं मांग संख्या 42 के अन्तर्गत माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि अभी मेरे वरिष्ठ सदस्य, जो बाड़ी विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने सही कहा था कि हमारे यहां पानी की किल्लत काफी ज्यादा है और जो दो बांध हैं, रामसागर बांध और पार्वती बांध, दोनों ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं एक पहाड़ी इलाके से आता हूं।

mkd/rtm/22.07.2024/20:50/4m

जो बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र है, उसमें दो ब्लॉक हैं, एक बसेड़ी और एक सरमथरा है। सरमथरा क्षेत्र पहाड़ी इलाके में आता है और पूरा पहाड़ी इलाका है। उसकी दो सहायक नदियों से पार्वती बांध को भरा जाता है और उस पार्वती बांध से सिंचाई की नहरें निकलती हुईं बसेड़ी, जारगा, सेफऊ और राजाखेड़ा होते हुए आगारा, यूपी में निकल जाती हैं और सरमथरा ब्लॉक के लिए बिलकुल पानी नहीं मिलता है।

सरमथरा की आम जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था मोटर के द्वारा, पम्पिंग स्टेशन के द्वारा, नल के द्वारा की जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहां काली सिंध चम्बल परियोजना, जिसके लिए अभी 710 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया था। इसको बढ़ाते हुए हमारे सरमथरा की दो सहायक नदियां हैं, एक तो कहर नदी है और एक बिलोणी नदी है। उसमें चाहे पाइप के द्वारा या किसी भी संसाधन के द्वारा पानी डाल दिया जायेगा तो सरमथरा की जनता को बहुत राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को बताना चाहता हूं कि हमारे बसेड़ी के क्षेत्र से जो नहरें जाती हैं, बाड़ी वाले माननीय सदस्य ने सही कहा था कि यूपी की जनता और किसान पानी चोरी करते हैं तो हम चाहते हैं कि जब से ये माइनर नहरें बनी हैं, इनका कभी भी नवीनीकरण या रिपेयर नहीं हुआ है।

आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि सेफऊ ब्रांच नहर जीरो से 2100 मीटर तक पुन: नहर का नवीनीकरण किया जाये। साथ ही, अतरसुमा, रेवयीपरा, भगोरा हैड से, जो बसेड़ी के पार्ट हैं, उनकी नहरों को ध्वस्त करके उनको भी बनाया जाये। रामसागर बांध, जहां से मेरे बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के गांव आते हैं- कासोटी, कहेड़ा, सेहडी, उमरे, सुनीपुर उनमें भी रामसागर बांध द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है।

साथ ही, मैं मांग संख्या 45 के द्वारा हमारे वन मंत्री महोदय को आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि सरमथरा क्षेत्र 80 परसैंट वन भूमि पर बसा हुआ है। अभी 3 फरवरी को हमारे पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता, जो सरकार से विमुख हो गये और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जनता से मैं विमुख हो गया, क्योंकि सरकार ने मेरी सुनी नहीं, आदरणीय किरोड़ी लाल जी, वे भी 3 फरवरी को गये थे, वे मेरी जनता को आश्वासन देकर आये थे कि मैं तीनों डिपार्टमेंट माइंस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू की टीम लेकर आऊंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमारे किसी माननीय सदस्य और मंत्री को कोट करके कहा है, उन्होंने वह वक्तव्य, जो आप बोल रहे हैं, कहां कहा है? ऐसा वक्तव्य नहीं दें, जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मैं सरकार से विमुख हो चुका हूं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजियें।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि वे

सरमथरा गये, मैं डायरेक्टली उनसे नहीं कह रहा लेकिन वे जनता से वादा करके आये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं दें, जो गलत स्टेटमेंट हो।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि उन्होंने जनता में कहा। मैं आपको पूरी कटिंग दे दूंगा। उन्होंने बिलकुल कहा है। वन मंत्री महोदय जी बैठे हुए हैं। वन मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 80 परसेंट जनता फॉरेस्ट इलाके में रहती है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा करौली, धौलपुर टाइगर सेंचुरी भी बना दी गई है, क्योंकि उस इलाके में आदिवासी लोग रहते हैं। वहां पर जल, जंगल, जमीन उन्हीं की है। यदि वे घर बनाने के लिए कोई भी खनिज सम्पदा पत्थर लेकर जाते हैं तो उनको प्रशासन के द्वारा बहुत परेशान किया जाता है। अभी तक जितने भी मामले माइंस ने नहीं पकड़े, फॉरेस्ट ने नहीं पकड़े, पुलिस प्रशासन ने पकड़े हैं। उन्होंने अवैध दिखाकर पकड़ा था, जबकि यह वहां पर बिलकुल गलत था।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से कल के अख़बार में आया है, कोटा का प्रकरण कि राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल सेंचुरी, कोटा विकास में बाधा बताकर शहरीकरण क्षेत्र में लाने के लिए ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा सिफारिश की गई थी। मैं भी चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से कि हमारे यहां ऊर्दपुरा और रिजोनी उपखण्ड है, जो वन विभाग के अन्तर्गत आते हैं। जो नाके हैं, उनको यदि आप डी-फॉरेस्ट कर देंगे तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, वहां पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे वहां कहते हैं कि जिस तरह लाल किला और संसद भवन बना हुआ है, वह मेरे सरमथरा गांव के ही लाल पत्थर का बना हुआ है। सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का ध्यान इस ओर लाना चाहूंगा कि आप इसके अन्तर्गत वहां पर डी-फॉरेस्ट एरिया करके राहत दे तो बड़ी कृपा होगी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मपाल।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

मैं अपनी बात शुरू करूं। पानी, पर्यावरण व वन पर बात हो रही हैं, तीनों आपस में पूरक हैं। जल बिना वन नहीं है और वन बिना पर्यावरण नहीं है। इसलिए रहिमदाम जी के दोहे का उद्बोधन करना चाहता हूं,

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,

पानी गये न उबरे, मोती, मानस, चून।

पानी के बिना कुछ भी नहीं है। इस सद्भावना के साथ ही मैं अपनी बात शुरू करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इधर उधर की बात न करके मैं खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो उसमें ज्यादा लाभ होगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, अरावली की पहाडियों से

घिरा हुआ क्षेत्र है और अधिकांश पहाड़ियां होने के कारण वहां का क्षेत्र लगभग सूखा है और पानी के जलाशय भी सूख गये हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जीवनयापन का सिर्फ कृषि ही एक स्रोत है, लेकिन पानी के बिना लोग पलायन कर चुके हैं और अन्यत्र दूसरे प्रदेशों में जैसे हरियाणा, दिल्ली में जा चुके हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि भूजल के संरक्षण के लिए यदि छोटे-छोटे बांध और जलाशयों का निर्माण किया जाये तो मैं समझता हूं किसान खेती की ओर दुबारा लौट सकता है और खेती को अपनी आय का प्रमुख स्रोत बना सकता है।

महोदय, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अरावली की पहाड़ियों से सम्भानाएं नजर आती हैं। क्षेत्र में दो रिजर्व कंजर्वेशन हैं। उस रिजर्व कंजर्वेशन की मूलभूत सुविधाएं विकसित कर दी जायें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा की गई सभी मांगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यक है।

अतः महोदय आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 42 व 45 के तहत जो मांगे रखी गई हैं, उनको शीघ्र अति शीघ्र पूरी करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करना चाहते हैं तो क्षेत्र की मांगों को निश्चित रूप से पूर्ण करें।

मैं जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में चार बड़े बांध हैं। यथा- अजीत सागर बांध, रवा बांध, कालाभुजा बांध, मोडी लाकर बांध, काफी वर्षों से सूखे के कारण अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। अगर इन चारों बांधों का दुबारा जीर्णोद्धार किया जाये और इनमें पानी छोड़ दिया जाये। जैसा यमुना जल के बारे में, हमारे शेखावाटी के लिए जो समझौता हुआ है।

मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे मुख्य मंत्री जी को और हमारी वित्त मंत्री जी को, मुख्य मंत्री जी ने शेखावाटी की तीनों सीटें लोक सभा में हमारी आशा के विपरीत जाने के बाद भी, उसके बाद झुंझुनूं गये और झुंझुनूं में छाती ठोककर कहा कि हो सकता है कि जनता ने हमारी बात को शिरोधार्य नहीं किया होगा। तीनों लोक सभा की सीटें हमारे विपक्ष में दे दी होगी, लेकिन यमुना का जल निश्चित रूप से शेखावाटी में आयेगा और प्रेस कांफ्रेस में कहा और प्रेस कांफ्रेस के बाद सार्वजनिक सभा में यह बात कही। यह दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का ही निर्णय है, तीनों सीटें जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करना कि जो हमने कहा है, उसमें कथनी और करनी में हमारे फर्क नहीं है।

मैं ऐसे मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए मैं निश्चित रूप से शेखावाटी का हरियाणा सरकार से हुए यमुना जल समझौते का स्वागत करता हूं। शेखावाटी बिलकुल सूख चुका है। यहां के बांधों की यदि डीपीआर बनाई जाये और ये बांध यदि भर दिये जाये तो मैं समझता हूं मेरे क्षेत्र की समस्या दूर हो सकती है।

कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना में जल जीवन मिशन के तहत वंचित जो गांव हैं, मंत्री महोदय मेरा निवेदन है कि वंचित गावों, ढाणियों को अगर जोड़ा जाये तो गांव में सुविधा

बनेगी। जल संसाधन विभाग में मेरे अधीन खेतड़ी क्षेत्र में स्थित ग्राम गाडराटा के अन्दर बांध का निर्माण किया जाये तो जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में उपयुक्त एनिकट एवं जन संग्रहण हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि गिरते हुए भूजल को रोका जा सके।

मैं वन एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में मांग संख्या 45 के अधीन वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिजर्व कंजर्वेशन, जिसको बांसियाल खेतड़ी रिजर्व कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। मैंने पूर्व में भी सदन में इस बात का जिक्र किया था। उसको यदि संरक्षित किया जाये, तो मैं समझता हूं कि रोजगार के अवसर वहां पर बढ़ेंगे। उसकी सीमा और एरिये में पक्की दीवार की आवश्यकता है। पक्की दीवार के बाद फेंसिंग की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र 4 फीट की दीवार है, उसमें जंगली जानवर पैंथर, सियार, बघेरे वगैरह हैं, उनको 4 फीट दीवार से रोक नहीं सकते हैं। इसलिए इसको ज्यादा ऊंची करके तार फेंसिंग की जाये तो मैं समझता हूं ज्यादा फायदा रहेगा।

Bhs/Rtm/22.7.24/21.00/4n

बांसियाल कंजर्वेशन में समदड़ा तालाब के पास अगर एक चौकी बना दी जाए और ट्रेनिंग सेन्टर बना दिया जाए और इस पूरे रिजर्व कंजर्वेशन को अगर सफारी के रूप में विकसित किया जाए तो मैं समझता हूं कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोगों को रोजगार देने के लिए विशेष रूप से अगर विकसित किया जाएगा तो क्षेत्र के लिए और सभी के लिए...।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद।

श्री सभापतिः श्री मनीष यादव।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 42, 45 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन एवं वन एवं पर्यावरण का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर पूरा सदन आज चर्चा कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जल का जैसा संकट है और इसके बारे में चर्चा करना बेहद आवश्यक है और इसका आने वाले समय में कैसे निवारण किया जा सकता है इस समस्या से इसके बारे में सही मन से चिन्ता करके इसका निवारण कैसे किया जाए उसको लेकर के सोचना भी बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में पिछले 15-20 वर्षों से पानी का बहुत बड़ा संकट है। आज जो भूगर्भ का जलस्तर है वह बिलकुल ना के बराबर है और हमारा क्षेत्र खेती पर आधारित क्षेत्र रहा है जहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं है जहां पर

आज पेयजल का भी बहुत बड़ा संकट है और गर्मी के इस मौसम में तो ऐसे हालात बने हुए हैं कि पेयजल के लिए लोगों को टैंकर से पानी लेने में भी असुविधा इसलिए हो पा रही है, क्योंकि पानी ही नहीं है तो वो कहां से लेकर के आएंगे और हालात ऐसे बने हुए हैं कि जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मंत्री महोदय शायद अभी हैं नहीं, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो ई.आर.सी.पी. को लेकर के चर्चा है कि ई.आर.सी.पी. आप लेकर के आ रहे हैं और एम.ओ.यू. आपने अभी तक टेबल नहीं किया। एम.ओ.यू. सार्वजनिक नहीं किया, कितना पानी राजस्थान को मिलने वाला है यह भी एक बहुत बड़ा संशय का विषय बना हुआ है। मैं सदन से आग्रह करना चाहूंगा ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, यह टेबल इसलिये करना चाहिये कि आपकी मंशा क्या है और आप सही मायने में राजस्थान को जो कह रहे हो वो कितना पानी आप देना चाहते हैं, हमारे पास जो जानकारी है उसमें तो ये चर्चा है कि आप उतना पानी दे नहीं पा रहे हैं, इसलिये आप एम.ओ.यू. को टेबल नहीं कर पा रहे हो।

चलिये, मैं मेरे विषय पर आता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा को ई.आर.सी.पी. से हमारे वहां के बांधों को नहीं जोड़ा गया। अभी बजट में शाहपुरा बांध के नाम का जिक्र किया गया। मैं महोदय, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि शाहपुरा बांध नाम से, मंत्री महोदय आ गये, शाहपुरा बांध नाम से कोई बांध मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अधीन दो बांध आते हैं एक तो सिकरगट्टा बांध हमारे देवन में है, जिसकी 3.73 एमसीएम भराव क्षमता है। एक जमदई बांध धौली में है, जिसकी भराव क्षमता 2.74 है। पंचायती राज के अधीन दो बांध आते हैं, दातौड़ी बांध और मांतोरी बांध।

मंत्री महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि आप इन बांधों को जोड़िये क्योंकि बेहद आवश्यक है मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी के लिए जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और आप सही मायने में हमारे साथ न्याय करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मुख्य मंत्री कहते हैं कि पूरे आठ करोड़ की जनता मेरा परिवार है तो विराट नगर के बांध आपने जोड़े हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बांधों को आप जल्द से जल्द जोड़िये जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को न्याय मिल सके और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पानी के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है। जीवन सम्भव नहीं है इसलिये वहां के लोगों के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के बांधों को जोडा जाए।

मैं वन एवं पर्यावरण पर बात करना चाहूंगा कि हमारे एनएच-48 पर संजय स्मृति वन है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1980 को हुई थी उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिये। मंत्री महोदय से मैं मिला भी था और जल्द से जल्द वहां पर इसकी स्थापना की जाए उसका अच्छे ढंग से वापस से पुनर्वास किया जाए। संजय स्मृति वन में एक मिनी जू की स्थापना की जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सामोद में जो बालाजी का मन्दिर है वीर हनुमान जी का वहां वन विभाग से अभी एन.ओ.सी. जारी नहीं हुई है उसकी वजह से वहां का रोप-वे शुरू नहीं हुआ उसके लिए भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सामोद, वीर हनुमान जी एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है।

साथ ही, मेरे ग्राम पंचायत विदारा व अमरसर में वन भूमि पड़ती है जिसमें लवकुश वाटिका आप सृजित करें। मेरा निवेदन मंत्री महोदय से है कि हमारे जो संजय स्मृति वन है उसको आप सही अच्छे से, आपने कहा भी है, आश्वस्त भी किया है लेकिन वहां पर चूंकि यह पर्यटन का बड़ा स्थल हो सकता है और एनएच-48 पर मैन हमारे शाहपुरा और विराट नगर के बीच में स्थित है, आप करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः एक मिनट, विराजें।

सूचना

टोडाभीम में बिजली न होने से बिगड़ती कानून-व्यवस्था

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हज़ारों लोग बिजली नहीं आने के कारण धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति हो रही है।

श्री सभापतिः विराजिये। अंकित नहीं होगा। आ गया संज्ञान में सरकार के।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 000

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री सभापतिः विराजिये। अंकित नहीं होगा किसी का भी। श्री राजेन्द्र। (अनुपस्थित) श्री बालक नाथ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं

मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण पर विचार

महन्त बालकनाथ (तिजारा): धन्यवाद सभापति महोदय जी, आज हम सब लोग वन एवं पर्यावरण और साथ में जल के विषय पर चर्चा कर रहे हैं इस सदन में और मैं मानता हूं कि पिछले पांच वर्ष मैंने सांसद के स्वरूप में भी काम किया और आज आप सबके बीच में विधायक के स्वरूप में भी हूं। हम सब विकास की बात करते हैं डवलपमेंट की बात करते हैं और इस आधुनिक युग में नये-नये अविष्कारों के माध्यम से मानव जीव को और भी बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो विषय आज का है वन एवं पर्यावरण का यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वन क्षेत्र के बिना यह विकास चाहे हम

कितना ही विकास कर लें, कितनी ही टैक्नॉलॉजी का निर्माण कर लें, लेकिन वृक्ष के बिना ये सब धराशायी हो जायेगा, एक समय ऐसा आयेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज भी मानव जीव पर्यावरण में आये परिवर्तन के कारण इतना पीड़ित है। हम सबने अभी कुछ समय पहले रिकार्डतम गर्मी सहन की है और आज वर्षा ऋतु का समय होने के बाद भी आज राजस्थान में जितनी वर्षा हम मानते हैं कि होनी चाहिये उतनी वर्षा हमें देखने को नहीं मिलती है। आज मनुष्य ने जिस प्रकार से अपने जीवन को अपना अधिकार मान लिया है कि यह जीवन मेरा है और इस जीवन का मैं जैसे चाहे उपयोग करूं और मैं अपनी सुख-सुविधाओं के लिए, अपने निजी स्वार्थों की प्राप्ति के लिए इस प्रकृति का दोहन करूं इसका उपयोग करूं और इसमें अपनी सीमाओं का विस्तार करता चलूं, इसको कब्जा करता चलूं।

माननीय सभापति महोदय, भगवान ने मनुष्य जीवन उस भाव से बनाया है, अपितु भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में तो साफ-साफ कहा है कि यह मनुष्य मेरा ही स्वरूप है और इस प्रकृति की रक्षा, सुरक्षा के लिए मैंने यह मनुष्य स्वरूप इस मृत्यु लोक पर उतारा है इसको भेजा है और यह मेरा स्वरूप बन कर इस पूरी प्रकृति की रक्षा सुरक्षा करेगा। मनुष्य जीव के अन्दर भगवान ने एक अलौकिक शक्ति दी है जिसमें बुद्धि है उस बुद्धि के उपयोग के माध्यम से मनुष्य पूरी प्रकृति का संरक्षण करे, जीव-जन्तुओं का संरक्षण करे। पेड़ है, वनस्पति है, मिट्‌टी है, वायु है, जल है हर वस्तु के संरक्षण करने का दायित्व मनुष्य का है लेकिन मनुष्य जीव ने अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए वन क्षेत्र को आज सीमित करने का काम किया है। आज हम नयी टैक्नॉलॉजी की, नये विकास की बात करते हैं, मैट्रो की बात करते हैं, हम मंगल गृह पर पहुंचने की बात करते हैं, चाँद पर पहुंच चुके हैं। अगर इसी तरह से हमारा यह कार्यक्रम चलता रहा तो वह समय दूर नहीं जब इस पृथ्वी पर मनुष्य ढूंढने से भी हमें नहीं मिलेगा, जो उपभोग करना चाहता है वो ही नहीं होगा तो कैसे यह संसार आगे बढ़ेगा। हम सबको ज्ञान है और ऊपरी सदन में भी वर्तमान में राजस्थान विधान सभा में भी हम वन क्षेत्र पर चिन्ता बहुत करते हैं, लेकिन काम उस पर आगे नहीं होता है क्योंकि हमारी भावना नहीं है।

Kas/rtm/22.07.2024/21.10/4o

जब हम आते हैं, तो हमारा कोई जानकार वन क्षेत्र पर कब्जा करता है, तो अधिकारियों को फोन जाता है कि अपना आदमी है। जब उनकी सरकार आती है, तो उनका फोन जाता है कि अपना आदमी है। यह अपना आदमी तभी रहेगा, जब वन रहेंगे। वन नहीं रहेंगे तो हमारा इस धरा पर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सरल है अगर हमारी सबकी भावना होगी कि हमको वन को संरक्षित रखना है। आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हम सैटेलाइट के माध्यम से वन क्षेत्रों का सर्वे कर सकते हैं। आज की दिनांक में वहां कितने कब्जे हैं, उसको चिह्नित कर सकते हैं। जब तक हम सख्त कदम नहीं उठायेंगे, सख्त

कदम अधिकारियों के माध्यम से उठेगा, हमारी भावना के माध्यम से उठेगा। हम स्पष्ट कर दें कि जिस वन क्षेत्र अधिकारी के क्षेत्रफल में आज की दिनांक में वहां पर जितने चिह्नित किये हुए कब्जे हैं, उनके अलावा भविष्य में उसके कार्यकाल में अगर एक भी कब्जा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उस अधिकारी की होगी।

श्री सभापतिः श्रीमती रमीला।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी कब्जा वन क्षेत्र भूमि पर नहीं होगा। सभापति महोदय, एक मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। मैंने अपनी विधान सभा का पूरा वन क्षेत्र माननीय मंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया है। मैं मेरे वन क्षेत्र में जो अवैध रूप से कब्जे हैं, उनको चिह्नित करके दूंगा और मैं चाहता हूं हमारे लिये नहीं, इस पूरी प्रकृति के लिये हमें वन क्षेत्र की भूमि को खाली कराना चाहिये और वहां पर वृक्षारोपण कर एक घने जंगल का निर्माण करके मनुष्य जीव को एक नये जीवन की ओर आगे ले जाने का हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिये। आप सबका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

श्री सभापतिः श्रीमती रमीला खड़ीया।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में अपार हाई केनाल निकल रही है। मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह से ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया? मेरे क्षेत्र में जितने भी तालाब और एनीकट बने हुए हैं, ये हमारी कांग्रेस सरकार की देन है। मैं इनके नाम भी गिना सकती हूं कि किस-किस सन् में बने और किस-किस समय बने। यह हमारी कांग्रेस सरकार ने काम किया है। अपार हाई केनाल करोड़ों रुपये की लागत से हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने हमें दी। मैं मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करती हूं कि किसी भी मंत्री का शपथ लेने के बाद पत्र नहीं आया है, लेकिन इन मंत्री जी ने पत्र लिख कर यह सूचित किया है कि आप आपके क्षेत्र की मांग हमें दो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिए प्लीज।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): इस तरह से करीब 25 मांगें मैंने रखी हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बीच में वार्ता नहीं।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): मेरे छोटे-छोटे बांध जर्जर अवस्था में हैं। सज्जनगढ़ और कुशलगढ़ की मांग हमने मंत्री जी को भिजवा दी हैं। 25 में से कितनी मांगे मुझे मिलती हैं, अगले सत्र में मैं जरूर मंत्री जी से पूछूंगी। आपने सामने से पत्र व्यवहार किया है तो उसका जवाब मुझे जरूर मिलेगा।

मैं कहना चाहती हूं मेरे क्षेत्र में वन विभाग की काकनमणी, बगासिया, घाटा क्षेत्र में छोटे-छोटे बांध बनाने की आवश्यकता है। गर्मी के दिनों में जीव-जन्तुओं को पानी नहीं मिलने के कारण वे घरों तक आ जाते हैं। मैं मंत्री जी से यह मांग करती हूं वन विभाग के

मार्फत नहीं, एक कमेटी बनाकर आपके मार्फत 3-4 किलोमीटर के दायरे में एनीकट बनवाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खाई फेंसिंग, खड्डा में करोड़ों का घोटाला किया है, इसकी जांच की जाये, यह मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं, धन्यवाद।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): सभापति महोदय, उन तमाम खड्डों को भरने का काम आदरणीय भजन लाल जी की सरकार करेगी।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए। श्री राधेश्याम बैरवा, श्री राधेश्याम बैरवा (अनुपस्थित), श्री भागचन्द टांकडा।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि मैंने एक याचिका 31.1.2004 को लगाई थी, जिसका जवाब मुझे 16 जून, 2024 को मिला। उसमें मैंने मेरी विधान सभा के रेडिया डैम, धपावन का बांध, गुढ़ा कटला का बांध, ब़ढियाल खुर्द बांध, पूछडी बांध, घाटीदीप पुरा अमन सागर बांध को जोड़ने की याचिका लगाई थी। याचिका का जवाब आया, उसमें जिन बांधों को जोड़ने का प्रस्ताव लिया गया, उसमें मेरी विधान सभा के बांधों को जोड़ने का नहीं लिया गया। मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा के जो बांध ईआरसीपी में नहीं जुड़ें, उन बांधों को जोड़ने का आप करवाएं। साथ ही, मेरी विधान सभा में दो नये बांध जगसोली एवं शालावास कलां का निर्माण कराएं। पुराने बांधों एवं नहरों की मरम्मत का भी काम करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से मेरा विशेष निवेदन है कि दिनांक 6 अप्रैल, 2024 को मेरी विधान सभा में फोरेस्ट द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी। उस अवैध वसूली को रोकने के लिये जब मैं मौक़े पर पहुंचा तो ट्रेक्टर ने एक तो मोटर साइकिल का एक्सीडेंट कर दिया। जब उनको रोका गया तो उनकी जेब से पैसे मिले। उसके बाद पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पैसों की जब्ती की और रिपोर्ट में दर्ज कराया है। उसके बावजूद उन्होंने लगातार विधान सभा में इस तरह का आतंक फैलाया कि हर दिन बजरी के ट्रेक्टरों पर विशेष कार्यवाही करने के नाम पर बजरी के ट्रेक्टरों की जो 1 लाख 28 हजार रुपये के लगभग रसीद कटती है, उसको पैसे लेकर मिट्टी की ट्रोली बता दी और जिसकी रसीद 27 हजार की काटी है। ...(व्यवधान)... यह बीजेपी के राज में कटी है। 1 लाख 28 हजार की रसीद को 27 हजार रुपये लेकर समझौता करके 1 लाख को आधे-आधे में कर के 50-50 हजार रुपये ट्रेक्टरों से लिये जाते हैं। उन वन कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो।

(समयः   बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन।)

सीजर मार्के की कार्यवाही का 24 घंटे में कोर्ट में चालान पेश करना होता है। दिनांक 12.4.2024 को सीजर मार्क किया। एफआईआर नंबर 2677/8, उसका उन्होंने 8 दिन बाद

चालान पेश किया, क्योंकि समझौता नहीं हो पाया। वह पैसे लेकर व्यवस्थाएं सुधार लेते थे। दूसरी एफआईआर 2677/10 दिनांक 13.4.2024 को हुई, उसका भी चालान 20 तारीख को पेश किया। तीसरी एफआईआर 2677/11 13.4.2024 को हुई, उसका भी चालान उन्होंने कोर्ट में 20.4.2024 को पेश किया। चौथी एफआईआर 3675/40 16.4.2024 को हुई, उसका भी चालान 20.4.2024 को किया।

msk/rtm/22.07.2024/2120/4p

इससे साफ-साफ इंगित होता है कि जो कर्मचारी लगे हुए थे, वे सेटलमेंट करके, पैसे लेकर समझौता करते थे। फिर दिनांक 12.06.2024 को सीजरमार्क किया। उसके बाद सायपुर में एक ट्रैक्टर पकड़ा। ट्रैक्टर पकड़ने के बाद उसको यह कहकर, आज दिनांक तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं और उसको यह कहकर समाप्त कर दिया कि यह करौली जिले का केस है, जबकि सायपुर दौसा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ही आता है। राजेश शर्मा, जिसे कार्यवाही करनी थी। वहां के प्रदीप कुमार शर्मा, जो उड़नदस्ता प्रभारी थे, उसने कार्यवाही की। कार्यवाही करने के बाद रैंजर राजेश शर्मा को अवगत कराया। अवगत कराने के चार दिन बाद भी उसने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवायी और ट्रैक्टर थाने में बन्द किया। उसके बावजूद भी जब डीएफओ को .. (समय समाप्ति सूचक घंटी)।

हुकूम, पांच मिनट ही हुए हैं, मेरे तीन मिनट बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, छह मिनट हुए हैं। लिखा हुआ है।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): आज स्थिति यह है कि 13 जून, 2024 को दैनिक भास्कर में एक खबर छपी। खबर यह छपी कि बांदीकुई नर्सरी के जितने भी पौधे हैं, करीब 50 हजार, वे सब नष्ट हो चुके हैं। यह कहकर टाल दिया कि अब की बार गर्मी ज्यादा पड़ी। गर्मी क्या पड़ी, उनको तो चौथ वसूली करने के आगे फुर्सत ही नहीं है। पेड़ों में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मेरे खिलाफ इस्तगासे से मुकदमा दर्ज करवाया।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। यह नहीं।

श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ईआरसीपी एक बहुत बड़ा विषय है। पहले 13 जिले थे, अब 21 जिले हो गये। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो एमओयू के बारे में आप जरूर बतायें। आप कह रहे थे कि इसका एमओयू फरवरी में हुआ है। कितना पानी राजस्थान को मिलेगा और कितना पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा? किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा या सिर्फ पीने का पानी इसके अन्दर मिलेगा या हमारा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसको भी मिलेगा? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें, इस चीज को जरूर बतायें।

दूसरा, मैं हमारे वन मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कोटा के अन्दर जो देश की पहली घड़ियाल सैंक्चुरी है। तीन राज्यों के अन्दर है। अभी दैनिक भास्कर ने भी पूरा सर्वे छापा है कि आप उस सैंक्चुरी को छोटा कर रहे हैं। छोटा क्यों कर रहे हैं? आप किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? एक तरफ तो अपनी खुद की सैंक्चुरी है, अलवर की। जिस सैंक्चुरी के लिए मैं समझता हूं कि वहां लोकल लोग आन्दोलन कर रहे हैं। किसान यूनियन आन्दोलन कर रही है, आपसे भी मिले हैं। केन्द्रीय मंत्री जी से भी मिले हैं। मैंने भी आपसे वार्ता की थी। क्योंकि यह हम भी चाहते हैं कि सरिस्का का विकास हो, सरिस्का तरक्की करे और वहां जब एक भी टाइगर नहीं था तो गहलोत जी आगे बढ़ते हुए वहां पर पुनः टाइगर लेकर आये, उनका विस्थापन हुआ और आज सरिस्का गुलजार हो रहा है।

मैं आपसे चाहूंगा कि अभी एनजीटी के आदेश आये कि वहां पर जितनी भी भूमि है, वह सरिस्का के नाम चढ़ा दी जाये। लेकिन उस भूमि पर लोग रह भी रहे हैं, गैर-खातेदारी भी है, सरकारी बिल्डिंग भी है। अध्यक्ष जी, अगर ये सारी चीजें एनजीटी के आदेश से सरिस्का में चढ़ गयीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत आयेगी। हम स्कूल में कमरा तक नहीं बना पायेंगे, आंगनबाड़ी में कोई कमरा नहीं बन पायेगा। लोकल लोगों को बहुत दिक्कत आयेगी और वन अधिकार अधिनियम के तहत भी लोकल लोगों को जो सुविधा मिलती है, वह भी उसके अन्दर रह जायेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इस ओर भी ध्यान दें कि लोकल लोगों की आजीविका भी बनी रहे और सरिस्का का डवलपमेंट भी होता रहे। इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि इसकी डिमांड के लिए काफी आन्दोलन पहले भी हुए हैं और अब भी आन्दोलन की पूरी संभावनाएं हैं। हुए भी हैं, शुरू भी हैं, ज्ञापन भी दिये हैं, सब लोग मिले हैं। इस पर आप ध्यान दें।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, अलवर का सौभाग्य का है कि राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री भी और देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री, दोनों ही अलवर से आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विपक्ष का नेता भी अलवर का है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विपक्ष का तो है। विपक्ष का नेता अपनी बात जरूर अच्छे तरीके से इनके सामने रखेगा।

आज हमारा जो भिवाड़ी क्षेत्र है, अभी महाराज जी बात रख रहे थे, शायद चले गये, भिवाड़ी जो है, देश का ही नहीं, दुनिया में पोल्यूशन में टॉप की सिटीज के अन्दर आ रहा है। हम चाहें कि भिवाड़ी, अलवर और जो पूरा एरिया है, वह पोल्यूशन के हिसाब से। मैं देख रहा था, बजट के अन्दर घोषणा हुई कि पोल्यूशन कितना है, इसको नापने वाली मशीन लगायेंगे। मैं समझता हूं कि यह तो मोबाइल पर आ रहा है। आप तो इस प्रकार का कोई काम करें कि हमारा पोल्यूशन कम हो। अलवर ही नहीं, पूरे राजस्थान की बात है, लेकिन दिल्ली के ज्यादा नजदीक होने की वजह से, इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से वहां पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अभी जो नॉर्म्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्रदूषण वायु के अन्दर वहां फैला हुआ है, इस ओर आप ध्यान दें। अध्यक्ष जी, मैं अब इतना आग्रह करना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामबिलास। तीन मिनट में पूरा करें। साढ़े नौ शुरू करेंगे तब जाकर साढ़े दस होगा।

श्री रामबिलास (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 की मांग संख्या 42- जल संसाधन एवं इंदिरा नहर परियोजना पर चर्चा के तहत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही, माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री भजन लाल जी शर्मा व मंत्री सुरेश जी रावत का भी ह्रदय से आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा उक्त बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी छह एनिकट निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी है।

महोदय, पिछली सरकार पूरे पांच साल ईआरसीपी के नाम पर राजनीति करती रही। उन्हें न तो गरीब किसानों से मतलब था, न प्रदेश की जनता से। ज्यों ही भजन लाल जी की सरकार आयी और आते ही सबसे पहले ईआरसीपी के लिए बजट पारित किया और किसान एवं आम जन के प्रति संवेदना पेश की। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वह पानी की है। अन्नदाताओं के लिए पानी की समस्या, पानी की जरूरत सबसे महत्वपूर्ण है। किसान हर समस्या को झेल सकता है, लेकिन पानी की समस्या को किसान नहीं झेल सकता है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि चाहे हम और योजनाओं में कटौती कर दें, आप लोग जो बजट में बड़ी-बड़ी मोटी रकम अलग-अलग विभागों में दे रहे हैं, उनमें कटौती कर दें। जैसे आपने अकेले कृषि विभाग में हजारों करोड़ का बजट दिया, पर पानी नहीं तो वह बजट किस काम का? किसान को सब्सिडी वाला बीज तभी चाहियेगा, जब पानी होगा। किसान सब्सिडी वाला खाद तभी लेगा, जब किसान को पानी मिलेगा। सब्सिडी वाली दवाई किसान तभी लेगा, जब किसान के पास पानी होगा। अध्यक्ष महोदय, पानी ही नहीं होगा तो किसान बीज, खाद, दवा, कृषि यंत्रों को सब्सिडियों पर लेकर उनका क्या करेगा? मेरा आपसे आग्रह है, मैं मंत्री जी को भी आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के किसानों का ध्यान रखते हुए पानी के लिए कदम बढ़ाये। अगर राजस्थान के किसानों के खेतों में पानी आ गया तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का किसान सम्पन्न होगा। किसान सम्पन्न हुआ तो प्रदेश और हमारा देश भी सम्पन्न होगा, यह मुझे विश्वास है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक एनिकट है, जो महत्वपूर्ण है। लालसोट पंचायत समिति के रतनपुरा ग्राम पंचायत में उदयपुरा गांव में एक एनिकट की महत्वपूर्ण और विशेष जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस बजट में इस एनिकट की घोषणा की जाये। मैं माननीय वन मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लालसोट का जो नगर लालसोट है, वह नगर परिषद हो गया, वह चारों तरफ पहाड़ी और फोरेस्ट के एरिये में है।

mdp/rtm/22.07.2024/21:30/4q

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना अनुमान वर्ष 2024-25 का जवाब देने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए, विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणाओं को इस बजट में सम्मिलित किया। सशक्त राजस्थान-समर्थ राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जल संसाधन विभाग और इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के लिए 6 हजार 556 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी संस्कृति रही है कि हमारे जब कोई भी शुभ काम होता है तो कलश के माध्यम से पूजा करते हैं और उस कलश के अन्दर जल भरा होता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने पिछले 6 महीने में जल उपलब्धता के नये आयाम स्थापित किए। बजट में जो हमने दस संकल्प लिए, उसके अन्दर बुनियादी सुविधाओं को पानी की उपलब्धता, किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफोर्म करने का संकल्प हमने लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 में अपनी बात रखने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष सहित 58 माननीय सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया और 86 माननीय सदस्यों ने कुल 250 कटौती प्रस्ताव, अभी थोड़े नीचे आकर बोलता हूं, कुल 86 सदस्यों के माध्यम से कुल 250 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगणों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जल्दी ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको भिजवा दूंगा। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास और स्नेह के साथ राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का जो अवसर दिया, उसी भावना से प्रेरित होकर माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी भजन लाल जी की जो सरकार है, उसके नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किये गये वादों को धरातल पर लाने के लिए हमने कार्य शुरू कर दिए हैं। आगे भी प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए हम कार्य करते रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नेता, प्रतिपक्ष और हमारे विपक्ष के सदस्य और हमारे साथी सदस्यों ने भी सभी ने काफी ईआरसीपी को लेकर बात की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईआरसीपी पूरे राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी है। जब जिसकी सरकार रही, उन्होंने इसके बारे में बढ़-चढ़ कर कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। 1999 से 2004 तक केन्द्र में माननीय अटल

बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही यह सपना देखा था कि हमारे देश की नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। उसके बाद 2009 से 2013 तक आपकी सरकार थी। केन्द्र में भी आपकी सरकार थी, तब आपने इसका नाम नहीं लिया। इसके बाद 2013 से 2018 तक हमारी सरकार थी। हमने ही 2017 के अन्दर इस योजना को आगे बढ़ाया। इसको राजस्थान का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 2018 के अन्दर हमारी वसुन्धरा जी की सरकार चली गयी और आपकी सरकार आ गयी। 2019 से 2023 तक आपकी सरकार थी। राजस्थान में आपकी सरकार थी और मध्य प्रदेश के अन्दर कमल नाथ जी की सरकार थी। मैं मानता हूं कि आपने इसके लिए प्रयास किये, लेकिन उलटा कमल नाथ जी सुप्रीम कोर्ट चले गये। नतीजा यह हुआ कि वह जैसे ही सुप्रीम कोर्ट गये, थोड़े दिन बाद वह खुद चले गये, सरकार से और 2023 में आप चले गये।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब 2018 से 2023 में आपकी सरकार थी, तब आपने ईआरसीपी के लिए कोई प्रयास नहीं किए। सिर्फ कभी मानेसर, कभी आमेर, कभी जैसलमेर, इसके अन्दर ही आप घूमते रहे और नूरा कुश्ती करते रहे। इसी में आपने समय बिता दिया। जब 2023 के अन्दर जब चुनाव सिर पर था तो एक जादूगरों की मीटिंग हुई और मिलकर मंथन किया कि जादू की छड़ी कैसे घुमाई जाए, जिससे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। ईआरसीपी को जादू की छड़ी में फिट किया गया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि वह जादू की छड़ी में नहीं आए और आप लोगों को आईना दिखा दिया। जब बार-बार आप कहते हैं कि हमने दस हजार करोड़ के टेंडर कर दिए, वर्क आर्डर जारी कर दिए। मैं मानता हूं कि वह टेंडर आपके कार्यकाल में हुए। निविदा आपके कार्यकाल में आपने निकाली, लेकिन उस समय हमारे सूबे के मुख्य मंत्री जी कोई नये तो थे नहीं, कई बार मुख्य मंत्री रहे वह, आपके मंत्री भी बहुत अनुभवी है, अगर आपको समय पर काम करना था तो निविदाएं आप समय पर निकालते। जब चुनाव सिर पर था, तब आपने टेंडर इनवाइट किए। उसका परिणाम यह हुआ कि आप समय पर उसको मैच्योर नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी मंशा नहीं थी और न ही आपके पास पैसा था।

हमारी भजन लाल जी की सरकार है, जो पहले दिन से ही, जब से उन्होंने शपथ ली, तब से उनका प्रयास रहा कि राजस्थान के अन्दर ईआरसीपी का पानी आना चाहिए। उसी का परिणाम है कि 28 जनवरी, 2024 को राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एमओयू हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को कि वे स्वयं चलकर राजस्थान आए और दिल्ली जाकर डीपीआर बनाने का जो एमओयू था, ...(व्यवधान)... उस पर साइन किये। उसके बाद में धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को भी, आप रुक जाइए, अभी सब बताऊंगा। अभी तो मैंने देखा ही नहीं है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को कि जब भी कोई ईआरसीपी की बात आती है, तब वे सारे काम छोड़कर चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे भोपाल जाना हो, तुरंत रवाना हो जाते हैं। अभी हाल ही के अन्दर आपने देखा होगा कि

भोपाल के अन्दर वहां के मुख्य मंत्री जी ने भजन लाल जी को बुलाया। जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ, कार्यक्रम हुआ और तीनों नदियों को जोड़ने का, ईआरसीपी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसके प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने तीन कलश वहां रखे और उसकी शुरूआत करने के लिए आपस में जो कलश भरे हुए थे, उनके पानी को आपस में डालकर शुरूआत की। इससे आप लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि मध्य प्रदेश नहीं चाह रहा है, आप लोगों का वह भ्रम भी दूर हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच के अन्दर जो ये डीपीआर है, हम जल्दी बनाकर केन्द्रीय जल बोर्ड को सबमिट करेंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मैं सदन के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि ईआरसीपी का हम शिलान्यास जल्दी करेंगे और प्रथम फेज का जो काम है, उसका लोकार्पण भी हम ही करेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): शुरू तो हमने की थी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): 9600 करोड़ के टेंडर तो हमने खोले हैं, आपने कहां से कर दिए? ...(व्यवधान)... उसको मैच्योर तो हमने किए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार थी, जिसने 2018 में योजना के जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं, नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध, ये हमारी सरकार ने ही चालू किए थे ...(व्यवधान)... निविदाएं 05/06/23 को जारी की गयी थी। टेंडर इनवाइट आप लोगों ने किए, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन वर्कआर्डर आपने नहीं दिया था। हमने दिया है, अभी दिया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप तो उत्तर दीजिए। माननीय, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): राज्य में पेयजल की अत्यधिक आवश्यकता होने के बावजूद भी पिछली सरकार द्वारा असंवेदनशीलता का परिचय दिया ...(व्यवधान)... और कार्य की क्रियान्विति की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। मैं नेता, प्रतिपक्ष महोदय को भी बताना चाहता हूं कि गत सरकार द्वारा ईआरसीपी के नाम पर एक भी कार्य का आपने वर्कआर्डर नहीं दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं आपको।

Ans/rtm 21.40 5a 22.07.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य की पेयजल आवश्यकता को सर्वोच्च वरीयता देते हुए, भारत सरकार से पत्राचार कर, उक्त कार्यों को संशोधित पार्वती कालीसिंध, चम्बल, लिफ्ट परियोजना के घटक के रूप में क्रियान्वित करने की अनुमति प्राप्त की गई। कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु हमारी सरकार ने कार्यादेश जारी कर जून, 2024 में अनुबंध भी किया जा चुका है। तीन पैकेज में सम्मिलित कार्य संशोधित पीकेसी के घटक है। आपके द्वारा भी 2022-23 के बजट में इसका उल्लेख किया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डीपीआर की स्वीकृति के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान प्राप्त हो सकेगा, जिसमें राज्य के चार वर्ष पश्चात पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सकेगा। अब आप इस बात की भी आलोचना कर रहे हो। अब मैं आपके लिए कहना चाहता हूं।

आपके तो कांटे भी बर्दाश्त किए हमने, आपके कांटे भी बर्दाश्त किए हमने, हाय किए बगैर, आप हो कि हमारे फूलों भरे रास्ते भी रास नहीं आते आपको।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसको वापस एक बार रिपीट करो।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): आपके तो कांटे भी बर्दाश्त किए हमने, आपके कांटे भी बर्दाश्त किए हमने हाय किए बगैर, आप हो कि हमारे फूलों भरे रास्ते भी रास नहीं आते आपको।

आप तो हमें कांटों पर चला रहे थे, हम तो आपको फूलों पर चला रहे हैं। इस योजना में पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िले, जो अब नवगठित 21 ज़िले हो गए, पेयजल सुनिश्चितता 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर में, अभी नेता, प्रतिपक्ष जी चिंता व्यक्त कर रहे थे, उनको बताना चाहूंगा कि 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा एवं उद्योगों हेतु जल, पूर्व में सम्मिलित बांधों के अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले अन्य बांधों को जोड़ने का भी इसमें प्रावधान सम्मिलित है।

परियोजना में राज्य की लगभग तीन करोड़ से अधिक जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, जो हमारे राज्य का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है। लगभग 5 लाख किसान परिवारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के अन्तर्गत उद्योग हेतु जल दिए जाने से उद्योगों का विकास होगा, जिससे रोजगार सृजन होगा और विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा।

संशोधित पीकेसी योजना को राष्ट्र की नदी जोड़ो परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिकता हेतु सम्मिलित किया गया। भारत सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व का मानती है। नदी जोड़ो परियोजना में सम्मिलित होने के कारण, इस परियोजना के लिए राष्ट्र की अन्य समकक्ष परियोजनाओं के अनुरूप केन्द्र से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इससे राज्य का आर्थिक संसाधनों पर पहले की अपेक्षा काफी कम वित्तीय भार आएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले, नेता, प्रतिपक्ष एमओयू को लेकर बार-बार हल्ला मचाते हैं कि आप एमओयू क्यों नहीं दिखाते हो, क्यों नहीं दिखाते हो। इसमें आपको बताना चाहता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दिखा ही दो आज।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): आपके माध्यम से माननीय नेता, प्रतिपक्ष को ...(व्यवधान)... सब बताएंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम भी मान ही जाएंगे। एमओयू आज दिखा दो।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता,

प्रतिपक्ष को, सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 28.01.2024 को मध्य प्रदेश के साथ जो एमओयू किया गया उसका उद्देश्य है, मध्य प्रदेश व राजस्थान को एक मंच पर लाए व राज्य की आवश्यकता हेतु अपने क्षेत्र में जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए डीपीआर तैयार की जाए।

आपके शासन काल में तो एक अविश्वास और गतिरोध का माहौल था। आपका समय तो सरकार बचाने के लिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि होटलों में बीत गया। हमने विश्वास का माहौल बनाया जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश ने ईआरसीपी को लेकर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुआ था, उसको विदड्रा किया। इसमें दोनों राज्यों के मध्य विश्वास का माहौल बना, जिसका परिणाम आपने देख लिया कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री राजस्थान आए और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी मध्य प्रदेश गए।

अभी संशोधित पीकेसी योजना की डीपीआर अंतिम चरणों में है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। मोडीफाई पीकेसी के क्रियान्वयन की दिशा में मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 30.6.2024 को भोपाल में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की मौजूदगी में कार्यक्रम किया, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया। जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी द्वारा शीघ्र मोडीफाई पीकेसी योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। मैं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

योजना की डीपीआर तैयार होने पर, योजना को धरातल पर उतारने के लिए भारत सरकार से अनुदान निर्धारित किया जाएगा। आगामी कार्ययोजना के लिए भारत सरकार राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध होगा, जिससे योजना के घटकों का वर्णन सम्मिलित होगा। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, हां मैं बता रहा हूं। डीपीआर बनाने के लिए जो एमओयू हुआ, उसकी कॉपी हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, कोई छिपाया नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हमको तो फोटोकॉपी दिलवा दो ...(व्यवधान)... फोटो स्टेट चल जाएगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री):बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: एक बार सुन लीजिए पूरा।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति पर काम करती है। जब आपकी पिछली सरकार थी तो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं, भ्रष्टाचार की भेट चढ़ती गई। जालौर में एक कंस्ट्रक्शन फर्म ने सिक्योरिटी मनी के नाम पर फर्जी एफडी लगाकर टेंडर प्राप्त कर लिए। आपकी सरकार में तो जिम्मेदार लोग आँख बंद करके बैठे थे। हमारी सरकार के सत्ता में आते ही हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कार्यवाही की। हमने चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, एक्सईएन, एसई, सबको सस्पेंड किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सामने वालों की एक, आलू से सोना बनाते हैं। बनाते

हैं ना? वैसे ही एक परवन लिफ्ट योजना है। उसके टेंडर में तो लोहे के पाइप लगने थे लेकिन मौके पर प्लास्टिक के पाइप मिले। यह तो बड़ा जादू है। टेंडर के अन्दर जो पाइप का साइज था वह बड़ा था और वहां जाकर छोटा हो गया। तो यह कारनामा तो जादूगर लोग ही कर सकते हैं। दूसरा कोई नहीं कर सकता।

अभी सामने से कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि नवनेरा भी हमारा है, परवन भी हमारा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ईआरसीपी की सोच हमारी थी, आप धरातल पर नहीं ला पाए। ध्यान से सुनना नेता, प्रतिपक्ष जी। परवन परियोजना हमारी पिछली सरकार ने शुरू की थी, आप पूरी नहीं कर पाए। नवनेरा बैराज का कार्यादेश हमने 2018 मे जारी किया, आप पूरा नहीं कर पाए। धोलपुर लिफ्ट योजना हमने 2017 में चालू की, आप धरातल पर नहीं ला पाए। माही अपर, हाईलेवल नहर हमारी सोच थी, आप पूरा नहीं कर पाए। पीपलखूंट हाई लेवल नहर हमारी सोच थी, आप पूरा नहीं कर पाए। जाइका और एनडीबी से अनुबंध कर परियोजनाएं हमने शुरू की, आप पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ बात करने से काम नहीं होता, काम करने से होता है।

यमुना जल की बात है, उस पर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष मैं आपको फिर कहना चाहता हूं।

सिर्फ खामियां ना गिनाओ किसी शख्स की, सिर्फ खामियां ना गिनाओ किसी शख्स की, बरखुरदार खूबियों पर नजर बड़ी सेहतमंद होती है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यही बात हम आपको भी कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): आपको दिन भर बैठकर सुना ना, अब हमें भी सुन लो। यमुना नदी की आस हम पिछले 30 वर्षों से लगाए बैठे हैं। सबसे पहले यमुना नदी के केचमेंट क्षेत्र के पांच राज्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मध्य 1994 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार राजस्थान को कुल 11.983 वीसीएम में से 1.1 वीसीएम जल आवंटित हुआ। जैसा कि कई लोग चिंता जाहिर कर रहे थे, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, अपर यमुना रिवर बोर्ड की वर्ष 2001 में 22वीं बैठक द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को 1917 क्यूसेक जल हथिनी कुंड बैराज एवं 1281 क्यूसेक जल ओखला हैड से आवंटित किय गया। हमारी पिछली सरकार ने हथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइप लाइन द्वारा जल लाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु वर्ष 2017 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की।

VPS-RTM-22.07.2024-21.50-5b

फरवरी, 2018 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इसे स्वीकृत करते हुए डी.पी.आर. बनाने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी थी। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए अपार हर्ष हो

रहा है कि 17.2. को यमुना जल के सम्बन्ध में राजस्थान, हरियाणा एवं भारत सरकार के मध्य डी.पी.आर. बनाने हेतु एम.ओ.यू. हुआ, इससे शेखावाटी क्षेत्र की वर्षों से यमुना जल की मांग पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। हथिनी कुंड बैराज पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को प्रथम चरण में भूमिगत पाइप के माध्यम से लाये जाने की डी.पी.आर. राजस्थान हरियाणा द्वारा भारत सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी। हथिनी कुंड बैराज से हमें 577 एम.सी.एम. जल आवंटित है, इस हेतु राज्य की जनता माननीय प्रधान मंत्रीजी का हृदय से आभार प्रकट करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के अन्दर हमारे मुख्य मंत्रीजी के निर्देशन में हमारी वित्त मंत्रीजी ने Run off Water Grid की स्थापना की बात कही है। मैं इसके बारे में भी आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में समूचा विश्व ग्लोबल वार्मिंग एवं इसके दुष्प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है, जिसके कारण मानसून अवधि के वर्षा तंत्र में बदलाव आया है। अनेक वर्षों से वर्षा अतिवृष्टि तो कहीं पर अल्पवृष्टि के रूप में सामने आयी है। इस बदले जलवायु तंत्र को समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। अतिवृष्टि मानव के नियंत्रण के बाहर है। अतिवृष्टि के कारण आमजन, पशुधन, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान की आशंका बनी रहती है एवं जल व्यर्थ बहकर राज्य से बाहर चला जाता है। इसी समय कुछ क्षेत्र जेल की कमी से जूझते रहते हैं। इस बड़ी मात्रा में व्यर्थ बहने वाले जल को समुचित उपयोग के लिए हमें बांध व जल संरक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है।

मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में चम्बल नदी में अत्यधिक आवक से कोटा बैराज के गेट खोलकर लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी की निकासी करनी पड़ी थी, इसी प्रकार वर्ष 2022 में भी कालीसिंध नदी में अत्यधिक जल आवक से धौलपुर में गम्भीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। राजस्थान राज्य में वर्ष 2023 में बिपरजॉय तूफान आया था, आप सभी ने यह देखा जिसके कारण विशेषत: पश्चिमी भाग में अतिवृष्टि हुई और इसके कारण लूनी नदी का पानी व्यर्थ बह कर अरब सागर में चला गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कालीसिंध नदी में बाढ़ के कारण कोटा जिले की सांगोद तहसील के कई गांव टापू बन गये। 2022 में धौलपुर में बाढ़ आयी, जिसके कारण चम्बल नदी, धौलपुर में एक नया उच्चतम जल स्तर चढ़ गया, इसके कारण वहां के लोगों को काफी परेशानी हुई।

राजस्थान के समग्र विकास एवं पानी के समूचे उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 के बजट भाषण में घोषित, यह भी हमारा ही था, राजस्थान ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड को आगे बढ़ाते हुए पेयजल के साथ-साथ कृषि एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी के सदुपयोग एवं बाढ़ प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान प्रदेशन में Run off Water Grid की स्थापना की घोषणा की है जिससे बाढ़ सुरक्षा, प्रबंधन एवं जल के सदुपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस

जल को कम जल वाले क्षेत्र के बेसिन में प्रवाहित किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल नदी के अधिशेष जल को कम जल उपलब्धता वाले बेसिनों में प्रवाहित करने के लिए संशोधित मोडिफाइड पी.के.सी. योजना लागू की गयी है, यह इसी का हिस्सा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): टेबल कर दो।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): चलिये, आपके लिए भी कुछ बोल देता हूं, मैं तो बोलता नहीं हूं लेकिन आप बोल रहे हो इसलिए बोल रहा हूं-

जनता जनार्दन के हौसले से आता सियासत में आवाज का हुनर,

आवामों के ठुकराये हुए की जबान लड़खड़ाने लगती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय अगले मंत्री, संजयजी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): सर, नहीं-नहीं मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने सोचा कि आपका पूरा हो गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए?

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समय बढ़ाने का संकेत किया गया।)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो आधा घंटा दिया है, आधा घंटा हुआ ही नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप समय बढ़ाने का आदेश कर दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: क्या?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नदियों को पुनर्जीवित करने की भी बात कही है। हमारे राजस्थान के अन्दर बहुत सारी ऐसी नदियां हैं कि ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने समय बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया है, आपने आदेश नहीं दिया समय बढ़ाने का।

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हो? आप तो बोलो।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलता रहूं?

श्री अध्यक्ष: हां, बोलो।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नदियों को पुनर्जीवित करने की भी बात कही है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ...(व्यवधान)... समय बढ़ा दिया। मैंने मौनम स्वीकृति दे दी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): और ऋग्वेद में भी नदियों को समस्त प्राणियों के लिए सुखदायी और कल्याणकारी माना है। यजुर्वेद में भी नदियों के जल को संरक्षणीय मानते हुए जल को संचित कर जल प्रबंधन का आह्वान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर जितनी भी महत्वपूर्ण नदिया हैं उनका हम जीर्णोद्धार करेंगे, उनकी साफ-सफाई करेंगे और यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 500 करोड़ रुपये की लागत से जिसमें बांधों की भराव की पुनर्स्थापना भी शामिल है, आदि कार्य हम करवाएंगे और नदी और नालों में पानी की जो आवक है, उसके अन्दर साफ-सफाई का कार्य भी हम करवाएंगे। इसके साथ नहरों के जीर्णोद्धार के साथ ही 100 एनिकट और बांध के लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बजट के अन्दर घोषणा की है।

इसके अलावा जल संसाधन विभाग की कुछ हमारी महत्वपूर्ण वृहद परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हमारी परवन बहूद्देशीय जो सिंचाई परियोजना है, वर्ष 2024-25 में इस पर 750 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हमारी धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है इसके ऊपर हम वर्ष 2024-25 में 150 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हमारी कालीतीर परियोजना है उसके ऊपर वर्ष 2024-25 में 275 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हमारी नवनेरा बैराज परियोजना है, इसके ऊपर हम वर्ष 2024-25 में 150 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। माही अपर हाई लेवल कैनाल है, इसके ऊपर हम 2024-25 में 550 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना है इसके ऊपर हम 550 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हमारी प्रमुख प्रगतिरत मध्य जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, वे कुल पांच परियोजनाएं हैं जिनके अन्दर गरडदा, तकली इत्यादि परियोजनाएं हैं इनके ऊपर भी हम 91 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि राजस्थान के समग्र विकास के लिए उन्होंने चहुंमुखी बजट हमारे विभाग को दिया है। सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, इसके बारे में भी मैं सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना से हनुमानगढ़ जिले की नोहर व भादरा तहसील तथा चूरू जिले की सादुलपुर तहसील का एक लाख 11 हजार 558 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो रहा है। सिद्धमुख नोहर एवं अमरसिंह सब ब्रांच परियोजनाओं की नहरों की री-लाइनिंग कार्यों की घोषणा तो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की गयी थी किंतु कार्य अभी तक भी सम्पादित नहीं किये गये। हमारी सरकार द्वारा जायका में वित्त पोषित और डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी. के अंतर्गत उन क्षेत्रों की नहरों के जीर्णोद्धार हेतु 267 करोड़ रुपये और 16 लाख रुपये की लागत से कुल छह कार्य करवाये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बीकानेर सियासत के पूर्व महाराजा श्री गंगासिंहजी को नमन करता हूं और बहस के दौरान कई माननीय सदस्यों ने भी उनको याद किया तो उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिनकी सूझबूझ और अथक प्रयास के

परिणामस्वरूप गंग नहर का निर्माण वर्ष 1922 से 1927 की अवधि में हुआ और तत्पश्चात समय-समय पर इसका आधुनिकरण और जीर्णोद्धार करवाया गया है। इस नहर से श्रीगंगानगर जिले के 3 लाख 14 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। गंग नहर सिंचाई परियोजना में टेल क्षेत्र तक के काश्तकारों को समय पर आवश्यक मात्रा में जल उपलब्ध करवाने की मांग काफी अरसे से की जा रही है। इस हेतु बेहतर जल प्रबंधन तथा पानी का दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 695 करोड़ रुपये की लागत से नहर व मोघों के पानी की मात्रा के नियंत्रण एवं वितरण हेतु ऑटोमेशन का कार्य करवाया जायेगा। इस हेतु सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा डी.पी.आर. अनुमोदित की जा चुकी है। गंगनहर परियोजना को फिरोजपुर फीडर के माध्यम से पानी प्राप्त होता है। फिरोजपुर फीडर काफी पुरानी होने के कारण इसकी लाइनिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे यह अपनी निर्धारित क्षमता 11192 क्यूसेक के अनुसार पानी नहीं ले पाती है, इससे गंगनगर परियोजना के काश्तकारों को काफी नुकसान हो रहा है। इस फीडर के पुनर्निर्माण हेतु पिछली सरकार के द्वारा भी घोषणा की गयी थी किंतु अभी तक भी कार्य सम्पादित नहीं हुआ है। अब हमारी सरकार द्वारा फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इस कार्य की डी.पी.आर. पंजाब द्वारा तैयार करवायी जा रही है।

इसके अलावा मैं कुछ नई जो घोषणाएं हैं, उनके बारे में भी बताना चाहता हूं और कुछ हमने नवाचार किया, उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग में जल स्रोतों, बांधों, नहरों तथा सभी जल वितरण सम्बन्धी समस्त विवरण जनता को सहजता से उपलब्ध हो, इसके लिए जल संसाधन सूचना प्रणाली का डैशबोर्ड विकसित किया गया है जिसका 15 मार्च, 2024 को लोकार्पण किया गया था तथा वर्तमान में लाभान्वितों के लिए यह उपलब्ध है।

SSY/RTM/22.07.2024/22:00/5c

जल संसाधन के मॉड्यूल में वर्षा, बांध, नहर, स्काडा, आंकड़े व पुराने रिकार्ड इत्यादि एवं भू जल विभाग के मॉड्यूल में भू जल की स्थिति के आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्तमान में बांध मॉड्यूल में 805 बांधों का ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध है। जबकि 88 बांधों का लाइव डेटा पोर्टल पर उपलब्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे चंबल बेसिन में राज्य के 3 महत्वपूर्ण बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व कोटा बैराज को निर्मित किये हुए लगभग 55 से 60 वर्ष हो चुके हैं। अतः उपरोक्त बांधों व राज्य की चंबल नदी के किनारे स्थित जिलों की सुरक्षा की दृष्टि से तीनों बांधों के गेट बदलकर नये गेट लगाये जायेंगे, जिसकी अनुमानित लागत 110 करोड़ रुपये की होगी। राज्य के बड़े बांधों की सुरक्षा निर्धारित किये जाने हेतु नवीनतम तकनीक से बने हुए उपकरणों को प्रथम चरण में 14 बांधों में राशि 20 करोड़ रुपये से किया जायेगा।

राज्य के प्रत्येक माइक्रो शेड से सतही व भू जल की समग्र योजना बनाये जाने हेतु

प्रत्येक माइक्रो शेड की सतही एवं भू जल की स्थिति का आकलन, इसमें बने हुए बांध, तालाब, जलाशय का चिन्ह करण, माइक्रो शेड में कृषि, पेयजल एवं अन्य उपयोग हेतु आवश्यक जल व उपलब्धता के अतिरिक्त भूमि की स्थिति का आकलन किये जाने हेतु डीपीआर राशि 40 करोड़ रुपये में बनाई जायेगी। जिसको वेब पोर्टल पर देखा जा सकेगा।

गत वर्ष गंग नहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर तहसील हनुमानगढ़, टीबी व पीलीबंगा के आबादी क्षेत्र में जान माल की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया था। गत सरकार के कार्यकाल में इस हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराये गये। इस सम्बन्ध में जिला हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में स्थित गंग नहर डायवर्जन चैनल, घग्घर नदी के पटड़ों के सुदृढ़ीकरण, घग्घर डाइवर्जन चैनल के क्रॉस रेगुलेटर के गेटों एवं इंदिरा गांधी फीडर की आरडी 629 पर स्थित इनटेक स्ट्रक्चर के गेटों की मरम्मत एवं नवीनीकरण इत्यादि हेतु 10 करोड़ रुपये के कार्य कराये जाने की घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं इंदिरा गांधी नहर विभाग के बारे में भी सदन को अवगत कराना चाहता हूं। इंदिरा गांधी नहर विभाग द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना दूसरे चरण में 10 लाख 71 हजार हेक्टेयर तथा प्रथम चरण की कंवरसेन लिफ्ट के 62 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की नहरों के निर्माण, रखरखाव व जल संचालन का कार्य किया जाता है। परियोजना में उपलब्ध पानी के कुशलतम व अधिकतम उपयोग हेतु द्वितीय चरण की लिफ्ट योजना में सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु 27449 हेक्टेयर में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य पूर्व में किये जा चुके हैं। शेष 3 लाख 20 हजार सिंचित क्षेत्र से लगभग 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने के कार्य करवाये जा रहे हैं।

परियोजना के द्वितीय चरण के प्रवाह क्षेत्र की चारवाला शाखा की नहरें जो विगत कई वर्षों से लगातार जल प्रवाह व समुचित रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो गई थीं, के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण हेतु 94.2 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 हेतु विभाग को आयोजन मद के अंतर्गत 837 करोड़ 52 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं, जिससे नहरों के निर्माण, रखरखाव, जल संचालन के अतिरिक्त नहरों के जीर्णोद्धार, प्रेशर सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने आदि के कार्य किये जायेंगे।

इस वर्ष डॉ. करण सिंह लिफ्ट नहर में शेष रहे 14,500 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 270 करोड़ रुपये की लागत के कार्य प्रारंभ करवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर में शेष रहे 33 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत के कार्य प्रारंभ करवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर में शेष रहे 8320 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत के कार्य प्रारंभ करवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर में शेष रहे 18,250 हेक्टेयर में लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत के कार्य प्रारंभ करवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर में 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य प्रारंभ कराये जाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। कंवरसेन लिफ्ट योजना में 185 करोड़ की लागत से क्षतिग्रस्त खालों को जीर्णोद्धार करना, सागरमल गोपा शाखा प्रणाली में जीर्णोद्धार, बाबा रामदेव उप शाखा प्रणाली, इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी 1254 से 1458 के मध्य से निकलने वाली नहर प्रणाली, सागरमल गोपा शाखा, बीरबल आदि का जीर्णोद्धार कराना प्रस्तावित है।

आपके लिए एक और है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर के बेहतर संचालन एवं नियंत्रण हेतु 23 करोड़ रुपये अनुमानित लागत से स्काडा सिस्टम का कार्य प्रारंभ करवाया जाना प्रस्तावित है। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं,

'खुदा के दिये इल्म से गर जीत लिया होता अवाम का दिल,
तो यूं बेक़द्री से बेदखल ना कर दिये गये होते।'

श्री अध्यक्ष: हो गया? हो गया माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, बोलो, बाकी है?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): और बाकी है।

श्री अध्यक्ष: तो बोलो फटाफट। इधर-उधर मत ध्यान दो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आधा हो गया।

श्री अध्यक्ष: हो गया?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आधा हो गया।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामगढ़ बांध के बारे में इन्हें बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: निवेदन आधे-आधे घंटे के लिए किया था।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): कितना टाइम हो गया? अध्यक्ष जी, कितना टाइम हो गया?

श्री अध्यक्ष: आपको? आपको हो गया 37 मिनट।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): 37 मिनट हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस 5 मिनट और लूंगा।

मैं रामगढ़ बांध के बारे में आपको बताना चाहता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने इस सदन में 16 जुलाई को रामगढ़ बांध की स्थिति पर चिंता जतायी थी। जयपुर शहर के इस महत्वपूर्ण बांध पर सदन का ध्यानाकर्षित करने के लिए आपने जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

रामगढ़ बांध कैचमेंट एरिया और भराव क्षेत्र में अतिक्रमण, अवरोधकों के सम्बन्ध में 15वीं विधान सभा के विभिन्न सत्रों में, जब आप मंत्री थे, माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाये गये। जिसमें आपकी तत्कालीन सरकार द्वारा भी यही माना कि भराव या अभाव क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। जो भी अतिक्रमण या अवरोध चिह्नित किये गये थे, उन्हें जल संसाधन विभाग, जेडीए और राजस्व विभाग द्वारा समय-समय

पर हटाया जा रहा है।

रामगढ़ बांध की समस्या को समझते हुए सदन को कुछ तथ्यों से मैं अवगत कराना चाहता हूं। बांध का भराव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, ओवर फ्लो यह सब मिलकर एक बांध की संरचना होती है। बांध का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें सबसे दूरी से पानी की आवक होती है, इस क्षेत्र में खेत, सड़क, प्रवाह क्षेत्र, नदी नाले एवं पहाड़ सब कुछ समाहित है। रामगढ़ बांध का कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 76,900 हेक्टेयर है। कितना? 76,900 हेक्टेयर इसका कैचमेंट एरिया है।

पानी भी लायेंगे, जल्दी लायेंगे ईआरसीपी का, चिंता ना करो। जल प्रवाह जो क्षेत्र है वह नदी, नाले जिसमें बांध में आने वाला पानी बहकर आता है, इस क्षेत्र को जल प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। मैं ज्ञानवर्धन के लिए बता रहा हूं, ताकि सबको ध्यान रहे। इस बांध का जल प्रवाह क्षेत्र लगभग 3610.80 हेक्टेयर है। जिसे राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में 2679.88 हेक्टेयर है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण में 930.92 हेक्टेयर है। उक्त वर्णित जल प्रवाह क्षेत्र के अलावा पानी की कई स्थानों पर निजी भूमि से होकर आता है।

इस बांध का जल प्रवाह क्षेत्र 4 तहसीलों में हैं। जमवारामगढ़ जिसमें 56 गांव हैं, आमेर जिसमें 41 गांव हैं, शाहपुरा जिसमें 24 गांव हैं, विराट नगर जिसमें 38 गांव हैं। इस बांध में पानी आने के लिए मुख्य नदियों में बाण गंगा नदी, माधोनी नदी, रोड़ा नदी, गोमती का नाला, ऐसा करके इसका बड़ा विस्तृत एरिया है। जो बांध का भराव क्षेत्र है, इसके अन्दर जिस क्षेत्र में बांध की पाल से लगते हुए बांध का समस्त पानी संग्रहित किया जाता है, उसे भराव क्षेत्र या डूब क्षेत्र कहते हैं। रामगढ़ बांध का भराव क्षेत्र लगभग 1500 हेक्टेयर है।

यह बांध जल संसाधन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। इसके कैचमेंट, भराव और बहाव क्षेत्र में विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायतों, जयपुर विकास प्राधिकरण तथा निजी खातेदारी की भूमियां सम्मिलित हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/2011 के आदेश दिनांक क्रमांक 19.05.2012 द्वारा बांध के प्रवाह क्षेत्र में अतिक्रमी, अवरोधों के भौतिक निरीक्षण हेतु हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गयी थी।

Spp/Rtm/22.07.2024/22.10/5d

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अनुपालना में राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा रामगढ़ बांध के प्रवाह क्षेत्र एवं जलग्रहण क्षेत्र में सतत निगरानी एवं परीक्षण हेतु 29.07.2012 के आदेश द्वारा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति, एक हाई पॉवर कमेटी का गठन किया गया था। 30.07.2022 के आदेश को जारी कर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति भी गठित की गयी थी। इसके द्वारा निरन्तर बांध के प्रवाह क्षेत्र में निक्सन कर हो रहे अवरोधों को हटाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किये

जाते हैं एवं निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। हमारी सरकार के गठन को अभी 6 महीने हुए हैं, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जो भी कैचमेंट एरिये में अवरोध बताये गये वह इस सरकार की अब तक की अवधि में हुए हों। फिर भी हम इस समस्या की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए निकट भविष्य में प्रभावी कार्यवाही करेंगे। रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र का सर्वे करवाकर वर्तमान स्थिति का नक्शा तैयार किया जायेगा तथा भराव क्षेत्र के खसरा सम्बन्धी जानकारी एकत्रित कर रिकार्ड तैयार किया जायेगा और रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में आने वाली प्रमुख नदियों के सम्पूर्ण बहाव क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में अवरोध और अतिक्रमणों को ड्रोन से हम सर्वे करवायेंगे और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, उसको ईसरदा से रामगढ़ बांध को भी भरने का हमने निर्णय लिया है। इस वर्ष के बजट प्रावधानों में नदी और नालों व बांधों की साफ-सफाई और जीर्णोद्धार के लिये 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसी बजट में से इन बांधों के अवरोधों और साफ-सफाई के कार्य में व्यय किया जायेगा। इससे हमारी सरकार पूर्वजों की अमूल्य धरोहर को बचाने के लिये हम हरसंभव प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पत्रकार मित्रों को, कुछ अखबारों में प्रमुखता से यह खबर छपी। इससे हमारे पूर्ण रूप से संज्ञान में आया और विधान सभा के अन्दर प्रश्न के माध्यम से जो विषय उठाया था, उसके लिये भी हमने जांच के लिये कमेटी बना दी है। अगर कोई अधिकारी दोषी होगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और किसी भी सूरत में किसी प्रकार का अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मांग संख्या 42 को पारित करवाकर मुझे अनुगृहीत करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आप सबको सुना है और जब तक मैं चुप नहीं होऊं, तब तक आपको मुझे सुनना है। ठीक है न सब, आप तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष: सबको सुनाइये, लेकिन जंगल में मत ले जाना।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): अब जंगल मंत्री तो आप सबको जंगल में ले जायेगा ही जायेगा माननीय अध्यक्षजी। ..(व्यवधान).. आप तो पीड़ित हो उससे।

श्री अध्यक्ष: चालू करिये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए और वन एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कुल 34 माननीय सदस्यों ने भाग लेकर अपने अपने बहुमूल्य विचार रखे, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का तहेदिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार रखे गये, उस पर आपने मुझे

बोलने की अनुमति दी।

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 45 पर माननीय सदस्यों द्वारा 218 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी कटौती प्रस्तावों के उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को अतिशीघ्र भिजवा दिये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात दो पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहूंगा-

"जंगल है वन्य जीवों का बसेरा
इसे बचाने में न करो तेरा-मेरा"

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश राजस्थान अत्यन्त विषम भौगोलिक परिस्थितियों व जलवायु वाला प्रदेश है। प्रदेश का लगभग दो तिहाई भाग मरूस्थल है जहां वनस्पति बहुत कम मात्रा में है। राजस्थान राज्य में कुल वन भूमि राज्य के क्षेत्रफल का 9.60 प्रतिशत भू-भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.86 प्रतिशत है। जिसमें से सरकार द्वारा नई वन नीति अनुमोदित कर राज्य के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी रही है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी वृक्षों की महिमा का वर्णन मिलता है। वृक्षों की पूजा और प्रार्थना के नियम बनाए गए हैं। धर्मशास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति जो एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, दस फूलवाले पौधों अथवा लताएं, दो अनार, दो नारंगी और पांच आम के वृक्ष लगाता है वह नर्क में नहीं जाएगा। वनवास काल में माता सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी वृक्षारोपण किया था, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है-

'तुलसी तरुवर विविध सुहाए,
कहुं कहुं सिय कहुं लखन लगाए।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सम्पूर्ण देश में पौधारोपण के साथ-साथ पौधों को जीवित रखने को बराबर का महत्व देने की दृष्टि से माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2024) पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरूआत की है। इसके माध्यम से मैं आप माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान में अपनी सक्रिया भूमिका निभाकर एक पेड़ अपने मां के साथ लगायें। यदि मां का स्वर्गवास हो गया है तो मां के चित्र के साथ लगायें। नेता प्रतिपक्ष, आप जरूर लगायें।

"हम सभी ने मिलकर ठाना है
घर-घर मां के नाम पेड़ लगाना है"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में माननीय प्रधान मंत्रीजी से प्रेरित होकर हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने "मुख्य मंत्री वृक्षारोपण महाअभियान" प्रारम्भ किया है। अभियान के तहत इस मानसून सत्र में 7 करोड़ पौधे लगाये जाने हैं। इसमें

से 2 करोड़ पौधे आमजन हेतु, 40 लाख पौधे शहरी निकायों, नगरीय विकास न्यास, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण इत्यादि तथा 1.6 करोड़ पौधे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा विभाग, जल ग्रहण विभाग के द्वारा लगाये जायेंगे। वन विभाग द्वारा भी 80 हजार हैक्टेयर भूमि पर 2.50 करोड़ पौधे तथा 50 लाख पौधे मनरेगा/ उद्यानिकी/जल ग्रहण योजनाओं में लगाये जायेंगे। इसी क्रम में पूरे राज्य में मातृ वन की स्थापना भी की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि अभी बजट 2024-25 में हमने राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्तमान में वन आच्छादन क्षेत्र (Forest Cover) सोलह लाख पैंसठ हजार चार सौ हैक्टेयर को वर्ष 2028 तक, 20 हजार हेक्टेयर की वृद्धि कर सोलह लाख पिचासी हजार चार सौ हैक्टेयर तक लाये जाने का निर्णय किया है। इस क्रम को सतत् रखने के लिए, मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम (Multi-Sectoral Programme) के रूप में मिशन 'हरियाळो-राजस्थान' प्रारम्भ करने की बजट घोषणा के अन्तर्गत 5 वर्षों में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी।

यहां मैं सदन के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं में से लगभग चालीस प्रतिशत घोषणायें अपूर्ण रहीं, जिनको कि हमारी सरकार अपने कार्यकाल में शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियालो-राजस्थान कार्यक्रम के तहत निम्न कार्य करवाये जायेगें :-

(1) प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 30 नई नर्सरियों का स्थापन एवं वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्द्धन करने के साथ ही, निजी क्षेत्र/पंचायत के अधीन भी नर्सरियों के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की जायेगी।

(2) पौधों का समुचित पालन कर सरवाईवल सुनिश्चित करने के लिए दो हजार स्थानीय व्यक्तियों को इन्सेन्टिव (incentive) के आधार पर 'वन मित्र' लगाया जायेगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गार्जियन (Guardian) के रूप में जिम्मेदारी दी जायेगी। साथ ही, इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित किया जाना भी प्रस्तावित है।

(3)माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, चरागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य एक हजार 650 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर करवाये जायेंगे। इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के माध्यम से अधिकाधिक कार्य कराये जायेगें।

(4)प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ प्राण वायु के लिए Urban Green Lung की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 175 करोड़ (एक सौ पचहत्तर करोड़) रुपये से अधिक की लागत से प्रत्येक जिले में 2-2 ग्रीन लंग्स पार्क विकसित किये जायेगें।

MLS/RTM/22.07.2024/22:20/5e

वन से होने वाले लाभ समस्त प्रदेश के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को विशेषकर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से ग्राम सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को सशक्त करते हुए ''वन-धन कार्यक्रम'' को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर तक वन उपज एवं सम्बन्धित उत्पादों के विक्रय के लिए मार्केटिंग हब विकसित किये जाएंगे। इस कार्य को गति देने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वन विभाग के कार्मिकों एवं ग्राम वन सुरक्षा एवं सम्बन्धित समितियों के सदस्यों सहित समस्त हितधारकों की प्रबन्धकीय योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से झालाना (जयपुर) में 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जायेगी। इससे वन अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अनहितधारकों की प्रबन्धकीय योग्यता तथा कौशल विकास बढ़ेगा।

बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजड़ली (जोधपुर) में अमृतादेवी बिश्नोई इंडीजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वन विकास हेतु एएफडी (फ्रांस) द्वारा वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्य जीवों के विकास हेतु 13 जिलो यथा- अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बून्दी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर व टोंक तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर), रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (बून्दी), भैसरोड़गढ़ अभयारण्य (कोटा) एवं मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की अवधि 8 वर्ष (2023-24 से लेकर 2030-31) तक है।

'पेड़ काटने में न कोई शान,
बढ़ रहा है पृथ्वी का तापमान'

माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय, आपका तापमान बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ जाता है, कृपा करके उसे ठण्डा रखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 में केन्द्र सरकार की ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत 17 जिलों अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनूं, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही एवं राजसमन्द में कैम्पा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, जलवायु परिवर्तन व मरू प्रसार रोक एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 30,000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य कराया गया है। इनमें माह जुलाई, 2024 में इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से मिलकर अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए अरावली ग्रीन वॉल एवं अरावली लैंडस्केप रैस्टोरेशन की विस्तृत डीपीआर भारत सरकार द्वारा तैयार की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर के समीप स्थित गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन

रिजर्व तथा उदयपुर शहर के समीप स्थित अमरख महादेव लैपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व में लैपर्ड सफारी विकसित करने के लिये लैपर्ड संरक्षण के कार्य करवाये जाएंगे। ये दोनों क्षेत्र वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास स्थल होकर लैपर्ड के लिये सुरक्षित आवास उपलब्ध कराते हैं। अतः वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षित आवास हेतु लैपर्ड संरक्षण के कार्य करवाये जाकर लैपर्ड सफारी के रूप में इन दोनों कंजर्वेशन रिजर्व को विकसित किया जायेगा। उक्त कार्य करवाये जाने से लैपर्ड को प्राकृतिक आवास में देखा जा सकेगा एवं आमजन को वन्य क्षेत्रों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। उक्त क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों में जायका/कैम्पा/राज्य योजना के तहत बजट प्रावधान किया जाकर सुरक्षा हेतु पक्की दीवार का निर्माण, वन्य जीवों के लिये 12 माह पानी की उपलब्धता हेतु वॉटर हॉल का निर्माण, चरागाह विकास एवं सफारी ट्रैक निर्माण इत्यादि कार्य किये जाएंगे।

सदन के सदस्यों को यह निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि बीसलपुर बांध जो कि जयपुर की प्यास बुझाता है, वह बीसलपुर स्थानीय व प्रवासी पक्षियों का घर भी है। साथ ही यहां पर लैपर्ड एवं अन्य वन्य जीव भी विचरण करते हैं। बीसलपुर की इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 23.09.2008 को इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। इस कंजर्वेशन रिजर्व के विकास के लिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना जो कि फ्रांस की एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है, के तहत कार्य करवाये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष में पैट्रोलिंग ट्रैक हेतु राशि रुपये 5 करोड़, फायर लाइन हेतु राशि रुपये 5 करोड़, वन विभाग के भवनों एवं परिसरों के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपये 10 करोड़ व्यय कर विशेषकर महिलाकर्मियों हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जायेगा। ड्रोन के माध्यम से सीडिंग हेतु राशि रुपये 3 करोड़ एवं वायरलैस सिस्टम में सुधार, ट्रैप कैमरों के नैटवर्क के विस्तार हेतु राशि रुपये 2 करोड़ व्यय किये जाएंगे। विभाग में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का सुधार एवं नयी नर्सरियों की स्थापना के लिए 16.30 करोड़ व्यय किये जाकर बीज भण्डार का निर्माण, पक्के बैड, ग्रीन हाउस/पॉली हाउस निर्माण, स्प्रिंकलर सिस्टम, वॉटर टैंक निर्माण एवं मरम्मत, निरीक्षण पथ निर्माण, सौर ऊर्जा पैनल एवं ट्यूबवैल इत्यादि कार्य कराये जाएंगे।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ''नगर वन योजना'' के अन्तर्गत पूरे देश में शहरी ढांचे में हरित राजस्थान और सौंदर्यपरक वातावरण का निर्माण करने हेतु 400 नगर वन एवं 200 नगर वाटिका विकसित किये जा रहे हैं। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में वन भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से 20 नगर वन हेतु राशि रुपये 26.77 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं, जिनके कार्य प्रगतिरत् हैं। उसके साथ-साथ, अभी हाल ही में 2024-25 में पृथ्वीराज नगर (अजमेर), मंगलनाथ पहाड़ी (झालावाड़), श्रीगंगानगर, भरतपुर, बांदीकुई, दौसा, लालसोट (दौसा), ये कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। साथ ही साथ, भूगोर (अलवर), विराट नगर (जयपुर), आदर्श नगर (अजमेर), गुलाबबाड़ी नगर (अजमेर) और कांति अस्तोली (बूंदी), ये कार्य भारत सरकार के पास प्रस्तावित हैं और शीघ्र ही उनकी स्वीकृति हमारे पास

आ जायेगी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह आदर्श नगर कौन सा है?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): अजमेर। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन एवं वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रों से अवांछित प्रजाति विलायती बबूल, अब मैं आपके लिये नहीं बोल रहा, चर्चा का विषय आप ही हैं, जूलीफ्लोरा को हटाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 3.50 करोड़ व्यय किये जाएंगे एवं 10 हजार हैक्टेयर वन्य क्षेत्र से विलायती बबूल (Juliflora) हटाकर चरागाह विकास एवं स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण देश विलायती बबूल, जिसे जूलीफ्लोरा के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस घास जिसे उखाड़ फेंकने का काम सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस घास से खुजली होती है और जूलीफ्लोरा से न तो वनस्पति पनपती है और न कोई पशु उसे खाता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कांग्रेस घास से खुजली बीजेपी को होती है, किसको होती है?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): देश की जनता को होती है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): देश की जनता को नहीं होती है, आप लोगों को होती है।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): देश की जनता को होती है, इसलिए आप यहां भी विपक्ष में हैं और केन्द्र में भी विपक्ष में हैं।

श्री अध्यक्ष: इधर सम्बोधित करें।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वन विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु अतिसंवेदनशील वन क्षेत्रों को चिह्नित कर सामान्य रूप से अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किये जाते हैं एवं दर्ज प्रकरणों का एवजाना वसूल कर निस्तारण किया जाता है। दिनांक 15.01.2024 से 31.01.2024 तक अवैध खनन रोकने हेतु विशेष संयुक्त अभियान (खान, राजस्व, वन पुलिस एवं परिवहन विभाग) चलाया गया। इस अभियान के दौरान दिनांक 15.01.2024 से 31.01.2024 तक वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 202 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें 181 एफआईआर दर्ज कर 97 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 1530.21 टन खनिज के साथ 162 वाहन जब्त किये गये।

इस दौरान कुल 12 लाख 11 हजार एक सौ रुपये का मुआवजा वसूल किया गया। वर्तमान में विभागीय स्तर पर अवैध खनन के विरुद्ध साप्ताहिक रूप से कार्रवाई की जा रही है जिसके दौरान दिनांक 01.02.2024 से 31.03.2024 तक 292 कुल वाहन जब्त कर 67 लाख 21 हजार 100 रुपये एवं दिनांक 01.04.2024 से 30.06.2024 तक कुल 285 वाहन जब्त कर 55 लाख 37 हजार 900 रुपये का मुआवजा वसूल किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व भूमि/शहरी निकायों के पेडों के कटान पर वन विभाग

को विधिक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। जिस पर राजस्व विभाग विभाग से सहयोग लिया जाकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का कार्य किया जायेगा।

'जीव-जन्तुओं की जब करोगे रक्षा,
तभी होगी पर्यावरण की सुरक्षा।।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य जीव-जन्तु भी हमारे पर्यावरण के प्रमुख अंग माने जाते हैं। इनका सही सन्तुलन होने पर पर्यावरण शुद्ध तथा स्वच्छ रहता है। जगतजननी मां दुर्गा का वाहन बाघ है, कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रतीक हैं। गाय किसानों की जीवन धारा है और हमारे लिए पूज्य है।

mkd/rtm/22.07.2024/22:30/5f

गाय किसानों की जीवन धारा है और हमारे लिए पूजनीय है। शनिवार के दिन कीड़ी नगरा सींचने की परंपरा है, श्राद्ध पक्ष में कौओं को भोजन खिलाने की परम्परा है। हमारी संस्कृति में भोजन से पहले पांच ग्रास चींटी, कौए, कुत्ते, गाय आदि के लिए निकालकर उन्हें जीवित रखने की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान राज्य पूरे विश्व में बाघों व अन्य वन्यजीवों को देखने के लिए विख्यात है। पूरे विश्व से पर्यटक रणथम्भौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों को देखने के लिए आते हैं। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में बाघों की कुल संख्या 133 हो गई है, जो कि आज तक की सर्वाधिक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अकेले सरिस्का टाइगर रिजर्व में विगत 06 माह में 13 शावकों का जन्म हुआ है, जिससे सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की अब तक की सर्वाधिक संख्या 43 हो गयी है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए मैं विषम परिस्थितियों में रहते हुए कार्य करने वाले वनकर्मियों को सैल्यूट करता हूं। हमारे वनकर्मी यह भी नहीं जानते कि वे किस भविष्य की पीढ़ी के लिए इन वनों की और वन्यजीवों की सुरक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना घर-बार तक का परित्याग कर रखा है और सामाजिक रूप से अपने लोगों से दूर हो गये हैं। ऐसे कर्मठ और जुझारू वनकर्मियों को मेरा बार-बार प्रणाम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में वन्यजीवों के संवर्धन और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। राज्य में बाघों के संरक्षण हेतु रणथम्भौर, सरिस्का, मुकन्दरा हिल्स व रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। धौलपुर-करौली जिले के लगभग साठ हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र को धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। साथ ही रणथम्भौर और मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर-बफर क्षेत्र में अभिवृद्धि की गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में अभिवृद्धि करने एवं कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु वन्यजीव (सुरक्षा)

अधिनियम-1972 की धारा-36 के प्रावधानान्तर्गत कुल 36 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किये जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने तथा वन्यजीव संरक्षण में जन सहभागिता सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुए वन्यजीव अभयारण्य आबू पर्वत/कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य/कुम्भलगढ वन्यजीव अभयारण्य/जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य/तालछापर वन्यजीव अभयारण्य/बस्सी वन्यजीव अभयारण्य/मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के बफर जोन में/बांसियाल खेतडी कन्जर्वेशन रिजर्व/बीड़ झुन्झुनू कन्जर्वेशन रिजर्व/मनसा माता कन्जर्वेशन रिजर्व/टॉडगढ-रावली अभयारण्य/झालाना लेपर्ड रिजर्व, आमागढ जयपुर/रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व, बून्दी के बफर क्षेत्र में सफारी का संचालन किया जा रहा है।

साथ ही चम्बल नदी, मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा में बोट सफारी हेतु कोटा बैराज अपस्ट्रीम (राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य) से गराड़िया महादेव, जवाहर सागर अपस्ट्रीम से भैसरोड़गढ़ तक नौकायान पर्यटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पालीघाट राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य, सवाईमाधोपुर एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बून्दी के बफर क्षेत्र में स्थित जैतसागर झील में भी नौकायन प्रारम्भ किया गया है एवं इनमें ऑनलाइन बुकिंग भी चालू की जा चुकी है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघरों एवं बायोलोजिकल पार्क से शाकाहारी वन्यजीवों जैसे चीतल, सांभर, काला हिरण इत्यादि को प्रे-बेस सुधार हेतु कम घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर रिवाइल्डिंग का कार्य किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर से 400 चीतल मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा में तथा 143 चीतल रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बून्दी में प्रे-बेस बढाने हेतु स्थानान्तरित कर प्रे-बेस बढ़ाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में विभिन्न टाइगर रिजर्व्स में मौजूद बाघों की जनसंख्या एकमात्र रणथम्भौर से उत्पन्न हुई है। बाघों की नस्ल उन्नयन के लिए अन्य राज्यों से बाघ लाकर प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स में बसाये जायेंगे।

माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार द्वारा अपने बजट उद्बोधन में राजस्थान और मध्यप्रदेश को मिलाकर एक वृहद चीता लैन्डस्केप तैयार करने की घोषणा की गयी है। यह सर्वविदित है कि रणथम्भौर तथा अन्य टाइगर रिजर्व्स से बाघ भी मध्यप्रदेश के कूनो एवं माधव नेशनल पार्क तक जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए चीता लैण्डस्केप के साथ-साथ एक टाइगर लैण्डस्केप भी विकसित करने के प्रयास किये जायेंगे।

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तहसील सम, जिला जैसलमेर में 10946 हेक्टेयर भूमि गोडावण व वन्यजीवों के संरक्षण हेतु वन विभाग को आवंटित कराई गई है। सम तथा रामदेवरा में कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का संचालन भारतीय वन्यजीव संस्थान के निर्देशन में किया जा रहा है। इन दोनों केन्द्रों में वर्तमान में 44 गोडावण पक्षी कृत्रिम प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वर्तमान में गोडावण पक्षियों की रिवाइल्डिंग के लिए

रामदेवरा केन्द्र में एनक्लोजर बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा खरमोर पक्षी के लिए अजमेर जिले के अरवर में कृत्रिम प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया है। अब इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु किये गये वैज्ञानिक प्रयासों के सार्थक परिणाम आने लगे हैं। अब तक 10 खरमोर पक्षी कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए जा चुके हैं।

तालछापर वन्यजीव अभयारण्य में कृष्णमृगों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नागौर जिले के जसवन्तगढ़ में अधिशेष कृष्णमृगों को विस्थापित किया जायेगा। इस हेतु 450 हेक्टेयर भूमि पर चरागाह विकास एवं प्रवास सुधार कार्य कराये जा चुके हैं एवं द्वितीय चरण में 225 हेक्टेयर में उक्त कार्य हेतु बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों और जन-भावनाओं का ख्याल रखते हुए चित्तौड़गढ़ जिले में बायोलॉजिकल पार्क बनाये जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करवाये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को ज्ञात है कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में राज करने वाली बाघिन मछली ने रणथम्भौर में बाघों की संख्या बढ़ाने में अपना अत्यधिक योगदान किया है। मछली रणथम्भौर की शान थी और लगभग उन्नीस वर्ष जीवित रही जो कि अभी तक की सर्वाधिक आयु रही है। मछली को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बाघों की रानी मां, लेडी ऑफ द लेक, इत्यादि। इसी प्रकार सरिस्का टाइगर रिजर्व को बाघों से पुनः आबाद करने में बाघिन राजमाता का अत्यधिक योगदान रहा है। मछली और राजमाता बाघिनों द्वारा राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स में बाघों की संख्या में की गयी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन दोनों बाधिनों का स्मारक रणथम्भौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व में बनाया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में वन, वन्यजीवों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्लास्टिक/पॉलीथीन कैरीबेग, पाउच व प्लास्टिक की बोतलें एवं सभी प्रकार के प्लास्टिक पैकिंग में उपलब्ध खाद्य सामग्री को ले जाने पर दिनांक 01.05.2024 से प्रतिबंध लगाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वन ही मानव को प्रकृति का महत्व समझाते हैं, और वन ही मानव को स्वतंत्रता का अहसास कराते हैं। ...(व्यवधान)... आप अभी दबाव में हो। डोटासरा जी के दबाव में हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि प्रकृति जीवन का स्रोत है और पर्यावरण के समृद्ध और स्वस्थ होने से ही हमारा जीवन भी समृद्ध और सुखी होता है। उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर गहरा चिंतन किया, पर पर्यावरण पर भी उन्होंने उतना ही ध्यान दिया। जो कुछ पर्यावरण के लिए नुकसानदायक था, हानिकारक था उसे आसुरी प्रवृत्ति कहा गया और जो पर्यावरण के अनुकूल था, हितकारक था उसे दैवीय प्रवृत्ति माना गया।

आज मनुष्य पर्यावरण के प्रति स्वार्थी होता जा रहा है और वह यह समझता है कि

समस्त प्राकृतिक सम्पदा पर सिर्फ उसी का अधिकार है, वह जैसा चाहे, उसका उपभोग करे। इसी भोगवादी प्रवृत्ति के कारण हमने इसका इस हद तक शोषण कर लिया है कि अब हमारा अपना अस्तित्व ही संकट में पड़ने लगा है। वैज्ञानिक बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा करो, वरना हम भी नहीं बच पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते है कि पर्यावरण से ही जीवन सम्भव है। आज अगर हम जीवन को स्वच्छ और रोगमुक्त होकर गुजार रहे हैं तो उसमें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण संरक्षण हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मनुष्य द्वारा औद्योगीकरण, शहरीकरण, आधुनिक परिवहन प्रणालियों, कारखानों एवं बदलती जीवन शैली से प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण संतुलन डगमगा रहा है।

अतः हमें पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने हैं, जिनसे विकास के साथ-साथ संसाधनों का दोहन न्यूनतम हो तथा पर्यावरण संतुलन बना रहे। राज्य सरकार भी बदलते पर्यावरण के कारण उत्पन्न समस्याओं के प्रति सजग है तथा इनसे निपटने हेतु वचनबद्ध है।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा परिवेशीय वायु प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ करते हुए राज्य के पूर्ववर्ती 33 जिलों में सतत वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किये गए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, राज्य के नये जिलों में भी 15 ऐसे केंद्रों की स्थापना की जा रही हैं। इसके साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा क्रय की गयी दो मोबाइल वैन द्वारा भी वायु गुणवत्ता का सतत् मापन किया जा रहा हैं एवं ये मोबाइल वैन चलती-फिरती प्रयोगशाला के रूप में कार्यरत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योगो में जल एवं वायु प्रदूषण की निगरानी हेतु 637 उद्योगों में सतत् मापन यन्त्र भी स्थापित किये गये हैं, जिनसे प्रदूषण सम्बन्धी आंकड़ों की जांच प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सतत रूप से की रही है।

Bhs/Rtm/22.7.24/22.40/5g

राज्य के सबसे अधिक प्रदूषित शहर जिसकी चिन्ता माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने अभी सदन के अन्दर रखी। जयपुर, कोटा, जोधपुर, भिवाड़ी (अलवर) और उदयपुर के लिए विशिष्ट कार्य योजना बना कर क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए गठित कमीशन तथा पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं विभिन्न स्टेक होल्डर विभागों के समन्वय से इस साल एन.सी.आर. क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर में पिछले वर्षों की तुलना में काफी सुधार दृष्टिगत हुआ है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्री जी, घर ले जाना वहां सुना देना जूली जी को। ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): नेता, प्रतिपक्ष बहुत झेला है आपको, थोड़ा हमको भी झेलो।

श्री अध्यक्ष: सब कुछ अलवर को दोगे क्या?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): राजस्थान में आने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्बन्धित जिलों में वायु प्रदूषण के स्तर को दृष्टिगत रखते हुए ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान बनाया गया है जिसके तहत विभिन्न प्रदूषणकारी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है।

विभाग द्वारा हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कर कमलों से शुभारम्भ किये गए weather एवं air pollution forecasting system से जयपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा हाल ही में शुरू की गयी एनवायर्नमेंटल ऑडिट स्कीम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किये जा रहे इस प्रयोग का अधिक से अधिक फायदा लेने के प्रयास प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा किये जायेंगे।

आज प्लास्टिक कचरा, ठोस कचरा, उच्छिष्ट जल-मल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इत्यादि का उचित प्रबंधन एवं निस्तारण भी एक समस्या है, जिसमें विभाग सतत् प्रयासरत है तथा समय-समय पर विभिन्न हितधारकों के समन्वय से जन-जागृति अभियान चलाने का भी कार्य भी करता है।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वर्ष 2023-2024 में अल्प अवधि में 114 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर जो कार्यवाही की गयी है उससे निश्चित ही कार्यप्रणाली में सुगमता आएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्रदूषण नियंत्रण एवं उद्योगों की निगरानी हेतु 25 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 14 प्रयोगशालाएं राज्य में संचालित हैं।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पिछले कुछ समय में Ease of doing business के क्षेत्र में व्यापक डेलीगेशन के साथ अनेक नवाचार कर उल्लेखनीय कार्य किये गए हैं जिनसे उद्यमियों को भारी राहत भी मिली है। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा नई प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा मौजूदा प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता में सुधार निश्चित रूप से राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम भूमिका निभायेगा।

साथ ही मण्डल द्वारा कन्सेन्ट एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिये काम में लिये जा रहे मौजूदा सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव का काम वर्तमान में किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर उद्यमियों को अधिक सुविधा के साथ बेहतर मॉनिटरिंग सम्भव हो सकेगी।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की अनुपालना में, हाल ही में मुख्य पर्यावरण अभियन्ता के अधीन एक ग्रीनवार रूम का गठन किया गया है जो कि राज्य के विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों की समीक्षा करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा ग्रीन चैनल आधारित प्रक्रिया पर पर्यावरणीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने वाले सभी उद्योगों को संचालन सम्मति का ऑटो नवीनीकरण (ऑटो रिनूअल) करने का निर्णय भी लिया गया है जो कि शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा।

और बोलो। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितना डिस्टर्ब करेंगे उतना अभी और मसाला है। आप कहो तो पढ़ दूं इसको अभी। सब पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आप पूरा करिये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): अब आप नजराना फरमायें। माननीय सदन एक बार ध्यान से सुनें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आगे से फिर आपके भी भाषण पढ़े हुए माने जायेंगे, बोलने नहीं दूंगा। ऐसे नहीं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष आप भी सुनें।

"चिराग में रोशनी माना कम है,

मगर मेरे हौसलों में भी दम है, ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है, 'तूफान जब ज्यादा हो न तो कश्तियां डूब जाती है और घमंड जब ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं।'

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): ताली मत बजाओ, सुनो। 2018 से 2023 में हमने घमंड भी देखा है, काम के प्रति कितनी संवेदनशीलता है वो भी देखी है जिसका परिणाम आज वहां बैठ कर आप तालियां ठोक रहे हो और ठोको जोर से तालियां।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान से सुनना सर, आप।

"चिराग में रोशनी माना कम है,

मगर मेरे हौसलों में भी दम है,

हवा से है दोस्ताना मेरा भी,

उड़ान के वास्ते एक आसमां कम है"।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने हम सबका आह्वान किया है पूरे देश की जनता से आह्वान किया है कि एक पौधा हम अपनी मां के नाम लगायें। उसके लिए यदि आप सब लोग एक संकल्प लें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): विकास जी, आपके बारे में जितना मैं जानता हूं शायद यह सदन नहीं जानता इसलिये मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आप शान्ति से बैठो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप सब लोग अपने जीवन में एक पौधा प्रतिदिन लगाने का संकल्प लें, क्योंकि आप उस आवाम का नेतृत्व कर रहे हैं जिसने आपको चुन करके सदन में भेजा है। यदि एक पौधा आप प्रतिदिन लगायेंगे तो निश्चित रूप से पूरा सन्देश राजस्थान के दो सौ विधान सभा क्षेत्रों में जायेगा और उस पौधे को लगाने के बाद क्योंकि पौधा लगाना माननीय अध्यक्ष जी, बहुत आसान है लेकिन उसका रखरखाव उसकी सार-सम्भाल बड़ी मुश्किल है। जहां भी आप पौधा लगायें अपने कार्यकर्ता के घर लगायें, किसी मित्र के यहां लगायें, उसको जिम्मेदारी भी दें कि वह उस पौधे की सुरक्षा करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

'प्रदूषण में कमी ला देती है हरियाली,

धरती को शीतल छाया देती है हरियाली...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: देखो उत्तर तो सुनना पड़ेगा। एक सेकंड, जो लोग कह रहे हैं पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो उनके भाषण भी आगे से पढ़े हुए मान लिए जायेंगे और बोल नहीं पायेंगे।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय,

'प्रदूषण में कमी ला देती है हरियाली,

धरती को शीतल छाया देती है हरियाली

नयन सुख का हर्ष लिए होती है हरियाली,

इसलिए धरती पर रहने दो हरियाली।

जय-जय हरियालो राजस्थान।

जय-जय हरियालो राजस्थान।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 45-वन एवं पर्यावरण को पारित किया जाये।

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,56,98,73,000/- (पैंसठ अरब छप्पन करोड़ अठानवे लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,57,60,25,000/- (अठारह अरब सतावन करोड़ साठ लाख पच्चीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2024 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.48 बजे, मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42 - **जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/करेंगे कि:-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)

1. सुरह घाटा फीडर बर हेतु बजट स्वीकृत करने, देवाता फीडर को NH8 जवाजा के अन्डरग्राउन्ड ब्रिज बनाने, कोटा बांध टीला खेड़ा (आसन) का निर्माण कराने, जवाजा बांध की चादर की ऊंचाई तीन फीट बढ़ाने तथा सभी बांधों की नहरों की मरम्मत करायी जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम (वि.सं. 175)

2. प्रदेश के मोरम बांध, भूला बांध, वालोरिया बांध, केर बांध, सिवेरा बांध, कादम्बरी बांध, जनारी बांध एवं अन्य कई बांधों की नहरों का निर्माण किया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)

3. प्रदेश में CAD विभाग द्वारा बनाये गये खानों के रख-रखाव किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं. 05)

4. सरदारशहर तहसील के 58 गांवों के रकबों को चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट केनाल से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं. 142)

5. किशनगंज शाहबाद को ERCP से सिंचाई के लिए जोड़ने एवं रातई, नवेली व देवरी का जीर्णा तालाबी की वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं. 98)

6. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में एनीकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)

7. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के केजड़ तालाब से निकलने वाली नहरों व धोरों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के झामरी नदी पर उथरदा, काली मंगरी, साकरिया खेड़ा व लोदा तथा गरगल नदी (सराड़ा) के पावटी (चावण्ड), वणियाला (केजड़) में एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के आंकली तालाब (सेपुर) के पुनः निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के केजड़ तालाब से ऑवरफ्लों पानी के नाले पर नीलकण्ठ महादेव मंदिर के पीछे नाले पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
11. प्रदेश में जल ग्रहण योजना में पंचायतों द्वारा बनाये गये छोटे-छोटे वाटरशेड, एनिकटों की मरम्मत व रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं. 94)</u>

12. परवन वृहद सिंचाई परियोजना अकावद के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम बिलेण्डी को पूर्ण डूब क्षेत्र में घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)</u>

13. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण की परियोजनाओं में नये ग्राम जोड़कर क्षेत्रफल बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
14. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के गोतावर बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
15. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन एनीकटों के लम्बित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)</u>

16. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के जाखम बांध के नागलिया पिकंप की बाई व दाई मुख्य नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. प्रदेश के उदयपुर व बांसवाड़ा सम्भाग के सभी तालाबों, बांधों में मत्स्य उत्पादन हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के तालाबों, एनिकटों, के जीर्णोद्वार व नवीन एनीकट बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. प्रदेश के सोम, माही, जाखम बांध के लिये योजना बनाकर पूरे ट्राइबल क्षेत्र के तालाबों में पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)</u>

20. जल संसाधन विभाग सहायक अभियंता कार्यालय मय आवास निर्माण मुख्यालय सिवाना में बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. मेली बांध जीर्णोद्धार, मरम्मत, नवीनीकरण ऊंचाई बढ़ाने, साफ-सफाई, रख-रखाव आदि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
22. बाढ़ बचाव कार्य लूणी नदी तटबंदी, पीपलून गांव में तटबंदी सिणरे में नाला तटबंदी, मजल एवं धीरा में बाढ़ बचाव कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. सिवाना क्षेत्र पहाड़ी अरावली श्रंखला के बरसाती पानी को रोकने की योजना से भूमिगत जल स्तर सुधारने, सिणरे, अन्नपूर्णा नगर, गुड़ा, नाल, घाटणों, गोयणा भाखर, फलण, दन्ताला, भागवा, धीरा मांगी, सैला, हेमावास, कुण्डल, कांसी,

कानीवाड़ा एवं परिहारों की ढ़ाणी, सहित गांवों में एनीकट व बांध निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. सिवाना क्षेत्र में जल संरक्षण के तहत 2015-16, 2016-17 की DPR की क्रियान्वती की आवश्यकता पर की जाने की चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं. 17)</u>

25. माही बांध के सरप्लस पानी को मातृकुण्डिया बांध से होते हुए भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध तक पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध को पर्यटन केन्द्र की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

27. मेजा बांध से निकलने वाली दोनों नहरों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. मातृकुण्डिया बांध से मेजा बांध तक निर्मित मेजा फीडर की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित जल संसाधन विभाग के जीर्ण-शीर्ण कार्यालय, राजकीय आवासों एवं डाक बंगले को डिस्मेंटल कर आधुनिक सुविधायुक्त निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं. 51)</u>

30. भाकड़ा बांध व मोडिया महादेव बांदा की नहरों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के एनिकटों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कराने के लिए अनुमानित लागत की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)</u>

32. जिला श्री गंगानगर CAD गंग केनाल में खालों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

33. इंदिरा गांधी नहर के फेज-1 में CAD के द्वारा खाले बनाने की राशि बहुत कम होने से किसानों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)</u>

34. उधेश्वर महोदव नाल एवं खेजड़ा एनीकट बाधाना ग्रा.पं. बनाए जा रहे एनीकटों के कार्यों में घटिया सामग्री एवं ठेकेदारों के कार्यों की जांच होने तक भुगतान नहीं कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं. 138)</u>

35. कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों व शहरों को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)

36. विधान सभा क्षेत्र आहोर में सई को नहर में जोड़ने के बाद भागों की साईज नहीं बढ़ाना एवं पानी की आपूर्ति नहरों में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
37. बाकली बांध, बावरला बांध एवं नोसेरा बांध की नहरों का पक्का निर्माण करना तथा जवाई बांध से सिंचाई से होने वाली नहरों व खालों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
38. जवाई पुनर्भरण लागू करके जवाई बांध के पानी का हिस्सा डाऊन स्ट्रीम में छोड़ना, उसका जल नीति में लागू करने से करीब 100 गांवों को सीधा फायदा पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
39. विधान सभा क्षेत्र आहोर में भैसवाडा डायवर्जन पर पिचींग कार्य करवाकर सुरक्षा दीवार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
40. विधान सभा क्षेत्र आहोर के धुम्बडा एवं करकेश्वर ऐनिकट का जीर्णोद्धार बावरला बांध के गेट का नवीनीकरण एवं सुधा एनिकट, चांदना कंवला में नया एनिकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)

41. सिंचाई विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के संबंध में चर्चा के लिए।
42. गरगदा बांध से सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण एवं स्वीकृत के संबंध में चर्चा के लिए।
43. सिंचाई हेतु समयबद्ध तरीके से पानी छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
44. विधान सभा क्षेत्र बून्दी में पुराने एनिकटों की मरम्मत एवं नये एनिकटों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)

45. ग्राम गादोज में पुराना खेड़ा मंदिर के पास एनिकट का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
46. खुदरोट एनिकट बांध का हरियाणा सीमा तक शेष निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
47. ग्राम कायसा नीमराणा में निर्जरा घाटी के पास एनिकट का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
48. ग्राम जखराना में झरने के पास एनिकट का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
49. ग्राम कांकरा बर्डोद में नाहरसिंह मन्दिर के पास एनिकट का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगेलाल मीना (वि.सं. 117)

50. अलवर जिले में स्थित घाट पिकअप वीयर की ऊंचाई बढ़ाकर एवं फीडर नहरों की मरम्मत कराकर मौखपुर, गोरपहाड़ी, लक्ष्मणगढ़, कनवाड़ा बांधों को भरने एवं पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
51. प्रदेश का ई.आर.सी.पी./पी.के.सी. परियोजना की डी.पी.आर. में तहसील रैणी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ के समस्त बांधों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)

52. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा स्थित जसवन्त सागर बांध का पुनर्भरण करने हेतु आई.जी.एन.पी से जोधपुर को पेयजल पहुंचाने वाली पाईपलाईन 2.0 मीटर व्यास की तृतीय फेज को जसवन्त सागर में रिजर्व वॉटर के रूप में पुनर्भरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
53. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित जसवन्त सागर बांध, जालीवाड़ा बांध, बीसलपुर बांध की क्षतिग्रस्त नहरों एवं जसवन्त सागर बांध में आने वाली लूनी नदी एवं केचमेंट में बने हुये एनिकट एवं छोटे-मोटे तालाबों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में हटवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
54. इन्दिरा गांधी नहर से बिलाड़ा स्थित जसवन्त सागर बांध को जोड़ने एवं जवाई बांध से निकलने वाली नहर से जसवन्त सागर बांध को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
55. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित गांवाई तालाबों तथा मालकोसनी, भावी, बाला, ओलवी, रामासनी, पालासनी, बिसलपुर बोरून्दा तालाबों का सौन्दर्यकरण एवं बिलाड़ा-राजोलाव तालाब का सौन्दर्यकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)

56. माही बांध व जाखम बांध के अतिरिक्त पानी को लिफ्ट द्वारा जयसमंद बांध में डालकर चित्तौड़गढ व भीलवाड़ा जिले के छोटे-छोटे तालाबों व बांधों में पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
57. बेड़च नदी पर बने बडगांव बांध के पानी से बेडच नदी के निचले गांवों में जल स्तर बढ़ाने के लिए 100 MCFT पानी रिजर्व कर नदी में पानी प्रति वर्ष छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
58. विधान सभा क्षेत्र कपासन में बनास नदी, बेडच नदी तथा बाकली नदी पर निर्मित एनिकट एवं एनिकट कामकाज के जीर्णोद्यार के लिए राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)

59. प्रदेश में ERCP (पूर्वी क्षेत्र नहर परियोजना) संशोधित-पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पाटन एवं दुबली बांध को जोड़ने, ढूंढ नदी पर

एनिकट बनाकर आस-पास के क्षेत्र के कुओं तथा टयूबवैल को रिचार्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं. 158)</u>

60. वागड़ क्षेत्र में भीखम माही केनाल एवं सोम, कमला, आंबा की नहरों का विस्तार एवं लसाऊ पुल पर लिफ्ट बेराज परियोजना एवं क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
61. वागड़ क्षेत्र में भीखाराम केनाल एवं सोम, कमला, आंबा बांध की नहरों का विस्तार कर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
62. वागड़ क्षेत्र में भीखाराम केनाल एवं सोम, कमला, आम्बा बांध की नहरों का विस्तार कर समाधान करने तथा वागड़ में लसाड़ा पुल पर लिफ्ट बेराज परियोजना एवं क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लक्ष्मण राम (वि.सं. 141)</u>

63. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के जल संसाधन विभाग मेड़ता सिटी के अधिशाषी अभियंता कार्यालय का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
64. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में लूणी नदी पर सब सरफेस बेरियर (SSB) निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं. 131)</u>

65. छत्रपुरा-अमरसारण नहर के जीर्णोंद्यार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
66. बारां-अटरू में नहरों के मरम्मत कार्य हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
67. अटरू न.पा. क्षेत्र में परवन सिंचाई परियोजना में छूटे हुये खसरों की DLC दर से मुआवजा राशि दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)</u>

68. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के जोगडावास-I और II की नहरों को पक्का बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)</u>

69. सिंधमुख नहर की चकबन्दी एवं मुरब्बाबंदी एवं कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर तक विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज मीना (वि.सं. 188)</u>

70. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की उप-तहसील करणपुर में निर्माणाधीन बांध का निर्माण नियमानुसार नहीं करवाये जाने व उपयोग में ली जा रही सामग्री की जांच उच्च स्तर पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
71. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में उप-तहसील करणपुर के अंतर्गत निर्माणाधीन बांध में घटिया सामग्री का उपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश मोदी (वि.सं. 183)

72. यमुना जल का पानी नीमकाथाना जिले में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (वि.सं. 50)

73. टोडाभीम के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु चम्बल का पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (वि.सं. 125)

74. विधान सभा क्षेत्र कठूमर को ERCP के अन्तर्गत प्रथम फेज से तथा ईसरदा प्रोजेक्ट से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं. 01)

75. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में विभिन्न बांध व अन्य नहरी सिंचाई परियोजनाओं का पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों में भारी रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. प्रदेश में नर्मदा नहर का पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों में भारी रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

78. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में 35 वर्षों से भी पुराने क्षतिग्रस्त खालों की मरम्मत/रख-रखाव व नवीनीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

79. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के विभिन्न नहरों में मरम्मत कार्य का विभागीय मापदंडों के अनुसार नहीं होने से कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री यूनुस खान (वि.सं. 121)

80. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज-II के पेयजल की मांग अनुसार आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से वंचित आबादी क्षेत्र व ढ़ाणियों को पेयजल आपूर्ति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)

83 विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना में पेयजल के साथ-साथ सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)

84 विधान सभा क्षेत्र बगरू के नेवटा बाँध की कच्ची नहरों को पक्की किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र बगरू के नेवटा बाँध के जीर्णोद्धार व मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (वि.सं.167)

86 विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कुम्भ लिफ्ट योजना के लिए पानी लाये जाने एवं सूखे कुओं के स्थान पर नए कुएं बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

87 विधान सभा क्षेत्र नोहर के रसलाना वितरिका (सिधमुख नहर) व अमर सिंह ब्रांच नहर से पानी चोरी पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र नोहर के टेल पर पानी नहीं पहुँचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

88 विधान सभा क्षेत्र नोहर में सिद्धमुख नहर परियोजना (रसनाला वितरिका) अमर सिंह ब्रांच एवं नोहर फीडर नहरों के पुराने एवं जर्जर खालों के पुनर्निर्माण करने के लिए प्रस्तावित राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89 विधान सभा क्षेत्र नोहर में सिद्धमुख नहर परियोजना (रसलाना वितरिका) अमर सिंह ब्रांच एवं नोहर फीडर नहरों में हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

90 विधान सभा क्षेत्र नोहर में निर्माणाधीन सुई ब्रांच नहर एवं एटा-सिंगरासर माइनर का निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91 विधान सभा क्षेत्र नोहर के 28 असिंचित गांवों को सिंचाई परियोजना से जोड़ने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में घोषित राशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

92 राजसमन्द जिले के सांगढ तालाब का सौन्दर्यीकरण और नहरों का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93 राजसमन्द झील की रेललाईन के नीचे होकर निकल रही नहरों के ऊपर भावी 50 वर्षों को दृष्टिगत रखते हुए आमान परिवर्तन कार्यों में पूल निर्माण एवं चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94 विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में बनास नदी पर ग्राम कुरज चौकड़ी, मोही, पीपली आचार्यान, जीतावास पर जल संग्रहण के लिए एनिकट अथवा सब सरफेस बेरियर निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95 राजसमन्द झील की नहरों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत करने एवं नियमित स्वच्छता रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96 राजसमन्द झील की नहर प्रणाली को डिग्गियां बनाकर पम्प लगाकर और पाईप लाईन से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मोतीराम (वि.सं.120)</u>

97 विधान सभा क्षेत्र रेवदर स्थित सुकली-सेलवाड़ा बाँध की विभिन्न क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत व रख-रखाव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं.101)</u>

98 पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना (WRCP) की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए नवीन एनिकट एवं तालाबों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (वि.सं.60)</u>

100 विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की कुम्बर नहर से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं.24)</u>

101 ERCP सेवला हेड (बयाना) से रूपवास जाने वाली नहरों में पानी छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102 पांचना बाँध का पानी गम्भीरी नदी में छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103 PKC-ERCP में रूपवास के खानवा को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)</u>

104 विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के पहाड़ी क्षेत्रों पचेटा, बेरूबेह, लसुडिया गेदं, आवलहेड़ा एवं खेजड़ा में माईक्रो डेम निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105 विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के कालीखांड एवं गुलेण्डी डेम कच्ची नहरों को पक्की करने व गुलेण्डी डेम की नहर ल्हापस्यि‍ा से रानीपुरिया तक सिंचाई की पाईप लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

106 कालीसिंध नदी पर डेम बाँध चम्बल से लिफ्ट क्षेत्र में सिंचाई करने व राजगढ़ से भुरा‌डिया माना, नारायण खेड़ा पंचायतों में फव्वारा से सिंचाई योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

107 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज को ई.आर.सी.पी. परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की उप-तहसील नाहरगढ़ क्षेत्र को परवन वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109 आदिवासी बाहुल्य विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के कून्नौ, कूल, पार्वती, करई, रैपी, हाड़ावली, बरनी नदियों पर बड़े बाँध या कोई प्रोजेक्ट बनाकर सिंचाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110 हाड़ौती की महत्वाकांक्षी परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए कार्यरत फर्म की जमा सुरक्षा राशि के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

111 विधान सभा क्षेत्र चौहटन में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112 प्रदेश में ई.आर.सी.पी. (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान में भी डब्ल्यू.आर.सी.पी. (पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना) लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113 विधान सभा क्षेत्र चौहटन में बने तालाबों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण, जीर्णोद्धार करने तथा क्षमता वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114 विधान सभा क्षेत्र चौहटन में जल संसाधन कार्यों की अधिकता एवं आमजन की मांग के अनुसार जल संसाधन का नवीन कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115 विधान सभा क्षेत्र चौहटन में वर्षा जल से जमीन के कटाव को रोकने के लिए एनिकटों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)

116 निम्बाहेड़ा उपखण्ड में निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117 निम्बाहेड़ा उपखण्ड में रेणका नाका लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण में किसानेों की अवाप्त की गयी भूमि का बकाया मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118 जल संसाधन उपखण्ड निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, डूंगला (जिला-चित्तौड़गढ़) व छोटी सादड़ी (जिला प्रतापगढ़) के लिए निम्बाहेड़ा में नया खण्डीय कार्यालय (डिवीजन) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119 जल संसाधन उपखण्ड निम्बाहेड़ा में RRR योजनान्तर्गत स्वीकृत ऊँचा बाँध एवं नहरों की मरम्मत के लिए बजट आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

120 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन को ERCP योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं.155)</u>

121 विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की पूंगल शाखा की DWD एवं KLD नहरों का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122 विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की पूंगल शाखा के अधीन आने वाली नहरों के खालों का सुदृढ़ीकरण एवं नये खाले बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)</u>

123 विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के खारी बाँध के गेस्ट हाउस को नया बनाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124 विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के बदनोर उपखण्ड भोजपुरा फीडर के कार्य को चालू करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125 विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के तालाबों एवं बांधों की नहरों का सर्वे कराकर क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत तथा कच्ची नहरों को पक्की कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126 विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के तालाबों का सर्वे कराकर क्षेत्र के तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127 विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के खारी बाँध को माही जाखम की DPR जो कि चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमन्द के दो दर्जन बांधों को भरने की है, को माही जाखम DPR में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री नरेन्द्र बुडानियां (वि.सं.84)</u>

128 जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर विधान सभा क्षेत्र तारानगर में नवनिर्मित नहरों में सिंचाई हेतु पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129 यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा के लिए।

130 जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल के कियान्वयन के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)</u>

131 विधान सभा क्षेत्र आमेर के नगर निगम वार्ड सं. 03 एवं 04 में जलमहल सागर के अतिरिक्त जल को पूर्व निर्मित नहर के पुनर्निर्माण कर सूगली नदी से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कुलदीप (वि.सं.33)</u>

132 विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में छींतोली बाँध के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भड़ाणा (वि.सं.22)</u>

133 विधान सभा क्षेत्र माण्डल में दांता धुवाला स्थित तालाब के विकास कार्य कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134 विधान सभा क्षेत्र माण्डल के भादू एनिकट का जीर्णोद्धार कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135 विधान सभा क्षेत्र माण्डल में मातृकुण्डिया डेम से मेजा फीडर तक चैनल कन्स्ट्रक्शनकी चौड़ाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136 विधान सभा क्षेत्र माण्डल में कोठारी नदी पर स्थित बांधों (एनिकटों) के जीर्णोद्धार करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137 विधान सभा क्षेत्र माण्डल के माण्डल तालाब का जीर्णोद्धार कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय कुमार (वि.सं.169)

138 विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में नहरों की मरम्मत व नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर र्चा के लिए।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)

139 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बीरामाता बिलेण जहाजपुर में रूगस के स्थान के पीछे क्षतिग्रस्त एनिकट का नवीन निर्माण कार्य करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में क्षतिग्रस्त एनिकटों कुराडिया, बनकाखेड़ा व जातोलाखेड़ा का जीर्णोद्धार करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में क्षतिग्रस्त बाँध भैंरूसागर मेडिया (बिलेण) का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के बनास नदी में चेनपुरा के ऊपर बाँध निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ठेलेश्वर महादेव मेज नदी पर बाँध निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

144 जिला शाहपुरा को ERCP योजनान्तर्गत सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145 जिला शाहपुरा में उम्मेद सागर बाँध की दायीं मुख्य नहर को RD4000M से RD6940M जहाजपुर रोड़ तक कवर अथवा अंडरग्राउण्ड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146 अरवड़ बाँध (फूलिया कलां) की नाक्या जी वाली नहर सांगरिया का 4 किलोमीटर पक्के निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147 जवासिया बाँध लाम्बियाखुर्द (बनेड़ा) की मरम्मत व जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148 विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के विभिन्न तालाबों की मरम्मत व जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)

149 कोटा बैराज का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

150 गंग कैनाल के खालों को CAD से बनाने एवं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को MOU के लिए भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जुबेर खान (वि.सं.65)

151 विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के बांधों हंस सरोवर, नंगला बंजीरका, पिपरोली, मेव खेड़ा एवं अतरिया डायवर्जन की मरम्मत करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण एवं रामगढ़ (अलवर) में स्थित रूपारेल नदी से अतिक्रमण हटाने एवं उसके रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनिवास गावडिया (वि.सं.134)

153 प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में व्याप्त अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)

154 सिंचाई विभाग का अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय (वृत्त कार्यालय) भादरा में पुन:स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155 विधान सभा क्षेत्र भादरा के सिंचाई से वंचित गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156 विधान सभा क्षेत्र भादरा की अमर सिंह सिंचाई सिस्टम सिधमुख नहर परियोजना एवं नोहर फीडर क्ष्ोत्र के बकाया खाला निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त खालों के पुनर्निर्माण कार्य को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157 हनुमानगढ़ जिले की अमरसिंह सब ब्रांच नहर, सिधमुख नहर एवं नोहर फीडर में हरियाणा से किसानों को पूरा पानी दिलवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158 विधान सभा क्षेत्र भादरा की सिधमुख सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्तावित "भोलाबास माईनर" की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)

159 विधान सभा क्षेत्र औसियां में नवीन बांधों एवं एनिकटों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160 विधान सभा क्षेत्र औसियां क्षेत्र सहित पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ के जिलों में किसानों की फसलों को सिंचाई हेतु ई.आर.सी.पी. की तर्ज पर W.R.C.P. लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161 विधान सभा क्षेत्र औसियां क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्व में बनाए गए बांधों व एनिकटों की मरम्मत करवाने के प्रस्तावों पर स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वि.सं.99)

162 विधान सभा क्षेत्र वैर में ग्राम पंचायत स्तर पर एनिकट बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163 विधान सभा क्षेत्र वैर के सीते बाँध का जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

164 प्रदेश के यमुना जल समझौता 1994 के तहत भरतपुर के लिए पानी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165 भरतपुर विधान सभा क्षेत्र के गांवों के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166 भरतपुर जिले की मोती झील एवं बंध बैराठ बाँध में पर्याप्त पानी की उपलब्धता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167 भरतपुर को पांचना बाँध से पानी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168 पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से भरतपुर को पानी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (वि.सं.20)

169 विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बामनवास ब्लॉक में सुकार व बौंली में एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)

170 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की तहसील धोबी घट्टा एनिकट के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्राम टोडा में मेनाली नदी पर एनिकट के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्राम उंखलीखेड़ा पिपलिया का देल्डा में एनिकट के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की तहसील माण्डलगढ़ में अनवासा बाँध व नहरों के जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की तहसील माण्डलगढ़ में कापडिया खेडा एनिकट, मेज नदी पर भट्टखेडी गांव के पास निर्मित एनिकट एवं रीको एरिया बिगोद के पास निर्मित एनिकट के जीर्णोद्धार का कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)

175 IGNP व भाखड़ा व L.G.W. नहर का नवीनीकरण किए जाने तथा नहरों के जर्जर खालों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176 पीलीबंगा सेम क्षेत्र के बी.आर.पी. माईनर के समस्त जर्जर खालों के पुन: निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177 NDR (पीलीबंगा हनुमानगढ़) नहर के अन्दर सेमनाले का पानी डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

178 पीलीबंगा से अनूपगढ़ तक घग्घर बहाव क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज वेल्स का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179 विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के मैनावाली माईनर (MWM) की R.D. 35 पर पुल निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

180 डूंगरपुर जिले के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सिंचाई के साधन वाटर पम्प, ड्रीप फव्वारा एवं पाईप जनजाति वर्ग के किसानों को नि:शुल्क दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181 विधान सभा क्षेत्र डूँगरपुर के आसपुर उपखण्ड में स्थित सोम कमला आम्बा बाँध का पानी डूँगरपुर जिला मुख्यालय पर भण्डारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182 डूँगरपुर जिले के उपखण्ड बिच्छीवाड़ा एवं डूँगरपुर में विभाग द्वारा स्थान चिह्नित कर नये तालाब व एनिकट का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183 विधान सभा क्षेत्र डूँगरपुर के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में नए कुएं खुदवाने एवं पुराने कुओं की मरम्मत हेतु बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184 विधान सभा क्षेत्र डूँगरपुर के उपखण्ड बिच्छीवाडा में बेडानाका एनिकट का निर्माण कराकर क्षेत्र के जनजाति कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतन देवासी (वि.सं.122)

185 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के शालगांव बाँध, माउण्ट आबू (सिरोही) बाँध का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

186 जिला सांचौर से निकलने वाली नर्मदा नहर परियोजना से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति सरनाऊ, रानीवाड़ा एवं जसवन्तपुरा को जोड़ने की कार्ययोजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187 जिला जालौर व सांचोर में माही नदी का पानी लाने हेतु डी.पी.आर. में माही नदी व लूनी नदी से जोड़ने तथा माही बाँध व नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे कराकर पश्चिमी राजस्थान को नहर कैनाल परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

188 विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी तहसील में आगरिया, नाहरड़ी, दौलतपुरा, बोरझड़ी, हरिपुरा लेवड़ा सुलीपुरी, लालपुरा, बावड़ी खेड़ा, कुशलपुरा, देवरी, नयाखेड़ा, बाडिया गुराडिया, बाडिया गणेशपुरा, रामपुरिया, खेरिया, बरवाड़ा आदि में छोट-छोटे एनिकट व चेकडेम बनाकर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189 विधान सभा क्षेत्र खानपुर की ग्राम पंचायत अकतासा, मंडावर,गागरोन, कोलाना, गोरधनपुरा, रूपारेल, गोविन्दपुरा के गांवों को सिंचाई सुविधा के लिए भीमसागर डेम या कालीसिंध डेम पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190 विधान सभा क्षेत्र खानपुर के हिचड़ ग्राम के निकट कालीसिंध नदी पर एनिकट बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191 विधान सभा क्षेत्र खानपुर की ग्राम पंचायत खरनवास, धानोदा, लाईफल आदि गांवों को सिंचाई हेतु परवन सिंचाई परियोजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं.106)

192 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बांधों को ERCP योजना से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

193 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के अजीत सागर बाँध, रवा बाँध, काला भुजा बाँध और मोड़ी ईलाखर बांधों का जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में उपयुक्त स्थानों पर नए एनिकट एवं जल संग्रहण हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित ग्राम पंचायत गाडराटा में नए बाँध का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के चार मुख्य एवं बड़े बांधों अजीत सागर बाँध, रवां बाँध, मोड़ी ईलाखर बाँध, कालाभुजा बाँध में जल का संरक्षण करने हेतु यमुना जल समझौते की डी.पी.आर. में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत एवं जल जीवन योजना से वंचित ग्रामों एवं ढाणियों हेतु अतिरिक्त पेयजल एवं एक अतिरिक्त जलाशय की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

198 विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के बालापुरा लिफ्ट योजना एवं किशनपुरा लिफ्ट योजना को सोलर योजना से जोड़ जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199 विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में चम्बल से गांवों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाए जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200 विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के सिंचाई से वंचित गाँवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्यों के लिए मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201 विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की ग्राम पंचायत गोदल्याहेडी, गन्दीफली बनीयानी के गांव में सिंचाई हेतु कालीसिंध पार्ट-2 योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

202 विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के राईटमेन कैनाल से छोटे-छोटे सिंचाई के लिए जीर्ण-शीर्ण माईनरों को दुरूस्तीकरण करने एवं माईनरों की नियमित सफाई नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

203 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में गंगनहर एवं फिरोजपुर फीडर के रखरखाव एवं पूरा पानी दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

204 गंगनहर, भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सभी खालों को नए सिरे से पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205 गंगनहर के 45 RD से खखा हेड तक नहर की रिलाइ कर पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206 हरि के बैराज पर सतलुज नदी में गिरने वाले अपशिष्ट को रोकने व व्यास सतलुज नदी में बड़े पैमाने पर झाड़-कचरे से पानी के अवरोध को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207 प्रदेश की इंदिरा गांधी नहर में पूरा पानी देकर IGNP नहरों को दो चरणों में चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)

208 जैसलमेर नहरी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों की मरम्मत करवाने एवं कच्ची शाखों को पक्की कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर में द्वितीय चरण परियोजना में नहरी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का पर्याप्त पानी दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)

210 गंगनहर की रिलाईनिंग एवं आर.सी.सी. निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211 श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई के लिए खालों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212 गंगनहर से पंजाब क्षेत्र में हो रही पानी की चोरी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213 गंगनहर की सफाई करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214 श्रीगंगानगर जिले के किसानों को सिंचाई का पूरा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

215 इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जैसलमेर जिले के लूणार से विधान सभा क्षेत्र शिव के गडरारोड तक पूर्व में प्रस्तावित कार्य को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216 नर्मदा नहर परियोजना से विधान सभा क्षेत्र शिव में पेयजल के साथ सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217 विधान सभा क्षेत्र शिव में जल संचय हेतु बांधों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218 बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना से शिव विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति क्षेत्र शिव के गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219 नर्मदा नहर पेयजल परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुभाष मील (वि.सं.179)</u>

220 खण्डेला और आस-पास के क्षेत्रों में दो एनिकट बनाकर वर्षा जल को संचय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>

221 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में दोवड़ा, आसपुर, सावला ब्लॉक में नवीन एनिकट निर्माण कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222 डूँगरपुर जिले में आसपुर विधान सभा क्षेत्र में एनिकट बाँध व नहर के जीर्णोद्धार कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223 विधान सभा क्षेत्र आसपुर में विशेष एनिकट बाँध व नहरों का शुद्धिकरण व जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं.144)</u>

224 विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के फूकिया रायथालियावास एवं लडकी बांधों को बनास नदी या निकट अन्य किसी जल स्रोत पर डायवर्जन कर स्ट्रक्चर बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225 विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के मोखुन्दा का तालाब, रणजीत सागर को नहर द्वारा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226 विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उचकिया बाँध से भूणास में लिफ्ट कैनाल के माध्यम से पानी पहुँचाने व जीर्ण-शीर्ण बनी हुई नहरों का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227 विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के लड़की बाँध निरीक्षण गृह की मरम्मत एवं ट्यूबवेल हेतु बजट स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)

228 गंग केनाल व भाखड़ा नहर परियोजना के पक्के खालों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229 प्रदेश में मोघे दुरूस्त करने का अधिकार पुनः मुख्य अभियन्ता को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

230 IGNP से गंग केनाल की लिंक कैनाल की सफाई व रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231 जल संरक्षण के लिए उपयोग पक्की डिग्गी की समस्त पेंडेंसी को समाप्त कर किसानों को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)

232 इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत डाली गयी पाईप लाईनों में कमियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

233 विधान सभा क्षेत्र मकराना में कई ढाणियों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

234 विधान सभा क्षेत्र मकराना को नहरी पानी का पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं.115)

235 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रामगढ़ बाँध के सभी एनिकटों की मरम्मत एवं अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में टूटी हुई नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्षा के पानी को स्टोर किए जाने हेतु तालाबों/टांकों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं.162)

238 चौमूं नगर परिषद क्षेत्र के लिए अमृत-2 या समान योजना प्रस्तावित किए जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं.187)</u>

239 विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में बुचारा बाँध पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240 विधान सभा क्ष्ोत्र कोटपूतली के बेरी बाँध व बनाड़ी बाँध को भी ERCP से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शिमला देवी (वि.सं.163)</u>

241 अनूपगढ़ में जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर के कार्यों एवं परियोजनाओं पर चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

242 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के टाकरवाड़ा में लिफ्ट सिंचाई योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

243 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सी.ए.डी. की नहरों से टेलक्षेत्र पर पानी पहुँचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के माईनरों की मरम्मत करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की नहरों के धोरों, माईनरों के अतिक्रमण को हटवाकर उनकी खुदाई करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

246 विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के नौनेरा डेम में अवाप्त भूमि का मुआवजा व शिफ्टिंग करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं.148)</u>

247 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के बांधों व तालाबों को विकसित कर भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं.111)</u>

248 विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के 4 बांधों शिखरगट्टा, देवन, जमदेई, धवली, दांतोदी, शिवसिंहपुरा व मामटोरी मनोहरपुर को ई.आर.सी.पी. परियोजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

249 विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) में माधोवेणी नदी पर बिशनगढ़ ग्राम में बने अररकी की मरम्मत व जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250 विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) में सहायक अभियन्ता कार्यालय का जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-45 मुख्य शीर्षक **वन एवं पर्यावरण विभाग** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

<u>श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)</u>

1. वन विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)</u>

2. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में हिरणों के शिकार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं. 142)</u>

3. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वन क्षेत्र में नए क्लोजर स्वीकृत कर वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं. 98)</u>

4. उदयपुर जनजाति ऐरिया में वृक्षारोपण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)</u>

5. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जिला मुख्यालय सलूम्बर में उपवन संरक्षक कार्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. सेमारी उपखण्ड पर क्षेत्रिय वन अधिकारी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में बिलानाम व चारागाह भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खनन क्षेत्र में खदान मालिकों को वृक्षारोपण एवं सुरक्षा हेतु पाबन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. प्रदेश में वनों के विस्तार एवं रख-रखाव व वन क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्षारोपण व छोटे-छोटे एनिकट चारदीवारी की आवश्यकता तथा वन्य जीव अभ्यारण्य को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रोहित बौहरा (वि.सं. 139)</u>

10. प्रदेश में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग यूनिट्स पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. धौलपुर में टाइगर सैन्चूरी शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं. 94)

12. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पौधारोपण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)

13. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ एवं चामू में नवीन नर्सरी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
14. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में रेतीले टीबों पर वर्षों पुराने वृक्षारोपित मृत पौधों के स्थान पर उचित प्रजाति के नये पौधे पौधारोपित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)

16. प्रदेश में वन नाकों पर कार्यरत वनरक्षकों की ग्रेड-पे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
17. प्रदेश में वनभूमि पर सघन पौधारोपण करने के साथ रोपे गये पौधों की पेड़ बनने तक सतत देखभाल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. विधान सभा क्षेत्र धरियावद व सितामाता अभ्यारण्य में उपयोगी औषधीय पौधों महुआ तेंदु आदि के संबंध में चर्चा के लिये।
19. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में वनाधिकार एक्ट के अन्तर्गत वन क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरस्त किए गये सामुहिक पट्टों को पुनः बहाल कर सभी जगह सामुदायिक पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
20. प्रदेश के उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग के व सितामाता अभ्यारण्य में सदियों से निवासरत आदिवासी परिवारों की खेती योग्य भूमि को वनाधिकार एक्ट के अन्तर्गत पट्टों का अविलम्ब निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)

21. बालोतरा-जोधपुर-पाली की कपड़ा छपाई फैक्ट्रियों का रासायनिक पानी लूणी नदी, सुखड़ी नदी एवं नहड़ा बांध में डालने से बालोतरा जिले के किसानों की खेती, कृषि कुएं प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
22. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वन विभाग द्वारा मीनी माउण्ट हल्देश्वर महादेव मन्दिर पहाड़ को ईको-ट्यूरिज्म में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
23. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वन क्षेत्र (पहाड़ी) में बरसाती जल संरक्षण के लिए विभाग द्वारा स्वयं एनिकट बांध बनवाने अथवा जलसंसाधन विभाग को अनापत्ति जारी कर एनिकट बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. प्रदेश में वन क्षेत्र में पेयजल लाईन, बिजली लाईन एवं सड़क जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को वन भूमि से निकाले जाने के लिए अनापत्ति अथवा सरकार स्तर पर समझौता (दोनों-सभी विभागों) करवाकर कार्य शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
25. प्रदेश में वन भूमि पर बसी आबादी एवं वन भूमि नहीं होते हुए भी विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से लोगों को बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं. 17)

26. भीलवाड़ा शहर के नजदीक हरणी महादेव, हरणी कलां, सांगानेर, बीड सालनरा और पुर के वन खण्ड को नगर वन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
27. प्रदेश में वन खण्डों में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।
28. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में नक्षत्र वाटिका एवं औषधीय पौधशालाओं की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं. 51)

29. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के बस्सी बांध पर गार्डन विकसित कर नोह न्यू पॉइन्ट का निर्माण व बस्सी बांध से फोर-लेन तक पक्की सड़क का निर्माण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के निलिया मिडकी महादेव वन क्षेत्र को इको-टयूरिज्म में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)

31. विधान सभा क्षेत्र आहोर में खसरों सहित गांव अनुसार वन भूमि का पूर्ण विवरण बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
32. विधान सभा क्षेत्र आहोर में पिछले दस वर्षों में वनभूमि संरक्षण के लिए बनाई गई चार दिवारी के संबंध में चर्चा के लिये।
33. विधान सभा क्षेत्र आहोर में फलदार पौधों का रोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
34. प्रदेश में विभाग में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
35. विधान सभा क्षेत्र आहोर के अलावा 'सी' एवं हरजी में लवकुश वाटिका का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)

36. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के भेतिया तथा रामगढ़ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
37. बूंदी के वन क्षेत्र में आच्छादन हेतु भूमि विस्तार का मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. बूंदी के वन क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों में विकास की बाधाओं को दूर कने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
39. बूंदी-सिलोर-नमाना-भोपतपुरा एवं ललीपुरा, डोरा,डाबी, गुढा में सड़क निर्माण हेतु वन विभाग की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं. 61)</u>

40. विधान सभा क्षेत्र बहरोड में वन भूमि पर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
41. विधान सभा क्षेत्र बहरोड में वन भूमि में अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)</u>

42. प्रदेश में नरेगा कार्य योजना में पेड़-पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
43. कुम्भलगढ़ टाटगढ़ अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं. 197)</u>

44. फतेहपुर में बीड़ फतेश्वर का संरक्षण तथा फतेहपुर में नेचर-पार्क को विकसित की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)</u>

45. प्रदेश में राज्यवृक्ष खेजड़ी की अवैध कटाई एवं छंटाई की रोकथाम तथा वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु एवं अवैध शिकार पर शिकंजा कसने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
46. प्रदेश में धुंआ/वायु प्रदूषण/जल प्रदूषण/ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम तथा वाहनों, खानों के लिए पर्यावरण प्रमाण-पत्र जारी करने में अनियमितता बरतने वालों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
47. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मिशन हरियालो राजस्थान प्रारम्भ करने, नई नर्सरियां स्थापित करने एवं मातृवन की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)</u>

48. विधान सभा क्षेत्र कपासन में हिन्दुस्तान जिंक दरिबा द्वारा पर्यावरण को दूषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।
49. विधान सभा क्षेत्र कपासन के वन क्षेत्रों में अवैध कटाई एवं खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)</u>

50. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित महार, आदर्श नगर एवं तारागढ़ की वन भूमियों पर बजट में उल्लेखित वन पार्क एवं मातृ वन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. अजमेर स्थित रेल्वे द्वारा कैरीज व लॉको वर्कशॉप से निकलने वाले गन्दे पानी को आबादी क्षेत्र में बने ऐस्केप चैनल में छोड़े जाने तथा खानपुरा तालाब में हो रहे जल व भूमि प्रदूषण से कृषकों की फसल खराब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
52. प्रदेश के पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु ध्वनि तीव्रता को मापने के उपकरण कार्मिकों को उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा कानून का उल्लंघन करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
53. प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक के डिस्पोजल आईटम पर प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद इनका उपयोग होने तथा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
54. प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु पॉलीथीन बैग के उपयोग विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन के लिये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न चर्चा के लिये।

<u>श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)</u>

55. प्रदेश में वन क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण तथा अवैध रूप से वनों की कटाई तथा जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र में चल रहे ईंट भट्टों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं. 158)</u>

56. प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति के साथ पौधारोपण अनिवार्य किये जाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री लक्ष्मण राम (वि.सं. 141)</u>

57. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम रेण में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं. 131)</u>

58. अटरू नगर पालिका क्षेत्र में वन भूमि पर बसी कॉलोनी का नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)</u>

59. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में सदड़ी नगर पालिका बोर्ड द्वारा एन.ओ.सी. निरस्त करने के बावजूद होटल निर्माण कार्य चालू रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)</u>

60. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में वन विभाग द्वारा भारी भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (वि.सं. 50)

61. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के वन क्षेत्र में पेड़ों के बीज डलवाकर वनों को विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. टोडाभीम में वनों की कटाई पर रोक लगाने व दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं. 150)

63. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में श्री सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा पेड़-पौधे काटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)

64. सरिस्का अभ्यारण्य में बाघों का कुनबा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र नोहर में गत 5 वर्षों में किये गये पौधारोपण की स्थिति के संबंध में पर चर्चा के लिये।

66. प्रदेश में वन विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षो में वन क्षेत्र को संरक्षित करने एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये प्रयासों के संबंध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र नोहर में वन भूमि पर बसी आबादी क्षेत्र के निवासियों को भूमि के पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)

68. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में बिना उचित क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिफल दिये निजी खातेदारी भूमि को वन क्षेत्र में दर्शाने के कारण अनावश्यक न्यायिक विवादों एवं नागरिकों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. राजसमन्द शहर की अन्नपूर्णा पहाड़ी के सौन्दर्यीकरण और वहां पर रज्जू मार्ग (रोप-वे) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. प्रदेश में चारागाह भूमि पर सघन वृक्षारोपण के लिए तारबन्दी करने और प्रत्येक जिले में एक जिला एक जड़ी-बूटी के आधार पर वन क्षेत्र में एवं निजी भूमि पर वन विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. राजसमन्द झील के किनारे अन्नपूर्णा पहाड़ी पर मछलीघर (एक्वेरियम) बनाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. प्रदेश में नीलगाय (रोजड़ों) की संख्या पर नियंत्रण करने एवं किसानों को इनके आतंक से मुक्ति के उपाय और नियमों के सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीराम (वि.सं. 120)

73. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के जनजाति क्षेत्र की 22 पंचायतों में वनाधिकार पट्टे की भूमि पर स्थित विभिन्न स्कूलों, आंगनबाड़ी भवन व आबादी क्षेत्र में आवागमन हेतु सुगम रास्ते तरमीम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)</u>

74. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के शेरगढ़ एवं बालेसर रेंज में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. प्रदेश में वन क्षेत्रों से अवैध खनन को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जसवंत सिंह गुर्जर (वि.सं. 60)</u>

76. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के 11 बी नेशनल हाइवे पर विगत में किये गये पौधारोपण की जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती शोभा चौहान (वि.सं. 165)</u>

77. विधान सभा क्षेत्र सोजत की मगरा क्षेत्र में वन अधिकार क्षेत्र में रह रहे निवासियों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने, रोजगार एवं अन्य सुविधाओं की हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)</u>

78. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में नए प्लांटेशनों का निर्माण करवाये जाने, ग्राम पंचायत स्तर पर पौधारोपण करवाये जाने और कैम्पों के कार्य स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं. 112)</u>

79. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सुजानगढ़ से छापर तक स्वीकृत सड़क को वन विभाग द्वारा रोक देने से आम जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में छापर वन अभ्यारण्य से हिरणों को सुजानगढ़ व लाडनूं शहर के नजदीक शिफ्ट करने की योजना से वहां के निवासियों को होने वाली परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कालूराम (वि.सं. 31)</u>

81. विधान सभा क्षेत्र डग में ग्राम पंचायत स्तर पर पौधारोपण व कैम्पों के कार्य स्वीकृत करवाने तथा मिश्रोणी में रेंजर हैड-क्वार्टरको खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं. 142)</u>

82. बारां जिले में निरन्तर कट रहे पेड़ों तथा घट रहे वन क्षेत्र से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. बारां जिले की किशनगंज तहसील में सघन वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पृथक से बजट स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. प्रदेश में सघन वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं. 19)</u>

85. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन वन्य चौकियां स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को रोकने हेतु नवीन कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में पर्यावरण संरक्षण हेतु नवीन पार्क खोले जाने तथा सरकारी भूमि पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं. 168)</u>

88. निम्बाहेड़ा उपखण्ड में वन भूमि में वर्षों पूर्व बसे हुए गांव "परपड़िया" ग्राम पंचायत निम्बोदा को आबादी क्षेत्र में रूपान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. छोटी सादड़ी उपखण्ड में चण्डी माता डेम परियोजना (ग्राम पंचायत अम्बावली) की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

90. राज्य के वन क्षेत्र में ग्राम वन सुरक्षा समिति के माध्यम से बंद व्यवस्था को पुन: चालू कर क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने व ठेका पद्धति बंद कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोरधन (वि.सं. 47)</u>

91. विधान सभा क्षेत्र धोद में पर्यटन की दृष्टि से हर्ष पहाड़ पर सड़क मार्ग बनाने व पहाड़ पर आकर्षक पौधारोपण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)</u>

92. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के वन क्षेत्र काली घाटी से करमाल तक डामर सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत करने हेतु एन.ओ.सी. जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम करमाल में बन्दरों के आतंक से निजात दिलाने हेतु विभाग द्वारा कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं. 123)</u>

94. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के आमागढ़ लेपर्ड सेंचुरी में कर्मचारियों द्वारा की जा रही लापरवाही तथा वन विभाग द्वारा बनाई गई दीवार बारीश मे गिर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>महन्त बालकनाथ (वि.सं. 114)</u>

95. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी में उप वन संरक्षक कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कुलदीप (वि.सं. 33)</u>

96. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पर्यावरण क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उदयलाल भड़ाणा (वि.सं. 22)

97. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में वन्य भूमि पर हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में अवैध कोयला भट्टियों के संचालन से पर्यावरण प्रदूषित होने तथा वनों की कटाई होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में पंचायत समिति करेड़ा की ग्राम पंचायत धुवांला (करेड़ा) में वन-भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में संचालित फैक्ट्रियों से अपशिष्ट पदार्थों/रसायनों से पर्यावरण प्रदूषित होने तथा कोठारी एवं बनास नदी में अपशिष्ट/दूषित पानी छोड़ा जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में सरकारी भूमि पर सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय कुमार (वि.सं. 169)

102. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के गांव सिद्धपुरा, रघुवीरपुरा, अमानपुरा, नयागांव, रीझौनी को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं. 87)

103. फलोदी जिले में वन विस्तार की विभिन्न योजनाओं के लिए बजट का सही उपयोग नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)

104. बालोतरा अथवा बाड़मेर में जयपुर एवं जोधपुर की तर्ज पर आमजन के पर्यटन के रूप में चिड़ियाघन (जू) बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. प्रदेश के वन विभाग की जमीन पर निवासरत लोगों को पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के डोली ग्राम पंचायत में जोधपुर से आ रहे प्रदूषित पानी से निजात दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. पाली, जोधपुर एवं बालोतरा के प्रदूषित पानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

108. पाली स्थित औद्योगिक इकाईयों से लूनी नदी में प्रदूषित पानी को डालने से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं. 46)

109. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पेड़ो की कटाई एवं अवैध खनन की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में ग्राम आगरिया, आसोप, कोटड़ी एवं शाहपुरा में काले हिरणों को संरक्षित करने हेतु वन अभ्यारण्य घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में चैनपुरा आमन्दा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में आसोप दातड़ा क्षेत्र में काले हिरणों को संरक्षित करने हेतु वन अभ्यारण्य घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में वन विभाग की जमीन को संरक्षित रखने एवं घने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए चार दीवारी का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं. 145)</u>

114. भीलवाड़ा के शाहपुरा के आशोप वन क्षेत्र में काले हिरण (कृष्णमृग) के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन रिजर्व की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. भीलवाड़ा के शाहपुरा के ढ़ाणी बीड़ ओदी के पास नगर वन विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. भीलवाड़ा के शाहपुरा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के बनेड़ा में अवैध कोयला भट्टियां हटाने व पेड़ों के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं. 172)</u>

118. कोटा के अभेड़ा बायोलोजिक पार्क के पास वन भूमि को वाईल्ड लाईफ सफारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के अकेड़ा बॉयोलोजी पार्क के विकास हेतु द्वितीय फेस का बजट आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में लवकुश वाटिका के विकास हेतु द्वितीय फेस के लिए बजट आवंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. कोटा स्थित पुराने चिड़ियाघर को रेस्क्यू सेन्टर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जुबेर खान (वि.सं. 65)</u>

122. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की गैर-मुमकिन पहाड़ों पर वन को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में खाली पड़ी गौचर एवं सिवाय-चक भूमि पर वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

124. विधान सभा क्षेत्र बयाना में रिक्त पड़े वनपाल के पदों पर नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र बयाना में घोषित बंध वारैठा सेंचुरी को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं. 171)</u>

126. वन विभाग के रैन्ज कार्यालय भादरा के समीप स्थित वन विभाग की स्वामित्व के भूखण्ड पर भूमाफिया के द्वारा अवैध कब्जा करने के प्रयास पर उच्च स्तरीय जांच कर एवं कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. हनुमानगढ़-नौहर-भादरा से हिसार (हरियाणा) के स्टेट हाइवे रोड़ के नवीनीकरण के दौरान काटे गये पेड़ों (वृक्षों) को संबंधित निर्माण कम्पनी द्वारा पुनः पौधारोपण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र भादरा में बिना मंजूरी के चल रहे पुराने टायर जलाकर अवशेष का संगृहण करने के कारखानों (फैक्ट्रियों) की वजह से होने वाले भारी प्रदूषण की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र भादरा में गत पांच वर्षों के दौरान की गई वन विभाग के पेड़ों की अवैध कटाई की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. हनुमानगढ़ जिले के अनेक राजस्व गांवों की बसावट व आबादी क्षेत्र की वन विभाग में दर्ज भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाकर आमजन को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं. 108)</u>

131. विधान सभा क्षेत्र ओसियां मुख्यालय पर वन्य जीव एम्बुलेंस मय स्टॉफ स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. ओसियां उपखण्ड मुख्यालय पर विभाग का रेस्क्यू सेन्टर वन्यजीव चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री बहादुर सिंह (वि.सं. 99)</u>

133. विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर तथा भुसावर में प्रधान नर्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर तथा भुसावर के पहाड़ी क्षेत्रों में पौधारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं. 178)</u>

135. प्रदेश के केवलादेव नेशनल पार्क के संरक्षण हेतु पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. प्रदेश में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. भरतपुर में घना अभ्यारण्य के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. प्रदेश में पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. प्रदेश में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (वि.सं. 20)

140. प्रदेश में सघन वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वन-भूमि पर अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पेड़ों की अवैध कटाई रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. प्रदेश में वनों के संरक्षण व संवर्धन के लिये कार्य योजना बनायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं. 116)

144. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वन-भूमि पर अत्यधिक संख्या में हो रहे अतिक्रमणों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं. 44)

146. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थित नयानगर वन क्षेत्र में मेनाल इकोपार्क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विनोद कुमार (वि.सं. 153)

147. पीलीबंगा के बडोपल पक्षी अभ्यारण्य व वाटर सफारी घग्घर नदी फल्ड़, घग्घर फल्ड के पानी में नौकायन की कार्ययोजना के संबंध में चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के लखासर, खरलिया में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में गोलूवाला कैंचियां, कालीबंगा कैंचियां एवं धन्नासर में वन विभाग चौकी मय स्टॉफ-वाहन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के रेंज कार्यालय पीलीबंगा व रावतसर में कार्यालय भवन निर्माण एवं स्टॉफ हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा बड़ोपल, लखासर, खरलियां, 23 एमओडी, गोलूवाला, गंधेली, धन्नासर में वाटर हॉल के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं. 39)

152. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के उपखण्ड बिछीवाड़ा में स्थित वन क्षेत्र भागागढ़, रानीझूला, वेठ, रातापानी के जंगलों की सीमा पर अवैध कटाई को रोकने हेतु कंटीले

तार लगाये जाने तथा चारदीवारी का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. प्रदेश में वन एवं पर्यावरण संतुलन हेतु प्रत्येक परिवार को नि:शुल्क पौधे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. प्रदेश में वन विभाग की भर्ती में जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को वरियता दी जाने एवं वोलंटीयर के रूप में अस्थाई वन मित्रों के रूप में नियुक्ति दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. प्रदेश में पर्यावरण संतुलन हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगवाये जाने तथा वनों की अवैध कटाई रोकने हेतु समितियां गठित कर जनजाति वर्ग के युवाओं को उनमें नियुक्ति दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं. 176)</u>

156. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के प्रभावी होने से पूर्व के लैण्ड सैटलमेन्ट के प्रकरणों का निस्तारण कर वन भूमि से स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. झालावाड़ वन क्षेत्र में वॉच टॉवर बाघेर की घाटी तक रास्ता बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. प्रदेश में बजट घोषणा 2023 की अनुपालना में विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु गागरोन से नोलाव, नोलाव से प्रेमपुरा (लक्ष्मीपुरा), दोलाड़ा, हरिपुरा खुर्द की लम्बित अनापत्तियां जारी किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के वन क्षेत्रों में वन्य जीवों को रेस्क्यू करने के लिए आवश्यक उचित संसाधनों के प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पीढ़ियों से वन भूमि पर काबिज खेती कर रहे परिवारों को वनाधिकार के तहत पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं. 106)</u>

161. दौसा जिले में वन भूमियों को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा हेतु चारदीवारी, तारबन्दी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. दौसा जिले में वनकर्मियों द्वारा ट्रैक्टर चालकों, जेसीबी चालकों को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

163. प्रदेश के वन क्षेत्रों में माफियाओं द्वारा वन कर्मियों की मिलीभगत से पेड़ों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

164. प्रदेश के वन क्षेत्रों में खनन माफिया द्वारा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल (वि.सं. 83)

165. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी अरावली पर्वतमाला से घिरी होने, अधिकांश गांवों, ढ़ाणियों में जाने के लिए रास्ता वन क्षेत्र से होने के कारण सड़कों का निर्माण करने के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में वन विभाग के दो कन्जर्वेशन रिजर्व एरिया बांसियाल खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व और बांसियाल खेतड़ी बागोर कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा पर पक्की दीवार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में बांसियाल खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व पौधशाला चिरानी अथवा समधेड़ा तालाब चौकी के पास एक ट्रेनिंग हॉल या मीटिंग हॉल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में बांसियाल खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व में समधेड़ा तालाब चौकी से ढाणी उसरिया तक चैनल फैंसिंग, पूर्व में निर्मित 4 फीट हाईट पक्की सीमा दीवार पर चैनल फैंसिंग तथा बांसियाल खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व में निर्मित 4 वनरक्षक चौकियों की सुरक्षा दीवार मय चैनल फैंसिंग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में बांसियाल खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व के प्रवेश द्वार पर विद्युत कनेक्शन और एक ई-मित्र कियोस्क स्थापित करने तथा कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में पानी की सुविधा हेतु ट्यूबवेल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)

170. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य से घड़ियाल एवं मगरमच्छ के आबादी क्षेत्रों में प्रवेश रोके जाने हेतु दीवारों के निर्माण कराने एवं सुरक्षा हेतु इन सीटू हैचरी निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम कसार, मण्डाना बनियानी, मवासाकी वन भूमि को ग्रास लैंड के रूप में विकसित किये जाने की कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. कोटा जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 का उल्लंघन किये जाने के कारण समयबद्ध जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. कोटा जिले के अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों के अन्तिम निकास उपचारित वेस्ट वाटर एवं चिमनी से उत्सर्जित गैसों के निगरानी हेतु नियमित जांच नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

174. कोटा जिले में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की नियमित बैठकें आयोजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)

175. प्रदेश में वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विशेष अभियान चलाकर किये जा रहे पौधारोपण की मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. प्रदेश में वन विभाग की जमीन जिस पर सरकारी स्कूल व अन्य भवन बने हुए हैं, को आबादी भूमि में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. वन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण एवं रख रखाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. प्रदेश में विगत वर्षो में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कटाई से घट रहे वनों के संबंध में चर्चा के लिये।

179. प्रदेश में नई व निजी कॉलोनियों में पर्यावरण को बचाने के लिए सड़कों पर पेड़ लगाने व उद्यान/पार्क के लिए जगह रिजर्व करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं. 102)

180. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित वन भूमि पर अवैध बांग्लादेशियों का बब्जा हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित वन भूमि पर गत सरकार के कार्यकाल में हुए अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित वन भूमि पर वर्षो से बसे परिवारों को पट्टे जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह (वि.सं. 55)

183. जैसलमेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) के निवासियों, गांव व ढ़ाणीयों में बसने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

184. जैसलमेर जिले के माईन्स एरिया में रोड के पेरेलल सघन पौधारोपण किये जाने की की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. जैसलमेर जिले के माईन्स एरिया मालणबाई मन्दिर के पास के क्षेत्र में पौधारोपण करवाने की की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. जैसलमेर जिले के कालेडुगर राय माताजी जाने वाली सड़क पर एवं मन्दिर की पहाडी के चारों और पौधारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. जैसलमेर जिले के सीमान्त क्षेत्र रामगढ से तनोट माता मन्दिर जाने वाली रोड के दोनों तरफ पौधा रोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रूपिन्दर सिंह कुन्नर (वि.सं.200)</u>

188. विधान सभा क्षेत्र श्री करणपुर में पेडों की कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के उपखण्ड पदमपुर में अवैध कटाई के पेडों की चिराई करने वाली आरा मशीनों को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. श्रीगंगानगर जिले में हो रहे हिरणों के शिकार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के उपखण्ड मुख्यालय पदमपुर पर वन्य चौकी एवं नर्सरी की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

192. बाडमेर-जैसलमेर जिले में स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. पश्चिमी राजस्थान में जंगली बबूल को पूर्ण रूप से नष्ट कर रेगिस्तान में वनों के विकास के लिए नयी कार्ययोजना बनाकर ज्यादा से ज्यादा चारागाह का विकास एवं पेड़-पौधों की स्थानीय प्रजातियों को बढावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

194. बाडमेर-जैसलमेर जिले में विभिन्न प्रकार के खनन कार्य एवं ऊर्जा उत्पादन कम्पनियों द्वारा किये जा रहे पर्यावणीय नुकसान की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुभाष मील (वि.सं. 179)</u>

195. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के सलेदीपुरा, पणिहारवास, गुरारा, भैरा एवं लुहारवास सहित वन विभाग जमीन पर बबूल को नष्ट कर छायादार व फलदार वृक्ष लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं. 62)</u>

196. विधान सभा क्षेत्र मकराना में पर्यावरण सुधार के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य सडकों के दोनों ओर पेड़ लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

197. विधान सभा क्षेत्र बयाना के वन क्षेत्र में गुलाबी पत्थर (पिंक स्टोन) का खनन करने के लिए छोटे-छोटे पटटे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं. 115)</u>

198. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में वन क्षेत्र में पेडों की अवैध कटाई को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में 33 गांवों को सेन्चुरी से हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में सडकों की मरम्मत हेतु वन विभाग द्वारा NOC नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में वन क्षेत्रों में काफी वर्षो से निवासरत आदिवासियों को आवासीय पटटे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं. 162)</u>

202. चौमू में सामोद बालाजी मंदिर पर पूर्व में संचालित रोप-वे के पुनः संचालन के लिये वन विभाग की रोक हटवाने (एन.ओ.सी. जारी करवाने) की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. चौमू में वन्य जीवों के लिए रेस्क्यू-व्हीकल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र चौमू में विभाग के कर्मचारियों के लिए नवीन भवन निर्माण व मूवमेन्ट व्हीकल (चौपहिया) देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र चौमू में वीर हनुमान जी मंदिर, सामोद की तलहटी में वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं. 187)</u>

206. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में बुचारा वन खण्ड में हो रहे अतिक्रमण को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं. 03)</u>

207. जोधपुर प्रदुषण निवारण ट्रस्ट, जोधपुर के अन्तर्गत जोधपुर, पाली एवं बालोतरा की ई.टी.पी की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208. जोधपुर, बालोतरा और पाली नगरीय क्षेत्रों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित टैक्सटाईल्स ईकाइयों के द्वारा बॉरिंग करके प्रदुषित जल भूमि में डालने से रोकने के लिए प्रभावी समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. प्रदेश की वनभूमि पर बसी मूलभूत सुविधाओं युक्त कच्ची बस्तियों से शेष बची भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए आधुनिकतम तकनीक आधारित और अधिकारियों के उत्तरदायित्वों के स्पष्ट निर्धारण वाली समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर अविलम्ब लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण निवारण ट्रस्ट के कार्यो में गंभीर अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच करवाने और प्रदूषण निवारण कार्यों के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. प्रदेश में वन भूमि पर अवैध कब्जों एवं अतिक्रमण को हटाने एवं अतिक्रमण के लिए विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रकिया निश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं. 53)

212. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में बबूल के वृक्षों की अवैध कटाई रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्वीकृत गोण्डा की एवं संग्रामपुरा रोड की पुलिया हेतु केन्द्रीय वन विभाग की NOC दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. प्रदेश के वनीय क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)

215. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की प्रमुख सडकों के दोनों तरफ पौधारोपण करवाने एवं नवीन वन चौकियों की स्थापना तथा जंगली जानवरों हेतु एनिकट एवं नाडियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)

216. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के संजय स्मृति वन में मिनी जू खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के बिदारा व अमरसर वन क्षेत्र में लव-कुश वाटिका खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में संजय स्मृति वन का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।